रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022020-215875
CG-DL-E-03022020-215875

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 468 की उपधारा (1) और (2) और धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

भाग-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिसमापन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन परिसमापन के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अथवा विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "रजिस्ट्रार" से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार और इस अधिकरण या इसकी पीठ का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार की शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं, अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्री" से अधिकरण की रजिस्ट्री अथवा इसकी कोई पीठें या अपील अधिकरण अभिप्रेत है, जो आवेदनों तथा उनके संबद्ध दस्तावेजों का अभिलेख रखता है;

(ङ) "खंड" से अधिनियम का खंड अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अधिनियम परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

भाग-2

अधिकरण द्वारा परिसमापन

3. परिसमापन के लिए याचिका - (1) धारा 272 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, किसी कंपनी के परिसमापन के लिए याचिका, परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित ऐसे परिवर्तनों के साथ, यथास्थिति, प्ररूप विन 1 या प्ररूप विन 2 में प्रस्तुत की जाएगी, और तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्रत्येक याचिका याचिकाकर्ता अथवा याचिकाकर्ताओं, जहां याचिकाकर्ता एक से अधिक हैं, दिए गए शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी, और यदि याचिका किसी कारपोरेट निकाय, निदेशक, सचिव अथवा इसके प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानी है, और ऐसा शपथ-पत्र प्ररूप विन-3 में होगा।

4. कार्यों का विवरण - धारा 272 की उपधारा (4) या धारा 274 की उपधारा (1) के अधीन फाइल करने के लिए अपेक्षित कार्यों का विवरण प्ररूप विन 4 में होगा और इसमें उस तारीख तक का सूचना होगी जो याचिका फाइल करने या आपत्ति फाइल करने जो भी लागू हो, की तारीख से पहले तीस दिन से अधिक नहीं होगा और शपथ-पत्र द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित कर कार्य का विवरण दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और कार्य के विवरण की सहमति का एक शपथ-पत्र प्ररूप विन-5 में होगा।

5. याचिका की स्वीकृति और विज्ञापन के संबंध में निदेश - याचिका फाइल किए जाने पर, याचिका को स्वीकार किए जाने और उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करने एवं प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों तथा व्यक्तियों, यदि कोई हो, जिन्हें याचिका की प्रतियां भेजी जानी हैं, के संबंध में निदेश देने के लिए याचिका को अधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। जहां याचिका किसी कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल की गई है, वहां अधिकरण, यदि वह उपयुक्त समझे, कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस का निदेश दे सकती है और याचिका के विज्ञापन, यदि कोई हो, के संबंध में निदेश देने से पहले, सुनवाई का अवसर दे सकती है और याचिकाकर्ता विज्ञापन की सभी लागतें वहन करेगा।

6. याचिका की प्रति प्रस्तुत करना - कंपनी का प्रत्येक अंशधारी पांच रुपये प्रति पृष्ठ के भुगतान पर उसकी मांग पर चौबीस घंटे के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा याचिका की एक प्रति दिए जाने का हकदार होगा।

7. याचिका का विज्ञापन - अधिकरण के किन्हीं निदेशों के अध्यधीन, याचिका का नोटिस का विज्ञापन सुनवाई के लिए नियम तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले अंग्रेजी के किसी दैनिक समाचार पत्र और जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के किसी व्यापक रूप से परिचालित समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और यह विज्ञापन प्ररूप विन 6 में होगा।

8. याचिका वापस लेने की अनुमति के लिए आवेदन - (1) परिसमापन के लिए कोई याचिका प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, लागतों सहित इस अधिकरण के किसी आदेश के अनुपालन के अध्यधीन अधिकरण की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जाएगी।

(2) किसी याचिका को बंद करने के लिए वापस लेने की अनुमति हेतु किसी आवेदन जिसे नियम 7 के उपबंधों के अनुसार विज्ञापित किया गया है, जिसकी सुनवाई याचिका की सुनवाई के लिए विज्ञापन में नियत तारीख से पहले किसी समय नहीं की जाएगा।

9. मूल याचिकाकर्ता का प्रतिस्थापन – (क) जहां कोई याचिकाकर्ता –

(i) किसी याचिका को प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ii) इन नियमों द्वारा या अधिकरण के आदेश द्वारा विहित समय के भीतर उनकी याचिका का विज्ञापन करने में विफल रहता है; या

(iii) याचिका वापस लेने के लिए सहमति देता है या इसे निरस्त करवाता है, या सुनवाई के लिए विहित मूल तारीख को या किसी ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है; अधिकरण द्वारा बुलाए जाने पर याचिका के समर्थन में उपस्थित होने में विफल रहता है; या

(iv) यदि उपस्थित हुआ हो तो, अपील याचिका की प्रार्थना के अनुरूप आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है; या

(ख) जहां अधिकरण की राय में इस नियम के अधीन आदेश करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण है। अधिकरण उन शर्तों पर जो वह उचित समझे, किसी अन्य व्यक्ति को याचिकाकर्ता के रूप में स्थानापन कर सकती है जिसे अधिकरण की राय में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, और जो याचिका के अभियोजन का इच्छुक है।

10. **स्थानापन संबंधी प्रक्रिया -** जहां अधिकरण बंद करने की याचिका में किसी अंशधारी को याचिकाकर्ता के रूप में स्थानापन करने का आदेश करता है, वहां वह न्याय पीठ द्वारा नियत किसी तारीख के लिए याचिका की सुनवाई स्थगित करेगा और याचिका में ऐसे संशोधनों का निदेश देगा, जो आवश्यक हों, और ऐसा अंशधारी, आदेश किए जाने के सात दिन के भीतर तदनुसार, याचिका में संशोधन करेगा, और उसकी दो सुपाठ्य और स्पष्ट प्रतियां दो प्रतियों में शपथ पत्र के साथ, जिसमें याचिका को उसके समर्थन के आधार वर्णित हों, फाइल करेगा और संशोधित याचिका को कंपनी बंद करने के लिए याचिका माना जाएगा और उसे उस तारीख को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जिस तारीख को मूल याचिका प्रस्तुत की गई थी।

11. **आपत्ति शपथ पत्र -** धारा 272 की उपधारा (1) के अधीन याचिका के लिए आपत्ति में कोई शपथ पत्र आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी, और शपथ पत्र की एक प्रति तत्काल याचिकाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को दी जाएगी और शपथ पत्र की प्रतियां याचिका के समर्थन में उपस्थित होने वाले किसी अंशधारक को भी तीन कार्य दिवस के भीतर पांच रुपये प्रति पृष्ठ के भुगतान पर दी जाएगी जिसे उसकी आवश्यकता है।

12. **उत्तर में शपथ पत्र -** याचिका के लिए आपत्ति में शपथ पत्र के उत्तर में कोई शपथ पत्र याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम 7 दिन पहले फाइल किया जाएगा, और उत्तर में शपथ पत्र की एक प्रति आपत्ति शपथ पत्र फाइल करने वाले व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को फाइल करने की तारीख को दी जाएगी।

समापक

13. **लागू होना -** जब तक कि विनिर्दिष्ट न हो, इसके पश्चात् ये नियम समापकों की सभी श्रेणियों पर लागू होंगे।

14. **अनंतिम समापक या कंपनी समापक की नियुक्ति -**

(1) अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन के लिए किसी याचिका को स्वीकार करने के पश्चात्, और अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त आधार के साथ शपथ पत्र द्वारा प्रमाण होने पर, अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, और ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिकरण की राय में उचित और आवश्यक हैं, धारा 273 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में, परिसमापन की याचिका पर अंतिम आदेश के लंबित रहने तक, कंपनी का एक अनंतिम समापक नियुक्त कर सकता है और जहां कंपनी आवेदनकर्ता नहीं है वहां अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए आवेदन का नोटिस प्ररूप विन 7 में कंपनी को दिया जाएगा और कंपनी को अपना प्रतिनिधित्व करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा जब तक कि अधिकरण, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, ऐसे सूचना का निपटान नहीं करता है।

(2) अनंतिम समापक की नियुक्ति के आदेश में अधिकरण द्वारा धारा 275 की उपधारा (3) के अनुसार, उसे दी गई शक्तियों के आधार पर, बाध्यताएं और सीमाएं, यदि कोई हों, लिखित होंगी और यह आदेश यथा आवश्यक ऐसे परिवर्तनों के साथ प्ररूप विन 8 में होगा।

(3) 273 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार, यथा पारित किसी अनंतिम समापक की नियुक्ति के किसी आदेश में यह भी कहा जाएगा कि कंपनी की किसी संपत्ति, बहियों अथवा दस्तावेजों, नकदी या किसी अन्य आस्तियों, उनसे प्राप्त लाभों सहित, पर अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यथास्थिति, ऐसी संपत्ति, बहियों अथवा दस्तावेजों, नकदी या अन्य आस्तियों और उनसे प्राप्त लाभ, अनंतिम समापक के समक्ष तत्काल अभ्यर्पित कर दे।

(4) जहां, यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक, की नियुक्ति के लिए आदेश किया गया है, वहां रजिस्ट्रार, धारा 277 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आदेश पारित करने की तारीख से जो सात दिन की अवधि से अधिक न हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा या कुरियर सेवा द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा आदेश की प्रति प्ररूप विन 9 में कंपनी समापक अथवा अनंतिम समापक को नोटिस भेजेगा और यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक, की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति उसके समर्थन में फाइल की गई याचिका और शपथ पत्र, यदि कोई हो, की एक प्रति के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(5) अधिकरण द्वारा नियुक्त यथास्थिति, अनंतिम समापक अथवा कंपनी समापक, नियुक्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष, अपने नियुक्ति के संबंध में हितों के टकराव या स्वतंत्रता की कमी, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण करते हुए प्ररूप विन 10 में एक घोषणा फाइल करेगा।

(6) यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन जब तक सरकारी समापक नियुक्त किया जाता है, तब तक के लिए रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यवसायिकों में से अधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

15. अनंतिम समापक पर लागू नियम - कंपनी समापकों से संबंधित नियम अनंतिम समापकों पर अधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में दिए गए ऐसे निदेशों के अध्यधीन लागू होंगे।

16. अनंतिम समापक की लागत, इत्यादि - अधिकरण के किसी आदेश के अध्यधीन, अनंतिम समापक द्वारा किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय का भुगतान कंपनी की आस्तियों से किया जाएगा और यदि कंपनी के पास लागतों, प्रभारों और व्ययों के भुगतान के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं हैं या कोई आस्ति नहीं है तो अधिकरण इस संबंध में उपयुक्त आदेश कर सकती है।

परिसमापन आदेश

17. समापक को भेजे जाने वाला आदेश और आदेश का प्ररूप - (1) धारा 277 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ परिसमापन करने का आदेश यथा आवश्यक ऐसे परिवर्तनों के साथ प्ररूप विन 11 में होगा और परिसमापन करने का आदेश इस पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् और सील बंद करके रजिस्ट्रार द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख जो 7 दिन की अवधि से अधिक न हो, कंपनी समापक और कंपनी रजिस्ट्रार को प्ररूप विन 12 और प्ररूप विन 13 में भेजा जाएगा और कंपनी समापक को भेजे गए आदेश की प्रति के साथ उसके समर्थन में फाइल की गई याचिका और शपथ पत्र, यदि कोई हो, की एक प्रति भी होगी, यदि अनंतिम समापक की नियुक्ति के समय पहले नहीं भेजी गई हो।

(2) कंपनी समापक आदेश की एक सीलबंद प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, दी गई रीति में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत या यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं हैं तो, इसके व्यवसाय के प्रधान स्थान या अंतिम ज्ञात प्रधान स्थान पर कंपनी को, या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी रीति में भिजवाएगी, जैसा अधिकरण निदेश करे।

(3) अधिकरण द्वारा किए गए आदेश की एक प्रति भी कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के प्ररूप आईएनसी-28 में कंपनी रजिस्ट्रार को प्राप्ति के तीस दिन के भीतर समापक द्वारा फाइल की जाएगी।

18. परिसमापन आदेश की विषय-वस्तु - किसी कंपनी के परिसमापन करने के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह समाविष्ट होगा कि यह ऐसे व्यक्तियों का कर्त्तव्य होगा कि जो आदेश की तारीख तक पूर्ण लेखापरीक्षित कंपनी की खाता बहियां प्रस्तुत करने, अपेक्षित समय और स्थान पर कंपनी समापक के समक्ष प्रस्तुत हों और उन्हें पूरी सूचना देने के लिए उत्तरदायी हों और कंपनी की किसी संपत्ति, बहियां या कागजात, नकदी या किसी अन्य आस्ति, उससे प्राप्त लाभ सहित, पर अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संपत्ति, बहियां या कागजात, नकदी या किसी अन्य आस्ति, उससे प्राप्त लाभ सहित, कंपनी समापक को तत्काल अभ्यर्पित करेगा।

IndiaCode

19. परिसमापन आदेश तैयार करने संबंधी निदेश - परिसमापन करने का आदेश तैयार करते समय, या उसके पश्चात् किसी समय, अधिकरण आदेश के विज्ञापन और व्यक्तियों, यदि कोई हो, जिन्हें आदेश तामील किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, जिन्हें परिसमापन में आगे की कार्यवाहियों के संबंध में नोटिस और ऐसे यथा आवश्यक अगले निदेश दिए जाएंगे।

20. आदेश का विज्ञापन - अधिकरण द्वारा दिए गए अन्यथा आदेश को छोड़कर, अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर अंग्रेजी के किसी दैनिक समाचार-पत्र में और उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा के किसी व्यापक रूप से प्रचालित किसी समाचार-पत्र में जहाँ कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, प्रकाशित किया जाएगा और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, को और ऐसी रीति में जो अधिकरण निदेश करे, तामील की जाएगी और यह विज्ञापन प्ररूप विन 14 में होगा।

21. कंपनी समापक द्वारा घोषणा – धारा 275 की उपधारा (6) में यथा निर्दिष्ट कंपनी समापक के रूप में अपनी नियुक्ति के संबंध में हितों के टकराव या स्वतंत्रता की कमी, यदि कोई हो, के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी समापक द्वारा घोषण अधिकरण के समक्ष प्ररूप विन 10 में फाइल की जाएगी।

22. कंपनी समापक कंपनी की आस्तियों और बहियों एवं कागजातों का प्रभार लेना –

(1) परिसमापन का आदेश किए जाने पर कंपनी समापक कंपनी की सभी संपत्तियों, वस्तुओं, कार्ययोग्य दावों और बहियों तथा कागजातों को तत्काल अपनी अभिरक्षा या अपने नियंत्रण में लेगा और कंपनी की किन्हीं संपत्तियों, बहियों और कागजातों, नकदी अथवा किन्हीं अन्य आस्तियों को अभिरक्षा में रखने के लिए सभी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे उसका स्वामित्व अनंतिम समापक के सुपुर्द करें।

(2) जहां कंपनी, इसके प्रवर्तक, इसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कोई अन्य व्यक्ति जो समापक के साथ सहयोग करने के लिए अपेक्षित हो, सहयोग नहीं करता है, वहां समापक अधिकरण के समक्ष पास एक उपयुक्त आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) अधिकरण, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आदेश करेगा जिसके द्वारा ऐसे प्रवर्तकों, ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य व्यक्ति (संविदा विरोधी पक्षकार, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता अथवा लेखापरीक्षक सहित) को निदेश देगा कि वह-

(क) समापक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए; और

(ख) समापक के अनुदेशों का अनुपालन करे तथा सूचना के संकलन में और आस्तियों, संपत्तियों और लेखाबहियों की अभिरक्षा लेने में उसके साथ सहयोग करे।

23. परिसमापन आदेश किए जाने के बाद कार्यवाहियों का प्ररूप - परिसमापन आदेश किए जाने अथवा अनंतिम समापक की नियुक्ति किए जाने के पश्चात्, परिसमापन किए जाने में प्रत्येक उत्तरवर्ती कार्यवाही में इसकी अपनी विशिष्ट संख्या के अलावा, परिसमापन करने की याचिका की मूल संख्या होगी, किंतु वाद शीर्षक में कंपनी के नाम के सामने कोष्ठकों में "परिसमापन में" या "अनंतिम परिसमापन में" जैसा भी मामला हो, शब्द लिखे जाएंगे।

परिसमापन आदेश पर वादों आदि को स्थगित करने के लिए आवेदन

24. वाद या कार्यवाही प्रारंभ करने या जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन - धारा 279 की उपधारा (1) के अधीक कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने या जारी रखने की अधिकरण की अनुमति के लिए आवेदन कंपनी समापक और प्रारंभ होने या जारी रखने के लिए अपेक्षित वाद या कार्यवाही के पक्षकारों को नोटिस प्ररूप विन 15 में दिया जाएगा।

धारा 281 के अधीन कंपनी समापक द्वारा रिपोर्टें

25. कंपनी समापक द्वारा रिपोर्ट –

(1) धारा 281 की उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट यथा आवश्यक ऐसे परिवर्तनों के साथ प्ररूप विन 16 में प्रस्तुत की जाएगी और कंपनी समापक उक्त उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, यदि वह उपयुक्त समझे, तो रिपोर्ट अथवा रिपोर्टें तैयार कर सकता है।

(2) प्रवर्तकों, निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्येक व्यक्ति जिसने कार्य का विवरण बनाया है या बनाने में सहमति दी है, यदि और जब कभी अपेक्षित हो, का यह कर्तव्य होगा कि वह कंपनी समापक के समक्ष उपस्थित हो या ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे जो उससे किए जाएं, ऐसी सभी सूचनाएं देगा जो उससे अपेक्षित हो, और कंपनी समापक द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी सहायता उपलब्ध कराए।

(3) अधिकरण इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन के भीतर अधिकरण द्वारा उस पर विचार करने के लिए तारीख नियत तथा उस तारीख को अधिकरण के सूचना बोर्ड पर और कंपनी समापक को अधिसूचित करेगा।

26. कार्य-विवरण की जांच और रिपोर्ट –

प्रत्येक लेनदार या अभिदायी, एक हजार रुपये या ऐसे अन्य शुल्क जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के भुगतान पर स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से धारा 272 की उपधारा (4) या धारा 274 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट तथा नियम 25 के उप नियम (1) अधीन प्रस्तुत कंपनी समापक की रिपोर्ट की जांच एक हजार रूपये के फीस के भुगतान पर और पांच रूपये प्रति पृष्ठ के फीस के भुगतान पर उसकी प्रतियां या उद्धरण की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

27. अधिकरण द्वारा रिपोर्ट पर विचार - धारा 281 के अनुसरण में कंपनी समापक द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कंपनी समापक व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त रिपोर्ट पर विचार के समय उपस्थित होगा और अधिकरण को उसमें शामिल मामलों के संदर्भ में आगे सूचना या स्पष्टीकरण देगा जैसाकि अधिकरण अपेक्षा करे और रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत, अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकता है या ऐसे निदेश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

अभिदायियों की सूची का निपटान

28. अभिदायियों की अनंतिम सूची –

(1) जब तक कि अधिकरण अभिदायियों की किसी सूची का निपटान करता है, कंपनी समापक परिसमापन आदेश की तारीख के बाद अधिक से अधिक इक्कीस दिन के भीतर कंपनी के अभिदायियों की एक अंतरिम सूची उनके नाम और पतों सहित, प्रत्येक अभिदायी के शेयरों की संख्या या उसमें निहित हित की मात्रा, प्रत्येक शेयर के संबंध में मांगी गई और प्रदत्त राशि या हित और ऐसी सूचियों में अभिदायियों की विभिन्न श्रेणियों को पृथक करते हुए एक सूची तैयार करेगा और अधिकरण में फाइल करेगा।

(2) इस सूची में प्रत्येक वह व्यक्ति शामिल होगा जो परिसमापन के प्रारंभ में कंपनी का सदस्य अथवा उसका कोई प्रतिनिधि था और इस सूची को दो भागों में बाटा जाएगा जिसमें पहले भाग में वे अभिदायी होंगे जिनका अपना अधिकार है और दूसरे भाग में वे अभिदायी होंगे जो प्रतिनिधि होने के नाते ऋण के लिए जिम्मेदार हैं या धारा 281 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अन्य व्यक्ति शामिल होंगे और सूचियां प्ररूप विन 17 में होंगी।

29. निपटान की तारीख का नोटिस दिया जाना - (1) नियम 28 में उल्लिखित अभिदायियों की अंतरिम सूची फाइल करने पर, कंपनी समापक अभिदायियों की सूची के निपटान के लिए अधिकरण से तारीख प्राप्त करेगा और ऐसी सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा नोटिस में यह उल्लेख करते हुए किस प्रकार और शेयरों की किस संख्या अथवा ऐसे व्यक्ति की रुचि की सीमा इस सूची में शामिल है, नियत तारीख को नोटिस देगा, ऐसे शेयरों और हित के संबंध में मांगी गई धनराशि और समादत्त धनराशि, तथा ऐसे व्यक्ति को ऐसा नोटिस द्वारा सूचित करते हुए कि यदि वह इस प्रकार के एक अभिदायी के रूप में निपटान किए गए और इस सूची में उल्लिखित शेयरों अथवा हित की ऐसी संख्या के लिए आपत्ति की मंशा रखता है, वह अधिकरण में अपना शपथ-पत्र अपने तर्क के समर्थन में फाइल करे और इसकी एक प्रति निपटान के लिए नियत तारीख से पूर्व दो दिन से कम नहीं की अवधि में कंपनी समापक को इसकी एक प्रति तामील करे और व्यक्तिशः अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निपटान के लिए नियत तारीख पर अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो और ऐसा नोटिस प्ररूप विन 18 में होगा और धारा 20 में दी हुई रीति में इस प्रकार भेजा जाएगा ताकि वह निपटान के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व अभिदायियों के पास पहुंच जाए।

(2) वह व्यक्ति जिसने सूचना भेजी इन सूचनाओं को प्रेषित करने के संबंध में प्ररूप विन 19 में एक शपथ पत्र देकर यह शपथ लेगा और इस सूची का समाधान करने के लिए नियत तारीख से कम से कम 2 दिन पहले अधिकरण के समक्ष फाइल करेगा।

30. सूची का निपटान – नियम 29 में निर्दिष्ट सूची के निपटान के लिए नियत तारीख को, अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति जो एक अभिदायी के रूप में अथवा ऐसी प्रकृति में एक अभिदायी या शेयरों की ऐसी संख्या अथवा उक्त सूची में उल्लिखित हित की सीमा के संबंध में आपत्ति करता है, उसे सुनेगा, और ऐसी सुनवाई के पश्चात्, धारा 285 की उपधारा (1) के अनुसार इस सूची का अंतिम रूप से निपटान किया जाएगा और उक्त सूची जिस समय निपटाई गई हैं, उस समय अधिकरण द्वारा अपनी मोहर के साथ प्रमाणित की जाएगी तथा यह प्ररूप विन 20 में होगी।

31. निपटान का नोटिस अभिदायियों को देना -

(1) अभिदायियों की निपटाई गई सूची की प्राप्ति पर, नियम 30 के अनुसार अधिकरण द्वारा यथा-प्रमाणित, कंपनी समापक अभिदायियों की उक्त सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए सात दिन की अवधि के भीतर, यह उल्लेख करते हुए नोटिस जारी करेगा कि उसे उक्त सूची में किस प्रकृति और शेयरों की किस संख्या या हित तक रखा गया है, कितनी धनराशि मांगी गई है, और ऐसे शेयरों या हित के संबंध में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा इस नोटिस में वह ऐसे व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि उक्त सूची से उसके नाम को हटाने के लिए कोई आवेदन अथवा उक्त सूची में परिवर्तन के लिए, अधिकरण के समक्ष ऐसा नोटिस की अभिदायी को तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य है और ऐसा नोटिस प्ररूप विन 21 में होगी तथा उक्त सूची में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यथा निपटान की गई उक्त सूची में उल्लिखित पते पर, पूर्व-भुगतान की गई रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

(2) इस नियम के अधीन अभिदायियों के लिए सूचना के उक्त प्रेषण से संबंधित सेवा का एक शपथ-पत्र उन व्यक्तियों द्वारा ली जाएगी जिन्होंने उक्त सूचना को प्रेषित किया था और अधिकरण द्वारा अभिदायियों की सूची के निपटान के सात दिन के भीतर अधिकरण में फाइल किया जाएगा और ऐसा शपथ-पत्र प्ररूप विन 22 में होगा।

32. अभिदायियों की अनुपूरक सूची - अधिकरण अभिदायियों की सूची में अनुपूरक सूची या सूचियों द्वारा अभिदायियों के नाम जोड़ सकता है और इस प्रकार नाम जोड़ने के लिए उसी रीति का उपयोग किया जाएगा जिसका मूल सूची का निपटान करने के लिए किया गया है।

33. सूची में परिवर्तन - नियम 31 में विहित को छोड़कर, अभिदायियों की सूची भिन्न-भिन्न नहीं होगी और इस सूची में एक अभिदायी के रूप में किसी व्यक्ति का निपटान नहीं किया गया था, अधिकरण के आदेश द्वारा अथवा ऐसे आदेशों के अनुसार को छोड़कर, इस सूची से अथवा किसी भिन्न रीति में उसकी देयता से हटा दिया जाएगा।

34. सूची में शुद्धि के लिए आवेदन - यदि अभिदायियों की सूची के निपटान के बाद कंपनी समापक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अंतरिम सूची में शामिल किसी अंशादाता का नाम अंतिम रूप से निपटान की गई अभिदायियों की सूची से अनुचित ढंग से छोड़ दिया गया था या गलती से छोड़ दिया गया है या हटा दिया गया है अथवा अंतिम रूप से निपटान की गई सूची में उसकी प्रकृति या शेयरों की संख्या या हित की मात्र या इसमें निहित कोई अन्य विवरण में किसी प्रकार की शुद्धि अपेक्षित है तो वह संबंधित अभिदायी को नोटिस देने पर अधिकरण को ऐसी सूची में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है और अधिकरण जैसा वह उपयुक्त समझे इस सूची में शुद्धि या परिवर्तन कर सकता है।

35. पूर्व सदस्यों सहित अभिदायियों की सूची – जब तक अधिकरण द्वारा ऐसा आदेश न किया जाए, तब तक किसी कंपनी के पूर्व सदस्यों के साथ अभिदायियों की सूची का निपटान करना आवश्यक नहीं होगा और जहां किसी कंपनी के पूर्व सदस्यों को शामिल करते हुए अभिदायियों की सूची का निपटान करने का आदेश किया जाता है तो इन नियमों के उपबंध उसी रीति से लागू होंगे जैसा कि वर्तमान सदस्यों की सूची का निपटान करने के लिए लागू होते हैं।

सलाहकार समिति

36. लेनदारों और अभिदायियों की बैठक - धारा 287 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार, उन व्यक्तियों के अवधारण करने के लिए जो सलाहकार समिति के सदस्य हो सकते हैं, इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार लेनदारों और अभिदायियों की बैठक बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने के लिए विहित रीति में लेनदारों और अभिदायियों की बैठकें आयोजित और संचालित की जाएंगी।

37. कंपनी समापक द्वारा बैठक के निष्कर्ष का नोटिस देना – (1) लेनदारों और अभिदायियों की बैठकों के आयोजन के बाद यथाशीघ्र परंतु सात दिन के भीतर कंपनी समापक उस बैठक के निर्णयों का नोटिस अधिकरण को देगा और यह सूचना प्ररूप विन 23 में होगी।

(2) यदि लेनदार और अभिदायी सलाहकार समिति के गठन और संरचना से और इसके सदस्यों के रूप में शामिल व्यक्तियों पर सहमत होने पर, धारा 287 की उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, तो ऐसा निर्णय होने के अनुसार, एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और कंपनी समापक इस प्रकार से गठित समिति से सदस्यों के नामों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा।

(3) अधिकरण द्वारा एक सलाहकार समिति गठित करने के लिए निदेशित किए जाने के पश्चात्, यदि लेनदार और अभिदायी सलाहकार समिति की संरचना से और इसके सदस्यों के रूप में शामिल व्यक्तियों पर असहमत होते हैं तो कंपनी समापक उपरोक्तानुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय अधिकरण से इसके लिए और उसके संयोजन तथा कौन व्यक्ति उसके सदस्य होंगे के संबंध में निदेश देने के लिए आवेदन करेगा तथा अधिकरण कंपनी समापक की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक तारीख नियत करेगा और इस प्रकार से नियत की जाने वाली तारीख का नोटिस कंपनी समापक द्वारा उसी रीति से विज्ञापित की जाएगी जैसा कि अधिकरण निदेश दे और जो नियत तारीख से कम से कम सात दिन पहले हो और यह विज्ञापन प्ररूप विन 24 में दिया जाएगा।

(4) निदेशों के लिए उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को, अधिकरण कंपनी समापक और किसी लेनदार या अभिदायी, जो उपस्थित हो सकता है, कि उक्त सलाहकार समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं इसका निर्णय करेगा अथवा ऐसे आदेश या निदेश देगा जैसा कि अधिकरण उपयुक्त समझे।

38. सलाहकार समिति में रिक्ति को भरना -

(1) सलाहकार समिति में रिक्ति होने पर, कंपनी समापक उस रिक्ति को भरने के लिए यथा अपेक्षित लेनदारों या अभिदायियों की तत्काल बैठक बुलाएगा; जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, और बैठक में संकल्प द्वारा रिक्ति को भरने के लिए उसी लेनदार या अभिदायी को पुन: नियुक्त किए जाने की अनुशंसा करने के लिए उसी या किसी दूसरे लेनदार या अभिदायी की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित कर सकती है:

परंतु कि, यदि कंपनी समापक का परिसमापन में पद पर रहते हुए यह विचार है कि उस रिक्ति को भरा जाना जरूरी नहीं है तो वह अधिकरण को आवेदन कर सकता है और अधिकरण यह आदेश कर सकता है कि वह रिक्ति न भरी जाए या आदेश में यथा विहित परिस्थितियों को छोड़कर इसे न भरा जाए।

(2) सलाहकार समिति के कार्यरत सदस्य, दो से कम नहीं, उक्त समिति में किसी रिक्ति के होते हुए कार्य कर सकते हैं।

(3) यथास्थिति, जहाँ लेनदार या अभिदायी, किसी भी कारण से रिक्ति भरने में असफल रहते हैं तो कंपनी समापक ऐसी असफलता का नोटिस तत्काल अधिकरण को देगा और अधिकरण, आदेश द्वारा ऐसी रिक्ति को भर सकता है।

39. कंपनी की आस्तियों का कार्य देखने वाले सलाहकार समिति के सदस्य और कंपनी समापक - किसी परिसमापन में ऐसे समापक के रूप में या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए न तो कंपनी समापक और न ही सलाहकार समिति का कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने नियोजक, भागीदार, लिपिक, एजेंट, नौकर या संबंधी के माध्यम से कंपनी की किसी परिसंपत्ति के किसी भाग का अधिकरण द्वारा अनुमति को छोड़कर, क्रेता नहीं बनेगा और इस नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल की गई ऐसी किसी खरीद को यथास्थिति उक्त समापक या किसी लेनदार या अभिदायी, के आवेदन पर अधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है, और अधिकरण जैसा उपयुक्त समझे, लागत देने के लिए ऐसा आदेश कर सकता है।

40. सलाहकार समिति द्वारा लाभ न कमाना - सलाहकार समिति का कोई सदस्य, अधिकरण के आदेश के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने नियोजक, भागीदार, लिपिक, एंजेट, नौकर या संबंधी के माध्यम से परिसमापन से होने वाले किसी लेनदेन से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने या परिसंपत्तयों के प्रशासन के संबंध में उसके द्वारा दी गई सेवाओँ के लिए किसी भुगतान को प्राप्त करने या कंपनी के लिए या उसकी ओर से कंपनी समापक

को उसके द्वारा आपूर्ति की गई किन्हीं वस्तुओं या कंपनी के कारण कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और जहां इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कोई लाभ प्राप्त किया गया है या भुगतान किया गया है, यथास्थिति, ऐसे समापक के खातों की संपरीक्षा अथवा अन्यथा, ऐसे भुगतान को अनुमति नहीं दी जाएगी या लाभ को वसूल किया जाएगा।

41. अधिकरण के आदेश को प्राप्त करने की लागत – ऐसे किसी मामले में जिसमें नियम 39 या 40 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया है, ऐसे आदेश को प्राप्त करने की लागतें उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएंगी जिसके लिए ऐसा आदेश प्राप्त किया गया है और यह लागत कंपनी की परिसंपत्तियों से देय नहीं होगी।

42. समिति को भुगतान करने स्वीकृति आदेश – जहां कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रशासन के संबंध में सलाहकार समिति के सदस्य को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए भुगतान करने का आदेश अधिकरण से प्राप्त किया जाता है तो अधिकरण के इस आदेश में सेवाओं की प्रकृति निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसा आदेश केवल वहां दिया जाएगा जहां प्रदान की गई सेवा किसी विशिष्ट स्वरूप की है और अधिकरण के स्पष्ट आदेश को छोड़कर, समिति के किसी सदस्य को सलाहकार समिति के एक सदस्य के रूप में उसके कार्यालय से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

43. सलाहकार समिति की बैठकें – (1) सलाहकार समिति की बैठक ऐसे समय पर की जाएगी जैसा कि समय-समय पर नियत किया जाए और कंपनी समापक या उक्त समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य जब कभी वे आवश्यक समझें, उस समिति की बैठक बुला सकते हैं।

(2) सलाहकार समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या या दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

(3) सलाहकार समिति बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा कार्य करेगी परंतु गणपूर्ति न हो तो कार्य नहीं करेगी।

(4) सलाहकार समिति का कोई सदस्य अपने द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित और कंपनी समापक को नोटिस द्वारा परित्यागपत्र दे सकता है।

(5) यदि सलाहकार समिति का कोई सदस्य एक दिवालिया के रूप में घोषित किया गया है, अपने लेनदारों के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करता है या उक्त समिति की पांच क्रमिक बैठकों से उन सदस्यों की अनुमति के बिना जो उसके स्वयं के साथ अनुपस्थित रहता है, लेनदारों या अभिदायियों का प्रतिनिधित्व करते है, जैसा भी मामला हो, उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(6) सलाहकार समिति का कोई सदस्य यदि लेनदारों की बैठक में लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है या अभिदायियों की बैठक में अभिदायियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे बैठक का उद्देश्य बताते हुए सात दिन का नोटिस देकर साधारण संकल्प द्वारा अधिकरण के निदेशों के अध्यधीन, हटाया जा सकता है।

लेनदारों और अभिदायियों की बैठकें

44. बैठकों के लिए नियमों का उपयोग– अधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों के अध्यधीन, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, धारा 287 की उपधारा (3) और धारा 292 की उपधारा (3) के अनुसरण में, आयोजित की जाने वाली लेनदारों और अभिदायियों की बैठकों के लिए लागू होंगे।

45. बैठक का नोटिस – (1) कंपनी समापक कम से कम चौदह दिन का नोटिस देते हुए, अभिदायियों की बैठक का नोटिस कंपनी के प्रत्येक अभिदायी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा नोटिस भेजकर, यह नोटिस उस व्यक्ति को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले पहुंच जाए, लेनदारों और अभिदायियों की बैठक बुला सकता है।

परंतु, यथास्थिति, जहां लेनदारों अथवा अभिदायियों की संख्या, पांच सौ से अधिक है, कंपनी समापक भी विज्ञापन द्वारा अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र और संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में परिचालित प्रमुख क्षेत्रीय भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र में बैठक के लिए नियत समय और स्थान के संबंध में चौदह दिन का नोटिस देगा।

IndiaCode

(2) प्रत्येक लेनदार को बैठक के आयोजन का नोटिस उसके प्रमाण में नियम 101 में दिए गए पते या यदि उसमें प्रमाणित नहीं किया है तो कार्य विवरण में दिए गए पते या कंपनी के रिकार्ड में दिए गए पते या ऐसे किसी पते पर भेजी जाएगी जो बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ज्ञात हो और प्रत्येक अभिदायी को बैठक के आयोजन का नोटिस कंपनी के अभिदायी के रूप में दर्ज रिकार्ड में दिए गए पते या ऐसे किसी पते पर दी जाएगी जो बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ज्ञात हो।

(3) ये नोटिस यथा लागू प्ररूप विन 25 से 29 में दिए जाएगें।

46. बैठक का स्थान और समय – प्रत्येक बैठक ऐसे स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी जैसा कि कंपनी समापक लेनदारों या अभिदायियों या दोनों के बहुमत के लिए सुविधाजनक समझे और यदि उपयुक्त समझा जाए तो लेनदारों अथवा अभिदायियों की बैठकों के लिए अलग-अलग समय या स्थान या दोनों नियत किए जा सकते हैं।

47. पहली या अन्य बैठक का नोटिस कंपनी के अधिकारियों को देना – (1) कंपनी समापक कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को जिसका उसके विचार से लेनदारों या अभिदायियों की पहली या अन्य किसी बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य है, को बैठक के लिए नियत समय और स्थान का नोटिस प्ररूप विन 30 में चौदह दिन पूर्व में देगा और यह नोटिस दस्ती रूप से दिया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा, जैसा सुविधाजनक हो भेजा जाएगा और प्रत्येक अधिकारी जिसे इस बैठक का नोटिस प्राप्त होता है, उसका यह दायित्व है कि वह बैठक में भाग ले और यदि वह अधिकारी भाग नहीं ले पाता है तो उसके द्वारा ऐसा न करने का नोटिस समापक द्वारा अधिकरण को दिया जाएगा और अधिकरण उस व्यक्ति को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(2) कंपनी समापक यदि उपयुक्त समझे कि कंपनी के किन्ही अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए अपेक्षित होने के बजाय, ऐसे अधिकारी को किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अथवा कोई सूचना लिखित में जिसे वह ऐसी बैठक के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है, और यदि ऐसा अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने अथवा ऐसा नोटिस प्रस्तुत करने में असफल रहता है, समापक इस प्रकार की असफलता की रिपोर्ट अधिकरण को देगा और अधिकरण ऐसे अधिकारी के लिए, जैसा कि वह उपयुक्त समझें, ऐसे निदेश जारी कर सकता है।

48 सूचना का प्रमाण – किसी व्यक्ति जिसने सूचना भेजी है उसके द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र की ऐसा नोटिस साम्यक रूप से भेजा गया है यह नोटिस उस व्यक्ति को जिसे संबोधित किया गया था, का पर्याप्त प्रमाण होगा और यह शपथपत्र अधिकरण में प्ररूप विन 31 में फाइल किया जाएगा।

49. बैठकों की लागत – लेनदारों या अभिदायियों की बैठक के आयोजन और संचालन की लागत कंपनी की आस्तियों से वहन की जाएगी।

50. बैठकों की अध्यक्षता – कंपनी समापक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति बैठक का अध्यक्ष होगा और नामनिर्देशन प्ररूप विन 32 में किया जाएगा।

51. लेनदारों की बैठक में संकल्प – लेनदारों की किसी बैठक में, कोई संकल्प पारित किया गया तभी माना जाएगा जब लेनदारों के मूल्य का बहुमत व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो और संकल्प के पक्ष में मतदान किया गया हो और अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में धारा 287 के अधीन आयोजित की जाने वाली लेनदारों की पहली बैठक के प्रयोजनों के लिए लेनदार का मूल्य वही माना जाएगा जो कंपनी के अभिलेखों में दर्शाया गया है या नियम 101 में यथा निर्दिष्ट उसके प्रमाण में धनराशि का उल्लेख किया गया है, इनमें से जो भी कंम हो और अन्य किसी बैठक के प्रयोजनों के लिए मूल्य जिसके लिए उस लेनदार ने अपने ऋण या दावे में प्रमाणित किया है।

52. अभिदायियों की बैठक का संकल्प - अभिदायियों की किसी बैठक में, कोई संकल्प तभी पारित किया गया माना जाएगा जब अभिदायियों के मूल्य का बहुमत व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो और संकल्प के पक्ष में मतदान किया गया हो और अभिदायियों का मूल्य इस अधिनियम के उपबंधों या कंपनी के अनुच्छेद, जैसा भी मामला हो, कंपनी के एक सदस्य के रूप में मतों की संख्या जिसके लिए प्रत्येक अभिदायी पात्र है, के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

53. फाइल किए जाने वाले संकल्पों की प्रतियां – कंपनी समापक लेनदारों या अभिदायियों की प्रत्येक बैठक में पारित प्रत्येक संकल्प की उसके द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि अधिकरण में फाइल करेगा और रजिस्ट्री प्रत्येक मामले में ऐसे संकल्पों की फाइल रखेगी।

54. किसी लेनदार या अभिदायी को नोटिस प्राप्त न होना – जहां लेनदारों या अभिदायियों की बैठक नोटिस द्वारा बुलाई जाती है, उस बैठक में कार्यवाहियां और संकल्प, तब तक अधिकरण अन्यथा आदेश करें, जब तक कि इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कुछ लेनदारों या अभिदायियों को उन्हें भेजा गया नोटिस न मिला हो, विधिमान्य वैध होंगी/होंगे।

55. स्थगन – यथास्थिति, बैठक का अध्यक्ष, बैठक में उपस्थित लेनदारों या अभिदायियों की सहमति से, इसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है, परंतु आस्थगित बैठक उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी जिस स्थान पर प्रारंभिक बैठक की गई थी जब तक कि स्थगन के लिए संकल्प में किसी अन्य स्थान को निर्दिष्ट न किया जाए या अन्यथा अधिकरण ऐसा करने का आदेश न दे।

56. गणपूर्ति – कोई बैठक उसके स्थगन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए कार्य नहीं करेगी जब तक कि लेनदारों की बैठक के मामले में मतदान करने के लिए पात्र कम से कम तीन लेनदार उपस्थित न हो या उनका प्रतिनिधित्व न हो या अभिदायियों की बैठक के मामले में कम से कम तीन अभिदायियों या मतदान के लिए पात्र सभी लेनदारों या सभी अभिदायियों या अभिदायियों की संख्या जैसा भी मामला हो, तीन से अधिक न हो।

57. गणपूर्ति न होने की स्थिति में प्रक्रिया – यदि, बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर लेनदारों या अभिदायियों, जैसा भी मामला हो, की गणपूर्ति उपस्थित न हो या उनका प्रतिनिधित्व न हो, तो वह बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन के लिए उसी समय और स्थान पर होने के लिए स्थगित कर दी जाएगी और यदि इस प्रकार से आस्थगित बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कम से कम दो लेनदार या अभिदायी गणपूर्ति होगें और उस कार्य़ का संचालन कर सकते हैं जिसके लिए वह बैठक बुलाई गई है।

परंतु ऐसी आस्थगित बैठक जिसमें दो लेनदार या अभिदायी भी उपस्थित न हों, जैसा भी मामला हो, बैठक का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष ऐसे निदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा जैसा कि अधिकरण उपयुक्त समझे।

58. लेनदार कब मतदान कर सकता है – धारा 287 के अधीन आयोजित लेनदारों की बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में, कोई व्यक्ति लेनदार के रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा बशर्तेकि उसने बैठक के आयोजन के नोटिस में इस प्रयोजनार्थ उल्लिखित समय से पहले कंपनी समापक के पास कंपनी से उसे देय ऋण का प्रमाण विधिवत रूप से दर्ज किया हो और लेनदारों की अन्य बैठकों के मामले में, कोई व्यक्ति लेनदार के रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि उसने बैठक के आयोजन के नोटिस में इस प्रयोजनार्थ उल्लिखित समय से पहले कंपनी समापक के पास कंपनी से उसे देय ऋण का प्रमाण विधिवत रूप से दर्ज किया हो और यह प्रमाण बैठक के आयोजन की तारीख से पहले पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकार किया गया हो:

परंतु यह नियम और नियम 59 से 62 लेनदारों की उस बैठक के लिए लागू नहीं होंगे जो धारा 287 के अधीन लेनदारों की बैठक से पहले आयोजित की जाती है:

परंतु यह भी कि ये नियम उन लेनदारों या लेनदारों के वर्ग के लिए लागू नहीं होंगे जिन्हें इन नियमों के कारण या इनके अधीन दिए गए किसी निदेश के कारण अपने ऋणों का प्रमाण देना अपेक्षित नहीं है।

59. ऐसा मामला जिसमें लेनदार मतदान नहीं कर सकते – कोई लेनदार किसी अपरिनियत या आकस्मिक ऋण या ऐसे किसी ऋण जिसका मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया गया हो, न ही कोई लेनदार किसी ऋण पर, या उसके द्वारा धारित किसी चालू विनिमय पत्र या वचनपत्र द्वारा प्रतिभूत, के संबंध में मतदान करेगा बशर्तेकि वह अपनी देयता प्रत्येक उस व्यक्ति की देयता मानने के लिए इच्छुक न हो, जो पूर्व में कंपनी के लिए देय है और जिसके विरूद्ध उसके पास किसी प्रतिभूति के रूप में और उसके मूल्य का अभिनिश्चित करने के लिए कोई आदेश न दिया गया हो और लाभांश के प्रयोजनों के लिए नहीं, बल्कि मतदान के प्रयोजनों के लिए उल्लिखित उसके प्रमाण से घटाने के लिए तैयार न हो।

60. कब प्रतिभूत लेनदार मतदान कर सकता है – अधिकरण द्वारा किसी परिसमापन में किसी बैठक में मतदान के प्रयोजनों के लिए, कोई प्रतिभूत लेनदार केवल तभी, बशर्तेकि वह अपनी प्रतिभूति अभ्यर्पित करता है, अपनी प्रतिभूति के विवरण, तारीख जब उसे प्रदान की गई और मूल्य जिसे किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा आकलित किया गया है, अपने उक्त प्रमाण में लिखेगा और अपनी प्रतिभूति के मूल्य को घटाने के पश्चात् से, अपनी शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, के संबंध में उसे मतदान करने का अधिकार होगा।

61. प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए मतदान का प्रभाव – यदि कोई प्रतिभूत लेनदार अपने संपूर्ण ऋण के संबंध में मतदान करता है तो यह माना जाएगा कि उसने पूरी प्रतिभूति अभ्यर्पित दी है बशर्ते कि अधिकरण ऐसे लेनदार द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिभूति के मूल्य का लोप लापरवाही के कारण हुआ है।

62. प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति लौटाए बिना मतदान करने की प्रक्रिया – समापक उस बैठक जिसमें किसी प्रतिभूत लेनदार ने अपनी प्रतिभूति के मूल्यांकन के आधार पर मतदान किया है, की तारीख से 15 दिन के भीतर उसके द्वारा अनुमानित मूल्य का भुगतान करने पर सामान्यतः लेनदारों के हित के लिए प्रतिभूति लौटाना अपेक्षित है, और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे लेनदार को अपनी प्रतिभूति लौटाने के लिए बाध्य करने हेतु अधिकरण को एक आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकता है :

परंतु अधिकरण समुचित कारण दर्शा करके उक्त लेनदार को अधिकरण द्वारा न्यायोचित समझी जाने वाली शर्तों पर अपनी प्रतिभूति लौटाने से पहले उसके मूल्यांकन को संशोधित करने की अनुमति दे सकता है।

63. मतदान के प्रयोजनों के लिए प्रमाणों की स्वीकृत या अस्वीकृति – इस बैठक के अध्यक्ष को मतदान के प्रयोजनों के लिए किसी प्रमाण को स्वीकार या नामंजूर करने का अधिकार होगा, परंतु उसका विनिश्चय अधिकरण में अपील के अध्यधीन है और यदि उसे यह संदेह है कि किसी प्रमाण को स्वीकृत या अस्वीकार किया जाएगा तो वह उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा और लेनदार को उस आपत्ति को जारी रखने की स्थिति में उसका मत अमान्य घोषित किया जाए, के अध्यधीन मतदान की अनुमति दी जा सकती है।

64. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त – (1) बैठक का अध्यक्ष बैठक में की गई कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करवाएगा और उसे स्पष्ट रूप से 30 दिन के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्जा किया जाएगा तथा कार्यवृत्त पर उसके द्वारा या अगली बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक बैठक में उपस्थित लेनदारों और अभिदायियों की सूची तैयार की जाएगी और प्ररूप विन 33 में रखी जाएगी।

65. अधिकरण को सूचित करना – कंपनी समापक बैठक समाप्त होने के सात दिन के भीतर, उसके निर्णयों का नोटिस प्ररूप विन संख्या 34 में अधिकरण को देगा।

लेनदारों और अभिदायियों की बैठकों के संबंध में प्रतिनिधि

66. परोक्षियों द्वारा मतदान – कोई लेनदार या अभिदायी व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मतदान कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति लेनदारों या अभिदायियों की बैठक में किसी कारपोरेट निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस अधिनियम की धारा 113 द्वारा विहित रीति में प्राधिकृत किया जाता है तो वह व्यक्ति कंपनी समापक या और बैठक के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उसे प्राधिकृत करने वाले ऐसे संकल्प की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा और उस प्रतिलिपि पर कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना कि यह एक सत्यापित प्रतिलिपि है, हस्ताक्षर होने चाहिए कि उसे इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है।

67. परोक्षियों का प्ररूप – कोई लेनदार या अभिदायी किसी व्यक्ति के लिए साधारण परोक्षी या विशेष परोक्षी दे सकता है और साधारण परोक्षी प्ररूप विन 35 में और विशेष परोक्षी प्ररूप विन 36 में दी जाएगी।

68. कंपनी समापक या बैठक के अध्यक्ष के प्रतिनिधि – अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में कोई लेनदार या अभिदायी कंपनी समापक या यदि ऐसा कोई समापक न हो, बैठक के अध्यक्ष को उसके साधारण या विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

69. अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों का उपयोग – यदि कोई कंपनी समापक जिसके पास परोक्षी है, इस बैठक, जिसके लिए उसे दिया गया है, में भाग नहीं ले सकता है तो यह अपने अधिकारिक नियंत्रणाधीन किसी अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से और उसके निदेशों के अनुसार परोक्षी का उपयोग करने के लिए लिखित रूप से नियुक्त कर सकता है।

70. नोटिस के साथ प्ररूप भेजा जाना – लेनदारों या अभिदायियों को बैठक के आयोजन के नोटिस के साथ परोक्षी पत्रों के प्ररूप भेजे जाएंगे और भेजने से पहले प्ररूप में कोई नाम जोड़ा या मुद्रित नहीं किया जाएगा।

71. परोक्षी प्रस्तुत करना – अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में कोई परोक्षी पत्र, उस बैठक जिसमें इसका उपयोग किया जाना है, के आयोजन से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी समापक के पास जमा किया जाएगा।

72. परोक्षी धारक उस मामले में मतदान नहीं कर सकता जिसमें उसका वित्तीय हित निहित है – कोई ऐसा व्यक्ति चाहे साधारण परोक्षी या विशेष परोक्षी के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे किसी संकल्प के पक्ष में मतदान नहीं करेगा जो उसे भागीदार या नियोजक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति में रखे कि उसे कंपनी के अन्य लेनदारों की तुलना में एक लेनदार के रूप में कंपनी की परिसंपत्तियों में से कोई पारिश्रमिक प्राप्त हो।

73. नाबालिग को परोक्षी नियुक्त न करना – किसी ऐसे व्यक्ति को साधारण या विशेष परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो नाबालिग है।

74. जहां लेनदार या अभिदायी नेत्रहीन या अक्षम है, परोक्षी फाइल करना – किसी लेनदार या अभिदायी जो नेत्रहीन है या लिखने में अक्षम है तो उसका परोक्षी तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उस लेनदार या अभिदायी ने एक गवाह की उपस्थिति में उस पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाया हो जो अपने हस्ताक्षर में अपना विवरण और पता जोड़ेगा;

परंतु, परोक्षी में सभी प्रविष्टियां गवाह की हस्तलिपि में की जाएं और यह गवाह परोक्षी के अंत में प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा सभी प्रविष्टियां लेनदार या अभिदायी के अनुरोध पर और उसकी उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर या चिन्ह लगाने से पहले की गई हैं।

75. अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्ति का परोक्षी – अंग्रेजी न जानने वाले लेनदार या अभिदायी का परोक्षी स्वीकार किया जा सकता है यदि वह नियम 74 में विहित रीति में निष्पादित किया जाए और गवाह यह प्रमाणित करे कि इसे लेनदार या अभिदायी की भाषा में स्पष्ट किया गया था और हस्ताक्षर के नीचे अंग्रेजी में लेनदार या अभिदायी का नाम देता है।

76. अधिकरण के समक्ष आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना - कंपनी समापक धारा 288 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कंपनी के परिसमापन की प्रगति के संबंध में प्ररूप विन 37 में अधिकरण को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

77. शासकीय समापक द्वारा अतिरिक्त या विशेष कर्मचारीवृंद की नियुक्ति – जहां शासकीय समापक का यह विचार हो कि किसी परिसमापन में किसी विशेष या अतिरिक्त कर्मचारीवृंद की नियुक्ति आवश्यक है, तो वह अधिकरण को स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा, तथा अधिकरण उचित समझे जाने वाले वेतन और भत्तों पर ऐसे कर्मचारीवृंद की नियुक्ति करने हेतु स्वीकृति दे सकता है।

78. व्यवसायिक द्वारा दिए जाने वाला घोषणापत्र – धारा 291 में निर्दिष्ट अधिकरण की स्वीकृति से कंपनी समापक द्वारा नियुक्त व्यवसायिक प्ररूप विन 38 में अपनी नियुक्ति के संबंध में हित के किसी टकराव या स्वतंत्रता के अभाव का प्रकटीकरण करते हुए एक घोषणापत्र फाइल करेगा।

कंपनी समापक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखाबही

79. कंपनी समापक द्वारा रखे जाने वाले लेखाबही - कंपनी समापक प्रत्येक कंपनी के लिए एक रिकार्ड पुस्तिका रखेगा जिसमें लेनदारों या अभिदायियों की किसी बैठक या सलाहकार समिति की बैठक में पारित सभी कार्यवाहियों और संकल्पों, परिसमापन कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा पारित सभी आदेशों का सार और लेखा संबंधी मामलों को छोड़कर, ऐसे अन्य सभी मामलों की प्रविष्टि की जाएगी जो कंपनी के कार्यों के प्रशासन की स्पष्ट स्थिति दर्शाने के लिए आवश्यक हैं।

80. कंपनी समापक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखाबही –

(1) कंपनी समापक समापनाधीन कंपनी के संबंध में जहां तक लागू हो, निम्नलिखित लेखाबही रखेगाः

(क) प्ररूप विन 38-क में परिसमापन का रजिस्टर

(ख) प्ररूप विन 38-ख में केंद्रीय रोकड़ बही

(ग) प्ररूप विन 38-ग में कंपनी की रोकड़ बही

(घ) प्ररूप विन 38–घ में साधारण खाता बही

(ङ) प्ररूप विन 38-ड़ में रोकड़िया की रोकड़ बही

(च) प्ररूप विन 38-च में बैंक बही

(छ) प्ररूप विन 38-छ में आस्तियों का रजिस्टर

(ज) प्ररूप विन 38-ज में प्रतिभूतियों और निवेश रजिस्टर

(झ) प्ररूप विन 38-झ में ऋण बही और बकाया राशि का रजिस्टर

(ञ) प्ररूप विन 38-ञ किरायेदारों की बही

(ट) प्ररूप विन 38-ट में वाद रजिस्टर

(ठ) प्ररूप विन 38-ठ में डिक्री रजिस्टर

(ड) प्ररूप विन 38-ड में बिक्री रजिस्टर

(ढ) प्ररूप विन 38-ढ में दावों और लाभांशों का रजिस्टर

(ण) प्ररूप विन 38-ण में अभिदायियों की बही

(त) प्ररूप विन 38-त में प्रदत्त लाभांशों का रजिस्टर

(थ) प्ररूप विन 38-थ में उचंत रजिस्टर

(द) प्ररूप विन 38-द में दस्तावेज रजिस्टर

(ध) प्ररूप विन 38-ध में बही रजिस्टर

(न) अदावाकृत लाभांशों और अवितरित परिसंपत्तियों, जो बैंक में कंपनी परिसमापन खाते में जमा हैं, का प्ररूप विन 38-न में रजिस्टर,

और उपर्युक्त रजिस्टरों और बहियों के रख-रखाव में, कंपनी समापक उक्त बहियों और रजिस्टरों के लिए विहित संबंधित प्ररूपों में निहित अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

(2) कंपनी समापक उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टरों और बहियों के अलावा, अपने पद का समुचित और सक्षम कार्य संचालन करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी अन्य बहियां जैसे खुदरा रोकड़ रजिस्टर, पत्राचार रजिस्टर, प्रेषण रजिस्टर, प्राप्त मनी आर्डरों और चैकों का दैनिक रजिस्टर रखेगा और उसके द्वारा कंपनी से संबंधित लेन-देनों जैसे खुदरा रोकड़ के लेखों की प्रविष्टियां की जाएंगी।

(3) जहां कंपनी के लेखा अपूर्ण हैं, कंपनी समापक यथाशीघ्र, सुविधाजनक गति से परिसमापन का आदेश होने पर उन्हें पूर्ण और अद्यतन करवाएगा।

(4) (क) जहां कंपनी समापक को किसी कंपनी के व्यवसाय चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वह उक्त व्यवसाय के संबंध में अलग लेखाबही रखेगा और जहां तक संभव हो, ऐसी बही कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान पहले से रखी जा रही बही के अनुरूप होगी और कंपनी समापक परिसमापन नकदी बही और कंपनी की नकदी बही में व्यापार लेखा से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान की कुल साप्ताहिक राशि की प्रविष्टियां करेगा।

IndiaCode

(ख) व्यापार लेखा का समय-समय पर और कम से कम माह में एक बार शपथ पत्र द्वारा सत्यापन किया जाएगा और कंपनी समापक ऐसे लेखा को सलाहकार समिति (यदि हो) या इस प्रयोजन के लिए उक्त समिति द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य सदस्य को प्रस्तुत करेगा जो उसकी जांच करेगा एवं प्रमाणित करेगा।

(5) कंपनी समापक उसके द्वारा किए गए सभी भुगतानों और खर्च की गई राशि के समुचित वाउचर रखेगा और इन वाउचरों को क्रम संख्या में रखा जाएगा।

कंपनी समापक का बैंक खाता

81. समस्त धनराशि किसी अनुसूचित बैंक के विशेष बैंक खाते में भुगतान करना –

(1) कंपनी समापक किसी अनुसूचित बैंक या अधिकरण द्वारा अनुमति दिए गए किसी अन्य बैंक (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया है) में अपने कार्यालय के नाम से खोले गए एक विशेष बैंक खाता में जमा करेगा और कंपनी के कंपनी समापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त किए गए चैक और डिमांड ड्राफ्ट सहित समस्त धनराशि और प्रत्येक दिन की प्राप्तियां बिना किसी कटौती के बैंक के आगामी कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से जमा कराएगा और कंपनी समापक पांच हजार रुपये की खुदरा राशि या इससे अधिक राशि जैसा कि अधिकरण द्वारा अनुमति दी जाए, रोजमर्रा के खर्च के लिए रखेगा और कंपनी समापक द्वारा उक्त खाते से दो हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतान उक्त खाते से चैक द्वारा आहरित किए जाएंगे।

(2) कंपनी समापक विशेष बैंक खाते के बैंक विवरणों की फाइलिंग सहित धनराशि के संबंध में अधिकरण को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

82. बिलों, चैकों इत्यादि को बैंक में जमा करना - कंपनी या इसके कंपनी समापक को देय सभी बिल, चैक, हुंडी, नोट और अन्य प्रतिभूतियां कंपनी समापक को प्राप्त होने पर यथा शीघ्र उन्हें बैंक में जमा करेगा और स्वीकृति तथा भुगतान या केवल भुगतान, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिफल जब वह प्राप्त हो, उसे बैंक द्वारा विशेष बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

83. बैंक में भुगतान – जहां अधिकरण किसी व्यक्ति को कंपनी को देय किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए कंपनी समापक द्वारा रखे जा रहे विशेष बैंक खाते में जमा करने का आदेश देता है, तो वह व्यक्ति, जिसे निदेश दिया गया है, भुगतान करते समय, उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति या चालान में भुगतान की प्रति कंपनी समापक द्वारा उसके हस्ताक्षर से पृष्ठांकित करवाने के बाद बैंक में प्रस्तुत करेगा और वह व्यक्ति भुगतान करते समय कंपनी समापक को उसका नोटिस देगा और उससे संबंधित बैंक रसीद उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

84. कंपनी समापक का लाभांश खाता – कंपनी समापक अधिकरण की संस्वीकृति के साथ किसी अनुसूचित बैंक में समापनाधीन कंपनी के लिए "..... (कंपनी का नाम) का लाभांश खाता" नाम से एक अलग लाभांश खाता खोलेगा जिस खाते में, वह कंपनी के परिसमापन में लाभांश की घोषणा होने पर, उक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, देय लाभांश की कुल राशि विशेष बैंक खाते से अंतरित करके जमा कराएगा और प्रत्येक लाभांश घोषणा के संबंध में एक ऐसा अलग खाता होगा और लाभांश के सभी भुगतान कंपनी समापक के उक्त खाते से किए जाएंगे और इस खाते में कोई अप्रदत्त बकाया राशि धारा 352 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, खोले गए कंपनी समापक लाभांश और अवितरित आस्ति खाता में अंतरित की जाएगी और लाभांश के सभी भुगतान उक्त खाते में चैक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से किए जाएंगे।

85. जहां कंपनी की कोई आस्तियां उपलब्ध न हों - (1) जहां कोई कंपनी जिसके विरूद्ध परिसमापन आदेश दिया गया है, की कोई आस्तियां नहीं उपलब्ध है, तो कंपनी समापक अधिकरण की अनुमति से केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी स्थायी अग्रिम या अन्य धनराशि में से परिसमापन से जुड़े आवश्यक व्यय कर सकता है और इस प्रकार किए गए व्यय को कंपनी के ऋणों में प्राथमिकता देते हुए, कंपनी की आस्तियों में से वसूल किया जाएगा -

परंतु जहां परिसमापन से संबंधित किसी प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए याची या अन्य लेनदार या अभिदायी द्वारा कंपनी समापक को कोई राशि दी गई है, तो कंपनी समापक उस राशि में से आवश्यक व्यय कर सकता है और इस प्रकार दी गई राशि कंपनी के ऋणों में प्राथमिकता देते हुए कंपनी की आस्तियों में से भुगतान की जाएगी।

परंतु यह भी कि यदि शासकीय समापक का इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व न्यायालय के आदेश के अधीन कोई सामान्य पूल फंड या स्थापना कोष है तो वह उस कोष का उपयोग उस प्रयोजन के लिए जारी रखेगा जिसके लिए वह कोष मूल रूप से सृजित किया गया था।

(2) शासकीय समापक परिसमापनाधीन कंपनी जिसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, जैसे ही और जब कभी उसके खाते में कोई धनराशि आती है, प्राथमिकता के आधार पर समापनाधीन कंपनी की धनराशि से, व्यय को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, इस निधि से प्राप्त की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

अधिशेष राशि का निवेश

86. अधिशेष राशि का निवेश – (1) बैंक में कंपनी समापक के खाते में जमा समस्त राशि जिसकी परिसमापन प्रयोजनों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, उस राशि को किसी अनुसूचित बैंक में सरकारी प्रतिभूतियों या ब्याज वाली जमा राशि में समापनाधीन कंपनी के नाम से या कंपनी, जिसकी वह राशि है, के कंपनी समापक के प्रतिनिधित्व में अंतरिम परिसमापन के नाम से जमा कर दिया जाएगा और इस प्रकार से निवेश की गई राशि की कंपनी समापक द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और नियत जमा प्राप्तियों के ब्योरे वाली विवरणी भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जहां सावधि जमा परिपक्व हो गई है, तो इसको स्वतः नवीकृत नहीं किया जाएगा, परंतु कंपनी समापक समुचित सतर्कता से यह अभिनिर्धारण करेगा कि क्या किसी अन्य अनुसूचित बैंक में अधिक ब्याज दर उपलब्ध है और उक्त समापक ऐसे सतर्क अभिनिर्धारण के निष्कर्ष की रिपोर्ट अधिकरण को देगा और यदि किसी अन्य अनुसूचित बैंक में अधिक ब्याज दर उपलब्ध हो तो उक्त समापक अधिकरण को अधिक ब्याज दर देने वाले अन्य अनुसूचित बैंक में अधिशेष राशि निवेश करने की अनुमति देने हेतु आवेदन करेगा।

87. कंपनी समापक द्वारा निवेश के प्रयोजनों के लिए लेखों की जांच करना - कंपनी समापक प्रत्येक माह की समाप्ति पर, परिसमापन खाते की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निवेश के लिए राशि उपलब्ध है और कंपनी की संबंधित रिकॉर्ड बही में प्रत्येक माह के अंत में खाते की जांच से संबंधित और निवेश के संबंध में उसके द्वारा लिए गए विनिश्चय से संबंधित प्रविष्टि करेगा तथा यदि वह अधिशेष राशि निवेश न करने का विनिश्चय लेता है तो उस विनिश्चय के कारण दर्ज करेगा।

88. बैंक द्वारा किए जाने वाले निवेश - बैंक द्वारा सभी निवेश कंपनी समापक के लिखित अनुरोध पर किए जाएंगे। बैंक में प्रतिभूतियां कंपनी समापक के नाम से और इसकी ओर से रखी जाएंगी और बैंक द्वारा तथा कंपनी समापक के लिखित अनुदेशों के अधीन, को छोड़कर बेची नहीं जाएंगी। यदि प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो प्राप्तियां बैंक द्वारा कंपनी समापक के खाते में जमा की जाएंगी।

89. जमा किया जाने वाला लाभांश और ब्याज - किसी प्रतिभूति या निवेश से समय-समय पर प्राप्त होने वाले सभी लाभांश और ब्याज बैंक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और कंपनी समापक के खाते में जमा किए जाएंगे तथा इसका नोटिस कंपनी समापक को दी जाएगी जो ऐसे लाभांश और ब्याज को उस कंपनी के अपने खाते में जमा करेगा जिससे वह प्रतिभूति या निवेश संबंधित है।

90. करों की वापसी - कंपनी समापक आयकर अथवा अन्य करों की ऐसी वापसी के लिए वापसी का दावा करेगा, जो देय हो सकते हैं।

कंपनी समापक के खाते की फाइलिंग और संपरीक्षा

91. अर्ध वार्षिक लेखा फाइल किया जाना - धारा 294 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए जब तक अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, तब तक कंपनी समापक वर्ष में दो बार अपने लेखे अधिकरण को फाइल नहीं करेगा और ऐसे लेखा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रस्तुत किए जाएंगे, 31 मार्च को समाप्त अवधि के लेखा आगामी 30 जून तक और 30 सितंबर को समाप्त अवधि के लेखा आगामी 31 दिसंबर तक प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु कंपनी समापक के अंतिम लेखा को उक्त विनिर्दिष्ट अवधि पर ध्यान दिए बिना, यथा शीघ्र कंपनी के कार्यों का पूर्णतः परिसमापन हो जाने के उपरांत, फाइल किए जाएंगे।

परंतु यह भी कि अधिकरण समापनाधीन कंपनी के पूर्ण लेखा को संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए प्ररूप संख्या विन 42 में सीधे ही लेखापरीक्षक को लेखों की संपरीक्षा करने के अनुरोध के साथ भेजने की अनुमति दे सकता है और संपरीक्षा प्रमाणपत्र धारा 294 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक मास के अंदर अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु भी कि लेखों की लेखा परीक्षा करना उस मामले में आवश्यक नहीं है जहां इस अवधि के दौरान दस हजार रूपए या इससे कम मूल्य का लेन-देन हुआ है।

92. खाता का प्ररूप - इस खाते में प्राप्तियों और भुगतान का विवरण होगा और यह प्ररूप विन 39 में होगा और इसे उक्त प्ररूपों में निहित अनुदेशों के अनुसार तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा और खाते का सत्यापन कंपनी समापक के प्ररूप विन 40 में दिए गए शपथ पत्र द्वारा किया जाएगा और अंतिम लेखा प्ररूप विन 41 में होगा।

93. शून्य खाता - जहां लेखा अवधि के दौरान कंपनी समापक को कंपनी की आस्तियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है या किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो वह उस अवधि जिसके लिए लेखा फाइल किया जाएगा, के लिए कोई प्राप्ति या भुगतान न होने का शपथ पत्र फाइल करेगा।

94. रजिस्ट्री द्वारा लेखा की प्रतिलिपि लेखापरीक्षक को भेजना - रजिस्ट्री ज्योंही लेखा फाइल किए जाते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि प्ररूप विन 42 में एक मांग पत्र के साथ लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए, लेखापरीक्षक को अग्रेषित करते हुए अनुरोध करेगी कि इसकी संपरीक्षा की जाए और धारा 294 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर अधिकरण के समक्ष संपरीक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।

परंतु उस अवधि के दौरान जहां दस हजार रूपए या कम राशि का लेन-देन किया गया हो, तो लेखों की संपरीक्षा कराना आवश्यक नहीं है।

95. कंपनी समापक के लेखों की संपरीक्षा - अधिकरण द्वारा बनाए गए पैनल से लेखों की संपरीक्षा अधिकरण द्वारा नियुक्त एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किए जाने को वरीयता दी जाएगी। संपरीक्षा में कंपनी समापक के लेखों की पूरी जांच की जाएगी और कंपनी समापक संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए अपनी सभी बही और वाउचर लेखापरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा और खातों के संबंध में उसके द्वारा यथा अपेक्षित सभी स्पष्टीकरण, सूचना और सहायता लेखा परीक्षक को उपलब्ध कराएगा।

96. संपरीक्षा प्रमाणपत्र फाइल करना - अधिकरण में फाइल किए गए कंपनी समापक के खातों की लेखा परीक्षा के पश्चात्, लेखा परीक्षक खाते पर अपनी टिप्पणियों और अभियुक्तियों के साथ, यदि कोई हो, उसकी एक प्रति के साथ खाता से संबंधित लेखा परीक्षा का एक प्रमाणपत्र रजिस्ट्री के लिए अग्रेषित करेगा और दूसरी प्रति कंपनी समापक को अग्रेषित करेगा और कंपनी समापक कंपनियों के रजिस्ट्रार को लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति के साथ लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति फाइल करेगा तथा रजिस्ट्री अधिकरण के अभिलेखों के साथ मूल लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र फाइल करेगा।

97. संपरीक्षा फीस- मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, संपरीक्षा फीस अधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाएगा।

98. लेखा का निरीक्षण और संपरीक्षा का प्रमाणपत्र - कोई लेनदार या अभिदायी अधिकरण के कार्यालय में एक सौ रुपये फीस के भुगतान पर लेखों का निरीक्षण करने और संपरीक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा पांच रूपए प्रति पृष्ठ की दर पर प्रभारों का भुगतान करने पर उसकी एक प्रति प्राप्त करने का हकदार है।

99. लेखा और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना - लेखा की लेखा परीक्षा होने पर रजिस्ट्री लेखा का विवरण और लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र अधिकरण के समक्ष उसके विचारार्थ एवं आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगी।

IndiaCode

भाग – 3

अधिकरण द्वारा परिसमापन (संक्षिप्त परिसमापन को छोड़कर)

कंपनी के विरूद्ध ऋण और दावे

100. ऋण प्रमाणित करने के लिए नोटिस - (1) इस अधिनियम के उपबंधों और अधिकरण के निदेशों के अध्यधीन, अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में कंपनी समापक, परिसमापन आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, एक दिन नियत करेगा, और उसका नोटिस 14 दिन पहले देगा –

(i) प्ररूप विन 43 में अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र के किसी अंक में और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले क्षेत्रीय भाषा के किसी दैनिक समाचार पत्र के अंक में विज्ञापन द्वारा कंपनी से संबंधित लेनदारों को अपने ऋण या दावे प्रमाणित करने तथा धारा 326 अथवा/327 के अधीन प्राथमिकता के लिए अपने किसी अधिकार को स्थापित करने या ऐसे ऋण या दावे प्रमाणित होने से पूर्व किसी वितरण के लाभ से अपने को अलग रखने या जैसा भी मामला हो, ऐसे वितरण की आपत्ति से सूचित करे।

(ii) धारा 20 के अधीन अनुमति ऐसे किसी संप्रेषण के माध्यम द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका कार्य विवरण में लेनदार के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसने अपना ऋण प्रमाणित नहीं किया है और कार्य के विवरण में अधिमानी लेनदार के रूप में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को जिसका एक अधिमानी लेनदार के रूप में दावा स्थापित नहीं किया गया है या स्वीकार नहीं किया गया है या जहां कोई कार्य का विवरण नहीं है, कंपनी के खातों से सुनिश्चित किए गए ऐसे व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते या निवास स्थान को लेनदारों को और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कंपनी समापक की जानकारी में कंपनी का लेनदार या अधिमानी लेनदार होने का दावा करते हैं और जिसका दावा स्वीकार नहीं किया गया है।

(2) प्रमाण की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इसमें दिए गए सभी नियम अधिमानी लेनदार के रूप में प्राथमिकता के आधार पर किसी दावे के लिए आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

101. ऋण का प्रमाण - (1) अधिकरण द्वारा किसी परिसमापन में, प्रत्येक लेनदार इसमें उपबंधित के अध्यधीन अपना ऋण प्रमाणित करेगा जब तक अधिकरण किसी विशेष मामले में यह निदेश न दे तब तक कोई लेनदार या लेनदारों की श्रेणी को बिना प्रमाण के स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) जब तक धारा 327 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उल्लिखित ऋणों का औपचारिक प्रमाण अपेक्षित नहीं होगा तब तक कंपनी समापक किसी विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दें।

102. प्रमाण का माध्यम और उसका सत्यापन - धारा 20 में दिए गए किसी माध्यम से कंपनी समापक को किसी ऋण का प्रमाण दिया या भेजा जा सकता है जिसमें लेनदार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का सत्यापन करते हुए शपथपत्र दिया जाएगा और यदि शपथपत्र लेनदार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो इसमें अभिसाक्षी का प्राधिकार और जानकारी के साधनों का भी उल्लेख किया जाएगा और किसी लेनदार के लिए जांच के दौरान उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होगा बशर्ते कि कंपनी समापक द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।

103. प्रमाण की विषय-वस्तु - किसी ऋण को प्रमाणित करने वाले शपथ पत्र में ऋण का विवरण दर्शाने वाला लेखा विवरण होना चाहिए या संदर्भ होना चाहिए और वाउचर, यदि हों, तो निर्दिष्ट किए जाएं जिसके द्वारा इसे प्रमाणित किया जा सकता हो और शपथ पत्र में यह बताया जाए कि क्या कोई लेनदार प्रतिभूत लेनदार है या कोई अधिमानी लेनदार है और यदि ऐसा है, तो उसके प्रतिभूति या अधिमान दावों का विवरण बताया जाए और यह शपथ पत्र प्ररूप विन 44 में होगा।

104. कर्मकारों की बकाया राशि - ऐसे किसी मामले में जहां कंपनी द्वारा नियोजित कर्मकारों और अन्य कर्मचारियों की मजदूरी या कोई अभिवृद्ध पारिश्रमिक के लिए अनेक दावे हैं, तो इस मामले में किसी फोरमैन या ऐसे सभी लेनदारों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे दावों के लिए प्ररूप विन 45 में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा और ऐसे प्रमाण के साथ उसके एक भाग के रूप में, कर्मकारों तथा अन्य कर्मचारियों के नाम और उन्हें देय अलग-अलग

राशि का विवरण उक्त प्ररूप में अनुसूची में संलग्न किया जाएगा और इस नियम के अनुसरण में, दिया गया कोई प्रमाण उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि उक्त कर्मकारों और अन्यों द्वारा अलग-अलग प्रमाण दिया गया हो।

105. विनिमय पत्र और वचन पत्र प्रस्तुत करना - जहां कोई लेनदार विनिमय पत्र, वचनपत्र या अन्य परक्राम्य लिखत या किसी समान प्रकृति की प्रतिभूति जिसके लिए कंपनी उत्तरदायी है, के संबंध में प्रमाण देना चाहता है, तो ऐसे विनिमय पत्र, नोट, लिखत या प्रतिभूति कंपनी समापक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रमाण के रूप में स्वीकृत करने से पूर्व उसके द्वारा चिन्हित किए जाएंगे।

106. ऋणों का मूल्य - कंपनी के विरूद्ध किए गए सभी ऋणों और दावों का मूल्य, यथासंभव, अंतरिम समापक की नियुक्ति या कंपनी के परिसमापन आदेश की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, के मूल्य के अनुसार आंकी जाएगी।

परंतु जहां परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कंपनी द्वारा कोई संकल्प पारित किया गया है, तो दावों और ऋणों के प्राक्कलन की तारीख ऐसा संकल्प पारित होने की तारीख होगी।

107. छूट - लेनदार अपना ऋण प्रमाणित करते समय, सभी व्यापार छूट, यदि हो, को उसमें से घटाएगा।

108. ब्याज - किसी नियत समय पर देय कोई ऋण या राशि या अन्यथा जिस पर ब्याज आरक्षित या सहमत नहीं है और जो परिसमापन आदेश या संकल्प की तारीख को बकाया है, तो लेनदार छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक दर पर या ब्याज ऋण या राशि देय होने की तारीख से, उस तारीख तक, और यदि ऋण या राशि एक निश्चित तारीख को लिखित दस्तावेज के कारण देय हो, अधिकरण द्वारा यथा नियत दर पर ब्याज का प्रमाण देगा और यह नोटिस देगा कि ब्याज का दावा मांग की तारीख से भुगतान के समय तक किया जाएगा।

109. आवधिक भुगतान - जब कभी कोई किराया या भुगतानों के लिए नियम 108 में निर्दिष्ट समय पर देय हो जाता है, और परिसमापन का आदेश या संकल्प उस अवधि से अलग नियम 108 में उल्लिखित समय पर किया जाता है, तो परिसमापन आदेश की तारीख को या संकल्प पारित करने की तारीख से दिन प्रतिदिन उसके आनुपातिक भाग के लिए किराया प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

परंतु जहां कंपनी समापक परिसमापनाधीन कंपनी के पुराने परिसर में है, तो इस नियम में न होते हुए कंपनी या समापक द्वारा कंपनी या परिसमापक के कब्जे की अवधि के दौरान किराए के भुगतान का दावा करने से संबधित ऐसे परिसर के भू-स्वामी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

110. भविष्य में देय ऋण का प्रमाण - कोई लेनदार परिसमापन आदेश की तारीख को कोई ऋण देय नहीं का प्रमाण दे, माना कि यह उस समय देय था, और उस समय जब यह ऋण उन शर्तों जिन पर संविदा की गई थी, के अनुसार देय हो गया हो, लाभांश की घोषणा करने की तारीख से परिगणित छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर केवल ब्याज की छूट को घटाते हुए, अन्य लेनदारों के साथ समान रूप से लाभांश प्राप्त हो सकता है।

111. सबूत की परीक्षा – कंपनी समापक, यथाशीघ्र, परंतु तीस दिन से अधिक नहीं या ऐसे समय के भीतर जैसा कि अधिकरण द्वारा समापक द्वारा किसी आवेदन पर अनुमति दी जाए, उसके पास दर्ज किए गए ऋण के प्रत्येक प्रमाण और ऋण के आधारों की जांच करेगा और वह प्रमाण के शपथ पत्र में उल्लिखित, यदि कोई हो, दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने या ऋण के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य मांग सकता है और यदि उसे आगे और साक्ष्य या यह अपेक्षित हो कि लेनदार को व्यक्तिगत रूप से जांच में भाग लेना होगा, तो वह कोई तारीख और समय निश्चित करेगा जिसको लेनदार को भाग लेना या आगे और साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है और वह पूर्व भुगतान पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप विन 46 में ऐसे लेनदार को एक सूचना भेजेगा ताकि वह नियत तारीख से कम से कम 7 दिन पहले लेनदार के पास पहुंच जाए।

112. कंपनी समापक को अन्वेषण से जुड़े किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार - कंपनी समापक किसी व्यक्ति को परिसमापन में ऋण प्रमाणित करने से संबंधित नोटिस देने के लिए सक्षम मानता हो और उस व्यक्ति से उसकी अभिरक्षा में रखे दस्तावेजों या उक्त ऋण से संबंधित अधिकार हो, तो उस व्यक्ति को बुला सकता है और ऐसी राशि की मांग कर सकता है जो कंपनी समापक उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए यात्रा और अन्य व्यय के लिए पर्याप्त समझे और जहां इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति बिना किसी विधिक कारण के उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है या सेवा से बचता या दूर रहता है, तो कंपनी समापक इसका नोटिस अधिकरण को दे

सकता है और समुचित आदेशों के लिए आवेदन कर सकता है और अधिकरण उपयुक्त समझे जाने वाला कोई आदेश पारित कर सकता है।

113. शपथ-पत्र - अपने दायित्वों के प्रयोजनार्थ, कंपनी समापक ऋणों का प्रमाण, यदि लागू हो, को स्वीकार करने के लिए शपथ-पत्र ले सकता है और कंपनी समापक अपने विवेकानुसार से इस अपेक्षा से छूट भी दे सकता है और वह शपथ पत्र या शपथ के स्थान पर वचन पत्र लेने की भी अनुमति दे सकता है।

114. सबूत की लागत - अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, लेनदार अपना ऋण प्रमाणित करने की लागत वहन करेगा।

115. सबूत की स्वीकृति या अस्वीकार सूचित करना - यथाशीघ्र, परंतु नियम 111 में निर्दिष्ट जांच के परिणामों की तारीख से चौदह दिन से अधिक नहीं, कंपनी समापक लिखित में प्रमाण को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करेगा और कंपनी समापक का प्रत्येक निर्णय चाहे वह प्रमाण को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकार करने के बारे में हो, का नोटिस धारा 20 के अधीन अनुमति दिए गए साधनों से संबंधित लेनदार को दिया जाएगा कि उसका प्रमाण स्वीकृत या अस्वीकार किया गया है, लेनदार समापक के समक्ष उपस्थित हुआ है, तो उसके दावे की स्वीकृति के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, जिसके दावे की स्वीकृति का नोटिस स्वीकृति के समय लिखित रूप में उसे या उसके एजेंट को दे दी गई है और जहां समापक किसी प्रमाण को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है, तो वह अस्वीकृत के कारणों को प्ररूप विन 47 में लेनदार को सूचित करेगा और प्रमाण की स्वीकृति का नोटिस प्ररूप विन 48 में दी जाएगी।

116. लेनदार द्वारा अपील – (1) यदि कोई लेनदार अपने प्रमाण के संबंध में कंपनी समापक के निर्णय से असंतुष्ट है, लेनदार समापक के निर्णय का नोटिस उसे दिए जाने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं के भीतर उस निर्णय के विरूद्ध अधिकरण को अपील कर सकता है।

(2) यह अपील प्ररूप विन 49 में एक शपथ पत्र के साथ पेश की जाएगी जिसमें उक्त अपील के कारण बताए जाएंगे, और अपील का नोटिस कंपनी समापक को दिया जाएगा और ऐसी अपील पर, अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन अपीलीय न्यायालय अधिकरण की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

117. लेनदार द्वारा अपील करने की प्रक्रिया -

(1) कंपनी समापक पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रमाण अस्वीकृत होने के विनिश्चय होने के विरूद्ध अपील का नोटिस प्राप्त होने पर उस प्रमाण को अस्वीकार करने के कारणों के आदेश सहित रजिस्ट्री में फाइल करेगा।

(2) कोई भी लेनदार या अभिदायी अपील में हस्तक्षेप करने की अनुमति लेने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकता है, और अधिकरण, जैसा उपयुक्त समझे, यह अनुमति न्यायोचित समझे जाने वाली शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन प्रदान करेगा और जहां इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई हो, तो अपील की सुनवाई का नोटिस प्रत्येक लेनदार या अभिदायी को दिया जाएगा।

118. कंपनी समापक लागत के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा - कंपनी समापक किसी प्रमाण को पूर्णतया या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के, उसके निर्णय के विरूद्ध किसी अपील से संबंधित लागत के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा।

119. प्रमाण और लेनदारों की सूची अधिकरण में फाइल किया जाना - कंपनी समापक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीस दिन के भीतर, नियम 100 के अधीन या ऐसे समय के भीतर जैसा कि अधिकरण अनुमति दे, अधिकरण में प्ररूप विन 50 में लेनदारों की एक सूची तथा नियम 100 में उल्लिखित विज्ञापन और नोटिस के अनुसरण में, अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है, ऋण की राशि जिसके लिए वे लेनदार होने का दावा करेंगे, ऐसी सूची में यह विभेद करते हुए, प्रमाण पूर्णतया स्वीकार किए गए हैं, प्रमाण आंशिक रूप में स्वीकृत या अस्वीकृत किए गए हैं या प्रमाण पूरी तरह अस्वीकार किए गए हैं, की सूची अधिकरण को फाइल करेगा और प्रमाण, और उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत या अस्वीकृत करने के ज्ञापन के साथ अधिकरण में एक प्रमाण पत्र के साथ फाइल किया जाएगा।

120. लेनदारों की सूची में परिवर्तन न किया जाना - अधिकरण में फाइल की गई लेनदारों की सूची, कंपनी के लेनदारों की सूची होगी, और इसमें अधिकरण के आदेश को छोड़कर और ऐसे आदेशों के अनुसरण में, कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा और जहां लेनदारों की सूची में कोई नाम जोड़ने या बदलने का कोई आदेश किया जाता है, कंपनी समापक ऐसे आदेश के अनुसरण में, इस सूची में संशोधन करेगा।

121. सूची फाइल करने का नोटिस और उसके निरीक्षण का नोटिस - कंपनी समापक द्वारा यथा निपटान की गई लेनदारों की सूची फाइल करने पर, रजिस्ट्री अधिकरण के सूचना पट्ट पर और अधिकरण की वेबसाइट पर उसे अधिसूचित करेगी और इस प्रकार से यथा निपटान की गई लेनदारों की सूची और उससे संबंधित प्रमाणों को एक हजार रुपये के फीस का भुगतान करने पर, प्रत्येक लेनदार या अभिदायी देख सकेगा।

122. सबूत मिटाना - (1) यदि किसी सबूत के स्वीकृत होने के पश्चात्, कंपनी समापक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रमाण को अनुचित रूप से या गलती से स्वीकार किया गया है, तो वह अधिकरण से लेनदार, जिसने प्रमाण दिया है, को प्रमाण नष्ट करने या इसकी राशि घटाने, जैसा भी मामला हो, का नोटिस देकर तत्काल अधिकरण को आवेदन कर सकता है।

(2) कोई भी लेनदार या अभिदायी प्रमाण के स्वीकार करने के दस दिन के भीतर उसे रद्द करने या राशि कम करने के लिए, यदि कंपनी समापक इस मामले को प्रस्तुत करने से इंकार करे, तो अधिकरण को आवेदन कर सकते हैं और ऐसा आवेदन मिलने पर अधिकरण न्यायोचित समझे जाने वाले आदेश पारित कर सकता है।

123. नियत समय में ऋण को प्रमाणित करने में असफल होने पर प्रक्रिया - यदि कोई लेनदार नियम 100 में उल्लिखित विज्ञापन में नियत समय सीमा में कंपनी समापक को अपने ऋण का प्रमाण फाइल नहीं कर पाता है, तो वह लेनदार उक्त विज्ञापन में निर्दिष्ट समय सीमा से 15 दिनों के भीतर राहत पाने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है, और अधिकरण, इस ऋण पर न्याय निर्णय करने या समापक को ऐसा करने का निदेश दे सकता है।

124. उस लेनदार का अधिकार जिसने लाभांश की घोषणा होने से पहले ऋण का प्रमाण नहीं दिया है - वह लेनदार जिसने किसी लाभांश या लाभांशों की घोषणा से पहले अपने ऋण को प्रमाणित नहीं किया है, तो उसे कंपनी समापक के पास लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध धनराशि में से, उस समय के लिए किसी राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा, कोई लाभ या लाभांश जिसे ऐसा लेनदार भविष्य के किसी लाभांश या लाभांशों के भुगतान के लिए उस धनराशि का प्रयोग होने से पहले प्राप्त नहीं कर सका हो, परंतु उसे अपने ऋण को प्रमाणित करने से पहले घोषित लाभांश के वितरण को इस कारण से बाधित करने का अधिकार नहीं होगा कि उसने इसमें भाग नहीं लिया है।

125. पाश्विक ब्याज का भुगतान - यदि प्रमाण के लिए स्वीकृति सभी दावों का पूरा भुगतान करने के पश्चात् कोई अधिशेष रहता है, वे लेनदार जिनका प्रमाण स्वीकार कर लिया गया है, को परिसमापन आदेश या संकल्प, जैसा भी मामला हो, की तारीख से अंतिम लाभांश की घोषणा किए जाने की तारीख तक अधिकतम छह प्रतिशत वार्षिक की दर से या अधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अन्य दर पर प्रत्येक लाभांश की घोषणा की तारीख को घोषित लाभांशों की राशि में से दावे की स्वीकृत राशि समायोजित करने के बाद ब्याज दिया जाएगा।

लेनदारों और अभिदायियों की उपस्थिति और पेशी

126. कार्यवाहियों में उपस्थिति - (1) इन नियमों में उपबंधित के सिवाय या अधिकरण के किसी आदेश को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय कंपनी के अभिदायियों की सूची में शामिल है और प्रत्येक लेनदार जिसका ऋण पूरी तरह या आंशिक रूप से कंपनी समापक द्वारा स्वीकार किया गया है, को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपने खर्च पर अधिकरण के समक्ष या कंपनी समापक के समक्ष कार्यवाही में भाग ले और उसे सभी कार्यवाहियों का नोटिस जो उसने कंपनी समापक को लिखित में संबोधित अनुरोध पर होने वाली लागत का भुगतान किया जाएगा; परंतु यदि अधिकरण का यह विचार है कि ऐसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय जो कंपनी की धनराशि से वहन नहीं किया जा सकता, तो वह उस सकल लागत राशि को उस व्यक्ति द्वारा भुगतान करने का निदेश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति किन्हीं आगामी कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा बशर्ते कि उसने उसका भुगतान किया था।

(2) कोई अभिदायी या लेनदार अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा बशर्ते कि और जब तक कि वह या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि रजिस्ट्री में अपनी पेशी फाइल की है और रजिस्ट्री एक "पेशी पुस्तिका" रखेगी जिसमें ऐसी सभी पेशियों की प्रविष्टि की जाएगी।

127. अधिकरण के समक्ष लेनदारों और अभिदायियों का प्रतिनिधित्व - अधिकरण, यदि उपयुक्त समझे, समय-समय पर अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए, एक या अधिक लेनदार या अभिदायियों को कंपनी के खर्च पर सभी लेनदारों या अभिदायियों या उनके किसी वर्ग को अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों से संबंधित या किसी पूछताछ का उत्तर देने के लिए नियुक्त कर सकता है, और इस प्रकार से नियुक्त किसी व्यक्ति को हटा सकता है, यदि इस नियम के अधीन किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे नियुक्त व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे और यदि वे उस प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो अधिकरण उनके लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में आस्तियों का संग्रहण और वितरण

128. कंपनी समापक की शक्तियां - धारा 290 की उपधारा (1) द्वारा कंपनी की आस्तियों को एकत्र करने और कंपनी की देयताओं को पूरा करने में, इन आस्तियों का उपयोग करने से संबंधित सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कंपनी समापक द्वारा अधिकरण के नियंत्रण के अध्यधीन किया जाएगा।

129. कंपनी समापक का एक सरकारी प्रबंधक की स्थिति में होना - धारा 290 की उपधारा (1) द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, कंपनी समापक कंपनी की संपत्ति अर्जित करने और उसका कब्जा बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी स्थिति में होगा जैसा कि उसे अधिकरण द्वारा संपत्ति के सरकारी प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया हो और अधिकरण के आवेदन पर, तद्नुसार, ऐसे अर्जन या धारणाधिकार का प्रवर्तन करेगा।

130. कंपनी की संपत्ति की मांग पर कंपनी समापक को सौंपा जाना - उस समय अभिदायियों की सूची में शामिल कोई अभिदायी, न्यासी, सरकारी प्रबंधक, बैंकर, एजेंट या उस कंपनी का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी जिसको परिसमापन अधिकरण के आदेश से किया जा रहा है, कंपनी समापक के नोटिस पर और ऐसे समय के भीतर जो उसे नोटिस द्वारा अपेक्षित होगा, किसी धनराशि, संपत्ति या बही और कागजात जो उसकी अभिरक्षा या उसके नियंत्रण में हैं, जिनके लिए कंपनी पात्र है या होना प्रतीत होती है और जहां व्यक्ति जिससे ऐसा अपेक्षित हो नोटिस का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो कंपनी समापक अधिकरण के समक्ष समुचित आदेशों के लिए आवेदन कर सकता है। यह नोटिस प्ररूप विन 51 मे होगा।

अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में बुलावा

131. कंपनी समापक द्वारा बुलावा - धारा 465(2) के उपबंधों के अध्यधीन, अधिकरण कंपनी समापक को धारा 296 में निर्दिष्ट बुलावा भेजने से संबंधित आदेश द्वारा अनुमति प्रदान कर सकता है।

132. कंपनी समापक द्वारा अदावाकृत पूंजी प्राप्त करना - कंपनी की अदावाकृत पूंजी पर कोई प्रभार या भार डाले बिना कंपनी परिसमापक के पास कंपनी की अदावाकृत पूंजी मंगाने और प्राप्त करने और यदि परिसमापन से पहले मंगाई गई कोई देय राशि हो, तो उसकी बकाया राशि एकत्र करने का हक होगा, परंतु इस प्रकार से प्राप्त समस्त राशि, ऐसे किसी प्रभार या भार के धारक के अधिकारों, यदि कोई हो के अध्यधीन धारित करेगा।

133. निविदा के लिए अनुमति हेतु आवेदन –

(1) इस प्रयोजन के लिए, कंपनी समापक अधिकरण की अनुमति के बिना कोई निविदा आमंत्रित नहीं करेगा।

(2) अभिदायियों की सूची के निपटान के सात दिन के भीतर, कंपनी समापक अभिदायियों से निविदा मंगाने की अनुमति हेतु अधिकरण को आवेदन कर सकता है और आवेदन में ऐसी निविदा की प्रस्तावित राशि का उल्लेख किया जाएगा और यह प्ररूप विन 52 में होगी और इसके साथ कंपनी समापक का एक शपथ पत्र लगाया जाएगा जो प्ररूप विन 53 में होगा।

134. आवेदन का नोटिस – (1) निविदा के लिए अनुमति लेने हेतु आवेदन का नोटिस प्रत्येक उस अभिदायी को जिसे उस निविदा में शामिल करना प्रस्तावित है, को प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जाएगा ताकि वह उस

अभिदायी को डाक के सामान्य क्रम से, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम सात कार्य दिवस से पहले पहुंच जाना चाहिए या अधिकरण द्वारा जैसा निदेश दिया जाए, प्रत्येक अभिदायी को अलग नोटिस दिए बिना सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम सात कार्य दिवस से पहले प्ररूप विन 54 में विज्ञापन द्वारा दिया जाए।

(2) प्रत्येक अभिदायी को नोटिस भेजने या विज्ञापन द्वारा सूचित करने, जैसा भी मामला हो, से संबंधित शपथ पत्र सुनवाई के लिए नियत तारीख से तीन दिन पहले अधिकरण में फाइल किया जाएगा।

135. निविदा की अनुमति प्रदान करने के लिए आदेश और निविदा दस्तावेज - निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश प्ररूप विन 55 में किया जाएगा और इसमें वे निदेश भी होंगे कि किस समय-सीमा में, ऐसी बोलियों का भुगतान किया जाएगा और निविदा करने की अनुमति देने का आदेश कब दिया गया है, तो कंपनी समापक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित, परिवर्तन करके निविदा करने का दस्तावेज प्ररूप विन 56 में अधिकरण में फाइल करेगा।

136. निविदा का नोटिस जारी करना – नियम 135 में यथा निर्दिष्ट बुलाने के लिए दस्तावेज फाइल करने के तत्काल बाद, कंपनी समापक ऐसी निविदा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभिदायी को एक साथ अनुमति प्रदान करने के आदेश में एक प्रतिलिपि और प्ररूप विन 57 में एक नोटिस जिसमें ऐसी निविदा के संबंध में प्रत्येक अभिदायी से देय राशि या बकाया राशि दर्शायी जाए, को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा और अनुमति प्रदान करने के आदेश को विज्ञापित करना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि अधिकरण किसी विशेष कारण से अन्यथा आदेश दे।

137. निविदा के भुगतान के लिए आदेश - कंपनी समापक किसी अभिदायी या अभिदायियों के विरूद्ध उसे की गई निविदा पर देय राशि के भुगतान के लिए आदेश करने हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है और आवेदन प्ररूप विन 58 में किया जाएगा और जो प्ररूप विन 59 में एक शपथपत्र द्वारा समर्थित हो और आवेदन का नोटिस और शपथ पत्र की प्रतिलिपि अभिदायी को आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और भुगतान के लिए आदेश प्ररूप विन 60 में दिया जाएगा।

138. अभिदायियों की ओर से देय अन्य धनराशि - जब किसी अभिदायी की ओर से कंपनी की कोई राशि या उस व्यक्ति की संपदा से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उस कंपनी की कोई राशि देय है जिसमें परिसमापन के बाद की गई निविदा के कारण देय धनराशि शामिल नहीं है, परिसमापन से पूर्व की गई निविदा पर देय राशि शामिल है, तो कंपनी समापक ऐसी धनराशि के भुगतान के लिए उस अभिदायी के विरूद्ध आदेश करने के लिए शपथपत्र के साथ अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है और आवेदन का नोटिस ऐसे अभिदायी को आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तरीख से कम से कम सात दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दी जाएगी।

धारा 299 और 300 के अधीन जांच

139. धारा 299 के अधीन परीक्षा करने के लिए आवेदन - (1) धारा 299 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए आवेदन एकपक्षीय हो सकता है परंतु जहां कंपनी समापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन का नोटिस कंपनी समापक को दिया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप विन 61 में किया जाएगा, और जहां आवेदन कंपनी समापक द्वारा किया गया है, तो उसके हस्ताक्षर से आवेदन के तथ्य प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाएगा और जहां आवेदन कंपनी समापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उस आवेदन के साथ आवेदक का एक शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें आवेदन के समर्थन में, वे कारण बताए जाएंगे जिनके आधार पर परीक्षा का अनुरोध किया गया है।

140. आवेदन की सुनवाई के संबंध में निदेश – नियम 139 में निर्दिष्ट आवेदन की सुनवाई के आधार पर, अधिकरण यदि संतुष्ट है कि आदेश करने के कारण हैं, तो वह आदेश में शामिल व्यक्ति के विरूद्ध परीक्षा अथवा दस्तावेज या दोनों प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करने का आदेश दे सकती है और अधिकरण अन्यथा ऐसे व्यक्ति को परीक्षा के लिए चैंबर में उपस्थित होने का निदेश दे और यह आदेश प्ररूप विन 62 में दिया जाएगा।

141. समन जारी करना – अधिकरण आदेश के अनुसरण में जारी समन प्ररूप विन 63 में होंगे और धारा 20 में यथा निर्दिष्ट माध्यम से परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम सात दिन पहले

दिए जाएंगे और जहां व्यक्तिगत रूप से समन दिए जाते हैं, तो समन दिए गए व्यक्ति को अधिकरण में लागू फीस के पैमाने का पर्याप्त ध्यान रखते हुए, अधिकरण या रजिस्ट्री द्वारा नियत उसके खर्च के लिए समुचित धनराशि के साथ भुगतान करना होगा और जब समन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह धनराशि उक्त व्यक्ति को पोस्टल मनी आर्डर से भेजी जाएगी।

142. **जांच करना -** (1) धारा 299 के अधीन परीक्षा कंपनी समापक द्वारा की जाएगी परंतु अधिकरण उपयुक्त समझे जाने वाले किसी कारणों से, परीक्षा का कार्य किसी अभिदायी या लेनदारों को सौंपे और जहां परीक्षा का कार्य कंपनी समापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाता है, फिर भी कंपनी समापक को व्यक्गित रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परीक्षा में उपस्थित रहने का हकदार होगा, और वह अपने उपयोग के लिए परीक्षा की कार्यवाही नोट करेगा और परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसकी अधिकरण अनुमति दे।

(2) उप नियम (1) में यथा प्रदत्त को छोड़कर, कंपनी समापक और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को छोड़कर, धारा 299 के अधीन कोई व्यक्ति जांच में भाग लेने का हकदार नहीं होगा, परंतु जांच किए जा रहे व्यक्ति को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता लेने का हक होगा, जो गवाह की पुनः परीक्षण कर सकता है:

परंतु अधिकरण यदि उपयुक्त समझे, तो किसी लेनदार या अभिदायी को उसके द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों के अध्यधीन जांच में उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है।

(3) गवाह या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकरण को यह वचन देते हुए कि ऐसे नोट्स का उपयोग केवल गवाह की पुनः जांच के लिए किया जाएगा, जांच के नोट्स लेने की अनुमति दी जा सकती है और जांच समाप्त होने पर, बशर्ते अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेशित हो, तो नोट्स अधिकरण को नष्ट करने के लिए सौंपे जाएंगे।

143. अभिसाक्ष्य की टिप्पणियां - (1) धारा 299 के अधीन जांच किए गए किसी व्यक्ति के अभिसाक्ष्य की टिप्पणियों पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे रजिस्ट्री कार्यालय में जमा किया जाएगा, परंतु ये टिप्पणियां कंपनी समापक को छोड़कर, किसी लेनदार, अभिदायी या अन्य व्यक्ति द्वारा देखे जाने के लिए खुली नहीं होंगी और न ही अधिकरण के आदेशों के अलावा, कंपनी समापक को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति उनकी प्रतिलिपि या उद्धरण न लेगा या किसी अन्य व्यक्ति को देगा।

(2) अधिकरण ऐसी टिप्पणियों की अभिरक्षा और निरीक्षण के लिए और उसकी प्रतिलिपि या उद्धरण की प्रतिलिपि देने के लिए ऐसे साधारण या विशेष निदेश समय-समय पर दे सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

144. धारा 300 के अधीन सार्वजनिक जांच के लिए आदेश - (1) जहां धारा 300 के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की जांच का आदेश दिया जाता है, तो यह जांच अधिकरण के समक्ष होगी।

परंतु अधिकरण निदेश दे कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की पूरी या आंशिक जांच आदेश में उल्लिखित किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष होगी और जहां जांच की तारीख आदेश द्वारा नियत न की गई हो, तो कंपनी समापक अधिकरण से या व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से जिसके समक्ष जांच की जानी है, परीक्षा की तारीख प्राप्त करेगा और सार्वजनिक परीक्षा का निदेश देने का आदेश विन 64 में होगा।

(2) अधिकरण, यदि उपयुक्त समझे, या तो परीक्षा के आदेश में अथवा किसी अन्य अनुवर्ती आदेश में, यह निदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति के संबंध में किन विशेष मामलों की परीक्षा की जानी है।

145. सार्वजनिक परीक्षा का नोटिस - कंपनी समापक परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम सात कार्य दिवस पहले प्ररूप विन 65 में उन समाचार पत्रों, जैसा अधिकरण निदेश दे, में विज्ञापन द्वारा कंपनी के लेनदारों और अभिदायियों को नोटिस देगा और उसी अवधि में, परीक्षा के लिए नियत तारीख और समय का नोटिस प्ररूप विन 66 में एक नोटिस उस व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट द्वारा देगा, जिनकी परीक्षा की जानी है और इसके साथ परीक्षा का निदेश देने वाले आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी और जहां कोई परीक्षा स्थगित की जाती है, परंतु अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश होने पर, इसके स्थगन को विज्ञापित किया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा।

146. अधिकरण के आदेशों के लिए परीक्षा का स्थगन - जहां अधिकरण द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण के समक्ष परीक्षा की जाती है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण का यह विचार है कि वह परीक्षा अनुचित या अनावश्यक

रूप से लंबी हो रही है या इसके लिए अन्य कोई पर्याप्त कारण है जिसके लिए उसका यह विचार हो कि यह परीक्षा अधिकरण के समक्ष कराई जानी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति अथवा प्राधिकरण परीक्षा या परीक्षा के किसी अंश को अधिकरण के समक्ष करने के लिए स्थगित कर सकता है, और इसकी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे और इसके बाद अधिकरण स्वयं परीक्षा करेगी या ऐसे आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

147. दुराग्रह के लिए प्रक्रिया – (1) यदि कोई व्यक्ति अधिकरण द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण के समक्ष किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए देने से इंकार करता है जिसे ऐसा व्यक्ति अथवा प्राधिकरण उसके इंकार की रिपोर्ट के साथ अधिकरण के समक्ष रख सकता है या रखने की अनुमति दे और चूककर्ता अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट मिलने पर उस व्यक्ति के साथ उसी स्थिति और उसी रीति से व्यवहार किया जाएगा जैसा कि उसने अधिकरण के समक्ष उत्तर देने में चूक की हो।

(2) यह रिपोर्ट लिखित में होगी और इसमें पूछे और परीक्षा किए जा रहे व्यक्ति द्वारा दिए गए (यदि कोई हो) उत्तर रखे जाएंगे तथा और वह व्यक्ति अथवा प्राधिकरण परीक्षा की तारीख उस व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे कब अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना है और यह रिपोर्ट प्ररूप विन 67 में होगी और रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकरण उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

148. परीक्षा का नोटिस - प्रत्येक परीक्षा का नोटिस पर धारा 300 की उपधारा (7) द्वारा यथा अपेक्षित हस्ताक्षर होने के बाद, ये परिसमापन के अभिलेखों का भाग बन जाएंगे और कंपनी समापक, वह व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जा रही है या कंपनी का अभिदायी, पांच रूपए प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर, अधिकरण से इसकी एक प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

149. धारा 300 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन - किसी व्यक्ति जिसके लिए जांच का आदेश दिया गया है, को उसके विरूद्ध किसी प्रभार से मुक्त करने या सुझाव देने के लिए धारा 300 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन कंपनी समापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसा कि अधिकरण निदेश दे, को नोटिस देने पर किया जाएगा।

150. अभिदायी की गिरफ्तारी का वारंट - (1) यदि धारा 301 में यथा निर्दिष्ट अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि जांच के लिए नियत तारीख और समय का नोटिस सम्यक रूप से ऐसे अभिदायी को तामील कर दिया गया था, तो अधिकरण कोई और नोटिस जारी किए बिना, उक्त अभिदायी की गिरफ्तारी के लिए प्ररूप विन 68 में वारंट जारी कर सकता है।

(2) इस नियम के अधीन जारी अंशदता की गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे अधिकरण जिसने इसे जारी किया है या अपीलीय अधिकरण जिसमें ऐसे अधिकरण के विनिश्चय से आमतौर पर अपील की जाती है, या निष्पादित किया जाए।

151. बंदीगृह जिसमें वारंट किया गया गिरफ्तार अभिदायी रखा जाना है - जहां अधिकरण धारा 301 में यथा निर्दिष्ट अभिदायी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है जिसमें ऐसे अभिदायी को नजरबंद रखा जाएगा, बशर्ते कि अधिकरण अन्यथा आदेश दे, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण के आदेश में विर्निष्ट किया जाएगा, उक्त अभिदायी को कैद में रखने के लिए वारंट प्ररूप विन 69 में होगा और जमानत पर उसे रिहाई आदेश प्ररूप विन 70 में होगा।

152. अधिकरण के सामान्य क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन - (1) जहां अधिकरण द्वारा इन नियमों के अधीन किसी ऐसे अभिदायी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, जो अधिकरण के सामान्य क्षेत्राधिकार से बाहर है, ऐसे अभिदायी या ऐसा होने का विश्वास है, तो वारंट जारी करने वाला अधिकरण गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के लिए जिला न्यायालय या मुबंई, कोलकाता या मद्रास स्थित कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज (यदि वह वारंट इनमें से किसी एक स्थान पर निष्पादित किया जाना हो) को प्ररूप विन 71 में इस अनुरोध के साथ अधिकरण की मोहर के साथ भेजेगा कि न्यायालय जिसे भेजा गया है, वह वारंट का निष्पादन करे, और अन्तिम वर्णित न्यायालय अपनी मुहर के साथ वारंट को सील करेगा तथा अपने अधिकारियों द्वारा या इसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी करवाएगा और इस वारंट के निष्पादन में उसके संबंधित क्षेत्राधिकार में संबंधित पुलिस अधिकारी सहयोग और सहायता करेंगे।

(2) गिरफ्तारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार अभिदायी को उस अधिकरण की समुचित अभिरक्षा में भेजेगा जिसके द्वारा गिरफ्तारी का वारंट मूलरूप से जारी किया गया था, बशर्ते कि वह उस न्यायालय की इस बात से संतुष्टि होने पर कि वह अधिकरण के समक्ष पेश होगा, अपेक्षित जमानत दे और ऐसे मामले में न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करेगा और उस अधिकरण को सूचित करेगा जिसके द्वारा गिरफ्तारी का वारंट मूलरूप से जारी किया गया था।

कंपनी के दोषी निदेशकों, प्रवर्तकों और अधिकारियों के विरूद्ध आवेदन

153. धारा 339 या धारा 340 के अधीन आवेदन - धारा 339 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 340 की उपधारा (1) के अधीन, आवेदन पहली बार चैंबर में वापस आने वाले सम्मनों द्वारा किया जाएगा और इन सम्मनों में घोषणा या आदेश की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया गया है, और आवेदन के आधार, तथा यह प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध आदेश मांगा गया है, आवेदन की सुनवाई के लिए सम्मनों में नियत तारीख से कम से कम सात दिन पहले तामील किया जाएगा और सम्मनों की वापसी से पहले कोई शपथपत्र या रिपोर्ट फाइल करना आवश्यक नहीं होगा और ये समन यथा अपेक्षित परिवर्तनों के साथ प्ररूप विन 72 या प्ररूप विन 73 में होंगे।

154. सम्मनों की प्रारंभिक सुनवाई पर निदेश - सम्मनों की वापसी पर, अधिकरण उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे निदेश दे सकता है कि क्या दावे और प्रतिवाद के बिंदु सौंपे जाने हैं, क्या साक्ष्य को पूर्णतः या शपथपत्र द्वारा आंशिक रूप से या मौखिक रूप से लिए जाने अधिकरण में सुनवाई पर, क्या जिरह में, अधिकरण के समक्ष या आवेदन के समर्थन में शपथपत्रों के किन्हीं अभिसाक्षियों के समर्थन में या विरोध में, अधिकरण कोई रिपोर्ट समापक को देना अनिवार्य कर सकता है और सामान्यतया सम्मनों और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी और सौंपे जाने वाले दावे के बिंदु यथा अपेक्षित संशोधनों के साथ प्ररूप विन 74 या प्ररूप विन 75 में होंगे।

155. अतिरिक्त निदेशों के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता - जहां अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि दावे और प्रतिवाद के बिंदु सौंपे जाएंगे, दोनों पक्ष इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे समन की सुनवाई नियत करने से पहले आगे और निदेशों के लिए या किसी वाद को लागू करने के लिए सम्मनों को जारी रखते हुए, ऐसे निदेश देने के लिए आवेदन करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दूसरे पक्ष को लिखित में दो कार्य दिवस का नोटिस देते हुए, आवेदन करें और ऐसे सूचना की एक प्रति आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख से दो पूर्ण कार्य दिवस पूर्व रजिस्ट्री के पास फाइल की जाएगी।

दावा परित्याग करना

156. दावा परित्याग के लिए आवेदन - (1) धारा 333 की उपधारा (1) के अनुसरण में, किसी कंपनी की संपत्ति के किसी भाग का दावा छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन एक शपथपत्र के साथ किया जाएगा जिसमें संपत्ति, हितबद्ध पक्षों से संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए किया जाएगा तथा यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि कंपनी ऋणशोधन में सक्षम है और क्या उसे उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा समापक को कोई सूचना दी गई है जिसमें उसे दावा परित्याग करने या न करने का विकल्प दिया गया हो।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना और आवेदन प्ररूप विन 76 से 82 में ऐसे परिवर्तन, जो आवश्यक हों, होगा।

157. आवेदन की प्रारंभिक सुनवाई – नियम 156 में निर्दिष्ट आवेदन निदेशों के लिए प्रारंभ में अधिकरण के समक्ष एक पक्षीय प्रस्तुत किया जाएगा कि किन व्यक्तियों को आवेदन का नोटिस दिया जाएगा, और अधिकरण उस पर आवेदन की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा तथा उन व्यक्तियों के लिए यथा आवश्यक निदेश देगा जिन्हें आवेदन का नोटिस दिया जाना है।

158. दावेदार द्वारा अपने हित के विवरण प्रस्तुत करना - जहां कोई व्यक्ति कंपनी की संपत्ति के किसी भाग में, जिसे कंपनी समापक छोड़ना चाहता है, में इच्छुक हो, वह व्यक्ति यदि समापक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो वह अपने द्वारा दावा किए गए हित का एक विवरण प्रस्तुत करें।

159. नोटिस की तामील – नियम 156 में निर्दिष्ट आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख का नोटिस प्ररूप विन 83 में होगा और इसके समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र के साथ आवेदन की एक प्रति सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम सात दिन पहले दिया जाएगा और इस नोटिस में अपेक्षित होगा कि इस आवेदन के विरोध में

कोई शपथपत्र हो, तो उसे अधिकरण में फाइल किया जाएगा और उसकी एक प्रति सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम दो दिन पहले कंपनी समापक को दी जाएगी।

160. दावा छोड़ने की अनुमति देने वाला आदेश - नियम 156 में निर्दिष्ट आवेदन की सुनवाई पर, अधिकरण समापक और ऐसे पक्षों जो जारी की गई सूचना के प्रत्युत्तर में उपस्थित हों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें सुनवाई के लिए अधिकरण उपयुक्त समझे, को सुनने के पश्चात् समापक को अनुमति देगा और ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, पर दावा परित्याग की अनुमति देगा जैसा कि वह न्यायोचित समझे और दावा परित्याग की अनुमति देने का आदेश प्ररूप विन 84 में होगा।

161. अधिकरण में दावा परित्याग फाइल करना – कंपनी समापक द्वारा अधिकरण में प्रत्येक दावा परित्याग फाइल किया जाएगा और इस प्रकार फाइल न होने तक यह लागू नहीं होगा और जहां दावा परित्याग पट्टाधारित हित के संबंध में हो, तो इसे अधिकरण में तत्काल फाइल किया जाएगा। संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्तियों को दावा परित्याग की फाइलिंग का नोटिस दिया जाएगा, दावा परित्याग में दावा परित्याग किए गए हित की विशिष्टियां और उन व्यक्तियों का विवरण होगा जिन्हें दावा परित्याग का नोटिस दिया गया है, दावा परित्याग प्ररूप विन 85 में होगा और दावा परित्याग का नोटिस प्ररूप विन 86 में होगा और जहां दावा परित्याग अधिकरण में फाइल किया गया है, समापक उसकी एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगा।

162. दावा परित्याग की गई संपत्ति निहित होना – (1) जहां दावा परित्याग की गई संपत्ति में पट्टाधारित का हित है और धारा 333 की उपधारा (6) के अधीन, उस संपत्ति को किसी व्यक्ति में निहित करने का आदेश है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी संपत्ति के संबंध में, संपत्ति का हस्तांतरण द्वारा शिकमी पट्टेदार या बंधक या धारक है, तो अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि ऐसे शिकमी पट्टेदार, बंधक या धारक को, यदि वह उपर्युक्त उपधारा द्वारा अपेक्षित शर्तों पर किए गए निहित आदेश को स्वीकार और लागू नहीं करता है, तो उसे अधिकरण द्वारा नियत की जाने वाली समय सीमा के भीतर एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस में यह उल्लेख किया जाएगा कि उसे उस संपत्ति में उसके सभी हित और प्रतिभूति से अलग कर दिया जाएगा। अधिकरण ऐसा नोटिस देने के लिए आवेदन को स्थगित कर सकता है और ऐसे शिकमी पट्टेदार, बंधक या धारक को पक्ष के रूप में ले सकता है तथा आवेदन की एक प्रति दे सकता है, और यदि उपयुक्त समझे, तो नोटिस में उल्लिखित विकल्प और आवेदन की अनुमति दे सकता है और यदि अधिकरण द्वारा यथा नियत समय समाप्त होने के बाद, वह शिकमी पट्टेदार, बंधक या धारक चयन और आवेदन करने में असफल रहता है, तो अधिकरण उस संपत्ति को आवेदक या अन्य किसी व्यक्ति, जो अधिकरण के विचार में इसके लिए पात्र है, में निहित करने, उस और शिकमी पट्टेदार, बंधक या धारक को संपत्ति के सभी हित या प्रतिभूति से बाहर करते हुए कोई आदेश दे सकता है।

(2) दावा परित्याग की गई संपत्ति हितबद्ध पक्षों के लिए निहित करने या पट्टे में सभी हित से बाहर करने का कोई आदेश प्ररूप विन 87 में दिया जाएगा, और पट्टेदार को निहित करने तथा जिन व्यक्तियों ने आवेदन का विकल्प नहीं चुना है, को बाहर करने का आदेश प्ररूप विन 88 में होगा।

समझौता या दावों का परित्याग

163. अधिकरण की स्वीकृति के बिना किसी दावे पर समझौता या परित्याग न किया जाना - अधिकरण द्वारा परिसमापन में, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कंपनी द्वारा किसी दावे पर कंपनी समापक द्वारा अधिकरण की स्वीकृति के बिना, उस व्यक्ति को, जैसाकि अधिकरण निदेश दे, सूचना देने पर समझौता या दावा परित्याग नहीं किया जाएगा।

164. समझौते की स्वीकृति के लिए आवेदन - धारा 343 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट समझौता या व्यवस्था की स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की एक प्रति संलग्न की जाएगी और इसके समर्थन में कंपनी समापक का एक शपथपत्र सलाहकार समिति की अंतिम रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा जिसमें उल्लिखित कारणों का वर्णन करते हुए इस बात का शपथपत्र दिया जाए कि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था कंपनी के लिए हितकारी है।

कंपनी समापकों द्वारा विक्रय

165. विक्रय अधिकरण की स्वीकृति और पुष्टि के अध्यधीन होना – जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश करे, तब तक अधिकरण द्वारा परिसमापन की जा रही कंपनी की कोई संपत्ति या आस्ति कंपनी समापक द्वारा अधिकरण की पूर्व स्वीकृति लिए बिना बेची नहीं जाएगी और प्रत्येक विक्रय अधिकरण द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगा।

166. विक्रय की प्रक्रिया - प्रत्येक बिक्री कंपनी समापक द्वारा या यदि अधिकरण ऐसा निदेश दे, किसी अभिकर्ता या अधिकरण द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ता द्वारा, और अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, के अध्यधीन की जाएगी और सभी बिक्री सार्वजनिक निलामी या मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करके या इलेक्ट्रॉनिक नीलामी या ऐसी किसी रीति से की जाएगी जैसा कि अधिकरण निदेश दे।

167. विक्रय का खर्च - जहां कंपनी की आस्तियों के एक भाग के रूप में, कोई संपत्ति कंपनी समापक द्वारा नीलामीकर्ता या अन्य अभिकर्ता के माध्यम से बेची जाती है, बिक्री की समस्त प्राप्तियां, जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश न दे, तब तक उक्त नीलामीकर्ता या एजेंट, समापक को सौंपेगा और उस बिक्री से जुड़े प्रभारों और खर्च का भुगतान बाद में अधिकरण द्वारा नियत मानकों, यदि कोई हो, के अनुसार किया जाएगा।

अधिकरण द्वारा किसी परिसमापन में लाभांश और पूंजी के प्रतिफल

168. लाभांश या पूंजी के प्रतिफल की घोषणा - कंपनी समापक द्वारा अधिकरण की स्वीकृति के बिना लेनदारों को कोई लाभांश या अभिदायियों को पूंजी का प्रतिफल घोषित नहीं किया जाएगा।

169. घोषणा का नोटिस - कंपनी समापक लाभांश की घोषणा का नोटिस इसके भुगतान के लिए नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पहले देगा और जब तक कि अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, इस प्रकार का नोटिस ऐसे समाचार पत्रों में जैसाकि अधिकरण निदेश करे विज्ञापन द्वारा और रजिस्ट्रीकृत या स्पीडपोस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मोड, यदि कोई हो, भेज करके, उस तारीख को लेनदारों की सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और यह विज्ञापन प्ररूप विन 89 और लेनदार के लिए सूचना विन 90 में होगा।

170. लाभांश का भुगतान करने के प्राधिकार का प्ररूप - कोई व्यक्ति जिसे लाभांश देय है, कंपनी समापक को एक प्राधिकार लिखित रूप में दे सकता है, कि उक्त लाभांश उसमें लिखे नाम के किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाए और यह प्राधिकार प्ररूप विन 91 में होगा।

171. डाक द्वारा लाभांशों, इत्यादि को भेजना - लाभांश और पूंजी का प्रतिफल उस व्यक्ति के अनुरोध और उस व्यक्ति की लागत पर जिसे ये देय हैं, उसे मनीआर्डर या इलेक्ट्रानिक माध्यम से, उसके बैंक खाते में, जो भी उपयुक्त हो भेजे जाएं।

172. पूंजी के प्रतिफल का निदेश देने वाले आदेश का प्ररूप - प्रत्येक आदेश जिसके द्वारा कंपनी समापक को कंपनी के अभिदायियों को प्रतिफल देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, में जब तक कि अधिकरण अन्यथा न निदेश दे, तब तक उन व्यक्तियों को जिन्हें प्रतिफल का भुगतान किया जाना है, के पूरे नाम और पते तथा प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली राशि तथा शेयरों के हस्तांतरण की विशिष्टियां (यदि कोई हो) और सूची के नियत की तारीख को अभिदायियों की सूची में कोई अंतर या ऐसी अन्य कोई सूचना जो प्रतिफल देने के लिए आवश्यक समझी जाए, एक सारणी के रूप में एक अनुसूची या सूची (जिसे कंपनी समापक तैयार करेगा) में दी जाएगी और यह अनुसूची या सूची परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित परिवर्तनों के साथ प्ररूप विन 92 में होगी और कंपनी समापक प्रत्येक अभिदायी को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मोड, यदि कोई हो, द्वारा प्रतिफल का नोटिस प्ररूप विन 93 में भेजेगा।

173. मृत लेनदार या अभिदायी को देय लाभांश या पूंजी के प्रतिफल का भुगतान - जहां किसी मृत लेनदार को देय लाभांश का दावा या किसी मृत अभिदायी को देय पूंजी के प्रतिफल का दावा, एक लाख रुपये या उससे कम है, तो कंपनी समापक, दावेदार के अधिकार के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करके अधिकरण को उस दावेदार को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या समतुल्य प्राधिकार प्रस्तुत करने के बिना, जैसा भी मामला हो लाभांश या लाभ का भुगतान स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, किसी मृत लेनदार अथवा अभिदायी से संबंधित उक्त वर्णित दावे के संबंध में जहां दावा राशि एक लाख रुपये या इससे कम है, दावाकर्ता के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र के एवज में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा

और जहां अधिकरण भुगतान स्वीकृति करता है, तो कंपनी समापक पाने वाले से विधिवत रूप से मोहर युक्त एक व्यक्तिगत प्रतिभूति के साथ ही एक शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत भुगतान करेगा।

परिसमापन का पर्यवसान

174. कंपनी समापक द्वारा विघटन के लिए आवेदन - कंपनी के कार्यों का पूरी तरह परिसमापन होने और अंतिम लेखा की संपरीक्षा होने के पश्चात्, कंपनी समापक लेखापरीक्षित अंतिम लेखा और उनके संपरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ, दस दिन के भीतर कंपनी के विघटन का आदेश करने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा।

175. कंपनी का विघटन - आवेदन की सुनवाई करने के बाद, अधिकरण कंपनी समापक और किसी अन्य व्यक्ति जिसे अधिकरण के आदेश पर नोटिस दिया गया हो, की सुनवाई पर, लेखापरीक्षित लेखों पर विचार करने के बाद, अधिकरण कंपनी के विघटन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन कंपनी समापक के पास बकाया नकद राशि या कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखा में उसके भुगतान के लिए, और कंपनी तथा समापक के लेखों और दस्तावेजों के निपटान के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले आदेश दे सकता है।

176. समापक द्वारा बकाया राशि को कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में जमा करना - विघटन का आदेश होने पर, कंपनी समापक विघटन के आदेश की तारीख को लेनदारों को देय अदावाकृत लाभांश या अभिदायियों को लौटाई जाने वाली अवितरित आस्तियों को कंपनी परिसमापन लाभांश एवं अवितिरित खाते में और उसके पास ऐसी अन्य बकाया राशि जैसाकि अधिकरण द्वारा उसे कंपनी परिसमापन लाभांश एवं अवितिरित आस्ति खाते में तत्काल जमा करेगा और विघटन के प्रत्येक आदेश में यह निदेश होगा कि कंपनी समापक आदेश की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रमाणित प्रति भेजेगा और आदेश की प्रति के साथ कंपनी समापक के हस्ताक्षर से एक विवरण कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा कि बकाया राशि के उपयोग से संबंधित अधिकरण के निदेशों का सम्यक रूप से अनुपालन किया गया है।

177. परिसमापन पूरा हो जाना - धारा 302 के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी का परिसमापन पूरा किया गया माना जाएगा जिसे कंपनी के विघटन का आदेश कंपनी समापक द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित किया गया है, जब तक कंपनी समापक के पास नकद राशि अथवा उसके नियंत्रण में कंपनी की कोई धनराशि या आस्तियां अदावाकृत या अवितरित रहती हैं, तब तक उन्हें धारा 352 में यथा उपबंधित कंपनी परिसमापन लाभांश एवं अवितरित आस्ति खाते में संवितरित या जमा नहीं किया गया है।

178. विघटन को अमान्य घोषित करने का आवेदन - धारा 356 के अधीन आवेदन केंद्रीय सरकार और कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस देने के बाद किया जाएगा और जहां अधिकरण यह घोषणा करे कि विघटन अमान्य है, उस आदेश में यह निदेश दिया जाएगा कि आवेदक आदेश की तारीख से अधिकतम इक्कीस दिन के भीतर आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करे।

परिसमापन के मामले में अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्तियों का कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में भुगतान

179. भुगतान के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण – (1) धारा 352 की उपधारा (3) के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण समापक द्वारा उक्त धारा की उपधारा (1) और (2) के अधीन किसी अधिसूचित बैंक में कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्तियों का भुगतान करते समय प्ररूप विन 94 में दिया जाएगा।

(2) समापक, जब कभी कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, यह प्रमाणित करेगा कि धारा 352 की उपधारा (7) के अधीन कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते से भुगतान का दावा करने वाला व्यक्ति दावा की गई राशि के संपूर्ण या किसी भाग के लिए हकदार है या नहीं।

180. निवेश के अधीन अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्तियां - अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्तियों को कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में जमा करने के प्रयोजनों के लिए, समापक द्वारा ब्याज पर दी गई धनराशि को उसके पास रखी गई धनराशि समझा जाएगा, और जब कभी यह धनराशि कंपनी की अदावाकृत

लाभांश या अवितरित आस्तियों का भाग बनेगी, तो समापक निवेश या जमा को प्राप्त करेगा और इसके प्रतिफल को कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में जमा करेगा।

181. कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में धनराशि जमा करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला आवेदन - किसी व्यक्ति द्वारा धारा 352 की उपधारा (6) के अधीन कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में जमा किसी धनराशि में से किसी राशि के भुगतान हेतु किए गए आवेदन में यह उल्लेख किया जाएगा कि क्या आवेदक ने भुगतान के लिए केंद्रीय सरकार को कोई आवेदन किया है, और यदि हां, तो उस आवेदन का क्या परिणाम है?

182. अधिकरण द्वारा परिसमापन के मामले में आस्तियों में से देय लागत और खर्च- (1) जहां अधिकरण द्वारा किसी परिसमापन में किसी कंपनी की आस्तियां सरंक्षण, प्राप्ति या संग्रहण में समुचित रीति से खर्च किए गए शुल्क और खर्च का भुगतान करने के बाद, आस्तियां अधिकरण के किसी आदेश के अधीन और प्रतिभूत लेनदारों, यदि कोई हो, के अधिकारों के अध्यधीन होंगी, और इनमें से निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में भुगतान किए जाएंगे अर्थात्:-

प्रथम – याचिका की कर लागतें जिसमें याचिका के संबंध में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति की कर लागतें शामिल है जिसकी लागतों की अनुमति अधिकरण द्वारा दी जाती हैं।

अगला – किसी व्यक्ति की लागतें और खर्च जो कंपनी का कार्य विवरण तैयार करता है या इसके लिए सहमति देता है।

अगला – कंपनी की संपत्तियों के संरक्षण, संग्रहण या प्राप्ति में समुचित रूप से खर्च किए गए व्यय के अतिरिक्त कंपनी समापक के आवश्यक संवितरण;

अगला – कंपनी समापक द्वारा समुचित रीति से नियुक्त किसी व्यक्ति की लागत;

अगला – समापक द्वारा की गई लागत, प्रभार और व्यय।

अगला – अधिकरण द्वारा स्वीकृत, और सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक रूप से खर्च की गई वास्तविक धनराशि।

(2) अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश को छोड़कर, प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बिलों के संबंध में किसी भुगतान की अनुमति इस प्रमाण के बिना कि इन पर अधिकरण के कर अधिकारी द्वारा विचार करके अनुमति दी गई है, कंपनी की आस्तियों से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और कर अधिकारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के बिल या प्रभारों को पारित करने से पहले इस बात से संतुष्ट होगा कि समापक के दायित्वों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति सम्यक रूप से स्वीकृत की गई है।

(3) इस नियम में निहित कोई भी बात, अधिकरण द्वारा परिसमापन की जा रही किसी कंपनी या उसके विरूद्ध की जा रही कानूनी कार्यवाहियों के दौरान, जिनमें ऐसी कार्यवाहियां लम्बित हैं, कंपनी या समापक या किसी व्यक्ति जिसे लागत देय है, द्वारा किए जा रहे भुगतान के लिए लागू नहीं होगी या उसकी लागतों को प्रभावित नहीं करेगी।

भाग–4

लागत, इत्यादि

183. अधिकरण के विवेकाधीन लागतें - लागतें अधिकरण के विवेकाधिकार में होगी और पक्षकार और पक्षकार के बीच किसी कार्यवाही की लागतों या उससे अनुषंगी लागतों की अनुमति नहीं होगी परंतु वे अधिकरण के किसी आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अधिनिर्णीत हों।

184. कंपनी समापक द्वारा नियुक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि, इत्यादि द्वारा लागत बिल प्रस्तुत करना - अधिकरण द्वारा परिसमापन में कंपनी समापक द्वारा नियुक्त प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि, लेखाकार, नीलामीकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, कंपनी समापक के अनुरोध पर (लाभांश की घोषणा से पर्याप्त समय पहले) अपनी लागतों या प्रभारों के बिल कंपनी समापक को देगा, और यदि वह अनुरोध की प्राप्ति होने या अधिकरण द्वारा अनुमति दिए गए विस्तारित समय के चार सप्ताह के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो कंपनी समापक ऐसे व्यक्ति के दावे पर ध्यान दिए बिना लाभांश घोषित और संवितरित करेगा तथा उसका दावा जब्त कर लिया जाएगा:

परंतु अधिकरण अंतिम लाभांश की घोषणा होने से पहले दर्शाए जाने वाले उचित कारण से दावे को बहाल कर सकता है और आदेश करने से पहले घोषित लाभांश के वितरण पर ध्यान न देते हुए बिल प्राप्त करने का आदेश दे सकता है और कंपनी समापक द्वारा अनुरोध प्ररूप विन 95 में किया जाएगा और इसे व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

185. अपकरण कार्यवाही में फीस - धारा 339 या 340 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध किसी कार्यवाही में, प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए फीस की अधिकरण द्वारा मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

186. उस समय फीस जब कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है - जहां कार्यवाही के दौरान सुनवाई के लिए रखे जाने से पहले समझौता हो जाता है, तो प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए अधिकरण द्वारा अनुज्ञात फीस की अनुमति दी जाएगी।

187. साझा हित रखने वाले पक्षों की लागत – (1) जहां कहीं एक ही मुद्दे से संबंधित दो या अधिक याचिकाएं या आवेदन किए जाते हैं, और उनकी एक साथ सुनवाई होती है तथा कोई साझा निर्णय किया जाता है, जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, तब तक साझे हित वाली उक्त याचिकाओं या आवेदनों में सभी पक्षों को मिलकर उक्त याचिका या आवेदनों की मात्र एक समान लागतों की अनुमति दी जाएगी।

(2) जहां अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, वह साझा हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को एक ही कार्यवाही में मिलकर प्रभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि, उनका प्रतिनिधित्व अलग-अलग प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो।

188. फीस नियत करने की अधिकरण की शक्ति - (1) इन नियमों की कोई भी बात, अधिकरण को किसी विशेष मामले में, जिसमें अधिकरण न्याय की दृष्टि से आवश्यक समझे, फीस नियत करने से नहीं रोकेगी।

(2) उस किसी मामले में जहां विवाद किसी मूल स्वरूप का नहीं है, तो अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि लागतें अविवादित मानक पर ली जाएगी।

189. साक्षियों के लिए भत्ते - साक्षियों के लिए भत्तें उन्हीं मानकों के आधार पर होंगे जैसा कि अधिकरण द्वारा अवधारित किए गए हैं।

भाग – 5

परिसमापन के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया

190. शासकीय समापक की शक्तियां और कार्य - (1) शासकीय समापक इस अधिनियम और इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।

(2) धारा 361 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, कंपनियों की श्रेणी निम्नानुसार नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र पर आधारित होगी:-

(क) ऐसी कंपनी जिसने जमा स्वीकार किया है और कुल बकाया जमा पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है; या

(ख) कंपनी जिसका प्रतिभूत ऋण सहित कुल बकाया ऋण पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; या

(ग) कंपनी जिसका कारबार पचास करोड़ रूपये तक है; या

(घ) कंपनी जिसकी चुकता पूंजी एक करोड़ से अधिक नहीं है।

(3) शासकीय समापक रजिस्टर और लेखा बहियों का नियम 79 और 80 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार रखरखाव करेगा।

(4) शासकीय समापक के लेखों की फाइलिंग और संपरीक्षा के प्रयोजनार्थ, पूर्ववर्ती नियम 91 से 99 में विहित प्रक्रिया का इस संशोधन के साथ अनुपालन किया जाएगा कि जहां कहीं अधिकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है,

इसे केंद्रीय सरकार पढ़ा जाए और केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

(5) शासकीय समापक सभी आस्तियों का पूर्ववर्ती नियम 165 से 167 में इस संशोधन के साथ उल्लिखित रीति में निपटान करेगा कि जहां कहीं अधिकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है, इसे केंद्रीय सरकार पढ़ा जाए और केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

(6) धारा 349 में यथा निर्दिष्ट शासकीय समापक द्वारा प्राप्त धन को उस धारा में यथा निर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक खाते में उसके द्वारा जमा कराया जाएगा और यह उक्त बैंक के अगले कार्यदिवस को जमा करवाया जाएगा।

(7) धारा 363 के प्रयोजनार्थ, कंपनी के लेनदार नियम 100 से नियम 125 में केंद्रीय सरकार द्वारा उपनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट संशोधन और दिशानिर्देशों के साथ, विनिर्दिष्ट रीति में अपना दावा सिद्ध करेंगे।

(8) शासकीय समापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही के संचालन के लिए किसी विषय पर, उस भाग के अधीन किसी नियम के नहीं होने पर, इन नियमों के अन्य भागों में प्रासंगिक नियमों का, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्देशित, आवश्यक संशोधनों के साथ पालन किया जाएगा।

भाग – 6

विविध

191. फाइल का निरीक्षण (1) केंद्रीय सरकार का सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी और इन नियमों में यथा उपबंधित अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति जो परिसमापन की जा रही कंपनी का निदेशक या अधिकारी रहा है, को परिसमापन की कार्यवाही की फाइल को किसी उचित समय पर नि:शुल्क देखने का अधिकार होगा और इसमें निहित दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण और ऐसी प्रतियों या उद्धरणों को पांच रुपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करने पर लेने का अधिकार होगा।

(2) जब तक इन नियमों में अन्यथा उपंबधित न हो, प्रत्येक अभिदायी और प्रत्येक लेनदार, जिसका दावा या प्रमाण स्वीकृत किया गया है, को कार्यवाहियों की फाइल किसी उचित समय में एक सौ रुपए का भुगतान करने पर देखने और पांच रुपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करने पर इसमें निहित किसी दस्तावेज की प्रतियों अथवा उद्धरणों को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्ररूप विन 1

(नियम संख्या 3 (1) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

.....याचिकाकर्ता

परिसमापन के लिए याचिका

(याचिकाकर्ता का पूरा नाम, ब्यौरा, व्यवस्था एवं पता) की याचिका में नीचे दर्शाए गए हैं :-

1. सभी सूचनाओं, प्रक्रियाओं, इत्यादि की तामील के लिए उपर्युक्त नाम वाले याचिकाकर्ता का पता ही उसके प्रतिनिधि श्री निवासी का पता है।
2. उपर्युक्त नाम की कंपनी अर्थात् (जिसे यहां इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) को शेयरों द्वारा सीमित/गारंटी द्वारा सीमित सार्वजनिक (निजी कंपनी)/असीमित कंपनी के रूप में (कंपनी अधिनियम.....) के

अधीनमाह, 19...../20..... में निगमित किया गया।

3. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अवस्थित है।

4. कंपनी की अभिहित पूंजी..... रु. है जो के प्रत्येक शेयरों में विभाजित है। संदत्त या संदत्त के रूप में जमा की गई पूंजी की राशि रु. है (अथवा जैसा भी मामला है)।

5. वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी निगमित की गई थी (यहां मुख्य उद्देश्य का वर्णन करें) तथा उसके अग्रिम कार्रवाई हेतु आवश्यक समझा गया कोई मामला इसके सक्षम ज्ञापन में वर्णित है।

6, 7, 8. इत्यादि [यहां संख्यांकित पैराओं में उपवर्णित, जैसा भी आवश्यक है, वे तथ्य जिन पर याचिकाकर्ता, याचिका के समर्थन में विश्वास करता है। यदि याचिकाकर्ता अभिदायी है, याचिकाओं में यह उल्लिखित होना चाहिए कि धारा 272 की उप धारा (2) की शर्तों को पूरा किया जाता है। यदि याचिका कंपनी रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो केंद्रीय सरकार की संस्वीकृतियां प्राधिकरण संबंधी आदेश याचिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तथ्यों के वर्णन करने के बाद निम्नानुसार हैं:]

याचना

अतः याचिकाकर्ता निम्नानुसार याचना करता है :-

(1) यह कि (लि.) का कंपनी अधिनियम..... के उपबंधों के अनुसार अधिकरण के द्वारा परिसमापन किया जाए, और

(2) ऐसे अन्य आदेश न्यायालय में किया जाएगा, जैसा कि न्यायसंगत हो।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि

याचिकाकर्ता

टिप्पण : पर इस याचिका को प्रस्तुत करना आशयित है।

संलग्नक :

1. यदि याचिका कंपनी रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो केंद्रीय सरकार की संस्वीकृति या प्राधिकरण का आदेश।

2. कंपनी द्वारा याचिका परिसमापन फाइल किए जाने के मामले में प्ररूप संख्या विन 4में कार्यकलापों का विवरण।

प्ररूप विन 2

(नियम संख्या3(1) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका सं.

..... कंपनी लिमिटेड -याचिकाकर्ता

कंपनी द्वारा याचिका

.....कं. लि. की याचिका में याचिकाकर्ता इसमें निम्नानुसार दर्शाता है :

(प्ररूप संख्या विन 1 के अनुसार पैरा 1 से 5)

6. यदि कोई कंपनी पहले से ही स्वैच्छिक आधार पर या अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा है तो ये तथ्य दर्शाते हुए कि स्वैच्छिक परिसमापन या अधिकरण द्वारा परिसमापन, जैसा भी मामला है, को लेनदारों या अभिदायियों, या दोनों के हितों के संबंध में जारी नहीं रखा जा सकता है।

7. अधिनियम में यथा प्रदत्त सम्यक सूचना के बाद 20 की तारीख को आयोजित उसकी आम सभा की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के अनुसार सम्यक रूप से पारित कंपनी के विशेष संकल्प के अधीन,

IndiaCode

सर्वसम्मति से (अथवा मतों के प्रति मतों के बहुमत से) निम्नानुसार संकल्प किया गया:-

(यहां संकल्प का वर्णन करें)

[यहां कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा परिस्थितियों से संबंद्ध तथ्य जिनके कारण विशेष संकल्प पारित हुए हैं, पैराओं में उपवर्णित है]

8. अतः याचिकाकर्ता निम्नानुसार याचना करता है :-

(1) यह कि कं. (लि.) का कंपनी अधिनियम, के उपबंधों के अधीन अधिकरण के द्वारा परिसमापन किया जाए, और

(2) ऐसा अन्य आदेश न्यायालय में किया जाएगा, जैसा कि न्यायसंगत हो।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि

याचिकाकर्ता

संलग्नक :

1. बैठक, जिसमें संकल्प पारित किया जाता है, को आहूत करने वाली सूचना की प्रति।

2. पारित संकल्प की प्रति।

3. कार्यकलापों के विवरण की प्रति।

प्ररूप विन 3

(नियम संख्या 3 (2) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका सं.

.....याचिकाकर्ता

याचिका को सत्यापित करने वाला शपथपत्र

मैं,पुत्र श्री..... आयु निवासी..... सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार कथित करता हूँ: -

(टिप्पण- कंपनी के अलावा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाए)

1. मैं लि. का निदेशक/सचिव/..... और उपर्युक्त मामले में याचिकाकर्ता हूँ तथा उक्त याचिकाकर्ता द्वारा उसकी ओर से इस शपथ-पत्र को तैयार करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है।

(टिप्पण- यदि याचिकाकर्ता कोई कंपनी है तो दायर किया जाए)

2. यहां याचिका के पैरा ----- में किया गया विवरण जो मुझे दिखाया गया और "क" उत्तर से चिन्हित किया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और पैरा में किया गया विवरण सूचना पर आधारित है, और मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

तारीख 20..... को में सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई।

अभिसाक्षी

प्ररूप विन 4

(नियम संख्या 4 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका सं.

.....याचिकाकर्ता

धारा 274 (1) के अधीन कार्यकलापों का विवरण

तारीख..... 20..... के अनुसार उपर्युक्त कंपनी के कार्यकलापों का विवरण,

मैं/हम, का/के..... सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं/करते हैं कि यहां दिया गया विवरण और उसके साथ संलग्न कुछ सूचियां जिन्हें "क" से "झ" के रूप में चिन्हित किया गया है, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त कंपनी के मामले में तारीख 20... की स्थिति के अनुसार पूर्ण, सही और पूरी हैं, और उक्त कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय करती है/किया है:-

[यहां कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति उपवर्णित करें]

हस्ताक्षर

तारीख..... 20..... को में सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई

शपथायुक्त

आयुक्त से, शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, विशेषत: यह अभिनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि अभिसाक्षी का पूरा नाम, पता और विवरण का उल्लेख किया जाए, और मुद्रित प्ररूप में अन्य संशोधनों में कोई क्रॉस किए जाने पर हस्ताक्षर किए जाएं। शपथ-पत्र में उपर्युक्त के संबंध में कोई कमी होने से अधिकरण द्वारा उसको नकार दिया जाएगा, और इसे पुन: हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पण- संलग्न की गई कई सूचियां शपथ-पत्र में दस्तावेज के रूप नहीं दर्शायी गई हैं।

कार्यकलापों का विवरण और संलग्न की जाने वाली सूचियां

तारीख के अनुसार, अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों और दर्जे के अनुरूप अपेक्षित लेनदारियों को दशार्ते हुए,लि. के कार्यकलापों का विवरण:-

विशेषत: गिरवी नहीं रखी गई आस्तियां (सूची "क" के अनुसार)	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य रु. में
बैंक में अधिशेष	
नकदी	
विपणन योग्य प्रतिभूतियां	
प्राप्त होने योग्य बिल	
व्यापार ऋणी	
ऋण और अग्रिम	
अप्रदत्त मांगे	
ट्रेड स्टॉक	
चालू कार्य	
.....	

.....

पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति, भू-खंड और इमारतें

पट्टे वाली संपत्ति

संयंत्र और मशीनरी

फर्नीचर, फिटिंग, बर्तन, आदि

विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अलावा निवेश

पशुधन

वाहन आदि

अन्य संपत्ति, जैसे

.....

.....

***विशेषत: गिरवी रखी गई**

आस्तियां (सूची "ख" के अनुसार)

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
अनुमानित वसूली योग्य मूल्य	**प्रतिभूत लेनदारों के कारण**	**प्रतिभूत के रूप में दर्जा दी गई कमी**	**अंतिम स्तंभ में लाया गया अधिशेष**
रु.	**रु.**	**रु.**	**रु.**

पूर्णतया: स्वामित्व वाली संपत्ति

रु.

विशेषत: गिरवी रखी गई आस्तियों से अनुमानित अधिशेष अधिमान लेनदारों प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर धारकों, और अप्रतिभूत लेनदारों (अग्रेषित) के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल आस्तियां

रु.....

सकल आस्तियों का सार रु.

विशेषत: गिरवी रखी गई आस्तियों का सकल वसूली योग्य मूल्य

अन्य आस्तियां

सकल आस्तियां रु.

* टिप्पण: प्रतिभूति के रूप में दी गई सभी आस्तियां विशेष रूप से बंधक की गई, गिरवी रखी गई या अन्यथा को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाए। प्रतिभूति के रूप में दी गई वस्तुओं के मामले में, जो कंपनी के अधिकार में है और जो कंपनी के अधिकार में नहीं है उन्हें पृथक रूप से उपवर्णित किए जाएं।

IndiaCode

अनुमानित कुल संपत्ति अधिमान लेनदारों, चल प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरधारकों, और अप्रतिभूत लेनदारों (अग्रेषित) के लिए उपलब्ध है। रु.....

(ई)

सकल

देनदारियां

रु. देनदारियां

(अधिशेष से घटाई जाएं या कमी में जोड़ी जाएं, जैसा भी मामला हो)

प्रतिभूत लेनदारों (सूची "ख" के अनुसार) को अनुमानित दावों की सीमा तक विशेष रूप से गिरवी रखी गई आस्तियों में शामिल किया जाए [पूर्ववर्ती पृष्ठ पर मद (क) या (ख), जो भी कम है।]

[केवल "सकल देनदारियां" स्तंभ में अंत:स्थापित करें] अधिमान लेनदार (सूची "ग" के अनुसार).....

चल प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों के लिए उपलब्ध आस्तियों का अनुमानित अभिशेष..... रु.

चल प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरधारकों (सूची "घ" के अनुसार) डिबेंचरधारकों के संबंध में अनुमानित अधिशेष/कमी रु.

अप्रतिभूत लेनदार (सूची "ङ" के अनुसार)

विशिष्ट आस्तियों, जिन्हें पूर्ववर्ती पृष्ठ से अग्रेनित किया गया है, पर आंशिक रूप से प्रतिभूत लेनदारों* के दावों का अनुमानित अभिशेष

(ग)

व्यापार लेखे

देय बिल

बकाया व्यय

आकस्मिक देनदारियां (प्रकृति बताएं)

_____रु.

रु. पूर्ववर्ती पृष्ठ (घ) से अग्रेनित सकल आस्तियों और स्तंभ (ङ) के अनुसार सकल देनदारियों के बीच अंतर के कारण लेनदारों के संबंध में अनुमानित अधिशेष/कमी ____ रु.

जारी की गई और मांगी गई पूंजी:#

..... प्रत्येक के अधिमान शेयर

..... मांगी गई (सूची "च" के अनुसार)

..... प्रत्येक के साम्या शेयर

..... मांगी गई (सूची "छ" के अनुसार)

.....

.....

सदस्यों के संबंध में अनुमानित

अधिशेष/कमी (सूची "ज" के अनुसार)

IndiaCode

ये आंकड़े निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर पढ़े जाएं।

(1) (च) मांगे जाने के लिए कोई अप्रदत्त पूंजी नहीं है,या

(छ) मांगे जाने के लिए अप्रदत्त पूंजी की न्यूनतम राशि रु. हैं जो डिबेंचरधारकों के पक्ष में वसूले जाने/ नहीं जाने के लिए दिए गए रु. है।

[(च) या (छ) को काटें]

(2) अनुमान सामापन की लागतों और आस्तियों की व्यापार संबंधी लंबित वसूली पर कोई अधिशेष या कमी पर आधारित है।

सूची "क" विशेष रूप से गिरवी न रखी गई आस्तियां
कार्यों का विवरण: सूची "क"
सभी परिसंपत्तियों, जो विशेष रूप से गिरवी नहीं है और किसी अन्य सूची में सम्मिलित नहीं है, का संपूर्ण विशिष्टियाँ इस सूची में उप वर्णित किया जाना है।

संपत्तियों का संपूर्ण विशिष्टियाँ और प्रकृति		खाता बही मूल्य रु	उत्पादन का पूर्वानुमान रु
बैंकर्स का नाम दर्शाएं	बैंक में बकाया		
	नकद		
	बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, अर्थात्		
			
	(अनुसूची I के अनुसार) प्राप्त करने योग्य बिल		
	(अनुसूची II के अनुसार) व्यापारिक देनदार		
	(अनुसूची III के अनुसार) ऋण और अग्रिम		
	(अनुसूची IV के अनुसार) अप्रदत्त मांग		
प्रकृति दर्शाएं	(अनुसूची V के अनुसार) कारोबार में स्टॉक		
प्रकृति दर्शाएं	कार्य प्रगति पर		
	पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियां, अर्थात्		
			
	पट्टे वाली परिसंपत्तियां, अर्थात्		
			
	संयंत्र और मशीनरी, अर्थात्		
			
	फर्नीचर, साज-समान, उपकरण इत्यादि, अर्थात्		
	पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इत्यादि अर्थात्:-		
			
	बिक्री योग्य प्रतिभूतियों से अलग निवेश अर्थात्		
	पशुधन, वाहन, इत्यादि,		

IndiaCode

अन्य संपत्तियां, अर्थात्:-

.....

हस्ताक्षर : तारीख:

अनुसूची 1

विनियमन बिल, प्रतिज्ञा पत्र इत्यादि, आधिकारिक आस्तियां

कार्यों का विवरण: सूची "क" की अनुसूची।

नाम क्रमश: अक्षरामत्क और संख्यात्मक रुप से व्यवस्थित किए जाएं

संख्या	बिल या नोट स्वीकारकर्ता का नाम	पता, इत्यादि	बिल या नोट की राशि	देय होने की तारीख	उत्पादन का पूर्वानुमान	बिल या नोट की अदायगी के भुगतान के लिए जमानत के रूप में संपत्तियों का विवरण
			रु.		रु.	

हस्ताक्षर: तारीख:

अनुसूची 2

व्यापारिक देनदार

कार्यों का विवरण: सूची "क" की अनुसूची 2

टिप्पण: यदि कंपनी का देनदार, लेनदार भी है लेकिन उसके ऋण से कम राशि के लिए कंपनी को देय कुल राशि और प्रतिलेखा की राशि को स्तंभ 3 में दर्शाया गया है तथा बकाया राशि को इस तरह "ऋण की राशि" शीर्षक में स्थानापन किया जाए।

कंपनी को देय राशि –

कम प्रतिलेखा राशि -

इस प्रकार का कोई दावा सूची "ङ" में शामिल नहीं किया जाना चाहिए

सं.	नाम	पता और व्यवसाय	ऋण की राशि	लैजर या किसी अन्य बही का पृष्ठ जहां विवरण दिया गया है	संविदा का समय	उत्पादन का पूर्वानुमान	ऋण के लिए जमानत के रूप में प्रतिभूतियों का विवरण
			<u>अच्छा संदेहजनक खराब</u> रु. रु. रु.			माह वर्ष	रु.

हस्ताक्षर: तारीख:

अनुसूची 3

ऋण और अग्रिम

IndiaCode

कार्यों का विवरण: सूची "क" की अनुसूची 3

क्र.सं.	अग्रिम की तारीख	अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता	देय राशि	अनुमानित वसूली	जमानत का विवरण, यदि कोई है	बही या अन्य बही का पृष्ठ, जहां विवरण पाया जाए
			रु.			

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

अनुसूची 4

अप्रदत्त शेयर मांग राशि

नाम क्रमश: अक्षरामत्क और संख्यात्मक रुप से व्यवस्थित किए जाएं

क्रमागत संख्या	शेयर रजिस्टर में संख्या	शेयरधारक का नाम	पता	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर के लिए अप्रदत्त मांग राशि	कुल देय राशि	अनुमानित बकाया
					रु.	रु.	रु.

IndiaCode

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

अनुसूची 5

व्यापार में स्टॉक

कार्यों का विवरण: सूची "क" की अनुसूची 5

क्र.सं.	विवरण	परिणाम	बही मूल्य	बकाया अनुमान
			रु.	रु.

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

अनुसूची 6

<u>अंशदायियों से बकाया ऋण</u>

(भुगतान की गई मांग राशि के अतिरिक्त)

कार्यों का विवरण: सूची "क" की अनुसूची 6

क्रमागत सं.	शेयर रजिस्टर में संख्या	शेयरधारक का नाम	पता	ऋण का स्वरूप और विशिष्टियाँ	देय राशि	ऋण के लिए प्रतिभूतियां, यदि कोई हो	अनुसूची 1, 2 या 3 में क्रम संख्या, जैसा भी मामला हो, जहां ऋण सम्मिलित हो
					रु.		

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

सूची ख – विशेष रूप से प्रतिभूत आस्तियां और पूर्णतः या आंशिक रूप से संरक्षित लेनदार

(फ्लोटिंग चार्ज द्वारा संरक्षित डिबेंचरधारक सम्मिलित नहीं है)

आस्तियों पर दर्शाए गए संरक्षित लेनदारों के नाम जिन पर उनका दावा संरक्षित है, जहां तक संभव हो इन्हें क्रमागत संख्या दी जाए और अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं।

कार्यों का विवरण: सूची "ख"

विशेष रूप से प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	प्रतिभूतियां दिए जाने की तारीख	प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	सं.	देनदारों के नाम	पता और व्यवसाय	ऋण की राशि	संविदा की तारीख	प्रतिफल	सूची "ङ" में लाया गया असंरक्षित बकाया ऋण	प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अनुमानित राशि
		रु.				रु.			रु.	

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

*मुख्य रूप से बंधक, प्रतिभूत, या जमानत के रूप में दी गई सभी आस्तियों को दर्शाया जाना चाहिए: जमानत रूप में वस्तुएं जिन पर कंपनी का आधिपत्य है और वस्तुएं जिन पर कंपनी का आधिपत्य नहीं है, उन्हें अलग से भरा जाना चाहिए।

सूची "ग"– दरों, करों, वेतन, मजदूरी या अन्य रूप से अधिमान्य लेनदारों के नाम अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं और क्रमागत रूप से संख्या दी जाए

कार्यों का विवरण: सूची "ग"

IndiaCode

सं.	देनदार का नाम	पता और व्यवसाय	दावा का स्वरूप	जिस अवधि के दौरान उपार्जित देय राशि का दावा किया गया	देय तारीख	दावे की राशि	संपूर्ण अदायगी राशि	अधिभावी अधिमान्य अदायगी के रूप में राशि	सूची "ङ" में अधिमान्य बकाया
						रु.	रु.		रु.

हस्ताक्षर: तारीख:20....

सूची "घ"– फ्लोटिंग चार्ज द्वारा संरक्षित डिबेंचरधारकों की सूची

नाम अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं और क्रमागत संख्या दी जाए

डिबेंचरों के प्रत्येक निर्गम के धारकों की पृथक सूची दर्शाई जाए जिसमें एक से अधिक निर्गमन होने चाहिए

कार्यों का विवरण: सूची "घ"

सं.	धारक का नाम	पता	राशि	आस्तियों का विवरण जिन पर प्रतिभूति दी गई
			रु.	

हस्ताक्षर: तारीख:20.....

सूची "ङ"– असंरक्षित लेनदार

नाम अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं और क्रमागत संख्या दी जाए

कार्यों का विवरण: सूची "ङ"

टिप्पण: (1) जब कभी लेनदार के प्रतिलेखा खाते में कंपनी के प्रति उसके दावे से कम होता है, तो लेनदार के दावे की राशि और प्रतिलेखा की राशि को तीसरे स्तंभ में दर्शाया जाए और बकाया "ऋण की राशि" शीर्षक के अधीन जोड़ा जाए।

दावे की कुल राशि - रु.

प्रतिलेखा खाते की राशि कम करें -

इस प्रकार के प्रतिविरूपण अनुसूची-I की सूची "क" में सम्मिलित नहीं किए जाएं

(2) लेनदारों के विनियमन पत्र और प्रतिज्ञा पत्र के विवरणों को ऐसे लेनदार के नाम और पते के तुरंत बाद रखा जाए।

सं.	नाम	पता और	ऋण की राशि	संविदा की	बही खाता या	प्रतिफल

		व्यवसाय		तारीख	अन्य बही के विशिष्टियाँ जहां रखे गए	
			रु.	मास वर्ष		

आंशिक संरक्षित लेनदारों का असंरक्षित बकाया

सूची "ख" से लिया गया

अधिमान्य लेनदार का गैर-अधिमान्य बकाया

सूची "ग" से लाया गया

हस्ताक्षर: तारीख:

सूची "च"– अधिमान्य शेयरधारकों की सूची

नाम अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं और क्रमागत संख्या दी जाए

कार्यों का विवरण: सूची "च"

क्रमागत संख्या	रजिस्टर सं.	शेयरधारक का नाम	पता	शेयर की नाममात्र राशि	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर मांगी गई राशि रु.	मांगी गई कुल राशि रु.

हस्ताक्षर: तारीख:20

सूची "छ"– इक्विटी शेयरधारकों की सूची

नाम अक्षरात्मक रूप से व्यवस्थित किए जाएं और क्रमागत संख्या दी जाए

कार्यों का विवरण: सूची "छ"

क्रमागत संख्या	रजिस्टर सं.	शेयरधारक का नाम	पता	शेयर की नाममात्र राशि	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर मांगी गई राशि रु.	मांगी गई कुल राशि रु.

हस्ताक्षर: तारीख:20

सूची "ज"– कमी या अतिरिक्त राशि खाता

कार्यों का विवरण: सूची "ज"

इस खाते के अंतर्गत कवर की गई अवधि की शुरूआत परिसमापन याचिका के प्रस्तुतिकरण से 3 वर्ष से अनधिक की तारीख को होनी चाहिए या, यदि कंपनी पूरी अवधि के लिए निगमित नहीं की गई है, तो कंपनी की शुरूआत, प्राधिकरण सहमत न हो।

कमी के लिए कारक मदें (या अतिरिक्त में कटौती)

1. तुलनपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में तारीख..... को दर्शाई गई आस्तियों पर पूंजी और ऋण की अधिकता (यदि कोई हो) रु.
2. से तक विवरण की तारीख की अवधि के दौरान निवल लाभांश और बोनस
3. इसी अवधि के लिए निवल व्यापारिक हानि (नीचे टिप्पण पर दर्शाई गई वस्तुओं की लागत के पश्चात्)
4. खारिज की गई व्यापारिक हानि के अलावा हानि जिसके लिए उपबंध उसी अवधि के दौरान बहियों में कर दिया गया है। (विशिष्टियाँ दें या अनुसूची संलग्न करें)
5. अनुमानित हानियां जो इस समय बट्टे खाते डाल दी गई हैं या जिसके लिए विवरणी तैयार करने हेतु उपबंध किया गया (विशिष्टियाँ दें या अनुसूची संलग्न करें)
6. अन्य मदें जो कमी या बचत में कमी के लिए कारक है।

रु.

कमी के लिए कारक मदें (या अधिकता के लिए कारक):-

7. तुलनपत्र में तारीख..... को दर्शाई गई आस्तियों पर पूंजी और देयता रु.
8. से..... विवरणी की तारीख तक की अवधि के दौरान निवल व्यापारिक लाभ (नीचे टिप्पण पर दर्शाई गई वस्तुओं की लागत के पश्चात्) रु.
9. इसी अवधि के लिए व्यापारिक लाभ के अतिरिक्त लाभ और आय (विशिष्टियाँ दें या अनुसूची संलग्न करें) रु.
10. अन्य मदें जो कमी या बचत के कारक हैं :- रु.

 विवरणी द्वारा दर्शाए गई कमी/बचत

निवल व्यापारिक लाभ और हानि के रूप में टिप्पण

नीचे दी गई मदों की विशिष्टियाँ (जहां तक संभव हो) स्थानापन किया जाए जो व्यापारिक निवल लाभ या हानि की राशि दर्शाने के लिए लेखा में लिए गए हैं।

स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी, नवीनीकरण या कमी के संबंध में उपबंध है।

आयकर और लाभ पर अन्य कर के लिए प्रभार

डिबेंचर और अन्य स्थायी ऋणों पर ब्याज

कंपनी द्वारा निदेशकों को भुगतान और लेखा में विधि द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण किया जाना

विशिष्ट या अनावर्ती व्यय रु.

अपेक्षाकृत कम विशिष्ट या अनावर्ती प्राप्तियां रु.

अन्य व्यापारिक लाभ या हानि के होने पर रु.

निवल व्यापारिक लाभ और हानि, जैसा कि ऊपर कमी या बचत संबंधी लेखा में दर्शाया गया है

उपर्युक्त खाता रु.

IndiaCode

हस्ताक्षर तारीख.....20

सूची "झ"

कार्यों का विवरण: सूची "झ"

सूची "क" से "झ" के ऐसे प्रतिस्थान जिन्हें रिक्त वापस किया जाना है

सूची	ब्यौरे	टिप्पणियाँ
		जहां पर सूची "क" से "झ" के किसी एक या अधिक स्तंभ में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, वहां सूची या सूचियों में इस तरह खाली छोड़े गए उस स्तंभ में "शून्य" दर्शाया जाए।

क. विशेष रूप से गिरवी नहीं रखी गई आस्तियां

ख. आस्तियां जो विशेष रूप से गिरवी हैं और ऋणदाता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संरक्षित हैं (अस्थायी प्रभार द्वारा संरक्षित डिबेंचरधारक सम्मिलित नहीं है)

ग. दरों, करों, वेतन, मजदूरी और अधिभावी अधिमानी भुगतान या अन्य के लिए अधिमान्य ऋणदाता।

घ. अस्थायी प्रभार द्वारा संरक्षित डिबेंचरधारक

ङ. असंरक्षित ऋणदाता

च. अधिमान्य शेयरधारक

छ. इक्विटी शेयरधारक

ज. कमी या बचत लेखा

हस्ताक्षर : तारीख : ……..20…..

प्ररूप विन 5

(नियम संख्या 4 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

कार्यकलापों के विवरण में सहमति का शपथपत्र

मैं/हम..... (नाम, ब्यौरा (रे) इत्यादि) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और निम्नानुसार कहते हैं :-

कि मैं/हमने इसमें दर्ज कार्यकलापों के विवरण को अवलोकन के द्वारा किया है तथा मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना, ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, ऐसे विवरण में कंपनी के कार्यकलापों का पूरा एवं सही विवरण है (निम्नलिखित यथाकहित के सिवाय)। (यहां लिखें, यदि आवश्यक हो, किस संदर्भ में, यदि कोई हो, कार्यकलाप के विवरण के प्रति सहमति व्यक्त नहीं की गई है)।

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं, इत्यादि।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

शपथ आयुक्त

.....

प्ररूप विन 6

IndiaCode

(नियम संख्या 7 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

याचिका का विज्ञापन

एतदद्वारा सूचना दिया जाता है कि 20..... की तारीख को में उपर्युक्त अधिकरण के द्वारा उपर्युक्त नाम की कंपनी के परिसमापन के लिए याचिका उक्त कंपनी द्वारा उक्त अधिकरण को प्रस्तुत किया गया (अथवा, जहां कंपनी द्वारा याचिका प्रस्तुत नहीं की गई, याचिकाकर्ता का नाम एवं पता तथा उनके द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने की हैसियत उदाहरणतः अभिदायियों इत्यादि का उल्लेख करें) तथा 20..... की तारीख की अधिकरण के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई करने का निदेश हुआ है। की भी अभिदायी या उक्त याचिका के आदेश बनाने का समर्थन करने या विरोध करने को इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति को याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को अपने नाम एवं पता सहित अपने या अपने प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय का नोटिस भेजना चाहिए जो याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से पांच दिन पहले तक पहुंच जाना चाहिए तथा सुनवाई के दौरान इस प्रयोजनार्थ स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति इसके विहित प्रभारों का भुगतान किए जाने के बाद किसी लेनदार या अभिदायी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। याचिका के विरुद्ध में उपयोग किए जाने को आशयित कोई भी शपथ-पत्र अधिकरण में फाइल किया जाएगा तथा इसकी एक प्रति सुनवाई की नियत तारीख से पांच दिन पहले तक याचिकाकर्ता और उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत की जाएगी।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि

प्ररूप विन 7

(नियम संख्या 14(1) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की कंपनी याचिका संख्या.....

.....याचिकाकर्ता

20..... की कंपनी आवेदन सं.

आवेदक

माननीय न्यायपीठ..... के समक्ष

तारीख

अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए आवेदन का नोटिस

सेवा में,

.....

ध्यान दें कि धारा 273(1)(ग) के अनुसरण में याचिका के परिसमापन यहां के संबंध में अंतिम आदेश होने तक कंपनी के अनंतिम समापक की नियुक्ति हेतु आवेदन (अभिदायी/अभिदायियों, कंपनी रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का उल्लेख करें)..... द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा 20 की तारीख को स्वीकार किया गया तथा 20..... की तारीख को अधिकरण के समक्ष उक्त आवेदन की सुनवाई नियत है।

यदि आप सुनवाई के दौरान उक्त आवेदन का समर्थन या विरोध करने को इच्छुक है, इस संबंध में लिखित में नोटिस आवेदन की सुनवाई हेतु नियत तिथि से पहले दिन की तारीख तक अधिकरण को प्राप्त होना होगा और सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना होगा। यदि आप आवेदन का विरोध करना चाहते हैं, विरोध का आधार अथवा शपथ-पत्र की प्रति नोटिस के साथ प्रस्तुत करें। आवेदन की एक प्रति एतदद्वारा संलग्न है।*

नाम

तारीख..... (ह./-)

(आवेदक का प्रतिनिधि)

.....

[यह सूचना 20 की तारीख को या इससे पहले तामील किया जाएगा]

प्ररूप विन 8

(नियम संख्या14(2) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

20 का कंपनी आवेदन सं.

आवेदक

माननीय श्री..... के समक्ष

तारीख

अनंतिम समापक की नियुक्ति का आदेश

..... के आवेदन पर, तथा आवेदक के प्रतिनिधि श्री (नाम, पदनाम, पता, ई-मेल, दूरभाष या मोबाइल) और कंपनी के प्रतिनिधि श्री की सुनवाई पर तथा 20..... की तारीख..... को दायर याचिका तथा शपथ-पत्र तथा 20..... की तारीख को एतदद्वारा फाइल आवेदक के शपथ-पत्र का वाचन करने पर।

यह अधिकरण श्री निवासी को उपर्युक्त नाम की कंपनी का अनंतिम समापक नियुक्त करता है;

और यह अधिकरण उक्त अनंतिम समापक की शक्तियों को निम्नलिखित कृत्यों के लिए एतदद्वारा परिसीमित एवं निर्बंधित करता है, अर्थात् यह कहना है कि [यहां उन कृत्यों का वर्णन है जो अनंतिम समापक करने को प्राधिकृत है।]

तथा अधिकरण यह आदेश देता है कि अनंतिम समापक तुरंत कंपनी की सभी संपत्ति एवं चीजबस्त का प्रभार ले;

तथा इस आवेदन की लागत याचिका की लागत होगी।

(अधिकरण के द्वारा)

रजिस्ट्रार

टिप्पण : यह उन व्यक्तियों का कर्तव्य होगा जो धारा 274(3) के अधीन समापक के आदेश की तारीख पूर्ण एवं लेखा परीक्षित कंपनी का लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार हैं कि **वे अनंतिम समापक से उसके द्वारा नियत समय एवं स्थान पर संपर्क करें तथा उन्हें वे सारी सूचना प्रदान करें जो उसके द्वारा मांगी जाए।**

*जहां अधिकरण यह निदेश देता है कि अनंतिम समापक को किन्हीं विशिष्ट संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करना है, खण्ड में उपयुक्त रूप से आशोधन किया जाएगा तथा ऐसी संपत्तियों के ब्योरों का वर्णन आदेश की अनुसूची में किया जाएगा।

प्ररूप विन 9

(नियम संख्या 14(4) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या

.....याचिकाकर्ता (आवेदक)

कंपनी याचिका सं.0/20.

आवेदक सं.0/20

.....याचिकाकर्ता (आवेदक)

अनंतिम समापक की नियुक्ति का नोटिस

सेवा में,

अनंतिम समापक

(पता)

.....

नीचे उल्लेखित कंपनी के अनंतिम समापक की नियुक्ति हेतु माननीय श्री के द्वारा आज आदेश की घोषणा की गई:

1. कंपनी का नाम :
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :
3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि :

4. याचिकाकर्ता की प्रस्तुति की तारीख:

समर्थन में फाइल की गई याचिका और शपथ-पत्र प्रत्येक की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

तारीख

अधिकरण

टिप्पण : यह ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य होगा जो धारा 274(3) के अधीन समापक के आदेश की तारीख तक एवं लेखा परीक्षित कंपनी का लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए दायी हैं कि वे अनंतिम समापक से उसके द्वारा नियत समय और स्थान पर संपर्क करें और उन्हें वे सारी सूचना प्रदान करें जो जो अपेक्षित हो।

कंपनी रजिस्ट्रार को प्रति प्रेषित

.

प्ररूप विन 10

(नियम संख्या 14(5) और 21 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

अनंतिम समापक या कंपनी समापक द्वारा हित या स्वतंत्रता का अभाव होने का प्रकटीकरण

सेवा में,

.....

रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार

एतद्द्वारा यह प्रकटीकरण किया जाता है कि मैं, की तारीख के आदेश के अधीन ऊपर उल्लिखित कंपनी के कंपनी समापक या अनंतिम समापक के रूप में नियुक्त, ऊपर उल्लिखित नाम की कंपनी में कोई हित नहीं है तथा किसी भी रुप में उक्त कंपनी से इस तरह संबंधित नहीं है की अनंतिम समापक या कंपनी के कंपनी समापक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेरी स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव पड़े।

[ऊपर उल्लिखित नाम की कंपनी में मेरी निम्नलिखित हितों में है जो अनंतिम समापक या उस कंपनी के कंपनी समापक के रुप में मेरे कर्तव्यों के निर्वहन में मेरी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। (हित का वर्णन करें)]

तारीख 20 की तारीख

(ह./-) अनंतिम समापक या कंपनी समापक

प्ररूप विन 11

(नियम संख्या 17(1) देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

माननीय श्री के समक्ष

तारीख

परिसमापन आदेश

20 की तारीख को प्रस्तुत की गई याचिका पर, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि श्री....., याचिका का समर्थन करने वाले लेनदारों (या अभिदायियों) के प्रतिनिधि श्री, याचिका का विरोध करने वाले लेनदारों (या अभिदायियों) के प्रतिनिधि श्री, कंपनी के प्रतिनिधि श्री, की सुनवाई पर, उक्त याचिका, ए.बी. का शपथ पत्र 20..... की तारीख को फाइल का वाचन करने पर, उक्त याचिका, एक्स. वाई. के शपथ-पत्र, 20..... की तारीख को फाइल, का सत्यापन करने पर, उक्त याचिका के विज्ञापन के प्रकाशन (राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) राजपत्र में यह आदेश दिया जाता है कि :

*(1) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन इस अधिकरण द्वारा उक्त कंपनी का परिसमापन किया जाए, और

(2) कि यथास्थिति अनंतिम समापक या कंपनी समापक, उक्त कंपनी के समापक के रूप में, तुरंत उक्त कंपनी की सभी संपत्ति, चीजबस्त, कार्ययोग्य दावों, पुस्तकों एवं कागजातों का प्रभार लें।

**(3) कि अनंतिम समापक या कंपनी समापक तामील के लिए पूर्व-संदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से कंपनी को इस आदेश की मुहर-बंद प्रति उपलब्ध कराएगा;

(4) कि याचिकाकर्ता आज की तारीख से चौदह दिन के भीतर विहित प्ररूप में समाचार-पत्र के एक अंक में इस आदेश की सूचना का विज्ञापन जारी करे (यहां समाचार-पत्र या समाचार-पत्रों का नाम लिखें जिनमें इस आदेश को विज्ञापित किया जाना है)

(5) उक्त याचिकाकर्ता आज की तारीख से एक महीने के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएगा; आदि

(6) उक्त याचिका की लागत का भुगतान उक्त कंपनी की आस्तियों से किया जाए।

20..... की तारीख

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

*जहां कंपनी के परिसमापन का आदेश हुआ है, वह एक बैंककारी कंपनी है या एक बीमा कंपनी है, खंड 1 ""तथा बैंककारी कंपनी अधिनियम 1949" या "बीमा अधिनियम 1938"" के अंत में जोड़े यथास्थिति हो।

** सिर्फ वहां अंतः स्थापित करें जहां कंपनी याचिकाकर्ता नहीं है।

टिप्पण:

1. यह उन व्यक्तियों का कर्तव्य होगा जो धारा 274(3) के अधीन समापक के आदेश की तारीख पूर्ण एवं लेखा परीक्षित कंपनी का लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए दायी हैं कि वे अनंतिम समापक से उसके द्वारा नियत समय और स्थान पर संपर्क करें तथा उन्हें वे सारी सूचना प्रदान करें जो मांगी अपेक्षित हो सके।

2. यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा जो कंपनी की किसी संपत्ति, पुस्तक या कागज-पत्र, नकद अथवा कंपनी की कोई अन्य परिसंपत्ति, उससे प्राप्त हितलाभों सहित का स्वामी हो, ऐसा व्यक्ति तुरंत ऐसी संपत्ति, पुस्तकों या कागजातों इत्यादि को अभ्यर्पित करेगा।

प्ररूप विन 12

[नियम संख्या 17(1) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

परिसमापन आदेश के बारे में कंपनी समापक को नोटिस

सेवा में

कंपनी समापक,

नाम

(पता)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ऊपर उल्लिखित कंपनी के परिसमापन के माननीय श्री द्वारा आज आदेश की उद्घोषणा की गई :

1. कंपनी का नाम
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि
4. याचिका की प्रस्तुति की तारीख

* समर्थन में फाइल की गई याचिका तथा शपथ पत्र प्रत्येक की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

तारीखअधिकरण

*काट दें, जहां याचिका तथा शपथ पत्र की प्रतियां अनंतिम समापक की नियुक्ति के आदेश के सूचना, यदि कोई हो, सहित कंपनी के समापक को भेजी गई है।

टिप्पण : यह ऐसे व्यक्तियों को कर्तव्य होगा जो धारा 274(3) के अधीन समापक के आदेश की तारीख तक और लेखा परीक्षित कंपनी का लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए दायी हैं कि वे अनंतिम समापक से उसके द्वारा नियत समय और स्थान पर संपर्क करें और उन्हें वे सारी सूचना प्रदान करें जो उसके द्वारा मांगी जाए।

प्ररूप विन 13

[नियम संख्या 17 (1) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

परिसमापन आदेश के कंपनी के रजिस्ट्रार को नोटिस

सेवा में

कंपनी रजिस्ट्रार,

(पता)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ऊपर उल्लिखित कंपनी के परिसमापन के लिए माननीय श्री के द्वारा आज के आदेश की उद्घोषणा की गई:

1. कंपनी का नाम
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि
4. याचिका की प्रस्तुति की तारीख

* समर्थन में फाइल की गई याचिका तथा शपथ-पत्र प्रत्येक की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

तारीखअधिकरण

*काट दें, जहां याचिका तथा शपथ पत्र की प्रतियां अनंतिम समापक की नियुक्ति के आदेश की सूचना, यदि कोई हो, सहित कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजी गई है।

टिप्पण :

1.यह उन व्यक्तियों का कर्तव्य होग जो धारा 274(3) के अधीन समापक के आदेश की तारीख पूर्ण तक लेखा परीक्षित कंपनी का लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए दायी हैं कि वे अनंतिम समापक से उसके द्वारा नियत समय एवं स्थान पर संपर्क करें तथा उन्हें वे सारी सूचना प्रदान करें जो उसके द्वारा मांगी जाए।

2. सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, रजिस्ट्रार ऐसे आदेश का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होती हैं।

प्ररूप विन 14

[नियम संख्या 20 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

20 की कंपनी संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

परिसमापन आदेश का नोटिस

उपर्युक्त मामले में 20..... की तारीख को अधिकरण द्वारा किए गए एक आदेश के अधीन, यह आदेश दिया गया था कि उपर्युक्त नाम की कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013..... के उपबंधों के अधीन परिसमापन किया जाएगा।

तारीख याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि

प्ररूप विन 15

[नियम संख्या 24 देखें]

IndiaCode

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

कंपनी याचिका सं. 20का.....

आवेदन सं. 20.....का

आवेदक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279(1) के अधीन किसी वाद या कार्यवाही को प्रारंभ करने अथवा जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन

आवेदक (आवेदक का पूरा नाम, ब्यौरा, व्यवसाय तथा पता) के आवेदन में यह दर्शाया गया है कि:

1. सभी नोटिसों, प्रक्रियाओं इत्यादि के लिए आवेदक/उसके प्रतिनिधि का पता है, श्री..... निवासी

2. कंपनी को जिसका नाम है (इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कही जाएगी) को (कंपनी अधिनियम, 2013) के अधीन 20..... के माह..... में शेयरों द्वारा परिसीमित/गारंटी द्वारा परिसीमिति एक सार्वजनिक (प्राइवेट) कंपनी/अपरिसीमित कंपनी के रूप में निगमित किया गया।

3. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अवस्थित है।

4. कंपनी की अभिहित पूंजी रु. है जो के प्रत्येक शेयरों में विभाजित है। संदत्त पूंजी या संदत्त के रूप में जमा की गई पूंजी की राशि रु. है (अथवा जैसा भी मामला हो)।

5. कंपनी के परिसमापन अथवा अनंतिम समापक की नियुक्ति की तारीख के आदेश को अधिकरण द्वारा पारित कर दिया गया है।

6. आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279(1) के अधीन वाद (अथवा कार्यवाही) को प्रारंभ करने (अथवा जारी रखने) की अनुमति के लिए एतदद्वारा आवेदन करता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

20..... की तारीख

आवेदक

IndiaCode

प्ररूप विन 16

[नियम संख्या 25(1) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

धारा 281(1) के अधीन कंपनी समापक की रिपोर्ट

कंपनी समापक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 281(1) के अनुसरण में अधिकरण को निम्नानुसार एतदद्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:-

1. पूंजी : कंपनी की अभिहित पूंजी रु. है जो रु. प्रत्येक के..... शेयरों में विभाजित है।

शेयरों की जारी कुल संख्या और पूर्णतः संदत्त शेयरों की जारी संख्याहै और आबंटित..... शेयर तथा नकद हेतु अभिदत्त तथा पूर्णतः आहूत शेयर [अथवा जिस पर प्रतिशेयर रु. की मांग की गई है, शामिल हैं।] चुकाई नहीं गई राशि रु. है।

2. आस्तियां : में अवस्थित कंपनी की परिसंपत्ति का मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता (यथास्थिति)..... रु. किया गया है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं रखी गई परिसंपत्तियां :

(1) हाथ में नकदी रु.

बैंक में नकदी रु.

परक्राम्य प्रतिभूतियां रु.

(2) अभिदायियों से देय ऋण रु.

(3) कंपनी को देय उधार उस व्यक्ति का (नाम, पता और व्यवसाय जिससे राशि देय है और जिससे इस राशि की वसूली की जानी है)

(क) प्रतिभूत

उपलब्ध प्रतिभूतियां :

[प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्तियों का ब्यौरा दें, क्या प्रतिभूति कंपनी अथवा अधिकारी द्वारा दी गई, उसका मूल्य तथा देने की तारीख]

(ख) अप्रतिभूत

(4) कंपनी द्वारा दी गई गारंटी, यदि कोई हो, रु.

(5) जंगम एवं स्थावर संपत्ति :

(क) जंगम संपत्ति

(i) व्यापार स्टॉक रु.

(ii) अन्य जंगम संपत्ति (ब्यौरा दें) रु.

(ख) स्थावर संपत्ति (ब्यौरा दें) रु.

(6) असंदत्त मांग रु.

(7) अभिदायियों की सूची तथा उनके द्वारा अदा किए जाने वाले देय राशि, यदि कोई हो: ... रु.

(8) कंपनी के स्वामित्व वाला व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) तथा बौद्धिक परिसंपत्ति, यदि कोई हो, का ब्यौरा

(9) अन्य परिसंपत्तियां

विशेष रूप से गिरवी रखी गई परिसंपत्तियां हैं: रु.

(1) पूर्णतः प्रतिभूत लेनदारों द्वारा धारित परिसंपत्तियां (ब्यौरा दें) रु.

(2) आंशिक रूप से प्रतिभूत लेनदारों द्वारा धारित परिसंपत्तियां (ब्यौरा दें) रु.

3. दायित्व : कंपनी के दायित्व को रु. की राशि के रूप में वापस किया जाता है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पूर्णतः प्रतिभूत लेनदाररु.

(2) आंशिक रूप से प्रतिभूत लेनदार रु.

(3) अधिमानी लेनदार रु.

(4) डिबेंचर धारक रु.

(5) अप्रतिभूत लेनदार रु.

4. विद्यमान संविदाओं, संयुक्त उद्यम तथा सहयोग, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

5. नियंत्री तथा सहायक कंपनियों, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

6. कंपनी के द्वारा या के विरुद्ध फाइल किए गए विधिक मामलों, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

7. असफल होने के कारण के व्यवसाय के संचालन हेतु कंपनी का गठन किया गया। कंपनी समापक की राय में कंपनी की असफलता का कारण है।

8. कोई अन्य सूचना जो अधिकरण निदेश दे या कंपनी समापक शामिल करना आवश्यक समझे।

9. कंपनी को संबंधित या गठित होने का तरीका तथा कंपनी समापक की यह राय है कि कंपनी के संवर्धन या निर्माण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई कपट किया गया है/नहीं किया गया है।

20..... की तारीख.....

कंपनी समापक

IndiaCode

प्ररूप विन 17

[नियम संख्या 28(2) देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

अभिदायियों की अनंतिम सूची

उपर्युक्त के निम्नलिखित सदस्यों की एक सूची जिसे मैंने उक्त कंपनी की पुस्तकों और कागजातों में से उक्त कंपनी के अभिदायियों सूची में उनके तत्संबंधी पतों और प्रत्येक को दिए गए शेयरों की संख्या (या हित का परिमाण सहित) और ऐसे शेयरों के संबंध में मांगी गई राशि और समाप्त राशि (या हित) के लिए तैयार किया है, जहां तक मुझे जानकारी मिल पाई है या पता चला है।

सूची के पहले भाग में उन व्यक्तियों के नाम वर्णित किए गए हैं जो स्वयं के अधिकार के अभिदायी हैं।

सूची के दूसरे भाग में उन व्यक्तियों के नाम वर्णित किए गए हैं जो प्रतिनिधि के रूप में अभिदायी हैं या अन्य व्यक्तियों के ऋण के लिए देनदार हैं।

प्रथम भाग

अपने स्वयं के अधिकार के अभिदायी

क्र.सं.	नाम तथा विवरण	पता	शेयरों की संख्या या हित का परिमाण	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को मांगी गई राशि	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख की समाप्त राशि
1	2	3	4	5	6

दूसरा भाग

प्रतिनिधियों के रुप में या अन्य व्यक्तियों के ऋण के लिए देनदार के रूप में अभिदायी

क्र.सं.	नाम और वर्णन	पता	किस स्वरूप में शामिल किया गया है	शेयरों की संख्या या हित का परिमाण	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को मांगी गई राशि	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख की समाप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7

ह./-

कंपनी समापक

प्ररूप विन 18

[नियम संख्या 29(1) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

.....याचिकाकर्ता

अभिदायियों की सूची के परिनिर्धारण के लिए अभिदायियों को तारीख नियत करने का नोटिस

सेवा में

.....

.....

नोटिस दी जाती है कि मैं..... उपर्युक्त कंपनी समापक, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में उपर्युक्त कंपनी के अभिदायियों की सूची जिसे मेरे द्वारा तैयार किया गया है और आपका नाम इस सूची में शामिल किया गया है को नियत करने के लिए मेरे कार्यालय में बजे के पूर्वाहन/ अपराहन में तारीख को दिन नियत किया गया है। शेयरों (या हित परिमाण) सरोकार संख्या जिसके लिए आप को शामिल किया गया है और प्रत्येक शेयर या हित के संबंध में मांगी गई राशि और समाधान राशि का विवरण नीचे किया गया है यदि आप उपर्युक्त समय और स्थल पर विरोधी पक्ष को कोई पर्याप्त कारक नहीं बताते हैं तो उस सूची जिसमें आपका नाम शामिल है मैं उल्लिखित आपको उक्त सूची के अनुसार नियत किया जाएगा।

सूची सं.	नाम और ब्यौरा	पता	किस स्वरूप में शामिल किया गया	शेयरों की संख्या या हित की परिमाण	परिसमापन अवधि के प्रारंभ होने की तारीख को मांगी गई राशि	परिसमापन अवधि के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7

तारीखदिवस20

ह./-

कंपनी समापक

टिप्पण :-

1. अभिदायी कंपनी समापक के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है यदि उनका समाधान हो जाता है कि सूचना में अंतर्वलित विशिष्टियाँ सही है।

2. शेयरधारक का नाम अभिदायियों की सूची में से इस आधार पर लोप नहीं जा सकता है कि वह कॉल का संदाय करने में असमर्थ रहा है, इस मुद्दे का निपटान उस समय किया जाएगा जब कॉलों को संदाय करने के लिए आवेदन किया जाएगा।

3. सूची का परिनिर्धारण करने के लिए नियत की गई तारीख से पूर्व पते के परिवर्तन का नोटिस डाक द्वारा दी जाएगी।

प्ररूप विन 19

[नियम संख्या 29 (2) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका सं.

..... याचिकाकर्ता

अभिदायियों की सूची का परिनिर्धारण करने के लिए तारीख नियत करने हेतु सूचना देने का शपथ पत्र

मैं, (नाम और वर्णन) सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नलिखितानुसार यह कहता हूं:-

1. कि, मैंने तारीख को कंपनी समापक द्वारा अभिदायियों की तैयार की गई अनंतिम सूची में उल्लिखित प्रत्येक अभिदायी को, और जिसका नाम उपर्युक्त कंपनी की कार्यवाही की फाइल में अब शामिल है, उक्त सूची में उल्लिखित अभिदायियों की सूची का निर्धारण करने के लिए नियत समय और स्थान का नोटिस, इसके साथ संलग्न प्ररूप में चिह्नित "क", में ऐसी प्रतियों को सारणीबद्ध रूप में भेजा है को छोड़कर जिसमें मैंने अभिदायी की संख्या, नाम और ब्यौरा, पता, जिस रूप में यह शामिल है, का उल्लेख करते हुए उक्त व्यक्ति जिसे यह नोटिस जारी की गई थी, की शेयरों की संख्या (या हित का परिमाण) शेयरों की मांगी गई राशि और भुगतान की गई राशि (या हित) के संबंध में सूचना की एक प्रति जारी की थी।

2. कि मैंने उक्त दिन तारीख को बजे से पहले डाकघर/स्पीड पोस्ट द्वारा ही संदत्त नोटिस भेजा था और डाकघर से इस संबंध में इसके साथ संलग्न डाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है*।

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि आदि करता हूं।

अभिसाक्षी

*संलग्न किया जाए।

प्ररूप विन 20

[नियम संख्या 30 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी)

20.....की याचिका सं.

.....याचिकाकर्ता

तारीख

अधिकरण द्वारा यथा परिनिर्धारण अभिदायियों की सूची

उक्त कंपनी के अभिदायियों की सूची के परिनिर्धारण का परिणाम, जिसे उक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा तारीख को तैयार किया गया था और अधिकरण में फाइल किया गया था, जहां तक उक्त सूची का इस प्रमाणपत्र की तारीख तक परिनिर्धारण किया गया है, निम्नानुसार है:-

1. व्यक्ति जिनके नाम प्रथम अनुसूची के दूसरे स्तंभ में दर्शाए गए हैं, को अब से उक्त अनुसूची में क्रमश: ऐसे अभिदायियों के नाम के सामने शेयरों की संख्या (या हित का परिमाण) के संबंध में उक्त कंपनी के अभिदायियों के रूप में अभिदायियों की उक्त सूची में शामिल किया गया है।

2. उक्त अनुसूची के पहले भाग में उक्त कई व्यक्तियों को अपने स्वयं के अधिकार के व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।

3. उक्त अनुसूची के दूसरे भाग में कई व्यक्त्यिों के नाम वर्णित किए गए हैं जो प्रतिनिधि के रूप में अभिदायी हैं या अन्य व्यक्तियों कं ऋण के लिए देनदार हैं।

4. कई व्यक्ति जिनके नाम दूसरी अनुसूची के दूसरे स्तंभ में वर्णित किए गए हैं, उन्हें अब से अभिदायियों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है और अभिदायियों की दूसरी सूची में से निकाल दिया गया है।

5. पहली अनुसूची के प्रथम भाग के पांचवे स्तंभ और दूसरे भाग के छठे स्तंभ में और दूसरी अनुसूची के छठे स्तंभ में तारीख सहित अभिदायियों की उक्त सूची में शामिल अथवा अपवर्जित ऐसे व्यक्तियों के वर्णित नाम क्रमश: प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने दर्शाए गए हैं।

6. पहली अनुसूची के प्रथम भाग के छठे और सातवें स्तंभ और दूसरे भाग के सातवें और आठवें स्तंभ में क्रमश: अभिदायियों के शेयरों (या हित) के संबंध में परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को मांगी गई राशि और उस तारीख को उनकी समादत्त राशि का ब्यौरा प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने वर्णित किया गया है।

ऊपरनिर्दिष्ट प्रथम अनुसूची

प्रथम भाग

अपने स्वयं के अधिकार के अभिदायी

क्रम संख्या	नाम और ब्यौरा	पता	शेयरों की संख्या या हित परिमाण	तारीख जब सूची में शामिल हैं	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को मांगी गई राशि	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7

दूसरा भाग

प्रतिनिधि के रूप में अभिदायी या अन्य व्यक्तियों के ऋण के लिए उत्तरदायी देनदार

क्रम संख्या	नाम और ब्यौरा	पता	किस स्वरूप में शामिल किया गया	शेयरों की संख्या या हित परिमाण	तारीख जब सूची में शामिल किया गया	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को मांगी गई राशि	परिसमापन अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

ऊपर निर्दिष्ट दूसरी अनुसूची

क्रम सं.	नाम और ब्यौरा	पता	किस स्वरूप में शामिल किया जाना	शेयरों की संख्या या हित का	तारीख कब सूची में से निकाला

			प्रस्तावित है	परिमाण	गया
1	2	3	4	5	6

तारीख.....दिवस20

रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

प्ररूप विन 21

[नियम संख्या 31 (1) देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

.....याचिकाकर्ता

अभिदायियों की सूची के अंतिम निपटान तथा उसका नाम शामिल किए जाने के लिए अभिदायियों को नोटिस

सेवा में,

.....

.....

इस बात का नोटिस लें कि मैंने..... उपरोक्त कंपनी का कंपनी समापक ने मेरे हाथ से तारीख..... 20..... के प्रमाण-पत्र द्वारा उक्त कंपनी के अभिदायियों की सूची का अंतिम निपटान कर दिया है और यह कि आप उक्त सूची में शामिल है। उन शेयरों की संख्या [*अथवा* हित की सीमा] और विशिष्टता जिसके लिए आपको शामिल किया गया है तथा इन शेयरों [*अथवा* हित] के संबंध में मांगी गई और प्रदत्त राशि का नीचे कथित किया गया है।

आपके द्वारा अभिदायियों की उक्त सूची में किसी अंतर अथवा आपका नाम छोड़े जाने के लिए कोई आवेदन आपके द्वारा इस नोटिस को दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष पेश किया जाना अवश्य किए जाए। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उक्त सूची का आपके द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में कार्य समय के दौरान किसी भी दिन निरीक्षण किया जा सकता है।

तारीख..... 20.....

(हस्ता.)

कंपनी समापक

सूची संख्या	नाम और ब्यौरा	पता	किस स्वरूप में सम्मलित किया गया है	शेयरों या हित की सीमा की संख्या	समाप्त किए जाने की तारीख प्रारंभ होने पर मांगी	समाप्त किए जाने की तारीख प्रारंभ होने पर प्रदत्त राशि

					गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7

कंपनी समापक

प्ररूप विन 22

[नियम संख्या 31(2) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

अभिदाय को नोटिस दिए जाने संबंधी शपथपत्र

मैं,..... (अभिसाक्षी का नाम और वर्णन) इस बात की पुष्टि करता हूं तथा निम्नानुसार व्यक्त कहता हूं किः-

1. मैंने..... तारीख.....20..... को नीचे उल्लखित किए गए रीति से अब तैयार किए गए और मुझे दर्शाए गए तथा उन प्रत्येक संबंधित व्यक्तियों जिनके नाम, वर्णन और पते तारीख 20..... को उक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा निपटाए गए उक्त कंपनी के अंशदायी की सूची की प्रथम अनुसूची के दूसरे और तीसरे स्तंभ में "क" के रूप में दर्शाए गए हैं और जो अब उक्त कंपनी की कार्यवाही मिसिल पर हैं कि सत्यापित प्रति भेजी है। तालिका के रूप में इन प्रतियों के नीचे क्रमशः मैंने सूची, नाम, ब्यौरा, पता जिसमें विशिष्टता शामिल की जानी है, की संख्या शामिल की है। उस व्यक्ति के संबंध में शेयर [*अथवा* ब्याज] के संबंध में शेयर की संख्या [*अथवा* ब्याज की सीमा] और मांगी गई तथा प्रदत्त राशि को उन्हीं शब्दों और अंकों में दर्शाया है जिनमें उक्त अनुसूची में इन विवरणों को नियत किया गया है।

2. मैंने इस बात की तामील की है कि संबंधित व्यक्तियों को उनके नाम और उक्त अनुसूची में पाए जाने वाले पतों के अनुसार को रजिस्ट्रार डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा..... डाकघर में तारीख..... को इन व्यक्तियों को समुचित रूप से उक्त नोटिस की प्रतियां भेजी गई थीं और इस संबंध में उक्त डाकघर से डाक प्राप्ति एवं पावती की प्रतियां संलग्न है। निम्नलिखित मामलों में या तो नोटिस बिना पाए हुए वापस भेजे गए थे अथवा नोटिस न तो वापस भेजे गए और न ही पावती प्राप्त हुईः-

सूची संख्या	व्यक्ति का नाम	जहां नोटिस बिना पाए हुए वापस भेजे गए। जहां नोटिस न तो वापस भेजे गए और न ही पावती प्राप्त हुई

पुष्टि करता हूँ, इत्यादि

अभिसाक्षी

प्ररूप संख्या विन 23

[नियम संख्या 37(1) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

धारा 287(3) के अंतर्गत लेनदार और अभिदायियों की बैठकों के परिणाम संबंधी रिपोर्ट

मैंने..... (नाम), अधिकरण का कंपनी समापक तथा लेनदार और अभिदायियों की धारा 287(3) के अंतर्गत आयोजित बैठकों का अध्यक्ष उक्त बैठकों के परिणाम सूचित करता हूँ-

1. ऊपर उल्लिखित कंपनी के लेनदार की एक बैठक तारीख20..... को (समाचार-पत्र अथवा समाचार पत्रों) में विज्ञापित की गई थी और तारीख20..... को पर आयोजित की गई थी। मैं उक्त बैठक का अध्यक्ष था।

2. उक्त बैठक में उन लेनदारों द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लिया गया था जिनके उक्त कंपनी के विरूद्ध ऋण के साक्ष्य मतदान के उद्देश्य से स्वीकार किए गए थे, जो कि रुपए के समग्र मूल्य के थे।

3. लेनदान की उक्त बैठक का विषय था कि क्या वे इस बात के इच्छुक है कि कंपनी के समापक के साथ कार्य करने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाए और यदि ऐसा है तो सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे।

4. उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया है (*अथवा* निम्नानुसार मतदान के परिणामस्वरूप) कि निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए सलाहकार समिति होनी चाहिए:-

(यहां सदस्यों के नाम बताएं)

[अथवा उक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार मतदान के परिणाम]

5. उपरोक्त कंपनी के अभिदायियों की एक बैठक तारीख.....20..... को (यहां समाचार-पत्र अथवा समाचार-पत्रों का नाम प्रविष्ट करें) में विज्ञापन द्वारा बुलाई गई थी और इसे लेनदार की बैठक के उपरोक्त निर्णय पर विचार करने तथा इस बात पर अभिदायियों का दृष्टिकोण व्यक्त करना कि सलाहकार समिति के सदस्य कौन होने चाहिए, के उद्देश्य से तारीख20..... को में आयोजित की गई थी। मैं उक्त बैठक का अध्यक्ष था।

6. उक्त बैठक में उक्त कंपनी के समग्र..... शेयर धारी अभिदायियों और मत के पात्र व्यक्तियों द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लिया।

7. उक्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्नानुसार संकल्प लिया गया है (अथवा नीचे नियत मतदान के परिणामस्वपरूप):-

[यहां संकल्प अथवा संकल्पों का उल्लेख करें]

मतदान के परिणाम

संकल्प	संकल्पों पर मतदान			
		के लिए		के विरूद्ध
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
किसी संकल्प के विषय का उल्लेख करें और समिति के सदस्यों (यदि कोई हो) का नाम दें तथा उनके साक्ष्य की				

राशि यदि लेनदार, अथवा शेयर (यदि अभिदायियों) हैं।				
लेनदार	संख्या	शेयर मत	संख्या	शेयर/मत
अभिदायियों.....				

हस्ता./-.....

कंपनी समापक और अध्यक्ष

प्ररूप विन 24

विज्ञापन का प्ररूप [नियम संख्या 37 (3) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

आवेदन संख्या.....20.....

लेनदार तथा अभिदायियों को नोटिस

जबकि उपरोक्त कंपनी के अभिदायियों की धारा 287(3) के अंतर्गत आयोजित बैठक में लेनदारों की सलाहकार समिति की संरचना के संबंध में आयोजित बैठक के निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया है, इस आशय का नोटिस दिया जाता है कि कंपनी विनियामक द्वारा धारा 287(3) के अंतर्गत अधिकरण के दिशा-निर्देश हेतु अधिकरण को एक आवेदन दिया गया है कि इसके सदस्य कौन होंगे तथा उक्त आवेदन को अधिकरण द्वारा तारीख20..... को बजे दोपहर को सुना जाएगा जबकि उपरोक्त कंपनी का कोई भी लेनदार अथवा अभिदायियों जो सुनवाई का इच्छुक है, प्रस्तुत हो सकता है तथा उक्त मामले में अपनी इच्छा के अनुसार अधिकरण के समक्ष ऐसा अभ्यावेदन दे सकता है।

तारीख20.....

.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 25

विज्ञापन का प्ररूप

[नियम संख्या 45 (3) देखें]

IndiaCode

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, 2013..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

धारा 287(3) के अंतर्गत लेनदार और अभिदायियों की बैठक का नोटिस

तदनुसार सूचना दिया जाता है कि

(1) उपरोक्त नामक कंपनी के लेनदारों की एक बैठक यह अवधारित करने के लिए तारीख.....20..... पर बजे..... दोपहर (स्थान) पर आयोजित की जाएगी उसके बारे में समिति के सदस्य कौन होंगे।

टिप्पण: किसी लेनदार को उपरोक्त लेनदार बैठक में मतदान का पात्र होने के लिए उसे कंपनी के विनियामक के पास तारीख20..... कोबजे..... दोपहर..... से पहले अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त नामक कंपनी के अभिदायियों की एक बैठक लेनदार की उक्त बैठक के निर्णय पर विचार करने और अंशदायी का इस बात के प्रति मत व्यक्त करने की सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे, पर विचार करने के लिए तारीख.....20..... पर बजे..... दोपहर (स्थान) एक बैठक आयोजित की जाएगी।

सबूत प्ररूपों और साधारण एवं विशेष प्रतिनिधि प्रपत्र कंपनी समापक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रतिनिधि को कंपनी समापक के पास तारीख20..... कोबजे..... दोपहर..... से पहले प्रतिनिधियों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

तारीख.....20..... कंपनी समापक

[कंपनी के मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है (अथवा प्रस्तुत कर दिया गया है और विहित फीस के भुगतान पर कार्य समय के दौरान इसका कंपनी समापक के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है)]

*नियत तारीख लेनदार की बैठक के चौदह दिन के भीतर होनी चाहिए।

प्ररूप विन 26

लेनदारों को वैयक्तिक सूचना का प्ररूप

[नियम संख्या 45(3) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

धारा 287(5) के अधीन लेनदार की बैठक का नोटिस

सेवा में,

इस बात का नोटिस लें कि उपरोक्त नामक कंपनी के लेनदारों की एक बैठक नीचे उल्लिखित प्रयोजन से तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर को (स्थान) पर आयोजित की जाएगीः

कार्यसूची

यह अवधारित करना कि सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे।

आपको मतदान के लिए पात्र होने के लिए कंपनी के समापक के पास तारीख20..... को बजे..... दोपहर को तक अपना साक्ष्य जमा करवाएं।

कंपनी के कार्य का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है [*अथवा* प्रस्तुत कर दिया गया है और विहित फीस के भुगतान पर कार्य समय के दौरान इसका कंपनी के समापक कार्यालय पर निरीक्षण किया जा सकता है]।

साक्ष्य और सामान्य तथा विशेष प्रतिनिधि के प्ररूप इसके साथ संलग्न है। बैठक में आने वाले प्रतिनिधि को कंपनी समापक के पास तारीख20..... को बजे..... दोपहर को तक अपना साक्ष्य जमा करवाना होगा।

तारीख.....20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 27

अभिदायियों को वैयक्तिक नोटिस

[नियम संख्या 45(3) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 287(5) के अंतर्गत अभिदायियों की बैठक का नोटिस

सेवा में,

इस बात का नोटिस लें कि उपरोक्त नामक कंपनी के अभिदायियों की एक बैठक नीचे उल्लिखित प्रयोजन से तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर को (स्थान) पर आयोजित की जाएगीः

कार्यसूची

यह अवधारित करने कि सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे और उक्त मामले पर अभिदायियों के विचार व्यक्त करने के लिए तारीख20..... को आयोजित उक्त कंपनी के लेनदार की बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार करना।

कंपनी के कार्य का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है [*अथवा* प्रस्तुत कर दिया गया है और विहित फीस के भुगतान पर कार्य समय के दौरान इसका कंपनी के समापक कार्यालय पर निरीक्षण किया जा सकता है]।

साक्ष्य एवं साधारण और विशेष प्रतिनिधि के प्ररूप यहां इसके साथ संलग्न है। बैठक में आने वाले प्रतिनिधि को कंपनी समापक के पास तारीख20..... को बजे..... दोपहर को तक अपना साक्ष्य जमा करवाना होगा।

तारीख.....20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 28

वैयक्तिक नोटिस का प्ररूप

IndiaCode

[नियम संख्या 45(3) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

बैठक का नोटिस (साधारण प्ररूप)

सेवा में,

.....उक्त कंपनी के

..... लेनदार (अथवा अभिदायियों)

इस बात का नोटिस लें कि उपरोक्त मामले में लेनदार [अथवा अभिदायियों] की एक बैठक तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर को (स्थान) पर आयोजित की जाएगी।

कार्यसूची

[यहां उस प्रयोजन का उल्लेख करें जिसके लिए बैठक बुलाई गई है]।

साधारण तथा विशेष प्रतिनिधि के प्ररूप यहां इसके साथ संलग्न है। बैठक में आने वाले प्रतिनिधि को कंपनी समापक के पास तारीख20..... को बजे..... दोपहर को तक अपना साक्ष्य जमा करवाना होगा।

तारीख.....20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 29

विज्ञापन का प्ररूप

[नियम संख्या 45 (3) देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

बैठक का नोटिस (साधारण प्ररूप)

इस बात का नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त मामले में लेनदार [अथवा अभिदायियों] की एक बैठक तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर को (स्थान) पर आयोजित की जाएगी।

कार्यसूची

[यहां उस प्रयोजन का उल्लेख करें जिसके लिए बैठक बुलाई गई है]।

साधारण तथा विशेष प्रतिनिधि के प्ररूप कंपनी समापक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठक में आने वाले प्रतिनिधि को कंपनी समापक के पास तारीख20..... को बजे..... दोपहर को तक अपना साक्ष्य जमा करवाना होगा।

तारीख.....20.....

IndiaCode

कंपनी समापक

प्ररूप विन 30

[नियम संख्या 47 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

लेनदार अथवा अभिदायियों की बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी के अधिकारियों को नोटिस

सेवा में,

.....

.....

इस बात का नोटिस लें कि लेनदार [अथवा अभिदायियों] की एक बैठक [प्रथम] तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर को (यहां उस स्थान का उल्लेख करें जहां बैठक आयोजित की जाएगी) पर आयोजित की जाएगी और आपको इसमें भाग लेना और बैठक द्वारा यथा आवश्यक जानकारी देना अपेक्षित है।

तारीख.....20.....

IndiaCode

कंपनी समापक

प्ररूप विन 31

[नियम संख्या **48** देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

बैठक का नोटिस लगाने संबंधी शपथपत्र

मैं,..... (नाम और विवरण) इस बात की पुष्टि करता हूं तथा निम्नानुसार व्यक्त करता हूं कि:-

1. मैंने चिन्हित प्ररूप में तथा "क"*(और "ख") में लेदनरों (और अभिदायियों) की (संगत) बैठक (बैठकों) के समय और स्थान का नोटिस कंपनी के कार्य विवरण में उल्लिखित प्रत्येक लेनदार [और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित प्रत्येक अभिदायियों को] को तारीख.....20..... भेजा था।

2. लेनदारों के लिए सूचनाओं उनके सबूत अथवा कार्य विवरण अथवा कंपनी की पुस्तकों में दर्शाए गए नाम और पते अथवा इन लेनदारों के ज्ञात अंतिम पते के अनुसार भेजे थे [और अभिदायियों के मामले में सूचना कंपनी के रजिस्टर में दर्ज उनके संबंधित नाम और पते के अनुसार अथवा उनके ज्ञात अंतिम पते पर भेजे गए थे]।

3. यह कि मैंने संलग्न प्ररूप में और "ग"** के रूप में चिन्हित गए प्ररूप में लेनदारों (और अभिदायियों) की (संगत) बैठक (बैठकों) के समय और स्थान का नोटिस कंपनी के नीचे उल्लिखत प्रत्येक अधिकारियों को उनके संबंधित पते पर भेजी थी।

4. यह कि मैंने उक्त दिन को बजे..... दोपहर तक डाकघर में पूर्व भुगतान करते हुए नोटिस भेजे थे।

[5. यह कि यह नोटिस तारीख..... को (यहां समाचार-पत्र का उल्लेख करें) में भी विज्ञापित किए गए थे और विज्ञापन सहित उक्त समाचार-पत्रों की प्रतियां इसके साथ संलग्न है]।

.....

अभिसाक्षी

पुष्टि इत्यादि

*भेजी गयी नोटिस का प्ररूप संलग्न किया जाएगा।

जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ा जाए।

**प्ररूप विन 32.

वहां जोड़ा जाए जहां बैठक का नोटिस विज्ञापित किया गया था।

प्ररूप विन 32

[नियम संख्या 50 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी के समापक द्वारा अध्यक्ष का नामनिर्देशन

मैं,..... उपरोक्त कंपनी का कंपनी समापक तारीख.....20..... को आयोजित की जाने वाली उपरोक्त बैठक में लेनदारों (अथवा अभिदायियों) अध्यक्ष के लिए (नाम और विवरण) को नामांकित करता हूँ और उसे बैठक में भाग लेने तथा मेरी ओर से इस मामले में धारित किसी प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों का प्रयोग करने के लिए प्रतिनियुक्ति करता हूँ।

तारीख.....20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 33

[नियम 64 (2) देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

बैठक में उपस्थित लेनदारों (अथवा अभिदायियों) की सूची

तारीख.....20..... को आयोजित बैठक

क्रमागत संख्या	लेनदार (अथवा उपस्थित अभिदायियों अथवा प्रतिनिधि) का नाम	साक्ष्य की राशि (शेयरों की संख्या के लिए तथा प्रत्येक अभिदायियों द्वारा धारित मत)	
1		व्यक्तिगत रूप से	प्रतिनिधि द्वारा
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	उपस्थित अथवा प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों (अथवा अभिदायियों) की कुल संख्या		

IndiaCode

कंपनी समापक

प्ररूप विन 34

[नियम संख्या 65 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

अधिकरण की तारीख20..... के आदेश के अंतर्गत आयोजित लेनदारों/अभिदायियों की बैठक (बैठकों) के परिणाम की रिपोर्ट

मैंने.....नाम, अधिकरण का कंपनी समापक तथा लेनदार/ अभिदायियों की तारीख.....20..... को अधिकरण के आदेश के अनुसरण में आयोजित बैठकों का अध्यक्ष उक्त बैठकों के परिणाम सूचित करता हूँ:-

1. इस अधिकरण के तारीख20..... के आदेश के अनुसरण में उपरोक्त कंपनी के लेनदारों/अभिदायियों की एक बैठक उक्त तारीख.....20..... को (समाचार-पत्र अथवा समाचार पत्रों) में विज्ञापित की गई थी और तारीख.....20..... को बजे..... दोपहर..... आयोजित की गई थी। मैं उक्त बैठक का अध्यक्ष था।

2. उक्त बैठक में उन लेनदारों द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लिया गया था जिनके उक्त कंपनी के विरूद्ध ऋण के साक्ष्य (या मतदान के प्रयोजन से) स्वीकार किए गए थे, जो कि रुपए [अथवा उक्त कंपनी के समग्र शेयरों में धारित उक्त कंपनी के अंशदायी द्वारा] के समग्र मूल्य तथा मत के पात्र थे।

3. उपरोक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्न था (थे):

[यहां बैठक में प्रस्तुत प्रश्न (प्रश्नों) का उल्लेख करें]।

4. उक्त बैठक में एक मत से यह संकल्प लिया गया है (*अथवा* निम्नानुसार मतदान के परिणामस्वरूप) कि:

[यहां बैठक में पारित संकल्प (संकल्पों) का उल्लेख करें]।

संकल्प	संकल्पों पर मतदान					
		के लिए			के विरूद्ध	
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
किसी संकल्प के विषय का उल्लेख करें पारित..... लेनदार.....						
	संख्या	शेयर	मत	संख्या	शेयर	मत
अभिदायियों.....						

तारीख.....20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 35

[नियम संख्या 67 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

साधारण प्रतिनिधि का प्ररूप

मैं/हम..... उपरोक्त नामक कंपनी के लेनदार [अथवा अभिदायियों] तारीख.....20..... को उपरोक्त मामले में आयोजित की जाने वाली उक्त कंपनी के प्रतिनिधियों [अथवा अभिदायियों] की बैठक में मेरे/हमारे लिए मतदान करने तथा मेरे/हमारी ओर से मेरे/हमारे सामान्य प्रतिनिधि के रूप में तथा उसके किसी स्थगन के लिए के को नियुक्त करता हूं।

तारीख.....20.....

हस्ता./- ए.बी.

टिप्पण:

1. कंपनी का समापक नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेनदार अथवा अभिदायियों की है और यदि कोई समापक नहीं है तो बैठक का अध्यक्ष अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

2. यदि किसी फर्म द्वारा प्रतिनिधि दिया गया है तो फर्म के व्यापार नाम पर हस्ताक्षर करें और उक्त फर्म में किसी भागीदार ए.बी. द्वारा जोड़े। यदि प्रतिनिधि किसी निगम द्वारा दिया गया है तो प्रतिनिधि प्ररूप उसकी

IndiaCode

सामान्य मुहर के अधीन अथवा इसके लिए समुचित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हाथ से दिया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. हस्ताक्षर करते हुए प्रतिनिधि प्ररूप को इसे प्रयुक्त किए जाने वाली बैठक के संचालन नोटिस में दिए गए समय के भीतर कंपनी के समापक के पास जमा करवाया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 36

[नियम संख्या 67 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

विशेष प्रतिनिधि का प्ररूप

मैं/हम..... उपरोक्त कंपनी के लेनदार [अथवा अभिदायियों] तारीख.....20..... को आयोजित की जाने वाली लेनदारों [अथवा अभिदायियों] की बैठक में मेरे/हमारे लिए मतदान करने तथा मेरे/हमारी ओर से मेरे/हमारे सामान्य प्रतिनिधि के रूप में तथा उसके किसी स्थगन के लिए के को नियुक्त करता हूं। [यहां "के लिए" अथवा "के विरूद्ध" जैसा भी मामला हो, शब्द जोड़े और विशिष्ट संकल्प का उल्लेख करें]।

तारीख.....20.....

हस्ता./- ए.बी.

टिप्पण:

1. कंपनी का समापक नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेनदार अथवा अभिदायियों की है और यदि कोई समापक नहीं है तो बैठक का अध्यक्ष अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

2. यदि किसी फर्म द्वारा प्रतिनिधि दिया गया है तो फर्म के व्यापार नाम पर हस्ताक्षर करें और उक्त फर्म में किसी भागीदार ए.बी. द्वारा जोड़े। यदि प्रतिनिधि किसी निगम द्वारा दिया गया है तो प्रतिनिधि प्ररूप उसकी सामान्य मुहर के अधीन अथवा इसके लिए समुचित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हाथ से दिया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. हस्ताक्षर करते हुए प्रतिनिधि प्ररूप को इसे प्रयुक्त किए जाने वाली बैठक के संचालन सूचना में दिए गए समय के भीतर कंपनी के समापक के पास जमा करवाया जाना चाहिए।

4. जहां प्रतिनिधित्व देने वाला व्यक्ति किसी संशोधन पर जिसे लाया जा सकता है अथवा यथास्थिति, के संबंध में मतदान संबंधित दिशा-निर्देश देने का इच्छुक हो, ऐसे दिशा-निर्देशों को यदि अपेक्षित हो तो, प्रतिनिधित्व नोट किया जा सकता है।

प्ररूप विन 37

[नियम संख्या 76 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

IndiaCode

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

धारा 288(1) के अधीन परिसमापन की कार्यवाही के संबंध में तिमाही रिपोर्ट

मैं..... (नाम), उपरोक्त कंपनी का कंपनी समापक धारा 288(1) के अनुसरण में इस तिमाही के दौरान परिसमापन की प्रगति सूचित करता हूं:-

1. तिमाही के दौरान, आयोजित बैठकों का विवरणः-

 (क) बैठकों की संख्याः

 (ख) तारीखः

 (ग) अभिदायियों/लेनदार/सदस्यों की बैठक

 (घ) कार्यसूची

2. बैठकों में लिया गया निर्णय

3. परिसमापन की कार्यवाही के लिए कंपनी समापक द्वारा उठाए गए कदम।

4. परिसमापन के लिए लंबित कार्रवाई।

5. सूचित किए जाने के लिए आवश्यक कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना।

(हस्ता/-)

.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 38

[नियम संख्या 78 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नामः..... लिमिटेड

द्वारा प्रतिनिधित्व..... (कंपनी के समापक की सहायता के लिए नियुक्त वृत्तिक)

धारा 291 के अधीन हितों का मतभेद अथवा स्वतंत्रता के अभाव के प्रकटन की घोषणा

मैं.....सुपुत्र..... निवास..... को इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी समापक के कर्तव्य और कार्यों के निष्पादन में उस की सहायता करने के लिए तारीख..... के कंपनी समापक के पत्र द्वारा नियुक्त किया गया है।

मैं इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूं कि मेरा उपरोक्त नामक कंपनी के कंपनी समापक के सहायक के रूप में मेरी नियुक्ति के संबंध में कोई हितों का मतभेद/स्वतंत्रता का अभाव नहीं है।

अथवा

मैं इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूं कि मेरा उपरोक्त कंपनी में निम्नलिखित हित है जो मेरे कर्तव्यों के संबंध में मेरी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

और मैं यह घोषणा सही मानते हुए करता हूं।

IndiaCode

तारीख.....20..... को पर मेरे समक्ष पुष्टि और घोषणा की गई।

नियुक्त पेशेवर

प्ररूप विन 38क

[नियम संख्या 80 देखें]

परिसमापन रजिस्टर

20 की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

याचिकाकर्ता का नाम

प्रतिनिधित्व श्री के द्वारा

परिसमापन अभिवेदन के लिए याचिका प्रस्तुत करने की तारीख	अनंतिम समापक की नियुक्ति आदेश की तारीख यदि कोई हो,	परिसमापन आदेश की तारीख	स्तंभ 2 और 3 में आदेश को कंपनी समापक को सूचित करने की तारीख	कंपनी की लेखा पुस्तकें और दस्तावेज और आस्तियां को कब्जे में लेने की तारीख	तारीख जब सूचना, यदि कोई हो, कंपनी के अधिकारियों को कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया था	कार्य विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	धारा 281(1) के अधीन कंपनी समापक द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट की तारीख	नियम 38(3) के अधीन निर्देश के लिए आवेदन की तारीख और उस आवेदन पर आदेश की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

यदि कोई परामर्श समिति की नियुक्ति की गई है, नियुक्ति की तारीख	धारा 281(4) के अतंर्गत कंपनी समापक द्वारा आगे रिपोर्ट, यदि कोई हो, दर्ज किये जाने की तारीख	सार्वजनिक परीक्षण यदि कोई हो, की तारीख	कंपनी के प्रवर्तकों और अधिकारियों के विरूद्ध अपकरण समन यदि कोई हो, की तारीख	कंपनी के विरूद्ध दावा प्रमाण दाखिल करने के लिए नियत की गई तारीख	ऋणदाताओं की सूची के शोधन की तारीख	अभिदायियों की अनंतिम सूची दाखिल करने की तारीख	अभिदायियों की अनंतिम सूची के शोधन की तारीख	तारीख और बोली की दर, यदि कोई हो दर की तारीख
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

अधिकरण में कंपनी समापक लेखे फाइल	लाभांश की दरें और तारीख (क्या अधिमानी	शेयरपूंजी के प्रतिफल की दर एवं तारीख	धारा 352(1) के अंतर्गत अदावाकृत लाभांश या अवितरित	कंपनी के परिसमापन आदेश की तारीख	कंपनी रजिस्ट्रार के पास परिसमापन आदेश जारी	धारा 352(2) के अंतर्गत अनुसूचित बैंक में अदावाकृत लाभांश या	तारीख और कंपनी का लेखा एवं कागजातों	टिप्पणियां

करने की तारीख	या सामान्य है), उल्लेख करें		आस्तियों को जमा करने की तारीख		की तारीख	अवितरित आस्तियों को जमा कराने की तारीख	के निपटान का तरीका	
19	20	21	22	23	24	25	26	27

आस्तियां

क. 1. नकदी

2. बैंको में शेष

3. निवेश

(क) सरकारी प्रतिभूतियां

(ख) अन्य निवेश

ख. स्थावर संपत्तियां

*क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	प्राक्कलित मूल्य
1	2	3

IndiaCode

ग. अन्य संपत्ति

*क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	अनुमानित मूल्य
1	2	3

घ. ऋण की अनुमानित राशि और वसूल किया जाने वाला बकाया – रु.

ऋण की अनुमानित राशि और अदा किए जाने वाले दायित्व – रु.

ङ ऋण की राशि और वसूल किया जाने वाला बकाया (कृपया क्रमिक योग दें)

6 महीने के पश्चात्	12 माह के पश्चात्	18 माह के पश्चात्	24 माह के पश्चात्
1	2	3	4

च. परिसमापन में लागत और खर्चें

6 महीने के पश्चात्	12 माह के पश्चात्	18 माह के पश्चात्	24 माह के पश्चात्
1	2	3	4

ङ. टिप्पणियाः

***टिप्पण:** जब उल्लेख करने के लिए यदि संपत्तियां बहुत अधिक है, आस्ति रजिस्टर का संदर्भ दें, और मदों की संख्या और संपत्तियों के कुल अनुमानित मूल्य का उल्लेख करें।

प्ररूप विन 38ख

[नियम संख्या 80 देखें]

केंद्रीय रोकड़ बही

(कंपनी समापक की रोकड़ बही)

प्राप्तियां						अदायगियां						
				राशि								राशि
तारीख	कंपनी का नाम	विशिष्टियां	प्राप्तियों की संख्या	नकद रु. पै.	बैंक रु. पै.	तारीख	कंपनी का नाम	विशिष्टियां	बाउचर या चालान की संख्या	नकद	बैंक रु. पै.	चैंकों की संख्या रु. पै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अनुदेश :

1. यह रजिस्टर कंपनी समापक द्वारा प्रशासित सभी समापनों के लिए समान है और कंपनी समापक के दैनिक संव्यवहारों को इस रजिस्टर में क्रमानुसार दर्ज करना चाहिए। संव्यवहार की प्रकृति, व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसको भुगतान किया गया और वह किस कारण से किया गया आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए "विवरण" स्तंभ के अंतर्गत पर्याप्त विवरणों की प्रविष्टि की जानी चाहिए।

2. कंपनी समापक द्वारा प्राप्त सभी नकद और चैकों को उनकी रसीदों के माध्यम से "नकद" और "बैंक" के क्रमशः शीर्षक के अंतर्गत प्राप्ति की ओर दर्ज की जानी चाहिए। जब नकद प्राप्तियों को कंपनी समापक द्वारा बैंक में जमा किया जाता है तो एक प्रविष्टी नकद भुगतान की ओर दर्ज की जाए और इसके अनुरूप प्रविष्टी को बैंक कालम में प्राप्तियों की तरफ दर्ज की जानी चाहिए। जब बैंक से कोई राशि निकाली जानी है, तो राशि को भुगतान के रूप में "बैंक" स्तंभ में भुगतान की तरफ दर्ज किया जाना चाहिए और इसकी प्रविष्टि "नकद" के अंतर्गत रसीद के रूप में प्राप्तियों की ओर दर्ज की जानी चाहिए।

3. जहां बैंक को संदत्त किया गया चैक बिना भुगतान के वापस लौटा दिया जाता है तो पूर्व में इस संबंध में की गई प्रविष्टियों का प्रतिलोम उचित प्रतिलोम प्रविष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए।

4. नकद और चैकों को बैंक में पृथक चालानों के द्वारा प्रेषित किया जाए और प्रत्येक कंपनी के संबंध में प्रेषणों को पृथक चालान के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

5. कंपनी समापक द्वारा किए गए भुगतानों के लिए वाउचरों को भुगतान के समय प्राप्त किया जाना चाहिए और उनको क्रमागत रूप से पृथक श्रेणी में प्रत्येक अर्धवर्ष के लिए संख्याकृत किया जाना चाहिए। कंपनी समापक को की गई अदायगी के लिए रसीद को प्रतिपर्ण रसीद बुक में से जारी किया जाना चाहिए, जिसके पेजों पर मशीन द्वारा क्रमागत संख्या दी जाती है।

IndiaCode

6. जहां समापक कोई कारबार करता है, तो केवल साप्ताहिक प्राप्तियों और अदायगियों के साप्ताहिक योग को ही केंद्रीय रोकड़ बही और कंपनी की रोकड़ बही में व्यापार लेखे में लाया जाना चाहिए।

7. जहां लाभांश लेनदारों को संदत्त किया जाता है, तो केवल प्रत्येक दिवस को अदा लाभांशों की कुल राशि की प्रविष्टि केंद्रीय रोकड़ बही और कंपनी की रोकड़ बही में दर्ज की जानी चाहिए और व्यक्तिगत अदायगियों का विवरण लाभांश अदा रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

8. रोकड़ बही के पृष्ठ मशीन द्वारा संख्याकृत किए जाने चाहिएं। जहां तक संभव हो, कोई लाइन खाली न रखी जाए किंतु यदि रोकड़ बही में कोई स्थान खाली रखना पड़े तो खाली स्थान को समाप्त करने के लिए एक तिरछी लाइन खींची जाए ताकि उसमें बाद में कोई प्रविष्टि करना संभव न हो। प्रविष्टियों के क्षेपक जोड़ से बचा जाए, परंतु जब दो रेखांकित लाइनों के बीच में कोई प्रविष्टि करना आवश्यक हो या कोई संयोजन करना हो, या पूर्व में की गई प्रविष्टियों के बीच में क्षेपक जोड़ना ना हो, ऐसा संयोजन या क्षेपक जोड़ को हमेशा समापक की तारीख सहित आद्याक्षर द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।

9. रोकड़ बही की प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर तुलना की जाए और रोकड़ व बैंक जमा को आगामी दिवस हेतु अग्रेषित किया जाना चाहिए। नकदी को प्रतिदिन किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और कम से कम एक बार कंपनी समापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सत्यापित किया जाना चाहिए। रोकड को सत्यापित करने वाले अधिकारी द्वारा रोकड़ की वास्तविक गणना करके सत्यापित प्रमाण पत्र को रोकड़ बही में अंकित किया जाना चाहिए। रोकड़ बही को प्रतिमाह कंपनी समापक के व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा बंद बैंक शेषधन राशि का आहरित चैकों जिनका भुगतान नहीं किया गया अथवा प्रेषित राशि जो किसी अलग महीने के खातों में बैंक की बहियों में समायोजित है, से उत्पन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह के अंत में बैंक विवरण से मिलान किया जाना चाहिए।

10. सभी कंपनियों के कुल नकद और बैंक जमाओं- का मिलान केंद्रीय रोकड़ बही के बकाया से प्रत्येक माह में एक बार किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत कंपनियों के खाते में कुल शेष का केंद्रीय रोकड़ बही के समेकित शेष से मिलान का एक प्रमाणपत्र रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए और रजिस्टर में एक प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए कि, व्यक्तिगत कंपनियों के खातों में कुल शेष राशि केंद्रीय रोकड़ बही में संचयी राशि से मिल रही है।

प्ररूप विन 38ग

[नियम संख्या 80 देखें]

कंपनी की रोकड़ बही

20की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम(समापनाधीन)

प्राप्तियां							संदाय				शेष		
तारीख	विशिष्टियां	खाता बही	प्राप्ति संख्या	नकद	बैंक	योग	वाउचर संख्या	नकद	बैंक	योग	नकद	बैंक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अनुदेश:

1. प्रत्येक कंपनी के लिए अलग रोकड़ बही होनी चाहिए।

2. कंपनी से संबंधित रसीदों और वाउचरों से रोकड़ बही में प्रविष्टियां की जानी चाहिए और केंद्रीय रोकड़ बही की अनुरूप प्रविष्टियों से मिलान किया जाना चाहिए।

3. `विवरण" स्तंभ में उस लेखा शीर्ष जिससे प्रविष्टियां संबंधित हैं, को दर्शाया जाना चाहिए ताकि प्रविष्टियां सामान्य खाता बही के समुचित शीर्ष में की जा सकें।

4. केंद्रीय रोकड़ बही में बैंक और रोकड़ स्तंभों को भरने के संबंध में अनुदेश इस रोकड़ बही के मामले में भी लागू होते हैं।

5. प्रत्येक माह में एक बार सभी कंपनियों की कुल रोकड़ और बैंक जमा का मिलान केंद्रीय रोकड़ बही में शेष राशि के साथ किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38घ

[नियम संख्या 80 देखें]

साधारण खाता बही

20की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

..... (लेखा शीर्ष)

तारीख	विशिष्टियां	निकासी	जमा	शेष
		रुपए पैसे	रुपए पैसे	रुपए पैसे
1	2	3	4	5

IndiaCode

अनुदेशः

1. जहाँ कंपनी समापक आवश्यक एवं उचित समझें, प्रत्येक कंपनी के लिए ऐसे लेखा शीर्षों के साथ साधारण खाता बही का भी रख-रखाव किया जाना चाहिए। निम्नलिखित लेखा शीर्ष उपयुक्त पाए जा सकते हैं-

(1) संपत्ति लेखा

(2) निवेश लेखा

(3) ऋण बही और बकाया खाता

(4) बुलावा

(5) एकत्र किया गया किराया

(6) प्रतिभूतियों और जमाओं पर ब्याज

(7) प्राप्ति अग्रिम

(8) प्रकीर्ण रसीद भुगतान

(9) स्थापना

(10) विधिक प्रभार

(11) किरायें, दरें और कर

(12) फीस और कमीशन खाता

(13) अन्य खर्चे

(14) उचंत खाता

(15) संरक्षित लेनदार और अधिमानी

(16) लाभांश खाता

2. साधारण खाते में प्रविष्टियां कंपनी रोकड़ बही से की जानी चाहिए।

3. सामान्य खाता बही के विभिन्न लेखा शीर्षों में निकासी शेष और कुल जमा शेष का मिलान कंपनी की रोकड़ बही में दर्शाई गयी रोकड़ और बैंक जमा को ध्यान में रखते हुए, किया जाना चाहिए। कुल योग का माह में एक बार मिलान किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38ङ

[नियम संख्या 80 देखें]

रोकड़िया की रोकड़ बही

तारीख	विशिष्टियां	प्राप्त राशि रु. पै.	भुगतान की गई राशि रु. पै.	शेष रु. पै.
1	2	3	4	5
प्रारंभिक शेष जमा शेष				

अनुदेशः

1. प्रत्येक दिवस के लिए प्रारंभिक शेष और जमा शेष को अलग किया जाना चाहिए।

2. "विशिष्टियां" में यह दर्शाया जाना चाहिए कि भुगतान को किसके द्वारा या किसे और किस कारण से किया गया ।

3. चालान या रसीदों की संख्या को भी लिखा जाए।

प्ररूप विन 38च

[नियम संख्या 80 देखें]

बैंक बही

अनुसूचित बैंक में कंपनी समापक का खाता

तारीख	विशिष्टियां	जमा		आहरण		शेष
		चालान संख्या	रु. पै.	चैक संख्या	रु. पै.	रु. पै.
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप विन 38छ

[नियम संख्या 80 देखें]

आस्तियों का रजिस्टर

20की कंपनी याचिका संख्या.....

IndiaCode

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

क्र.सं.	आस्तियों का ब्यौरा	कब्जा लेने की तारीख	बिक्री रजिस्टर की क्रमांक संख्या	बिकी की तारीख	वसूली की तारीख	राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुदेशः

समापक के प्रतिभूतियों में निवेशों और वसूल की जाने वाली बकाया राशि को छोड़कर, कंपनी की सभी संपत्तियां इस रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।

प्ररूप विन 38ज

[नियम संख्या 80 देखें]

प्रतिभूति और निवेश रजिस्टर

क्र.सं.	कंपनी याचिका संख्या और कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	प्रतिभूति की प्रकृति और विशिष्टियां जिसमें निवेश किया गया है	निवेश की गई राशि	लाभांश या ब्याज प्राप्ति की तारीख मय रसीद	निपटान की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप विन 38-झ

[नियम संख्या 80 देखें]

बही ऋणों और बकाया राशि का रजिस्टर

(देनदार की बही)

20की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

क्र.सं.	देनदार का नाम और पता	देनदारी का विशिष्टियां	देय राशि	सीमा-निर्धारण द्वारा प्रतिबंध की तारीख	की गई कार्रवाई	वसूल की गई राशि	वसूली की तारीख	मुकदमों के रजिस्टर का संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुदेशः

परिसमापन से पूर्व लगाई गई बोलियों की बकाया राशि के लिए देय धनराशि सहित कंपनी के लिए देय सभी ऋणों, संरक्षित और असंरक्षित दोनों को इस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38-ञ

[नियम संख्या 80 देखें]

किरायेदारों की बही

20की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

1. संपत्ति का वर्णन:

2. किरायेदार का नाम और पताः

3. किरायेदारी की तारीखः

4. किरायेदारी की अवधिः

5. किराया (मासिक या वार्षिक)

6. विशेष निबंधन, यदि कोई होः

7. संपत्ति का कब्जा लेने की तारीख को बकाया:

8. प्राप्ति अग्रिम, यदि कोई होः

IndiaCode

19/20.....	मांग	वसूली		शेष	टिप्पणियां
माह	राशि रु. पै.	तारीख	राशि रु. पै.	राशि रु. पै.	
1	2	3	4	5	6
जनवरी, फरवरी आदि					

प्ररूप विन 38ट

[नियम संख्या 80 देखें]

वाद रजिस्टर

20की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

क्रम संख्या	वाद या अपील की संख्या और न्यायालय	वादी/अपीलार्थी का नाम और उसका पता और उसके अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम और पता और उसके अधिवक्ता का नाम	दावे की राशि	फाइल करने की तारीख	सुनवाई की तारीख	डिक्री या अंतिम आदेश की तारीख	प्रदत्त राहत की प्रकृति	डिक्री की गई राशि	डिक्री की लागत	डिक्री रजिस्टर का संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अनुदेश:

1. समापनाधीन सभी कंपनियों के लिए एकल रजिस्टर रखा जाए, किंतु प्रत्येक कंपनी के लिए पर्याप्त पृष्ठ आबंटित करते हुए रजिस्टर को कंपनी-वार रखा जाना चाहिए।

2. कंपनी के द्वारा या उसके विरूद्ध आवेदन जो मुकदमों की प्रकृति के हैं, को भी इस रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38ठ

[नियम संख्या 80 देखें]

डिक्री रजिस्टर

कंपनी याचिका संख्या और कंपनी का नाम	वाद या अपील संख्या और न्यायालय	न्यायिक ऋणी का नाम और पता	डिक्री की गई राशि	डिक्री की तारीख	की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि	वसूली की तारीख	वादों का रजिस्टर के संदर्भ में
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुदेश:

1. सभी समापनों के लिए यह रजिस्टर समान है, इस रजिस्टर का प्रयोजन अधिकृत समापक को उसके प्रभार में कंपनियों के पक्ष में डिक्री की वसूलियों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सक्षम बनाना है।

2. प्रत्येक डिक्री या धन की संदाय के लिए आदेश या संपत्ति की सुपुर्दगी का कंपनी के पक्ष में आदेश जिसमें लागतों के भुगतान का आदेश चाहे वह वाद, अपील या आवेदन पर किया गया हो, शामिल है, को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38ड

[नियम संख्या 80 देखें]

बिक्री रजिस्टर

क्रम संख्या	कंपनी याचिका संख्या और कंपनी का नाम	आस्ति रजिस्टर की क्रम संख्या	संपत्ति का ब्यौरा	प्राक्कलित मूल्य	बिक्री की तारीख	बिक्री का तरीका सार्वजनिक या निजी	खरीदार का नाम और पता	उच्चतम बोली	बिक्री मूल्य और उसकी पुष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अग्रिम प्राप्ति की तारीख	वसूला गया ब्याज, यदि कोई हो	शेष वसूली --- तारीख रु. पै.	बिक्री की लागत --- व्यय की प्रकृति रु. पै.	संदत्त की गई या बंधक के प्रति समायोजित राशि, यदि कोई हो	संदाय या समायोजन की तारीख	टिप्पणियां
11	12	13	14	15	16	17

अनुदेश: कंपनी समापक द्वारा प्रशासित सभी समापनों के लिए यह रजिस्टर समान है, और जैसे ही और जब कभी आस्तियों की बिक्री की जाती है, तो प्रविष्टियां इस रजिस्टर में की जानी चाहिए।

प्ररूप विन 38ढ

[नियम संख्या 80 देखें]

दावा और लाभांशों का रजिस्टर

20की कंपनी याचिका सं.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

दावे						घोषित और संदत्त किए गए लाभांश					टिप्पणियां				
क्र सं	लेनदार का नाम और पता	दावा की गई राशि	दावे की प्रकृति	स्वीकृत राशि	क्या सामान्य या अधिमानी है	तारीख	राशि	तारीख और संदाय का ढंग	दर	राशि	तारीख और संदाय का ढंग	दर	राशि	तारीख और संदाय का ढंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

अनुदेश:

1. इस रजिस्टर में केवल पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकृत दावों की ही प्रविष्टि की जाएगी।

2. बांये हाथ की ओर के पृष्ठ को दावों के लिए और दांये हाथ की ओर के पृष्ठ को लाभांशों के लिए सुरक्षित रखा जाए।

प्ररूप 38-ण

[नियम संख्या 80 देखें]

अभिदायियों की बही

20की कंपनी याचिका सं.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

क्रम संख्या	अभिदायी का नाम और पता	शेयरों की संख्या या ब्याज पर रखी गई सीमा, और उस पर संदत्त की गई राशि	बोलियां			टिप्पणियां	शेयर पूंजी विवरणियां			टिप्पणियां
			प्रथम बोली		दूसरी बोली/तीसरी बोली		प्रतिदाय की दर	भुगतान की तारीख	अदा की गई राशि	
			बोली की तारीख और बोली राशि	अदा की गई राशि और संदत्त की तारीख	प्रथम बोली के अधीन स्तंभों को दोहराएं					
1	2	3	4	5	6 से 9	10	11	12	13	14

अनुदेश:

इस सूची में केवल निपटाए गए अभिदायियों की इस रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए और उसकी प्रविष्टि सूची में दिए गए क्रम के अनुसार होनी चाहिए।

प्ररूप विन 38त

[नियम संख्या 80 देखें]

प्रदत्त लाभांशों का रजिस्टर

20की कंपनी याचिका सं.....

कंपनी का नाम (समापनाधीन)

लाभांश की तारीख जिस को वह अदा किया जाएगाः

घोषणा के संबंध में अदा किया जाने वाला कुल लाभांश

तारीख	देनदारों की सूची में संख्या	विशिष्टियां	प्राप्तियां	भुगतान
1	2	3	4	5

अनुदेश:

1. अधिमानी और साधारण लाभांशों के लिए पृथक पृष्ठ रखे जाने चाहिए।

2. किसी राशि का भुगतान किये जाने पर उसकी प्रविष्टि उसी समय की जानी चाहिए। कोई राशि जो अदायगी के बिना वापस आ जाती है, उसकी पुनः प्रविष्टि "प्राप्तियों" के खाते के अंतर्गत की जानी चाहिए।

3. स्तंभ 2 की संख्या अंतिम रूप से निपटायी गयी लेनदारों की सूची की संख्या होनी चाहिए।

4. बिना दावे की कुल लाभांश राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक में अदा की जानी है और बैंक में अदा की गई राशि, को अदायगी की तारीख के साथ लेखा के अंत में दर्शायी जानी चाहिए।

5. इसी तर्ज पर एक खाता यदि आवश्यक हो अभिदायियों को लौटाई गई शेयरपूंजी के संबंध में भी रखा जाए।

प्ररूप विन 38थ

[नियम संख्या 80 देखें]

उचंत रजिस्टर

20की कंपनी याचिका सं.....

कंपनी का नाम(समापनाधीन)

तारीख	विशिष्टियां	विकलन	जमा	शेष
1	2	3	4	5

अनुदेश:

1. यह रजिस्टर कंपनी-वार रखा जाना चाहिए।

2. शासकीय समापक द्वारा किसी व्यक्ति को या शासकीय समापक को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अग्रिम की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जानी चाहिए।

3. प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से शुरुआत की जानी चाहिए।

प्ररूप विन 38द

[नियम संख्या 80 देखें]

दस्तावेज रजिस्टर

20.....की कंपनी याचिका संख्या

कंपनी का नाम(समापनाधीन)

क्र.सं.	दस्तावेज का वर्णन	प्राप्ति की तारीख	किससे प्राप्त हुआ	शेल्फ की संदर्भ संख्या जिसमें दस्तावेज रखा गया है	किस तरह निपटान किया गया	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

अनुदेश: सभी दस्तावेजों के शीर्षक जैसे स्वामित्व विलेख, शेयर, वचन-पत्र इत्यादि को इस रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38ध

[नियम संख्या 80 देखें]

बही रजिस्टर

20.....की कंपनी याचिका संख्या.....

कंपनी का नाम(समापनाधीन)

तारिख	किससे प्राप्त हुआ	क्र. सं.	मिसिल सहित बही का वर्णन	शेल्फ संख्या	निपटान कैसे किया गया	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

अनुदेश: कंपनी की सभी फाइलें और बहियों जो समापक के पास आती हैं, को इस रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप विन 38न

[नियम संख्या 80 देखें]

कंपनी समापक द्वारा अनुसूचित बैंक में कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खातें में जमा किए गए अदावाकृत लाभाशों और अवितरित आस्तियों का रजिस्टर

कंपनी का नाम

परिसमापन आदेश की तारीख

क्र.सं.	लाभांश या प्रतिफल के लिए पात्र व्यक्ति का	क्या लेनदार या अभिदायी है	लेनदारों या अभिदायियों की सूची में संख्या	लाभांश या प्रतिफल की घोषणा की	लाभांश या विवरणी	कुल देय राशि	अंतिम तारीख जब देय हो

	नाम			तारीख	की दर	रु. पैसे	
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूचित बैंक में कंपनी के परिसमापन खाते में भुगतान की तारीख	बैंक में अदा की गई राशि रु. पैसे	धारा 352(6) के अधीन की गई राशि के लिए दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो,	दावे पर किए गए आदेश की प्रकृति और तारीख, यदि कोई हो।	यदि धन वापस किया गया है, उस व्यक्ति का नाम जिसे धन वापस किया गया है।	वापस की गई राशि रु. पैसे	ली गई प्रतिभूति, यदि कोई हो	टिप्पणियां
9	10	11	12	13	14	15	16

प्ररूप विन 39

[नियम संख्या 92 देखें]

लेखा विवरण तैयार करने के संबंधी अनुदेश

अधिकरण में फाइल किए जाने वाले लेखे के विवरणों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित साधारण अनुदेशों का पालन किया जाएगाः-

1. इस विवरण में समापक द्वारा कंपनी के संबंध में वसूलियों और संवितरण का एक विस्तृत लेखा विवरण होना चाहिए। वसूलियों के अंतर्गत वर्तमान आस्तियों के परिसमापन की शुरूआत और बाद में वसूली गई सभी प्राप्तियां प्रविष्ट की जाएंगी जिसमें बैंक शेष, बही ऋण और एकत्रित बोलियां, बेची गई संपत्ति इत्यादि शामिल हैं, और संवितरण के अंतर्गत लागतों और प्रभारों के लिए किए गए भुगतान या लेनदारों या अभिदायियों को की गई अदायगी की प्रविष्टियां होनी चाहिए। यदि संपत्ति की वसूली की गई है, तो बिक्री की समग्र प्राप्तियां वसूली के अंतर्गत प्रविष्टि की जानी चाहिए और बिक्री से संबंधित आवश्यक भुगतान को संवितरण के अंतर्गत प्रविष्ट किया जाना चाहिए। इस विवरण में, बैंक में या बैंक से बाहर किए गए भुगतान (जो बैंक पासबुक द्वारा दर्शाए जाएंगे) शामिल नहीं होंगे और न ही समापक द्वारा अस्थाई निवेश और ऐसे निवेश भी वसूली के पश्चात् की प्राप्तियां दर्शाई जाएंगी, जिसे समापक द्वारा पृथक रूप से निवेशित धन के विस्तृत विवरण और वसूले गए निवेश द्वारा दर्शाया जाएगा।

बैंक द्वारा अनुमत या प्रभारित ब्याज, बैंक कमीशन इत्यादि और अस्थायी निवेशों की वसूली पर लाभ या हानि को वसूली या संवितरण खाते में, यथास्थिति हो, अतःस्थापित किया जाए। प्रत्येक प्राप्ति और अदायगी को इस खाते में इस तरह से प्रविष्ट किया जाए जो इसकी प्रकृति की पूर्ण रूप से व्याख्या करता हो। प्राप्ति और अदायगियों को अलग-अलग रूप से प्रत्येक पन्ने के नीचे जोड़ा जाए और कुल योग को एक खाते से दूसरे खातें में बिना किसी मध्यवर्ती शेष के अग्रेषित किया जाए, ताकि समग्र योग क्रमशः कुल प्राप्त राशि और समापक द्वारा अदा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करे।

2. जहां समापक कारबार चलाता है, तो व्यापार खाते को एक विशिष्ट खाते के रूप में अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा और इसके विवरण में व्यापार खाते से संबंधी केवल कुल प्राप्त राशि और संदाय दर्शाई जाएगी।

3. जब लेनदारों को गठन के लाभांश या किस्तें संदत्त की जाती हैं या अभिदायियों को अधिशेष आस्तियों की वापसी की जाती है, तो प्रत्येक लाभांश या गठन की किस्त या अभिदायियों के लिए प्रतिफल की वास्तविक अदायगी की कुल राशि की प्रविष्टि संवितरण विवरण में एक राशि के रूप में की जाएगी, और समापक द्वारा पृथक लेखे प्रस्तुत

IndiaCode

किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक लेनदार की दावाकृत राशि, और प्रत्येक लेनदार को अदा को किए गए लाभांश या संयोजन की राशि, और प्रत्येक अभिदायी को अदा की जाने वाली अधिशेष आस्तियों, की सूचियां दर्शायी जाएंगी, जिसमें प्रत्येक सूची में लाभांश और निपटारा किस्तें और अधिशेष आस्तियां जो कि वास्तविक रूप से अदा की गई हैं और जो अदत्त रह गई को पृथक किया जाएगा।

4. यदि अदावाकृत लाभांश, निपटारा किस्तें या अधिशेष आस्तियों के प्रतिफल को कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में संदत्त किया जाता है तो ऐसी अदा की गई कुल राशि को संवितरण विवरण में एक राशि के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा।

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,..... के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्यायाचिकाकर्ता

..... के शपथपत्र में निर्दिष्ट "क" प्रदर्शित करें।

आज तारीख..... माह..... वर्ष को मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई।

आयुक्त के समक्ष

कंपनी समापक का लेखा विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 294(2) के अंतर्गत फाइल किया जाएगा)

1. कंपनी का नामः

2. परिसमापन आदेश की तारीखः

3. परिसमापन शुरू होने की तारीखः

4. लेखा अवधिः

वसूलियां					संवितरण				
तारीख	किससे प्राप्त हुआ	वसूली गई आस्तियों की प्रकृति	प्राप्ति संख्या	राशि रु. पैसे	तारीख	किसको संदत्त किया गया	संवितरण की प्रकृति	वाउचर संख्या	राशि रु. पैसे
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
अग्रानीत अग्रनीत					अग्रानीत अग्रनीत				

टिप्पणियां 1. इस विवरण को इसमें दिए गए 1 से 4 अनुदेशों के अनुरूप तैयार किया जाए।

2. इस खाते में केवल आगामी लेखा विवरण में अग्रेनीत की जाने वाली कुल वसूलियों और संवितरण के अलावा कोई अन्य शेष नहीं दर्शाये जाएंगे।

3. केवल लेनदारों को अदा किए गए लाभांशों की कुल राशि या अभिदायियों को प्रतिदाय की गई पूंजी को संवितरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और इसका ब्यौरा निम्नलिखित अनुलग्नक में दिया जाएगा :

शेष का विश्लेषण

कुल वसूलियां रु. पैसे

IndiaCode

कुल संवितरण

शेष

शेष को निम्न प्रकार दर्शाया गया है:- रु. पैसे

1. कंपनी समापक के पास नकदी

2. बैंक में की गई कुल अदायगी जिसमें बैंक बुक के अनुसार परिसमापन के शुरूआत की तारीख की शेष स्थिति तक शामिल है

बैंक से कुल आहरण

बैंक में शेष रु. पैसे

*3. कंपनी समापक द्वारा निवेश की गई राशि

घटाएं

निवेश की वसूली से प्राप्त राशि

निवेश की वसूली में लाभ घटाएं या हानि जोड़ें,

(लेखे में लाया गया)

निवेश के अंतर्गत शेष

उपरोक्तानुसार कुल शेष

***टिप्पण:** एक पृथक विवरण में किए गए निवेशों और उस पर की गई वसूलियों का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाए:

लेखे का अनुलग्नक

I. कंपनी समापक द्वारा लगाई गई बोली:

बोली की तारीख:

बोली दर:

बोली की कुल राशि:

बोली पर प्राप्त कुल राशि:

II. घोषित लाभांश:

1. घोषणा की तारीख:

2. लाभांश दर

3. यदि घोषित नहीं किया गया है, तो कारण बताएं और घोषणा की संभावित तारीख का उल्लेख करें।

(यदि लाभांश घोषित और अदा कर दिए गए हैं, तो निम्नलिखित लेखे प्रस्तुत किया जाएंगे)

		लाभांश (या निपटारा) की राशि		
सूची में संख्या	लेनदार का नाम	प्रमाण की राशि	अदा रु. पैसे	अदावाकृत रु. पैसे
1	2	3	4	5
		कुल		

III. लेखे की अवधि के दौरान अभिदायियों को अदा की गई और अदा की जाने वाली राशि की सूची

IndiaCode

सूची में संख्या	अभिदायी का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों पर दी जाने वाली प्रतिदाय राशि					
			रु.	भुगतान	पैसे	रु.	अदावाकृत	पैसे
1	2	3	4				5	
			कुल					

यदि किन्हीं कार्रवाईयों या अन्य परिसमापन कार्यवाहियों के कारण विलंब हो रहा है, तो संक्षेप में उसकी प्रकृति और संभावित अवधि दर्शाएं। किसी अन्य परिस्थिति, जो कंपनी के परिसमापन में विलंब कर सकती है या संपत्ति मूल्य या वसूली गई लागतों को प्रभावित कर रही है, का भी विवरण दें।

IV. प्राधिकृत कानूनी कार्यवाहियां

प्रतिनिधि के नियोजन को प्राधिकृत करने वाले आदेश की तारीख	प्रतिनिधि का नाम	कार्य की प्रकृति जो किए जाने के लिए प्राधिकृत की गई है।	लागतों की सीमा, यदि कोई हो।
1	2	3	4

V. समापक का व्यापार खाता*

संपदा से संबंधित कंपनी समापक								
नामें	प्राप्तियां				भुगतान		जमा	
तारीख	कुल विशिष्टियां	रु.	पैसे	तारीख	कुल विशिष्टियां	रु.		पैसे

तारीखः.....

ह./- कंपनी समापक

* कंपनी समापक द्वारा व्यवसाय किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जाए।

प्ररूप विन 40

[नियम संख्या 92 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

याचिका सं. 20.....

याचिकाकर्ता

खाते के सत्यापन हेतु शपथपत्र

IndiaCode

मैं, उपरोक्त कंपनी का समापक सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और यह कहता हूं :-

कि यह खाता जो इसके साथ संलग्न है और यहां "क" के रूप में चिह्नित है, में तारीख..... 20..... से तारीख..... 20..... तक उपरोक्त नामित कंपनी के परिसमापन संबंधी मेरी प्राप्तियों और अदायगियों की संपूर्ण एवं सही जानकारी शामिल है और यह कि इस अवधि के दौरान, न ही मैंने और न ही मेरे आदेश से अन्य किसी व्यक्ति ने या मेरे उपयोग के लिए उक्त कंपनी के उक्त खाते में उल्लिखित एवं विनिर्दिष्ट मदों के अलावा प्राप्त या अदा नहीं की है। मैं, यह भी कहता हूँ कि परिसमापन की कार्यवाही और स्थिति के संबंध में "क" के रूप में चिह्नित संलग्न खाते का विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

.....में आज तारीख20.... को कंपनी समापक द्वारा मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई।

कंपनी समापक

आयुक्त

प्ररूप संख्या विन 41

[नियम संख्या 92 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम के अतंर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या..... याचिकाकर्ता

कंपनी समापक का अंतिम लेखा

1. कंपनी का नामः

2. परिसमापन आदेश की तारीखः

3. परिसमापन आरंभ करने की तारीखः

4. लेखा की अवधिः

वसूलियां					संवितरण				
तारीख	किससे प्राप्त किया	आस्तियों की प्रकृति	रसीद संख्या	राशि रु. पैसे	तारीख	किसे अदा किया गया	संवितरण की प्रकृति	वाउचर संख्या	राशि रु. पैसे
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	कुल अग्रेषित योग					कुल अग्रेषित योग			

टिप्पणः विवरण को अर्धवार्षिक विवरणों से संबंधित प्रपत्र में निहित निदेशों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

शेष का विश्लेषण

रु..... पैसे

कुल वसूलियां

कुल संवितरण

शेष

शेष निम्नानुसार बना है

1. कंपनी समापक के पास नकदी रु. पैसे

2. बैंक में कुल अदायगी (परिसमापन आरंभ होने की तारीख को शेष सहित)

बैंक से कुल आहरण

बैंक में शेष

ऊपर दर्शाया गया कुल शेष

(अवधि के लिए व्यापार खाता, यदि कोई, हो संलग्न किया जाए)

अधिकरण के निदेशों के अधीन, ऊपर दर्शाए गए शेष की अदायगी कंपनी परिसमापन लाभांश अवितरित आस्ति खाता में अदायगी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 352(2) के अधीन अनुसूचित बैंक में करना प्रस्तावित है।

कंपनी समापक की रिपोर्ट जो खाते के साथ लगाई जाएगी

1. (i) वसूली गई आस्तियाः

*कार्य के विवरण के अनुसार या जहां कार्य का विवरण नहीं है समापक के अनुमान के अनुसार	परिसमापन की शुरूआत में आस्तियां		अनुमानित मूल्य रु. पैसे	*आस्तियों से कुल वसूली रु. पैसे	टिप्पणी
	1.	संपत्ति (आस्ति रजिस्टर के अनुसार)			
	2.	बही ऋण और बकाया			
	3.	प्रतिभूतियों से आधिक्य			
	4.	अप्रदत्त बोलियां (परिसमापन से पूर्व)			
	5.	मांगी गई पूंजी का योग			

(ii) जो आस्तियां वसूली नहीं जा सकती, को बट्टे खाते में डाला जाए। (विशिष्टियां दें और कारण बताएं कि उन्हें क्यों नहीं वसूला जा सका)

परिसमापन की शुरूआत में आस्तियां		अनुमानित मूल्य	कारण बताएं कि उन्हें क्यों नहीं वसूला जा सका और उसे बट्टे खाते में डाला जाए
1.	संपत्ति (आस्ति रजिस्टर के अनुसार)		
2.	बही ऋण और बकाया		
3.	अप्रदत्त बोलियां (परिसमापन से पूर्व)		
4.	पूंजी जो वसूली नहीं गई		

2. देयताएं:

IndiaCode

	देय राशि रु. पैसे	लाभांश या अन्य तरीके से अदा की गई कुल राशि रु. पैसे
1. सुरक्षित ऋणदाता 2. अधिमानी ऋणदाता 3. लाभांशधारक (अस्थायी प्रभार के द्वारा सुरक्षित) 4. असुरक्षित ऋणदाता 5. अभिदायियों को पूंजी वापस करना		

3. परिसमापन के खर्चें रु.....

4. अनुसूचित बैंक में कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में प्रदत्त और देय अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियों का विवरण

रु..... पैसे

(क) पूर्व खाते के अनुसार अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियों को प्रदत्त कुल राशि कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में। उल्लिखित खाते में इस खाते की अवधि के दौरान अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियां की प्रदत्त राशि।

योग.....

(ख) अनुसूचित बैंक में कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियां खाते में लंबित भुगतान।

5. अनुसूचित खाते में खाते की अवधि के दौरान कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में प्रदत्त अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियों के विशिष्टियां:-

ऋणदाता या अंशदायी का सूची में संख्या	ऋणदाता या अंशदायी का नाम और पता	देय लाभांश या आस्ति की राशि	कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में भुगतान की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

6. उल्लिखित खाते में अदायगी लंबित भुगतान वाले अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियों की विशिष्टियां

ऋणदाता या अभिदायी की सूची में संख्या	ऋणदाता या अभिदायी की नाम और पता	देय लाभांश या आस्ति की राशि	ऋणदाताओँ और अभिदायी की कंपनियों को भुगतान की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीखः..... कंपनी समापक

प्ररूप विन 42

[नियम संख्या 94 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

खाते की संपरीक्षा हेतु आवेदन

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं तारीख..... से की अवधि के लिए उपरोक्त समापनाधीन कंपनी के कंपनी समापक द्वारा फाइल किए गए लेखा विवरण की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उल्लिखित खाते की संपरीक्षा कंपनी परिसमापन नियम, 2020 के अधीन कंपनी समापक द्वारा रखी गई बहियों और वाउचर और इस अधिकरण के आदेश के संदर्भ में की जाए और ऐसी संपरीक्षा के पश्चात् उक्त खाते के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाए और उसे अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ दो प्रतियों में इस तारीख से एक माह के भीतर अग्रेषित किया जाए। संपरीक्षा के प्रमाणपत्रों की एक प्रति इस अधिकरण के कंपनी समापक के संदर्भ हेतु भी अग्रेषित की जाए।

IndiaCode

भवदीय,

रजिस्ट्रार

कंपनी समापक

प्ररूप विन 43

[नियम संख्या 100 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

लेनदारों को अपना दावा सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली सूचना का विज्ञापन

उपरोक्त नामित कंपनी के लेनदारों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वे तारीख 20.... को या उससे पूर्व कंपनी समापक कार्यालय को उपरोक्त कंपनी के विरुद्ध अपने संबंधित ऋण और दावों का साक्ष्य प्रस्तुत करें या उसे कंपनी समापक को डाक द्वारा उल्लिखित तारीख से पहले प्ररूप विन 44 में अपने संबंधित नाम, पता और ऋण या दावों के विवरण, और धारा 326/327 के अधीन किसी प्राथमिकता शीर्ष सहित ऋण या दावों को प्रमाणित करने वाला शपथपत्र प्रेषित करें, यदि कोई लेनदार पूर्वोल्लिखित समयसीमा के भीतर साक्ष्य संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसका ऋण प्रमाणित होने से पूर्व, उसे किसी लाभांश के वितरण के लाभ और ऐसे वितरण पर आपत्ति करने, जैसा भी मामला हो, का अधिकार नहीं होगा।

किसी लेनदार जिसने साक्ष्य भेज दिया है, यदि कंपनी समापक द्वारा लिखित में सूचना भेजने पर वैयक्तिक रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, ऐसे समय या स्थान जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पर ऐसे ऋण या दावे की जांच में भाग लिया जाएगा और उसके द्वारा ऋण या दावे का और साक्ष्य, जैसा अपेक्षित हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

तारीख..... दिन20

कंपनी समापक

प्ररूप विन 44

[नियम संख्या 103 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

ऋण के प्रमाण के लिए शपथ-पत्र

मैं (प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय दिया जाना है) सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करता हूं और निम्नलिखित उल्लेख करता हूं:-

1. उक्त नाम की कंपनी उसके परिसमापन के आदेश की तारीख अर्थात् तारीख 20, को और आज भी, उचित और सही मायने में मेरा (या मेरा और सीडी, और ईएफ., मेरे व्यापार में सहभागीदार या जैसा भी मामला हो) कुल रुपये (यहां निम्नलिखित अर्थात् मेरे/मेरी फर्म उक्त कंपनी को तारीख के बीच बेची गई और सुपुर्द की गई वस्तुओं या मेरे/मेरी फर्म द्वारा निम्नलिखित विनिमय बिल या जैसा भी मामला हो, के संबंध में दी गई अग्रिम धनराशि, पर विचार का उल्लेख किया जाए) जो नीचे दी गई अनुसूची में खाते द्वारा दर्शाया गया है, ऋणि है।

2. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के संबंध में मुझे यह कहना है कि न तो मैंने और न ही मेरे किसी भागीदार या उनमें से किसी ने, न ही किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित के अलावा/मेरे/हमारे आदेश द्वारा, मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास के अनुसार, मेरे/हमारे उपयोग हेतु किसी भी प्रकार की संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो, प्राप्त किया है:-

[इसमें सभी धारित प्रतिभूतियों का विवरण दें और यदि प्रतिभूतियां कंपनी की संपत्ति से संबंधित हैं तो उसका मूल्य निर्धारण करें और यदि कोई बिल या अन्य पराक्रम्य प्रतिभूतियां रखी गई हैं, तो अनुसूची में उनका उल्लेख करें।]

[यदि किसी अधिमानी दावे के रूप में दावा किया जाता है, तो ऐसा कहें और अन्य उन कारणों का उल्लेख करें जिस पर अधिमानी का दावा किया गया है]

अनुसूची

विनिमय बिल

तारीख	आहरणकर्ता	स्वीकारकर्ता	राशि रु. पैसे	देय तारीख

लेखा में निर्दिष्ट विशिष्टियां

(प्रतिलेखाओं के लिए ऋण दिया जाना चाहिए)

तारीख	प्रतिफल	राशि रु. पैसे	टिप्पणियां वाउचर (यदि कोई हो), जिसके द्वारा खाते की पुष्टि की जा सके, का यहां उल्लेख किया जाए।

मेरे समक्ष तारीख 20..... को, में 20..... को सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई।

आयुक्त प्रतिवादी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां :

1. विनिमय पत्र या पराक्रम्य प्रतिभूतियों को पुष्टि स्वीकृत होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. प्रथम बैठक में साक्ष्य को मतदान के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह कंपनी समापक के समक्ष बैठक आयोजित करवाने के नोटिस में उल्लिखित समय से पूर्व उचित रूप से संपूर्ण और दाखिल न किया जाए।

3. यदि शपथपत्र लेनदार की ओर से न दिया गया हो, बल्कि उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, प्रतिवादी द्वारा एक पृथक पैरा में शपथ-पत्र तैयार करने के लिए उसके प्राधिकार और उसकी जानकारी का उल्लेख करेगा।

उक्त के पैरा 1 और 2 में और उचित संशोधन किए जाएंगे और पैरा 1 में नाम, पता और लेनदार का विवरण दिया जाएगा।

*यदि कंपनी द्वारा परिसमापन की याचिका के प्रस्तुतीकरण से पहले परिसमापन के लिए कंपनी द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है, उल्लिखित संकल्प की तारीख से परिसमापन आदेश की तारीख रखा जाना चाहिए।

प्ररूप विन 45

[नियम संख्या 104 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

कर्मचारियों के ऋण का प्रमाण

मैं, इत्यादि (प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय भरें) उपरोक्त कंपनी के कर्मचारियों और अन्य नियोजित कर्मचारियों की ओर से सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करता हूं और यह कहता हूं:-

कि उपरोक्त कंपनी तारीख 20 को और आज भी उचित और सही मायने में कई व्यक्तियों की ऋणी है, जिनके नाम, पते और विवरण तालिका में नीचे दिए गए हैं, जो कि उक्त तालिका के स्तंभ 7 में उनके नाम के सम्मुख उनको देय मजदूरी क्रमशः कर्मचारी और कंपनी में अन्य कर्मचारी के रूप में उनके द्वारा क्रमशः कंपनी को प्रदान की गई सेवाएं उस अवधि के लिए, जो कि उनके नामों के सम्मुख स्तंभ 5 में उक्त अनुसूची में दी गई है, और उनको ऐसी अवधि के लिए उपार्जित छुट्टियों के पारिश्रमिक के लिए, जो उनके नामों के सम्मुख स्तंभ 6 में दी गई हैं, के लिए मैं यह कहता हूं कि उन्हें या उनमें से किसी को भी किसी प्रकार संतुष्टि या सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है अथवा नहीं हुई थी।

.....

प्रतिवादी

indiacode

अनुसूची

क्र.सं.	कर्मचारियों का पूरा नाम	पता	वर्णन	देय मजदूरी की अवधि	उपार्जित छुट्टियों के लिए पारिश्रमिक देय की अवधि	देय राशि रु. पैसे
1	2	3	4	5	6	7

सत्यनिष्ठा से पुष्टि इत्यादि।

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

प्ररूप विन 46

[नियम संख्या 111 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

लेनदार को जांच में उपस्थित होने या आगे का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस

सेवा में,

.....

.....

कंपनी (परिसमापन) नियम, 2020 के नियम 111 के अनुसरण में आपको सूचित किया जाता है कि आपको कंपनी समापक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या आपके प्रतिनिधि को 20 को अपराह्न तक आपके ऋण या दावे जो कि उल्लिखित कंपनी के विरूद्ध जांच और अपने प्रमाण के समर्थन में आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना आवश्यक है।

इसके अलावा अपेक्षित साक्ष्य निम्नलिखित हैं :-

** ** **

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त साक्ष्य उल्लिखित तारीख से पहले या तारीख को कंपनी समापक के सम्मुख प्रस्तुत न किए जाने पर आपके उक्त साक्ष्य को निरस्त किया जा सकता है।

आज तारीख.....20.....

कंपनी समापक

IndiaCode

प्ररूप विन 47

[नियम संख्या 115 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,1956/2013 जिसका सीआईएन..... के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

ऋण के साक्ष्य को निरस्त करने का नोटिस

सेवा में,

.....

.....

उक्त नाम की कंपनी के कंपनी समापक के रूप में आपको सूचित किया जाता है कि मैंने इस दिन को कंपनी के विरूद्ध आपके दावे [या रुपए की सीमा तक] निम्नलिखित आधारों पर निरस्त कर दिया है

** **

**

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस अधिकरण की शक्तियों के अधीन समय-सीमा बढ़ाने के लिए, आपके साक्ष्य को निरस्त करने के मेरे आदेश को पलटने या बदलने संबंधी कोई आवेदन इस नोटिस के 21 दिन के उपरांत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज तारीख..... 20

.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 48

[नियम संख्या 115 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की याचिका सं.

.....याचिकाकर्ता

प्रमाण स्वीकार करने का नोटिस

सेवा में,

.....

.....

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कंपनी के विरूद्ध आपके दावों की रु की राशि की अनुमति दी गई है।

हस्ता/-

.....

.....

कंपनी समापक

IndiaCode

प्ररूप विन 49

[नियम संख्या 116 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम दें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत निगमित कंपनी)

20 की कंपनी याचिका सं.

20 की अपील सं.

लेनदार – आवेदक

लेनदार द्वारा अपील

श्री की अपील (पूरा नाम, विवरण, व्यवसाय और आवेदक का पता) दर्शाती है:

1. अपीलार्थी का पता सभी नोटिसों, प्रक्रियाओं इत्यादि की तामीली के लिए श्री पर

2. वर्णित कंपनी, अर्थात् (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया) को (कंपनी अधिनियम,) के अंतर्गत माह 19...../20 को सार्वजनिक (निजी) कंपनी शेयरों/गारंटी के द्वारा सीमित/असीमित कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

3. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पर स्थित है।

4. कंपनी की नाममात्र पूंजी रूपए जो के प्रत्येक के शेयरों में विभाजित है। प्रदत्त पूंजी की राशि या प्रदत्त पूंजी के रूप में जमा रु. (या जैसा भी मामला हो) है।

5. कंपनी के परिसमापन का आदेश को पारित किया गया। कंपनी समापक की नियुक्ति का आदेश अधिकरण द्वारा को पारित किया गया है।

6. कंपनी समापक ने सभी ऋणदाताओं को बुलाकर उनके दावों के संबंध में उचित प्रक्रिया अपनाते हुए सभी ऋणदाताओं की सूची और उनकी ऋण की राशि या दावों का निपटान कर दिया है।

7. कंपनी समापक द्वारा उनके प्रमाण को पूरा या अंशत: स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय संबंधित ऋणदाताओं को संसूचित कर दिया है।

8. अपीलार्थी ने भी उसके दावे को कंपनी समापक द्वारा पूर्णतया/अंशत: निरस्त करने के निर्णय को प्राप्त कर लिया है।

9. अत: अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि कारणों (कारणों को बताएं), जिसे मंगाया जाना है, के लिए यह अपील अनुमत की जाए, शासकीय समापक द्वारा अपीलार्थी के सूची के अंतर्गत ऋणों के निपटान वाले आदेश को निरस्त किया जाए और जो भी आदेश उचित हो पारित किया जाए।

आज तारीख 20

अपीलार्थी

प्ररूप विन 50

[नियम संख्या 119 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

याचिकाकर्ता

प्रमाणित की गई निविदा के साक्ष्यों की सूची और कंपनी समापक द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत की गई सूची

मैं....., उपर्युक्त कंपनी को कंपनी समापक एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उन सभी लेनदारों की निम्नलिखित सूची सत्य है, जिन्होंने तारीख20..... के विज्ञापन के अनुसरण में उक्त कंपनी के

विरुद्ध ऋण या दावों के अपने सबूत प्रस्तुत किए थे, और उन लेनदारों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर दिए गए थे। आगे मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उक्त सूची के पहले भाग में निर्दिष्ट ऋण और दावे मेरे द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं, और कुल रु. की राशि पूर्ण रूप से स्वीकार की गई है। दूसरे भाग में निर्दिष्ट दावों को मेरे द्वारा पूर्णतः अस्वीकार किया जा चुका है।

पहला भाग

पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकृत ऋण और दावे

क्र.सं.	लेनदार का नाम, पता और वर्णन	ऋण या दावों का ब्यौरा	दावा की गई राशि	स्वीकृत राशि	अधिमान रूप से स्वीकृत की गई है

दूसरा भाग

ऐसे दावे जो पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए गए हैं

क्र. सं.	लेनदार का नाम पता और वर्णन	ऋण या दावे का ब्यौरा	दावे की राशि

IndiaCode

हस्ताक्षर

.....

.....

कंपनी समापक

प्रारूप विन 51

[नियम संख्या 130 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

कंपनी समापक को धनराशि का भुगतान या आस्ति, पुस्तकों आदि के वितरण के लिए कंपनी समापक द्वारा नोटिस

मैं, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त कंपनी का समापक आपसे यह अपेक्षा करता/करती हूँ कि नीचे उल्लिखित (उस व्यक्ति का नाम जिसे नोटिस लिखा गया है) उक्त कंपनी [या कोई रुपए, आस्ति* पुस्तकें या दस्तावेजों] के पास आपकी ओर से बकाया, जो अभी आपके पास हैरु. और जिसकी

उक्त कंपनी हकदार है [अथवा अन्यथा, जैसा भी मामला हो] की राशि का भुगतान करे। (या मुझे वितरण करे, पहुंचाए, सुपुर्द करे, हस्तांतरित करे)

तारीख, 20.....

हस्ता/-

कंपनी समापक

सेवा में

.....

(उस व्यक्ति का नाम और पता

जिसे नोटिस लिखा गया है)

*आस्ति को विशेष रूप से परिभाषित किया जाए।

प्ररूप विन 52

[नियम संख्या 133 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

आवेदक-कंपनी समापक

बोली लगाने की अनुमति

कुछ व्यक्तियों, जिनके नाम और पते यहां अनुसूची के दूसरे स्तंभ में दिए गए हैं, को उपर्युक्त कंपनी के अभिदायी होने के कारण, जैसा कि उक्त अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दर्शाया गया है, उक्त कंपनी के सभी अभिदायियों [या जैसा भी मामला हो] के प्रति शेयर रु. की राशि की अधिकरण पर बोली लगाने के लिए उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा किए गए आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख, समय पर अधिकरण उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। [और इसका सूचना प्रत्येक अभिदायी को पृथक रूप से सूचना देने की बजाए विज्ञापन के माध्यम से दी जाए]

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

रजिस्ट्रार

अनुसूची

सूची में संख्या	नाम और पता	किस प्रकार में सम्मिलित किया गया है

[टिप्पण: जहां इसकी एक प्रति किसी अभिदायी को दी जानी है, वहां केवल ऐसे अभिदायी से संबंधित विवरण ही उसे दिए जाने वाली अनुसूची की प्रति में दिया जाए]

प्ररूप विन 53

[नियम संख्या 133 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

बोली लगाने की अनुमति के लिए आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र

मैं, क, ख उपर्युक्त कंपनी का कंपनी समापक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. उपर्युक्त कंपनी को, इस अधिकरण के तारीख 20....., के आदेश द्वारा, इस अधिकरण द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था।
2. उक्त कंपनी के अभिदायियों की सूची का तारीख20..... को भुगतान कर दिया गया है और कुल शेयरों के संबंध में इस सूची के व्यक्तियों का भुगतान कर दिया गया है।
3. मैंने यहां नीचे अनुसूची में उक्त कंपनी के विरूद्ध सिद्ध और स्वीकार किए गए ऋणों के संबंध में राशि और इसके मामलों को बंद करने के व्यय और आनुषंगिक की ऐसी अनुमानित राशि, जिस पर कुल रु. या लगभग की औसत में कुछ राशि होती है, को दर्शाने वाला एक विवरण तैयार किया है।
4. मैंने उक्त अनुसूची में के कुल रु. और इससे कम की उक्त कंपनी की आस्तियों का एक विवरण भी तैयार किया है, जिसमें से मैंने रु. की राशि प्राप्त की है। मेरा अनुमान है कि अभी प्राप्त की जाने वाली शेष आस्तियों से लगभग रु. प्राप्त होंगे। उक्त कंपनी के पास उक्त कंपनी के कुछ अभिदायियों से बकाया राशियों के अतिरिक्त कोई और आस्तियां नहीं हैं, और मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, या लगभग रु. से अधिक की उक्त राशि प्राप्त करना असंभव होगा।
5. मेरा विश्वास है कि उक्त कंपनी के कुछ ऋणों और देनदारियों को चुकाने के उद्देश्य के लिए और उसके मामलों को बंद करने की लागत शुल्कों और व्यय तथा आनुषंगिक के भुगतान के लिए मेरे पास उपलब्ध राशि और अभी शेष आस्तियों की प्राप्ति से अकत्रित की जाने वाली राशि के अतिरिक्त रु. की राशि की आवश्यकता है।
6. रु. की उक्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे व्यक्तियों से बोली लगवाना आवश्यक है जिनका पहले उल्लेख किए अनुसार अभिदायियों की सूची में भुगतान किया जा चुका है, और ऐसी संभावना होने के कारण कि कुछ अभिदायी ऐसी बोली लगाई गई राशि का पूर्णतः या आंशिक रूप से भुगतान नहीं कर सकेंगे, मेरा विश्वास है कि पहले उल्लिखित अनुसार, अपेक्षित राशि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रति शेयर रु. की बोली लगाई जाए।

अनुसूची

सत्यनिष्ठा से पुष्टि की आदि। कंपनी समापक

प्ररूप विन 54

[नियम संख्या 134 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

बोली लगाने की अनुमति के लिए आवेदन के संबंध में विज्ञापन

सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी के सभी अभिदायियों [या जैसा भी मामला हो] के प्रति शेयर रु. की राशि की बोली इस अधिकरण पर लगाने के लिए उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा किए गए आवेदन की

सुनवाई के लिए अधिकरण ने तारीख बजे..... नियत किया है। सभी इच्छुक व्यक्ति उक्त दिन और समय पर अधिकरण में उपस्थित हो सकते हैं और उक्त बोली लगाने पर उपस्थित हो।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 55

[नियम संख्या 135 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

आवेदक-कंपनी समापक

माननीय न्यायाधीश श्री के समक्ष

तारीख :

बोली लगाने की अनुमति देने के लिए आदेश

उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक के आवेदन पर, और उपर्युक्त कंपनी को बंद करने के आदेश को, उक्त कंपनी के अभिदायियों की सूची और कंपनी समापक (या, अधिकरण) के तारीख 20..... को दायर इसके अंतिम विवरण के प्रमाणपत्र, तारीख20..... को दाखिल उक्त कंपनी समापक के शपथ पत्र को पढ़ने पर, और सुनवाई आदि पर

यह आदेश दिया जाता है कि कंपनी समापक को उक्त कंपनी (या जैसा भी मामला हो) के सभी अभिदायियों पर प्रति शेयर रु. की बोली लगाने की अनुमति दी जाए;

और यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभिदायी तारीख20..... को या उससे पहले उक्त अनुसूचित बैंक में कंपनी समापक को ऐसी बोली के संबंध में ऐसे अभिदायी की बकाया राशि का भुगतान करेगा।

तारीख, 20..... (अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

प्ररूप विन 56

[नियम संख्या 135 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की आवेदन संख्या.....

बोली लगाने के दस्तावेज़

मैं, क, ख, उपर्युक्त कंपनी का कंपनी समापक, यहां तारीख20 के अधिकरण के आदेश के अनुसरण में, कंपनी के सभी अभिदायियों पर प्रति शेयर रु. की बोली लगाता/लगाती हूँ, जिसकी राशि का भुगतान

तारीख 20..... को या उससे पहले कंपनी समापक के कार्यालय में [या उक्त कंपनी के विशेष बैंक खाते के नाम से अनुसूचित बैंक में] किया जाएगा।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 57

[नियम संख्या 136 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

बोली लगाने की अनुमति देने के आदेश से सूचना दी जाए

सेवा में,

..... कख

.....

कृपया ध्यान दें कि अधिकरण के तारीख 20..... के आदेश, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न है द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में बोली लगाने के संबंध में आपकी क, ख की बकाया राशि..... रु. है, और आप तारीख 20..... तक या उससे पहले उक्त राशि कंपनी समापक को उसके कार्यालय में या उक्त कंपनी के विशेष बैंक खाते के नाम अनुसूचित बैंक में उक्त राशि का भुगतान कर दें। यदि आप अनुसूचित बैंक में भुगतान कराना चाहते हैं तो आपको इसका सूचना देनी होगी और इस आदेश की प्रति बैंक में संलग्न करनी होगी ताकि बैंक भुगतान प्राप्त कर सके, और भुगतान करने के बाद, भुगतान के संबंध में उक्त बैंक से प्राप्त प्रमाण-पत्र की ऐसी सूचना संलग्न करते हुए उसकी सूचना कंपनी समापक को देनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आदेश का उल्लंघन करने के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

प्ररूप विन 58

[नियम संख्या 137 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

आवेदक-कंपनी समापक

बोली के प्रवर्तन के लिए आवेदन

इस आवेदन की अनुसूची के स्तंभ 2 में दिए गए कुछ व्यक्तियों को, जो उपर्युक्त कंपनी के अभिदायी होने के नाते उक्त कंपनी के विशेष बैंक खाते के नाम उक्त कंपनी समापक के कार्यालय या अनुसूचित बैंक में भुगतान के आदेश के लिए

उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा किए गए किसी आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख को बजे अधिकरण के समक्ष संबंधित पक्षों को उपस्थित किया जाए, क्योंकि उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में उनके संबंधित नामों के सामने निर्दिष्ट कुछ राशि का आवेदक द्वारा लगाई गई प्रति शेयर रु. की बोली के संबंध में क्रमशः उक्त व्यक्तियों, इस आदेश की तारीख से प्रति वर्ष इस पर छह प्रतिशत के ब्याज से भुगतान किया जाए, और कि उक्त व्यक्तियों को इस आवेदन की लागतों और आनुषंगिक का भुगतान आवेदक को करने का आदेश दिया जाए।

अनुसूची

सं.	नाम और वर्णन	पता	किस प्रकार में सम्मिलित किया गया	बोली की राशि	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

रजिस्ट्रार

प्ररूप विन 59

[नियम संख्या 137 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

आवेदक-कंपनी समापक

बोली के भुगतान के लिए आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र

मैं, क, ख, उपर्युक्त कंपनी का कंपनी समापक सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नलिखित कथित करता हूँ:-

1. उक्त कंपनी के अभिदायियों, जिनके नाम समन भेजने के लिए यहां प्ररूप विन 58 की अनुसूची में "क" से चिह्नित किए गए हैं, ने उक्त सूची में उनके नामों के सामने दर्शायी गई उस राशि का भुगतान नहीं किया है जो बोली लगाने की अनुमति देने वाले इस अधिकरण के तारीख के आदेश के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सम्यक रूप से लगाई गई प्रति शेयर रु. की बोली के अंतर्गत उनके द्वारा देय है।

2. तारीख, 20 ... के आदेश और उक्त प्रत्येक अभिदायियों से बकाया राशि को दर्शाते हुए प्ररूप विन 57 में इस नोटिस की प्रति ऐसे संबंधित अभिदायियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा (या स्पीड पोस्ट, जैसा भी मामला हो) सम्यक् रूप से भेजी गई थी।

3. उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में ऐसे संबंधित अभिदायियों के नामों के सामने दर्शायी गई क्रमशः राशि सही है और अभी देय है तथा उक्त बोली के संबंध में क्रमशः उनसे बकाया है।

सत्यनिष्ठा से पुष्टि आदि।

कंपनी समापक

IndiaCode

प्ररूप विन 60

[नियम संख्या 137 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

कंपनी समापक – आवेदक

..... न्यायपीठ के माननीय सदस्य के समक्ष

तारीख.....

अभिदायी से देय बोली की राशि के भुगतान के लिए आदेश

उक्त नाम की कंपनी के कंपनी समापक के आवेदन, और बोली लगाने की अनुमति देने वाले तारीख.....के आदेश, तारीख..... को दाखिल शपथ-पत्र और तारीख को दायर किए गए कंपनी समापक के शपथ-पत्र को पढ़ने के पश्चात्, यह आदेश दिया जाता हैः

कि आदि की सी.डी., (या ई-एफ, एल.एम के कानूनी प्रतिनिधि, आदि के स्वर्गीय.....मृतक) उक्त कंपनी के अभिदायी [या कुछ अभिदायियों के विरुद्ध कि उक्त आदेश की अनुसूची के स्तंभ 2 में दिए गए अनेक व्यक्ति उक्त कंपनी के अभिदायी होने के कारण] उक्त अधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में सम्यक रूप से लगाई गई प्रति शेयर..... रु. की बोली के संबंध में उक्त सी.डी [या एल.एम., या क्रमशः उक्त कुछ व्यक्तियों] से बकाया राशि, उक्त कंपनी की राशि को तारीख..... तक या उससे पहले उक्त कंपनी के अनुसूचित बैंक के विशेष बैंक खाते के नाम भुगतान किया जाए। और यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त सी.डी., [या एल.एम, या उक्त अनेक व्यक्ति] भुगतान की तारीख से इस तारीख तक, उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 में उल्लिखित उक्त राशि पर प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी करेगा।

और यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त सी.डी (या एल.एम या उक्त विभिन्न व्यक्ति) इस तारीख से भुगतान की तारीख के भीतर उक्त अनुसूची के पांचवे स्तंभ में विहित उक्त राशियों पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा।

अनुसूची

(जहां दो या अधिक अभिदायी है शामिल किया जाना)

सूची में संख्या	नाम और विवरण	पता	किस प्रकार में सम्मिलित है	बकाया राशि
1	2	3	4	5

तारीख, 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

टिप्पण: उपरोक्त आदेश की संबंधी प्रति में निम्नलिखित पृष्ठांकन होना अनिवार्य हैः-

"यदि आप, क,ख, इस आदेश में उल्लिखित समय के भीतर इसका उल्लंघन करते हैं, तो इसका अनुपालन करने के लिए आपको बाध्य करने के प्रयोजनार्थ निष्पादन की कार्रवाई के उत्तरदायी होंगे।"

प्ररूप विन 61

[नियम संख्या 139 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

कंपनी समापक (या जैसा भी मामला हो)-आवेदक

धारा 299 के अधीन व्यक्ति (व्यक्तियों) की जांच की अनुमति के लिए आवेदन

सभी संबधित पक्षों को [कंपनी के स्वामित्व में संपत्ति (या बहियों या दस्तावेजों) या कंपनी के प्रति उसके (उनके) ऋण या कंपनी के प्रवर्तन, गठन, व्यापार, सौदे, संपत्ति, बहियां या दस्तावेज, या मामला] के संबंध में अधिकरण द्वारा [यहां जांच किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम लिखें] की जांच के एक आदेश के लिए उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक के किसी आवेदन पर सुनवाई के लिए तारीख को अधिकरण में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए और ऐसी जांच के लिए कोई तारीख नियत की जाए और नियत तारीख को उसकी (उनकी) उपस्थिति के लिए उक्त मामले में सभी आवश्यक निदेश दिए जाएं।

(जो अपेक्षित नहीं है, उसे काट दें)

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

रजिस्ट्रार

अनुलग्नक:- कंपनी समापक द्वारा आवेदन दायर किए जाने के मामले में, उन तथ्यों का उल्लेख करते हुए, जिन पर आवेदन आधारित है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण।

- यदि कंपनी समापक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया है तो जिस संबंध में जांच करने की अनुमति ली गई है और उसके आधारों का उल्लेख करते हुए आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र।

प्ररूप विन 62

[नियम संख्या 140 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

कंपनी समापक-आवेदक

..... न्यायपीठ के माननीय सदस्य के समक्ष

तारीख

धारा 299 के अधीन निजी जांच के लिए आदेश

उक्त नाम की कंपनी के कंपनी समापक (या क,ख, अभिदायी) के तारीख के आवेदन पर और उक्त कंपनी को बंद करने के तारीख के आदेश (या कोई अन्तरिम समापक को नियुक्त करने का आदेश) को पढ़ने और कंपनी समापक (या, उक्त क.,ख., के शपथ-पत्र) के तारीख के विवरण को पढ़ने के पश्चात्,

यह आदेश दिया जाता है :

IndiaCode

1. कि (नाम और वर्णन)* को [कंपनी के स्वामित्व में संपत्ति (या बहियों या दस्तावेजों) या कंपनी के प्रति उसके ऋण या कंपनी के प्रवर्तन, गठन, व्यापार, सौदे, संपत्ति, बहियों या दस्तावेजों] के संबंध में धारा 299 के अधीन जांच किए जाने के उद्देश्य हेतु तारीख को..... बजे अधिकरण में उपस्थित होने का समन भेजा जाए [और उक्त को उसकी अनुसूची में उल्लिखित दस्तावेजों और उपर्युक्त कंपनी से संबंधित किसी भी तरह के अन्य सभी बहियों, दस्तावेजों, विलेखों, लेखनों और उसके पास या अधिकार में रखे दस्तावेजों को अपने साथ लाना और उक्त समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है];

2. कि कंपनी समापक उक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की जांच करे;

3. कि जांच अधिकरण (या अधिकरण द्वारा निर्देशानुसार) की जाएगी;

**[4. कि..... (नाम) को उक्त कंपनी का एक लेनदार (या अभिदायी) होने के कारण उक्त जांच में उपस्थिति होने (और इसका हिस्सा होने] की छूट है।

अनुसूची

(व्यक्तियों जिनकी जांच की जानी है और/या दस्तावेज जिनको प्रस्तुत किया जाना है, जैसा भी मामला हो)

तारीख, 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

*जहां एक से अधिक व्यक्तियों की जांच की जानी हो, अर्थात् "अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों को समन भेजा जाए, और आदेश में एक अनुसूची में नाम और पते दिए जाएं।"

**जो अपेक्षित नहीं है उसे काट दें। जहां आवश्यक है, वहां शामिल किया जाए।

प्ररूप विन 63

[नियम संख्या 141 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

कंपनी समापक-आवेदक

धारा 299 के अधीन जांच हेतु अभिसाक्षी को समन

सेवा में,

.....

.....

जबकि अधिकरण द्वारा तारीख को दिए गए एक आदेश द्वारा, यह आदेश दिया जाता है कि आपकी (नाम और वर्णन) उपर्युक्त कंपनी (या जैसा भी मामला हो) के मामलों के संबंध में धारा 299 के उपबंधों के अधीन जांच की जाएगी, एतदद्वारा आपसे उपरोक्तानुसार तारीख को..... बजे अधिकरण में उपस्थित होने और (यहां संपत्ति या दस्तावेज आदि का विवरण दें) कंपनी से (या संपत्ति के) अन्य दस्तावेज जो आपके स्वामित्व या अधिकार में हैं, को अपने साथ लाने और उपर्युक्त स्थान पर प्रस्तुत करने का अनुरोध है।

यदि आप अधिकरण को विधिपूर्ण अवरोध के बारे में सूचित किए बिना और उसकी अनुमति के बगैर उक्त स्थान और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो अधिकरण आप पर समुचित लागत का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

एतदद्वारा उपरोक्त जांच के संबंध में आपके व्यय के लिए रु. की राशि का भुगतान (या, पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा अलग से भेजें) किया जाता है।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक रजिस्ट्रार

प्ररूप विन 64

[नियम संख्या 144 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

..... न्यायपीठ के माननीय सदस्य के समक्ष

जांच के निदेश का आदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 281(4) के अधीन उपर्युक्त मामले में कंपनी समापक की तारीख की रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात्, यह आदेश दिया जाता है:

1. कि कुछ व्यक्ति, जिनके नाम और पते इसकी अनुसूची में दिए गए हैं, इस उद्देश्य के लिए नियत किए जाने वाले दिन और समय पर अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे, और कंपनी के प्रवर्तन या गठन या व्यापार की रीति, या कंपनी के अधिकारियों के व्यवहार और लेन-देन की जांच की जाएगी।
2. कि जांच के लिए नियत तारीख का नोटिस (यहां उस समाचार पत्र या समाचार पत्रों का नाम लिखें जिनमें विज्ञापन दिया जाना है) को एक अंक (प्रत्येक) में विज्ञापित किया जाए और ऐसी सूचना की तामील जांच किए जाने वाले व्यक्तियों को जांच की तारीख से कम से कम सात दिन पहले की जाए।
3. कि जांच (अधिकारी* का नाम लिखें और जांच के तरीके से संबंधित या जांच किए जाने वाले व्यक्तियों से संबंधित मामले के बारे में कोई अतिरिक्त निदेश दिए जाएं) के समक्ष की जाएगी।

अनुसूची

क्र.सं.	नाम	पता	कंपनी के साथ संबंध

तारीख, 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

IndiaCode

प्ररूप विन 65

[नियम संख्या 145 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

जांच का नोटिस

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि धारा 300 के अधीन उपर्युक्त कंपनी के निदेशक (या अन्य अधिकारी) की जांच तारीख.....को..... बजे के अधिकरण में की जाएगी।

कंपनी समापक

प्ररूप विन 66

[नियम संख्या 145 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

जांच में हाजिर होने के लिए नोटिस

जबकि इस अधिकरण के तारीख..... के आदेश द्वारा निम्नलिखित क, ख, को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने और कंपनी के प्रवर्तन या गठन के अनुसार और/या कंपनी के व्यापार की रीति और/या आप की रीति और लेन-देन (यहां निदेशक या अधिकारी जैसा भी मामला हो, का नाम लिखें) के अनुसार, सार्वजनिक रूप से जांच किए जाने का आदेश दिया गया था;

और जबकि यह निदेश दिया गया है कि न्यायपीठ के समक्ष उक्त जांच की जानी है, या अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि उक्त जांच (अधिकारी के नाम का उल्लेख करें), जिसके समक्ष जांच किए जाने का निदेश दिया गया है, के समक्ष की जानी है, और जबकि उक्त जांच को निष्पादित करने के लिए तारीखसमय..... नियत किया गया है;

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त समय और स्थान किसी प्रकार के जांच स्थगन जिसका, आदेश दिया जा सकता है, पर आपका उपस्थित होना अपेक्षित है, और अपने साथ उपरोक्त कंपनी से संबंधित सभी बहियों दस्तावेजों और लेखन और आपके स्वामित्व या अधिकाराधीन अन्य दस्तावेजों को साथ लाएं और प्रस्तुत करें;

और आगे सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त समय और स्थान और उक्त सार्वजनिक जांच के किसी स्थगन के दौरान बिना किसी उचित कारण के उपस्थित नहीं होते हैं तो आप की गिरफ्तारी का एक वारंट जारी किया जाएगा और आप आगे का नोटिस के बिना ही कारावास दंड के भागी होंगे;

टिप्पण : आपको कंपनी समापक की रिपोर्ट जिस पर सार्वजनिक जांच के आदेश दिए गए थे, की प्रति आपके द्वारा इसके लिए नियत प्रभारों के भुगतान पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

सेवा में

क ख.....

(नाम)

(विवरण और पता)

.....

प्ररूप विन 67

[नियम संख्या 147 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

जांच किए गए व्यक्ति द्वारा नियम 147 में निर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकारी को संतोषजनक उत्तर देने से मना करने की स्थिति में अधिकरण को सूचित करना

तारीख को (जांच किए गए व्यक्ति का नाम और विवरण की मेरे समक्ष सार्वजनिक जाँच की गई), में उक्त व्यक्ति (इसके पश्चात् में "अभिसाक्षी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को मेरे द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए (या मुझे अनुमति दी गई) थे।

प्र. [यहां प्रश्न/प्रश्नों का उल्लेख करें]

अभिसाक्षी ने उक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया (या अभिसाक्षी ने उक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया :-

[यहां उत्तर यदि कोई हो, लिखें]

मैंने तत्पश्चात् अभिसाक्षी को सूचित किया था कि मैंने अधिकरण के समक्ष उसके द्वारा उत्तर न देने से मना करने की सूचना दे रहा हूं और उसे तारीख को बजे अधिकरण में उपस्थित होना है, जहां अधिकरण द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

जांचकर्ता व्यक्ति/प्राधिकारी

प्ररूप विन 68

[नियम संख्या 150 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

जांच में उपस्थित न होने वाले अभिदायी के विरूद्ध वारंट

सेवा में,

क.ख., इस अधिकरण का अधिकारी

(या जैसा भी मामला हो)

जबकि इस अधिकरण के तारीख के आदेश द्वारा, क. ख., (उपस्थित होने के लिए अपेक्षित अभिदायी का नाम) को धारा 301 के अधीन जांच करने के उद्देश्य से अधिकरण में नियत तारीख और समय पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था; और

जबकि अधिकरण (या अधिकारी आदि) के समक्ष उक्त जांच के लिए तारीखकोबजे नियत किया गया था; और

IndiaCode

जबकि शपथ लेने के बाद दिए गए साक्ष्यों द्वारा (या के शपथ पत्र जिसकी सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई है), अधिकरण को इस बात की पुष्टि की गई है कि उक्त आदेश और नियत उक्त समय और स्थान पर उपस्थित होने का नोटिस की तामील उक्त क.ख को करा दी गई है; और

जबकि उक्त क.ख., इस अधिकरण के तारीख को उपस्थित होने के निदेश संबंधी उक्त आदेश की अपेक्षाओं के अनुसार, जांच के उद्देश्य हेतु उक्त तारीख को बिनां किसी वैध कारण अनुपस्थित थे [या और उक्त क.ख., उक्त जांच से बचने के लिए फरार हो गए थे (या कि ऐसा मानने के कारण है कि उक्त क.ख. फरार होने वाला है)] ;

आपको उक्त क.ख. को गिरफ्तार करने और अपनी अभिरक्षा में लेने तथा इस अधिकरण के समक्ष यथाशीघ्र पेश करने का आदेश दिया जाता है।

आपको.....20..... को या उससे पूर्व इस वारंट को वापस करे का की आदेश दिया जाता है जिसमें इसे कार्यान्वित करने की तारीख और रीति को प्रमाणित किया गया हो और यदि कार्यान्वित न किए गए हो, तो उसके कारण दिए गए हों।

तारीख, 20..... को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मोहर सहित।

अधिकरण

प्ररूप विन 69

[नियम संख्या 151 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

..... की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

कारावास में रखने के लिए वारंट

सेवा में

कारागार प्रभारी अधिकारी

..... जेल.....

.....

जबकि क.ख., जिसकी उपस्थिति अधिकरण के समक्ष धारा 301 के अंतर्गत जांच हेतु अपेक्षित है, को गिरफ्तार कर उसे अभिरक्षा में लेने के पश्चात् अधिकरण के समक्ष पेश किया गया था, और जबकि अधिकरण ने उक्त को उक्त धारा के अधीन उसकी जांच किए जाने के लिए उसकी उपस्थिति हेतु सुरक्षा प्रदान करने की बात की थी और उक्त क.ख. ऐसा करने में असफल रहा।

आपसे उक्त क.ख. को सिविल कारागार में अपनी अभिरक्षा में लेने और अधिकरण के समक्ष तारीख को..... बजे और किसी अन्य दिन या दिनों में, जैसा कि इसके बाद आदेश दिया जाए, को पेश करने की अपेक्षा की जाती है।

तारीख, 20.....

अधिकरण

IndiaCode

प्ररूप विन 70

[नियम संख्या 151 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

कैदी को जमानत पर रिहा करने का आदेश

क.ख., जोमें स्थित सरकारी बंदीगृह के सिविल कारागार में एक कैदी है, जिसे इस अधिकरण के तारीख के आदेश के अनुसरण में, अधिकरण के तारीख के वारंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तारीख.....20..... के आवेदन और श्री, आवेदक के प्रतिनिधि और उपर्युक्त कंपनी के कंपनी समापक की सुनवाई, और परिसमापन आदि के आदेश को पढ़ने के पश्चात् तथा उक्त क.ख., उसके वकील के साथ तारीख.....समय को अधिकरण (या अधिकारी आदि) के समक्ष और उक्त जांच के किसी स्थान के दौरान तारीख.....20..... के उक्त आदेश के अनुसरण में उपस्थित होंगे।

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त क.ख. द्वारा इस अधिकरण में रु. के भुगतान किए जाने पर [या उक्त क.ख. द्वारा इस अधिकरण के समक्ष इसकी उपस्थिति के लिए इस अधिकरण (रजिस्ट्रार की) संतुष्टि के लिए रु. की दो जमानत देने पर]में स्थित कारागार के प्रभारी अधिकारी तारीख के उक्त वारंट के अधीन अपनी अभिरक्षा से उक्त क.ख को मुक्त करें।

तारीख, 20..... (अधिकरण द्वारा)

अधिकरण या रजिस्ट्रार

प्ररूप विन 71

[नियम संख्या 152 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम,.....के अधीन निगमित कंपनी)

20.....की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

---------- न्यायालय में अभियाचना, जिसके क्षेत्राधिकार में किसी अभिदायी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

जबकि कंपनी अधिनियम, 2013..... और कंपनी परिसमापन नियम, 2020 के उपबंधों के अधीन उसमें उल्लिखित अभिदायी अर्थात्..... के..... के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट, यहां संलग्न किया गया है, जारी किया गया है, और

जबकि वह इस अधिकरण के सामान्य क्षेत्राधिकार से बाहर है और के न्यायालय (या मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, जैसा भी मामला हो, के लघु मामलों के न्यायालय) के क्षेत्राधिकार में माना गया है, आपसे उक्त वारंट को कार्यन्वित करने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त आपको इस वारंट को तारीख या उससे पहले पृष्ठांकन सहित लौटाने का आदेश दिया जाता है जिसमें इसके कार्यान्वयन की तारीख और रीति प्रमाणित किया गया हो या कार्यान्वित न किए जाने के कारण दिए गए हों।

यदि उक्त अभिदायी ने धारा 301 के अधीन इस अधिकरण के समक्ष ऐसी तारीख और ऐसे समय, जैसा कि इस अधिकरण द्वारा उसे सूचित किया जाए के भीतर जांच हेतु उसकी यथोचित उपस्थिति के लिए प्रतिभूति के रूप में रु. की राशि जमा की है, तो ऐसी प्रतिभूति के आधार पर उक्त व्यक्ति को मुक्त किया जाए।

तारीख, 20.....

मूल वारंट जारी करने वाले अधिकरण की मोहर अधिकरण

अनुलग्नक : वारंट

सेवा में

.....

न्यायालय

[या मुख्य न्यायाधीश, लघु मामलों का न्यायालय, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, जैसा भी मामला हो]

प्ररूप विन 72

[नियम संख्या 153 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की आवेदन संख्या.....

(कंपनी) का कंपनी समापक

.....[अथवा क.ख., लेनदार या अभिदायी जैसा भी मामला हो] आवेदक

बनाम

---------- प्रतिवादी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 339 (1) के अधीन समन

उपरोक्त (कंपनी) समापक [अथवा क.ख. उक्त कंपनी के लेनदार/अभिदायी] की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 339(1) के अधीन आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख दिन 20 को बजे कक्ष में सभी पक्ष निम्नलिखित घोषणाओं और आदेशों के संबंध में उपस्थित होंगेः-

1. यह घोषणा कि उक्त कंपनी का व्यापार 20 से20..... (कंपनी के परिसमापन के प्रारम्भ की तारीख) तक लेनदारों को धोखा देने और इस तथ्य के कारण से अन्य कपटपूर्ण प्रयोजनों के लिए [यहां कपटपूर्ण आशय दर्शाने वाले तथ्य दिए जाएं अर्थात् कंपनी द्वारा भुगतान करने का कोई साधन या संभावना न होने के बावजूद और साथ ही प्रतिवादी ग.घ. आदि सहित डिबेंचर धारकों या जैसा भी मामला हो, में वितरण हेतु उपलब्ध आस्तियों की राशि को बढ़ाने के उद्देश्य से, यथास्थिति व्यापार करना और ऋण पर वस्तुएं प्राप्त करना तथा अन्य देयताएं अर्जित करना जारी रखना] तथा कंपनी के होने के नाते प्रतिवादी उक्त रीति से उक्त कंपनी का व्यापार चलाने में सहमत पक्ष थे।

IndiaCode

2. यह घोषणा कि प्रतिवादी (नाम) कंपनी के सभी ऋणों या अन्य देयताओं के लिए बिना किसी देयता की सीमा के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3. यह घोषणा कि उक्त प्रतिवादी उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या दी गई सेवाओं या खर्च की गई अन्य देयताओं के संबंध में कंपनी के ऋणों या उक्त धनराशि का ऐसा भाग, जिसे अधिकरण यथोचित जांच के बाद उपयुक्त समझे, [कंपनी] समापक को..... रुपए की राशि का भुगतान संयुक्त रूप से या अलग-अलग करेंगे।

4. उक्त प्रतिवादियों द्वारा [कंपनी] समापक को रुपए की उक्त धनराशि या ऐसी अन्य कोई राशि, जैसा कि अधिकरण उचित समझे, का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

5. यह आदेश कि उपर्युक्त घोषणा पत्रों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी (नाम) की देयता में [यहां प्रतिवादी का ऋण, बंधक या हित बताया जाए जिस पर धारा 339(2)(ख) के अधीन प्रभार लगाया जाना है] प्रथम प्रभार [तथा प्रतिवादी ग.घ. की इसके अधीन देयता और उक्त कंपनी द्वारा उसे जारी किए गए डिबेंचर पर प्रथम प्रभार तथा उससे प्राप्त धनराशि सहित] होगा।

6. यह आदेश कि प्रतिवादी आवेदन को इस आवेदन की और इससे अनुषंगी लागत का भुगतान करेंगे।

7. इस संबंध में ऐसा कोई अन्य आदेश जैसा कि अधिकरण उचित समझे।

तारीख, 20.....

रजिस्ट्रार,

यह समन श्री, आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया गया।

सेवा में

..... (प्रतिवादी)

.....

टिप्पण: यदि आप उचित समय और स्थान पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो अधिकरण ऐसे आदेश और कार्रवाई जो वह उचित और आवश्यक समझे, करने का आदेश दे सकता है।

प्ररूप विन 73

(नियम संख्या 153 देखें)

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की आवेदन संख्या.....

(20.... की कंपनी की याचिका संख्या में)

(कंपनी) का कंपनी समापक

[अथवा क,ख. उक्त कंपनी का लेनदार या अभिदायी जैसा भी मामला हो] आवेदक

बनाम

---------- प्रतिवादी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 340(1) के अधीन समन

सभी पक्ष उपर्युक्त कंपनी के [कंपनी] समापक [अथवा क.ख., उपर्युक्त कंपनी का लेनदार/अभिदायी] की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 340(1) के अधीन आवेदन की सुनवाई हेतु तारीख दिन 20 को बजे कक्ष में वर्तमान न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित के संबंध में उपस्थित होंगे –

1. यह घोषणा कि उक्त कंपनी के प्रतिवादियों [संप्रवर्तकों, निदेशकों आदि, जैसा भी मामला हो] ने कंपनी की धनराशि या संपत्ति के लिए मिथ्या आवेदन किया है, जारी रखा है या उत्तरदायी या जिम्मेदार हैं या उक्त कंपनी के संबंध में अपकरण और विश्वास भंग के दोषी पाए गए हैं [यहां संक्षेप में कारण बताए जाएं जिनके आधार

IndiaCode

पर घोषणा मांगी जा रही है अर्थात् वित्तीय वर्ष के संबंध में उक्त कंपनी की रुपए की प्रतिभूति पर विचार किए बिना या लिए बिना शेयरधारकों को 20 की तारीख को लाभांश का भुगतान किया है जिसके द्वारा यथास्थिति 20 की तारीख को दिवालिया के रूप में उक्त के अधिनिर्णय पर उक्त कंपनी को संपूर्ण हानि हुई है।]

2. उक्त अपकरण और विश्वास भंग के लिए प्रतिवादी हर्जाने के रूप में कंपनी की आस्तियों में कितना अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे, नियत करने के लिए सभी आवश्यक जांच के आदेश दिए जाएंगे।

3. यह आदेश कि प्रतिवादी उक्त कंपनी की आस्तियों में संयुक्त रूप से या अलग-अलग अंशदान करेंगे और उक्त कंपनी के (कंपनी) समापक को ऐसी समस्त राशि का भुगतान करेंगे जो कि उन तारीखों जिनमें उक्त राशि गलत ढंग से दी गई थी, से लेकर पुनर्भुगतान की तारीख तक प्रतिशत वार्षिक की दर से उक्त राशि पर ब्याज सहित ऐसी आस्तियों में अंशदान के लिए देय पाई जाए।

4. यह आदेश कि प्रतिवादी इस आवेदन की और इससे प्रांसगिक लागत का भुगतान करेंगे।

5. इस संबंध में ऐसा कोई अन्य आदेश जैसा कि अधिकरण उचित समझे।

तारीख, 20.....

आवेदक का प्रतिनिधि

रजिस्ट्रार,

[यह समन आवेदक के प्रतिनिधि श्री द्वारा प्राप्त किया गया।]

सेवा में

..... (प्रतिवादी)

.....

टिप्पण: यदि आप उपर्युक्त समय और स्थान पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो अधिकरण ऐसा आदेश और कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है, जो वह उचित और आवश्यक समझे।

IndiaCode

प्ररूप विन 74

[नियम संख्या 154 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की आवेदन संख्या

[20.....की कंपनी याचिका संख्या.....

आवेदकः

बनाम

प्रतिवादीः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 339(1) के अधीन दावा संबधी मदें

1. उपर्युक्त कंपनी [जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है]20..... को..... रुपए प्रत्येक के शेयरों में विभाजित रुपए की पूंजी के साथ निगमित की गई जिसमें से शेयर वास्तविक समय में जारी किए गए और पूर्णतया भुगतान किए गए।

2.20..... को अधिकरण द्वारा कंपनी के परिसमापन के आदेश दिए गए।

3. यह कंपनी दिवालिया है और [कार्य विवरण] के अनुसार अनुमानित घाटा रुपए है।

4. प्रतिवादी उक्त कंपनी का एक निदेशक/प्रबंध एजेंट आदि था (प्रतिवादी द्वारा कंपनी में धारित पद और उस पद पर रहने की अवधि तथा उसे दिया जाने वाला वेतन बताया जाए)

5. आदि [यथा आवश्यक, अलग-अलग पैरा में उल्लेख करें, कंपनी के व्यापार की प्रकृति, उसे चलाने का माध्यम और यह दर्शाने वाले तथ्य कि व्यापार कपटपूर्ण ढंग से चलाया गया और यह थी कि प्रतिवादी सब जानते हुए उसका एक पक्ष था]

कंपनी समापक/समापक/क.ख. आवेदक के दावे हैः-

1. यह घोषणापत्र कि प्रतिवादी देयता की किसी सीमा के बिना समस्त ऋणों के लिए दायी है,

कंपनी के रुपए की राशि के लिए।

2. यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के ऋणों की राशि

3. प्रतिवादी द्वारा रुपए की उक्त राशि या अन्य राशि जिसके लिए लेखा हाथ में लेने पर उसे उत्तरदायी पाया गया, का भुगतान।

4. लागत

5. अतिरिक्त या अन्य राहत।

आवेदक

आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा 20 की तारीख को सौंपा गया।

IndiaCode

प्ररूप विन 75

[नियम 154 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की आवेदन संख्या.....

[20..... की कंपनी याचिका सं. में]

आवेदक

बनाम

प्रतिवादी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 340(1) के अधीन दावे की मदें

1. उपरोक्त कंपनी (इसके बाद से कंपनी कहा गया है) को तारीख 20 को रुपए की पूंजी के साथ निगमित किया गया था और जिसे रुपए प्रति शेयर के रूप में शेयरों में विभाजित किया गया और उन शेयरों में से शेयरों को वास्तविक समय में जारी किया गया है और कंपनी के खाते में पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर के रूप में जमा कर दिया गया है।
2. तारीख 20 को अधिकरण द्वारा एक आदेश के माध्यम से कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया गया।

3. सभी प्रतिवादी प्रत्येक मूर्त समय के लिए [प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा अधिकृत स्थिति बताएं, अर्थात्, संप्रवर्तक, पूर्व या वर्तमान निदेशक, प्रबंधन एजेंट, सचिव और खजांची, प्रबंधक, कंपनी का समापक अधिकारी] बने रहेंगे।

4. इत्यादि [पृथक पैरा में जैसा आवश्यक हो, उल्लेख करें जिसमें प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा किए गए अपकरण या विश्वास भंग और ऐसे अपकरण या विश्वास भंग के परिणामस्परूप कंपनी को संयुक्त रूप से या पृथक रूप से चुकता की जाने वाली राशि के विषय में मुख्य तथ्य दर्शाए गए हों]

और कंपनी समापक/समापक/क.ख., आवेदक यह दावा करता है कि:-

(1) यह घोषणा कि, प्रतिवादी और पूर्व (या वर्तमान) निदेशक [जैसा भी मामला हो] के रूप में उपरोक्त में से प्रत्येक व्यक्ति जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कंपनी के संबंध में अपकरण और विश्वास भंग के लिए दोषी पाया गया है।

(2) यह आदेश कि प्रतिवादी और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कथित कंपनी के (कंपनी) समापक को तारीख 20..... सेप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करेगा।

(3) लागत

(4) अतिरिक्त या अन्य राहत

आवेदक

..... द्वारा तारीख दिन 20 को सौंपा किया गया।

प्ररूप विन 76

[नियम संख्या 156 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की कंपनी याचिका संख्या.....

समापक को दावा परित्याग करने या न करने का विकल्प चयन करने का नोटिस

मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपको यह नोटिस देता हूँ कि उपरोक्त कंपनी जिसे परिसमापन आदेश तैयार करते समय [या परिसमापन के लिए संकल्प पारित करते समय] इस अनुसूची [या जैसा भी मामला हो] में वर्णित उक्त संपत्ति का पट्टाधारी माना गया है, और मैं उक्त संपत्ति (या जैसा भी मामला हो) के पट्टादाता के रूप में, कंपनी अधिनियम की धारा 333(4) के उपबंधों के अनुसरण में यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् अट्ठाइस दिनों के भीतर यह निर्णय करें कि क्या आप उक्त पट्टे (या जैसा भी मामलो हो) का दावा परित्याग करना चाहते हैं, और यदि आप उपरोक्त अनुसार इस पट्टे का दावा परित्याग करना चाहते हैं तो आप मुझे उक्त अट्ठाइस दिनों के भीतर तदनुसार दावा परित्याग करने की अनुमति के लिए अधिकरण को आवेदन करने की आपकी इच्छा का सूचना दें**।

आज तारीख दिन 20

(हस्ताक्षर)

पता :

(पट्टादाता या पट्टादाता का प्रतिनिधि, या जैसा भी मामला हो)

सेवा में,

..... कं. लि. (समापनाधीन कंपनी) का (कंपनी) समापक

IndiaCode

अनुसूची

संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि के ब्योरे का उल्लेख करें।

**संविदा के मामले में, अंत में "और साथ ही उक्त अवधि के भीतर संविदा का दावा परित्याग करे" जोड़े।

प्ररूप विन 77

[नियम संख्या 156 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

.....याचिकाकर्ता

दावा परित्याग करने की अनुमति के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन की इच्छा के लिए समापक द्वारा नोटिस

कृपया ध्यान दें कि मैं आपके द्वारा उपरोक्त कंपनी के समापक के रूप में मुझे दिये गए नोटिस में निर्दिष्ट दावा परित्याग करने की अनुमति के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन करने को इच्छुक हूँ [यहां लघु ब्यौरों और दावा परित्याग करने वाली कंपनी के हित सहित संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि विनिर्दिष्ट करें]।

हस्ताक्षर

(कंपनी) उक्त कंपनी का समापक

सेवा में,

.....

.....

प्ररूप विन 78

[नियम संख्या 156 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की आवेदन संख्या.....

उक्त कंपनी का (कंपनी) समापक-आवेदक

दावा परित्याग करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के आशय का नोटिस देते समय विस्तारण हेतु समन

तारीख20..... को आवेदक द्वारा एक आवेदन की सुनवाई पर सभी संबंधित पक्षकार अधिकरण में उपस्थित होंगे जिसमें यह आदेश है कि उपरोक्त कंपनी के (कंपनी) समापक के रूप में आवेदक, आदेश देने के दिनों के भीतर अधिकरण के समक्ष दावा परित्याग करने की अनुमति के आवेदन करने के आशय का नोटिस..... केको देने के लिए स्वतंत्र है।

तारीख दिन, 20.....

(कंपनी) समापक

रजिस्ट्रार

IndiaCode

यह समन उपरोक्त कंपनी के (कंपनी) समापक द्वारा निकाला गया है।

सेवा में,

(समन भेजे जाने वाले व्यक्तियों का नाम दें, यदि कोई हों)

प्ररूप विन 79

[नियम संख्या 156 देखें]

..... में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

दावा परित्याग के लिए समय विस्तारण आदेश

इत्यादि के आवेदन के संबंध में

यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक को ऐसे समापक के रूप में, तारीख.....20..... सेदिनों की अतिरिक्त अवधि दी जाए, और एतदद्वारा दी जाती है, जिसके भीतर वह..... को अधिकरण के समक्ष..... (यहां लघु ब्यौरों और दावा परित्याग करने वाली कंपनी के हितों सहित संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि विनिर्दिष्ट करें) दावा परित्याग करने की अनुमति के आवेदन के आशय का नोटिस दे सकता है।

तारीख दिन....., 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

प्ररूप विन 80

[नियम संख्या 156 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

संपत्ति में हितबद्ध होने के दावा परित्याग का नोटिस

सेवा में,

(कंपनी) समापक आदि,

कृपया ध्यान दें कि मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपके द्वारा दावा परित्याग की गई संपत्ति (संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि का संक्षिप्त विवरण दें) में हितबद्ध होने का दावा करता/करती हूं, और उसमें मेरे हित का स्वरूप निम्नानुसार है:

**

(हस्ताक्षर)

पता

प्ररूप विन 81

[नियम संख्या 156 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20.....का आवेदन संख्या.....

उक्त कंपनी का (कंपनी) समापक-आवेदक

दावा परित्याग की अनुमति के लिए आवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 333 के अनुसरण में एक आदेश के लिए उपरोक्त कंपनी के (कंपनी) समापक के आवेदन की सुनवाई हेतु अधिकरण में तारीख ……को…….बजे..... सभी संबंधित पक्ष उपस्थित हों, उक्त समापक के पास [उक्त धारा द्वारा उसकी समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद] दावा परित्याग करने को स्वतंत्र हो [यहां संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि का संक्षिप्त विवरण सहित और उसमें कंपनी के हित के दावा परित्याग का उल्लेख करें] तथा आवेदन की लागतों का प्रावधान किया जाए।

तारीख दिन....., 20.....

उक्त कंपनी का समापक

रजिस्ट्रार

टिप्पण - सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षों को नोटिस के लिए समन स्थगित किया जाएगा।

*यदि समय समाप्त हो गया है तो शामिल किया जाए।

IndiaCode

प्ररूप विन 82

[नियम संख्या 156 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20.....की आवेदन संख्या.....

(कंपनी) उक्त कंपनी का समापक-आवेदक

किसी पट्टे को अस्वीकृत करने की अनुमति के लिए समन के समर्थन में शपथ-पत्र

मैं, उक्त कंपनी का कंपनी समापक, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह कहता हूं:-

1. उपर्युक्त नाम की कंपनी [इसके बाद कंपनी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है] को इस अधिकरण के तारीख20..... के आदेश द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था, और मुझे इसके परिसमापन के उद्देश्य के लिए समापक नियुक्त किया गया था।

2. एक भाग की..... और दूसरे भाग की कंपनी के बीच तारीख..... को किए गए पट्टा द्वारा उक्त कंपनी को उक्त..... में हस्तांतरित किया गया [किसी विशेष अनुबंध का उल्लेख करते हुए पट्टा और किराए के परिसर का संक्षिप्त विवरण दें] उक्त पट्टा प्रस्तुत कर दिया गया है और "क" चिन्हित कर मुझे दिखाया गया है।

3. कंपनी को हस्तांतरित किए गए परिसर उनके द्वारा (उल्लेख करें) के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिए गए थे किंतु.....20..... से कंपनी द्वारा अधिकृत या उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं, (आदि, या जैसा भी मामला हो) और उसमें कंपनी की कोई वस्तु या चल-संपत्ति नहीं है।

4. मैंने उक्त पट्टे को बेचने का प्रयास किया/नहीं किया है। इसके देय किराये और शर्तों को देखते हुए यह पट्टा लाभदायक नहीं है। मैंने हस्तांतरित परिसर का कब्जा लिया/नहीं लिया है या इस संबंध में स्वामित्व प्राप्त करने (या जैसा भी मामला हो) का कोई कार्य नहीं किया है।

5. उक्त पट्टा कंपनी इसके लेनदारों या शेयरधारकों के लिए लाभदायक नहीं है, और मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त पट्टे में कंपनी और..... पट्टादाता, जैसा कि ऊपर कहा गया है (या जैसा भी मामला हो) के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इच्छुक नहीं है।

6. (यदि "अस्वीकरण" उस स्पष्टीकरण में समय, तथ्यों से परे है जिस पर अधिकरण को समय बढ़ाने के लिए विधिवत् रूप से कहा गया है, तो उसका उल्लेख करें।)

7. तारीख को, मुझे..... के..... से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें मुझसे पूछा गया है कि क्या उक्त संविदा को अस्वीकृत करने का मेरा इरादा था या नहीं। इस नोटिस के प्राप्त होने के अट्ठाइस दिन के भीतर, तारीख..... को (या यदि अधिकरण द्वारा समय का विस्तार कर दिया गया है तो मेरे द्वारा उक्त नोटिस की प्राप्ति से अट्ठाइस दिन व्यतीत हो जाने के बावजूद, अधिकरण की अनुमति द्वारा जोड़ा जाए) मैं उक्त.....को अधिकरण के समक्ष यह आवेदन करने के अपने आश्य का नोटिस देता हूँ। उक्त नोटिस की प्रति को संलग्न और..... चिह्नित कर संलग्न कर दिया गया है। मैंने अधिकरण को यह आवेदन करने के लिए उक्त..... को इरादतन नोटिस दिया। उक्त नोटिस की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और..... को चिह्नित की गई है।

8. कंपनी की आस्तियां लेनदारों (या जैसा भी मामला हो) के दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

9. इन परिस्थितियों में, मैं उक्त पट्टे के दावे को अस्वीकार करने की अनुमति मांगता हूं और उक्त..... को अन्य लेनदारों सहित उक्त अस्वीकरण के कारण हुई हानि को सिद्ध करने की अनुमति दी जाए।

सत्यनिष्ठा से पुष्टि आदि।

समापक

***टिप्पण:** इस पट्टे की मूल या एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।

प्ररूप विन 83

[नियम संख्या 159 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20..... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

संपति के दावे का परित्याग करने हेतु आवेदन के संबध में हितबद्ध पक्षों को नोटिस

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त कंपनी के तारीख..... के पट्टे के दावे के परित्याग की अनुमति के लिए उपर्युक्त कंपनी के (कंपनी) समापक के रूप में मेरे द्वारा अधिकरण को किए गए आवेदन (या जैसा भी मामला हो) पर आपको दिए गए नोटिस के लिए अधिकरण के तारीख..... तक मामले को स्थगित कर दिया गया है।

यदि आप उक्त आवेदन पर सुनवाई चाहते हैं तो आप वैयक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा तारीख..... जो वर्ष.....का.....है, समय..... अधिकरण के समक्ष स्थगित सुनवाई में उपस्थित हों।

ऐसा कोई भी शपथ-पत्र, जिसे आप बचाव में प्रयोग करना चाहते हैं, अधिकरण में दायर किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति मुझे स्थगित सुनवाई की तारीख से पहले दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

समन की एक प्रति और उसके समर्थन में दायर किए गए मेरे शपथ पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है।

(हस्ताक्षर)

.....

समापक

सेवा में,

.....

.....

प्ररूप विन 84

[नियम संख्या 160 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20.....का आवेदन संख्या.....

उक्त कंपनी का (कंपनी) समापक-आवेदक

दावा परित्याग करने की अनुमति देने का आदेश

उपर्युक्त कंपनी के (कंपनी) समापक के तारीख के समन द्वारा आवेदन पर आवेदक को व्यक्तिगत रूप से (या आवेदक के प्रतिनिधि श्री.....[और(इच्छुक पक्ष) के प्रतिनिधि या अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में तारीख.....20..... को दायर..... के शपथ-पत्र द्वारा उक्त आवेदन की विधिवत सूचना की तामील किए जाने के बावजूद की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर] सुनवाई के पश्चात्, और तारीख..... के उक्त कंपनी द्वारा आदेश को पढ़ने पर, तारीख.....को दायर.....के शपथ-पत्र, तारीख.....20.....के परिसमापन और उक्त शपथ-पत्रों में क्रमश: [संविदा या पट्टा या जैसा भी मामला हो, होने के कारण प्रथम उल्लिखित शपथ-पत्र में को दिखाए गए प्रमाण]* देखने के पश्चात्

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त कंपनी के (कंपनी) समापक, आवेदक, को एक पक्ष के और दूसरे पक्ष की उक्त कंपनी के बीच तारीख; को किए गए संविदा (या पट्टा या शेयर या अन्य संपत्ति, जैसा भी मामला हो) जिसके ब्यौरे (यहां संविदा या पट्टा या शेयरों अन्य संपत्ति , जैसा भी मामला हो, के प्रकार का संक्षिप्त में उल्लेख करें) इस अनुसूची में उल्लिखित हैं, निम्नलिखित शर्तों पर संविदा का दावा परित्याग करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात्

[यदि कोई ऐसी निबंधन एवं शर्तें हैं जिसके कारण दावा परित्याग की अनुमति दी गई है, तो उनका यहां उल्लेख करें]।

IndiaCode

अनुसूची

[यहां दावा परित्याग की गई संपत्ति का ब्यौरा दें, अर्थात् तारीख..... को..... आदि के बीच की गई संविदा या पट्टा या.....रु. के अंकित मूल्य के शेयरों में से रु. से प्रदत्त हैं, आदि। (या जैसा भी मामला हो) ।

तारीख, 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

***टिप्पण** – जहां अधिकरण ने समय बढ़ाने का आदेश दिया है, उस आदेश का इस आदेश की प्रस्तावना में भी उल्लेख करना चाहिए।

प्ररूप विन 85

[नियम संख्या 161 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20……की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

पट्टे* के दावे का परित्याग

अधिकरण के तारीख.....20..... के एक आदेश के अनुसरण में, मैं, अधोहस्ताक्षरी, उपरोक्त कंपनी का कंपनी समापक एतदद्वारा तारीख..... के पट्टे के सभी दावों का परित्याग करता हूं, जिससे यह परिसर (यहां दावा परित्याग की जाने वाली संपत्ति का विवरण दें).....को.....वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष (या प्रति माह).....रु. के किराए पर दी जा सके।

इस दावा परित्याग का नोटिस..... को दे दी गई है।

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

* पट्टे के अलावा संपत्ति के मामले में प्ररूप में उचित संशोधन किया जाए।

प्ररूप विन 86

[नियम संख्या 161 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

…….. लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

.....याचिकाकर्ता

पट्टे के अस्वीकरण का नोटिस*

अधिकरण के तारीख 20..... के एक आदेश के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि में अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपरोक्त वर्णित कंपनी का कंपनी समापक मेरी लेखनी से तारीख..... 20 से इस के पट्टे में सभी हितों को तारीख20..... को अस्वीकार करता हूं जिससे इस परिसर (यहां अस्वीकृत संपत्ति का विवरण भरें) को के किराए रु. प्रति वर्ष (या प्रतिमाह) की दर पर वर्ष की अवधि के लिए दिया जा सके।

उपरोक्त वर्णित अस्वीकृति अधिकरण में तारीख 20..... को दाखिल किया गया

तारीख, 20.....

कंपनी समापक

*पट्टे के अलावा संपत्ति के मामले में प्ररूप को उचित रूप से संशोधित किया जाए।

प्ररूप विन 87

[नियम संख्या 162 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

…….. लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की आवेदन संख्या

क. ख. - आवेदक

ग. घ. – प्रतिवादी

अस्वीकृत पट्टे में इच्छुक पक्षों द्वारा अधिकार संबधी आदेश या पट्टाधारी परिसर के सभी हितों से बाहर रखे जाने हेतु आवेदन की अपेक्षा संबधी आदेश

1. जबकि उपरोक्त मामले में क्रमशः तारीख.....,20.....और तारीख.....,20.....को दायर शपथ पत्र और के शपथ पत्र से ज्ञात होता है कि :-

(क) तारीख ,20..... के पट्टे के द्वारा जो क.ख., आवेदक और उपरोक्त वर्णित कंपनी और अन्य पक्ष के बीच हुआ था,..... (वर्णन दीजिए) परिसर, कंपनी को..... 20 से की अवधि के लिए..... रु. प्रति वर्ष (या प्रति माह) के किराए पर हस्तांतरित किया गया था।

(ख) तारीख ,20.....के उप-पट्टे जो कंपनी एक पक्ष और ग.घ., प्रतिवादी दूसरा पक्ष के बीच, उसमें किए गए भुगतान और उसमें नामित अनुबंध और शर्तों के विचाराधीन किया गया था, कंपनी ने उक्त परिसर (भाग का एक*) उक्त ग.घ (तारीख..... ,20.....के बंधक या प्रभार और उसे सम्यक रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कंपनी उस स्थान पररु. की पुनः अदायगी के साथ में ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष ग.घ. के पक्ष में प्रभारित किया गया था) को हस्तांतरित कर दिया है।

2. और जबकि..... ,20....., को अधिकरण द्वारा कंपनी के परिसमापन का आदेश या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसमापन का प्रस्ताव पारित किया गया था और श्री..... को परिसमापन के उद्देश्य से समापक नियुक्त किया गया था।

3. और जबकि उक्त कंपनी के कंपनी समापक द्वारा तारीख,20..... को उक्त पट्टे को अस्वीकार करने की अनुमति का आदेश दिया गया।

4. और जबकि उक्त कंपनी के कंपनी समापक ने..... ,20..... को उक्त पट्टे को अस्वीकार करने के आशय की सूचना दी और.....,20.....को अपने उनके हस्ताक्षर से उक्त को अस्वीकार कर दिया और ऐसी अस्वीकृति को इन प्रक्रियाओं में,20..... दर्ज किया और उस पर.....20..... को क.ख. आवेदक को नोटिस तामील कर दी गई है।

उक्त क.ख द्वारा तारीख.....,20..... को समन द्वारा आवेदन के पश्चात् के आदेश कि प्रत्यर्थी ग.घ. द्वारा यह चुनाव कि क्या वे या उक्त पट्टे में सम्मलित अस्वीकृत संपत्ति के निहित आदेश का पालन करेंगे, को.....(संपत्ति का विवरण दें); किया जा रहा है।

इस अधिकरण द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जब तक उक्त प्रतिवादी ग.घ., उसे दिए गए इस आदेश की तामील के चौदह दिवस के भीतर उक्त पट्टे को उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अधीन जैसा कि वे कंपनी के पास पट्टे के अधीन आस्तियों के संबंध में परिसमापन की शुरुआत की तारीख.....,20..... (या उसी दायित्व एवं बाध्यताओं के अधीन जैसे उल्लिखित पट्टा उसे,20....., उल्लिखित कंपनी के परिसमापन की तारीख) को प्रदान की गई थी, के संबध हितबद्ध आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उक्त ग.घ. को उक्त परिसर में सभी हितों और उसे सभी सुरक्षाओं से बाहर रखा जाएगा।

यह कि, यह समन उक्त ग.घ को इस आदेश की तामील हेतु..... ,20.....तक आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

तारीख,20..... (अधिकरण द्वारा) रजिस्ट्रार

,*यदि भिन्न-भिन्न भागों का उप-पट्टा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दिया गया है, तो ऐसे सभी पट्टों को शामिल करने संबधी प्रावधान को दोहराएं।

IndiaCode

प्ररूप विन 88

[नियम संख्या 162 देखें]

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

क. ख. - आवेदक

ग. घ. – प्रतिवादी

..... न्यायपीठ के माननीय संदस्य के समक्ष

तारीख

पट्टे के अधिकार संबधी आदेश और चयन न किए गए व्यक्तियों को बाहर रखना

प्ररूप विन 87 के अनुसार (1) से (4)

5. और जबकि उक्त क.ख., के सम्मनों द्वारा इस आवेदन की सुनवाई जो प्रतिवादी ग.घ. द्वारा उक्त पट्टे में सम्मिलित अस्वीकृत संपत्ति में अधिकार आदेश लेने या न लेने का चुनाव करने के आदेश से संबंधित है, के पश्चात्, अधिकरण ने तारीख ,20..... को आदेश दिया था कि जब तक प्रतिवादी उक्त ग.घ. उक्त आदेश की तामील के चौदह दिन के भीतर उक्त पट्टे में उल्लिखित आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन उक्त पट्टे के अधिकार का आदेश आवेदन नहीं करता है, उक्त ग.घ. को उक्त परिसर में सभी हितों और सुरक्षा से अपवर्जित किया जाए।

6. और जबकि उक्त ग.घ. को उक्त आदेश की विधिवत रूप से तामील की गयी थी, जैसाकि तारीख..... ,20 को दायर.....के शपथ-पत्र, से प्रतीत होता है।

7. और जबकि उक्त ग.घ. ने उक्त आदेश में सीमित किए गए समय के भीतर अधिकार आदेश हेतु आवेदन या उसके लिए आवेदन करने के आशय का नोटिस नहीं दी है (*या उल्लिखित ग.घ. ने उल्लिखित पट्टे के अधिकार आदेश के लिए आवेदन कर दिया है।) सुनवाई इत्यादि, पढ़ने इत्यादि के पश्चात् यह अधिकरण आदेश देता है:

यह कि उक्त ग.घ. को एतदद्वारा पूर्व उल्लिखित स्थान के सभी हितों और सुरक्षा से अपवर्जित किया जाए (और वह संपत्ति..... के अधिकार में ली जाती है)

(या यह कि कंपनी का परिसर और विशेषकर जिसे तारीख.....,20.....के पट्टे में वर्णित किया गया है ग.घ. के अधिकार में है, प्रतिवादी..... वर्षों की शेष शर्तों पर उल्लिखित पट्टे को उसी दायित्व और बाध्यताओं के अधीन हस्तातरित की जाती है, जो कि संपत्ति के संबंध में कंपनी के परिसमापन के प्रारम्भ के अन्तर्गत थी [या पट्टा उस व्यक्ति को.....,20..... परिसमापन के प्रारम्भ की तारीख को समान दायित्व और बाध्यताओं के अधीन प्रदान की गई थी।]

तारीख दिन....., 20.....

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

* जहां ऐसा कोई आवेदन एक निहित आदेश के लिए दिया जाता है, तो उस आवेदन को वाद शीर्षसूची में शामिल किया जाए।

प्ररूप विन 89

(नियम संख्या 169 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

लाभांश की घोषणा के संबंध में विज्ञापन

यह सूचना दी जाती है कि *.....(रूपये में) कालाभांश घोषित कर दिया गया है और वह कार्य दिवसों तक,20..... को और तत्पश्चात ,20.... को कंपनी समापक के कार्यालय में अदा किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो इस लाभांश में भागीदारी का हकदार है, उसे इस संबंध में सूचना प्राप्त होगी और ऐसी सूचना के प्रस्तुत करने के अलावा, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

कंपनी समापक

*यहां "प्रथम" या "द्वितीय" या "अंतिम" जैसा भी मामला हो, अंत: स्थापित करें।

प्ररूप विन 90

(नियम 169 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

लाभांश का सूचना

(कृपया इस लाभांश सूचना को अपने साथ लाएं)

लाभांश (रुपए में)

सेवा में,

.....(नाम)

.....(पता)

आपको यह सूचना दी जाती है कि *.....(रुपए में) राशि के लाभांश की घोषणा की जा चुकी है। आप को अदा की जाने वाली राशि रु. है और उसे मेरे कार्यालय में ,20.... को अदा किया जाएगा और तत्पश्चात तारीख.....,20..... कार्यदिवस तक.....में समय के बीच दिया जाएगा।

अदायगी के लिए आवेदन करने पर किसी विनिमय बिल, वचन-पत्र या अन्य कोई पराक्रम्य प्रतिभूति जो आपके द्वारा धारित की जाती है, के साथ इस नोटिस को प्रस्तुत किया जाए। यदि आप चाहते हैं कि लाभांश किसी अन्य व्यक्ति को अदा किया जाए, तो आप कंपनी समापक के पास विहित प्ररूप (प्ररूप विन 91) में हस्ताक्षर करके प्राधिकार, दाखिल कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपको संलग्न प्ररूप जो कि प्राप्ति एवं प्राधिकार से संबंधित है, को दायर करके हस्ताक्षर करें।

तारीख दिन....., 20.....

कंपनी समापक

टिप्पण : 1. फर्म के मामले में, रसीद और प्राधिकार पर फर्म के नाम से हस्ताक्षर किया जाए और सीमित कंपनी के मामले में, कंपनी के यथावर्णित अधिकारी द्वारा, हस्ताक्षर किए जाएं।

2. यदि आप अदा किए जाने की तारीख के पश्चात् छह माह के भीतर यथोपरोक्त घोषित और देय लाभांश का दावा नहीं करते है, तो कंपनी समापक उल्लिखित राशि को कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्तियां खाते में, अनुसूचित बैंक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 352(2) के अन्तर्गत अदा करेगा।

*यहां पर "प्रथम", "द्वितीय", या "अन्तिम" जैसा भी मामला हो, अंतःस्थापित किया जाए।

संलग्नक :

रसीद

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

पता.....

तारीख.....

उपरोक्त कंपनी के कपंनी समापक सेलाभांश के संबंध में मुझे/हमें देय..... रूपये के रूप मेंरु. की राशि प्राप्त हुई है,/ रूपए

अदाकर्ता के हस्ताक्षर

***सुपुर्दगी के लिए प्राधिकार**

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

……,20.... की याचिका संख्या

याचिकाकर्ता.....

पता.....

तारीख.....

महोदय,

कृपया धारक..... (धारक का नाम) [या मुझे चैक से डाक द्वारा या पोस्टल मनीऑर्डर मेरे खर्चे और जोखिम पर भेजें] को..... रु. का..... लाभांश जो मुझे देय है; सुपुर्द करें। रु./

अदाकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

कंपनी समापक (कंपनी)

***टिप्पण :** यह प्राधिकार लाभांश की सुपुर्दगी (चैक या राशि जैसा भी मामला हो) के लिए है, और इसे अन्य व्यक्ति को अदा नहीं किया जाए जिसके लिए प्ररूप (प्ररूप विन 91) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

यहां पर "प्रथम", "द्वितीय", या "अन्तिम" जैसा भी मामला हो, रखें।

प्ररूप विन 91

(नियम संख्या 170 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

……..,20.... की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

कंपनी समापक द्वारा दूसरे व्यक्ति को लाभांश प्रदान करने का प्राधिकार

पता :

तारीख :

महोदय,

मैं एतदद्वारा आपको प्राधिकृत एवं निवेदन करता हूं कि संलग्न निर्दिष्ट सूचना में लाभांश की अदायगी श्री को करें जिनके (जिनके नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं) रसीद इस मुक्ति के लिए पर्याप्त है।

IndiaCode

हस्ताक्षर

.....के हस्ताक्षर के लिए गवाह

1. (हस्ताक्षर)

..... (व्यवसाय)

..... (पता)

2. (हस्ताक्षर)

..... (व्यवसाय)

..... (पता)

उपरोक्तानुसार नियुक्त किए गए व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर

.....

(नमूना)

नमूना हस्ताक्षर के गवाह

..... (हस्ताक्षर)

..... (व्यवसाय)

..... (पता)

तारीख दिन.....,20.....

IndiaCode

प्ररूप विन 92

(नियम संख्या 172 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

……,20..... की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

अभिदायियों की अनुसूची जिन्हें प्रतिफल अदा किया जाना है

निपटान सूची के अनुसार संख्या	निपटान सूची में दिए गए अंशधारक का नाम	पता	निपटान सूची शेयरों के अनुसार संख्या	बताई गई कुल राशि	कुल अदा की गई राशि	प्रतिफल की तारीख को बोली की बकाया राशि	बोली के बकाया के लिए समापक द्वारा निकाली गई राशि का पूर्ववर्ती पूंजी रिटर्न	प्रतिफल की राशि..... प्रति शेयर दर पर	निवल प्रतिफल राशि	तारीख और हित के स्थानान्तरण या अन्य विचलन जो सूची में किए गए, का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

टिप्पण : जबकि कंपनी के संगम अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सदस्यों के मध्य या सदस्यों की श्रेणी के बीच विभाजित की जाने वाली राशि प्रदत्त राशि के अनुपात में विभाजित की जाएगी या जिसे परिसमापन की तारीख को

प्रदत्त किया जाना है या किसी अन्य प्रावधान जिसमें वापसी से पूर्व कोई और सूचना की आवश्यकता हो, तो स्तंभों को जोड़ा जाए जिसमें मांगी गई राशि और प्रदत्त राशि उस तारीख को ऐसे सदस्यों या सदस्यों के वर्गों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में हो या ऐसे अन्य तथ्य जो आवश्यक हों।

प्ररूप विन 93

(नियम संख्या 172 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

……..,20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

अभिदायियों को प्रतिफल की सूचना

सेवा में,

.....

.....

यह सूचना दी जाती है कि प्रति शेयर के प्रथम/द्वितीय/अंतिम प्रतिफल की घोषणा कर दी गई है। आपको अदा की जाने वाली राशि है और वह मेरे कार्यालय में,20..... और तत्पश्चात,20..... कार्य दिवसों तक कार्य समय के बीच अदा की जाएगी।

अदायगी के लिए आवेदन करने पर यह सूचना शेयर प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो आप शेयर प्रमाण-पत्र अग्रेषित करें सुपुदर्गी हेतु संलग्न प्राप्ति और प्राधिकार और संलग्न प्राप्ति प्ररूप दायर और हस्ताक्षरित करें।

कंपनी समापक

तारीख

टिप्पण: अंशधारक द्वारा रसीद स्वयं और संयुक्त अभिदायियों के मामले में, प्रत्येक द्वारा और सीमित कंपनी के मामले में, कंपनी के अधिकारी द्वारा जिसका ऐसा विवरण दिया गया हो, हस्ताक्षरित किया जाए।

संलग्नक :

(1)

रसीद

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

मुझे/हमें उपरोक्त कंपनी के कंपनी समापक से उपरोक्त कंपनी में मेरे/हमारे द्वारा धारित प्रति शेयर के प्रथम। द्वितीय/अंतिम प्रतिफल के संबध में..... रूपए प्राप्त हुए।

रु.

तारीख

(हस्ताक्षर)

पता

सुपुर्दगी के लिए प्राधिकार

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

..... लि. (कंपनी का नाम लिखें) के मामले में

(कंपनी अधिनियम, के अधीन निगमित कंपनी)

20 की याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

पता

तारीख

महोदय,

कृपया धारक..... (धारक का नाम) [या मुझे चैक से या डाक द्वारा या पोस्टल मनीऑर्डर मेरे खर्चे और जोखिम पर भेजें] को मुझे/हमें देय.....रु. के प्रथम/द्वितीय/अंतिम प्रतिफल..... की सुपुदर्गी करें।

..... रुपए

अदाकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

कंपनी समापक (कंपनी)

.....

टिप्पण : यह केवल सुपुर्दगी के लिए प्राधिकार है, और दूसरे व्यक्ति को इसका प्रतिफल देय नहीं है।

प्ररूप विन 94

(नियम संख्या 179 देखें)

याचिका संख्या और आदेश की तारीख का उल्लेख करें।

धारा 352 (1) और (2) के अधीन कंपनी परिसमापन लाभांश और अदावाकृत खाते में भुगतान किए गए अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आस्तियों का विवरण

कंपनी का नाम

कार्यवाही की प्रकृति*

परिसमापन के आरंभ की तारीख

कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में भुगतान की तारीख

I. अदावाकृत लाभांशों की विशिष्टियां जो कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखों में अनुसूचित बैंकों में अदा की गई।

लेनदारों की सूची में संख्या	लेनदार का नाम जिसे लाभांश देय है	लेनदार का अंतिम ज्ञात पता	घोषणा की तारीख और लाभांश की दर		कुल अदा किया जाने वाला लाभांश	अदायगी की अंतिम तारीख	कंपनी समापक लाभांश एवं अवितरित आस्ति खाते में अदा की गई राशि	टिप्पणियां
			तारीख	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. भारत सरकार के सामान्य राजस्व लेखा में भुगतान किए गए अवितरित आस्तियों की विशिष्टियां

अभिदायियों की सूची में संख्या	अंशधारक का नाम	अंशधारक का अंतिम ज्ञात पता	घोषणा की तारीख एवं वापसी का दर		वापसी अदायगी की तारीख	अदायगी की अंतिम तारीख	कंपनी परिसमापन लाभांश एवं अवितरित आस्ति खाते में अदा की गई राशि	टिप्पणियां
			तारीख	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							कुल	

अदावाकृत लाभांश की कुल राशि जो कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में अदा की गई है।

रु.

अवितरित आस्तियों की कुल राशि जो कंपनी परिसमापन लाभांश और अवितरित आस्ति खाते में अदा की गई है।

दोनों शीर्षों में अदा की गई कुल राशि

तारीखदिन....., 20.....

ह./-कंपनी समापक

प्ररूप विन 95

(नियम संख्या 184 देखें)

.....में स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष

.....लि. के मामले में (कंपनी का नाम)

(कंपनी अधिनियम.....के अधीन निगमित कंपनी)

.....,20.... की याचिका संख्या.....

..... याचिकाकर्ता

बिल सुपुर्दगी का अनुरोध

मैं यह अनुरोध करता हूँ कि इस बिल की प्राप्ति के चार सप्ताह या अधिकरण द्वारा अनुमत्य समय के भीतर,.....के रूप में मुझे आपके बिल की लागत (या प्रभार) की सुपुर्दगी करें और ऐसा न कर पाने की स्थिति में, मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसरण में कंपनी की आस्तियों में आपके दावों को ध्यान में न रखते हुए, लांभाश की घोषणा और वितरण करने का अधिकार होगा, और कंपनी की आस्ति से संबंधित आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।

तारीखदिन....., 20.....

कंपनी समापक

मैं एतद्वारा व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख करता हूँ अर्थात् अधिवक्ता, नीलामीकर्ता इत्यादि।

[फा. सं. 1/30/2013-सीएल-V, भाग-III]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 468 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

Part 1

GENERAL

1. Short title, commencement and application.–

(1) These rules may be called the Companies (Winding Up) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2020.

(3) These rules shall apply to winding up under of Companies Act 2013 (18 of 2013).

2. Definitions.- In these rules, unless the context or subject matter otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Form" means a Form annexed to these rules;

(c) "Registrar" means the Registrar of the National Company Law Tribunal or National Company Law Appellate Tribunal and includes such other officer of the Tribunal or Bench thereof to whom the powers and functions of the Registrar are assigned;

(d) "Registry" means the Registry of the Tribunal or any of its Benches or of the Appellate Tribunal, as the case may be, which keeps records of the applications and documents relating thereto;

(e) "Section" means section of the Act;

(f) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

IndiaCode

Part II

WINDING UP BY TRIBUNAL

3. Petition for winding up.- (1) For the purposes of sub-section (1) of section 272, a petition for winding up of a company shall be presented in Form WIN 1or Form WIN 2, as the case may be, with such variations as the circumstances may require, and shall be presented in triplicate.

(2) Every petition shall be verified by an affidavit made by the petitioner or by the petitioners, where there are more than one petitioners, and in case the petition is presented by a body corporate, by the Director, Secretary or any other authorised person thereof, and such affidavit shall be in Form WIN 3.

4. Statement of affairs.- The statement of affairs, as required to be filed under sub-section (4) of section 272 or sub-section (1) of section 274, shall be in Form WIN 4 and shall contain information up to the date which shall not be more than thirty days prior to the date of filling the petition or filling the objection as applicable and the statement of affairs shall be made in duplicate, duly verified by an affidavit, and affidavit of concurrence of the statement of affairs shall be in Form WIN 5.

5. Admission of petition and directions as to advertisement.- Upon filing of the petition, it shall be posted before the Tribunal for admission of the petition and fixing a date for the hearing thereof and for appropriate directions as to the advertisements to be published and the persons, if any, upon whom copies of the petition are to be served, and where the petition has been filed by a person other than the company, the Tribunal may, if it thinks fit, direct notice to be given to the company and give an opportunity of being heard, before giving directions as to the advertisement of the petition, if any, and the petitioner shall bear all costs of the advertisement.

6. Copy of petition to be furnished.- Every contributory of the company shall be entitled to be furnished by the petitioner or by his authorised representative with a copy of the petition within twenty four hours of his requiring the same on payment of five rupees per page.

7. Advertisement of petition.- Subject to any directions of the Tribunal, notice of the petition shall be advertised not less than fourteen days before the date fixed for hearing in any daily newspaper in English and vernacular language widely circulated in the State or Union territory in which the registered office of the company is situated, and the advertisement shall be in Form WIN 6.

8. Application for leave to withdraw petition.- (1) A petition for winding up shall not be withdrawn after presentation without the leave of the Tribunal subject to compliance with any order of the Tribunal, including as to costs.

(2) An application for leave to withdraw a petition for winding up which has been advertised in accordance with the provisions of rule 7 shall not be heard at any time before the date fixed in the advertisement for the hearing of the petition.

9. Substitution for original petitioner.- (a) Where a petitioner –

(i) is not entitled to present a petition; or

(ii) fails to advertise his petition within the time prescribed by these rules or by order of Tribunal; or

(iii) consents to withdraw the petition, or to allow it to be dismissed, or fails to appear in support of his petition when it is called on in Tribunal on the day originally fixed for the hearing thereof, or any day to which the hearing has been adjourned; or

(iv) if appearing, does not apply for an order in terms of the prayer of his petition; or,

(b) where in the opinion of the Tribunal there is other sufficient cause for an order being made under this rule, the Tribunal may, upon such terms as it may think just, substitute as petitioner any other person who, in the opinion of the Tribunal, would have a right to present a petition, and who is desirous of prosecuting the petition.

10. Procedure on substitution.- Where the Tribunal makes an order substituting a contributory as petitioner in a winding up petition, it shall adjourn the hearing of the petition to a date to be fixed by the Bench and direct such amendments of the petition as may be necessary and such contributory shall, within seven days from the making of the order, amend the petition accordingly, and file two legible and clean copies thereof together with an affidavit in duplicate setting out the grounds, on which he supports the petition and the amended petition shall be treated as the petition for the winding up of the company and shall be deemed to have been presented on the date on which the original petition was presented.

11. Affidavit-in-objection.- Any affidavit in objection to the petition under sub-section (1) of section 272 shall be filed within thirty days from the date of order, and a copy of the affidavit shall be served on the petitioner or his authorised representative forthwith and copies of the affidavit shall also be given to any contributory appearing in support of the petition who may require the same on payment of five rupees per page within three working days.

12. Affidavit in reply.- An affidavit in reply to the affidavit in objection to the petition shall be filed not less than seven days before the day fixed for the hearing of the petition, and a copy of the affidavit in reply shall be served on the day of the filing thereof on the person by whom the affidavit in objection was filed or his authorised representative.

LIQUIDATOR

13. Applicability.- Unless specified otherwise, the rules hereinafter shall apply to all types of liquidators.

14. Appointment of provisional liquidator or Company Liquidator.-

(1) After the admission of a petition for the winding up of a company by the Tribunal, and upon proof by affidavit of sufficient ground for the appointment of a provisional liquidator, the Tribunal, if it thinks fit, and upon such terms and conditions as in the opinion of the Tribunal shall be just and necessary, may appoint a provisional liquidator of the company, pending final orders on the winding up petition, in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 273, and where the company is not the applicant, notice of the application for appointment of provisional liquidator shall be given to the company in Form WIN 7 and the company shall be given a reasonable opportunity to make its representation unless the Tribunal, for reasons to be recorded in writing, dispenses with such notice.

(2) The order appointing the provisional liquidator shall set out the restrictions and limitations, if any, on his powers imposed by the Tribunal in accordance with the sub-section (3) of section 275 and the order shall be in Form WIN 8, with such variations as may be necessary.

(3) An order for the appointment of a provisional liquidator as passed in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 273 shall also state that it will be the duty of every person, who is in possession of any property, books or papers, cash or any other assets of the company, including the benefits derived therefrom, to surrender forthwith such property, books or papers, cash or other assets and the benefits so derived, as the case may be, to the provisional liquidator.

(4) Where an order for the appointment of provisional liquidator or Company Liquidator, as the case may be, has been made, the Registrar shall, as provided in sub section (1) of section 277 within a period not exceeding seven days from the date of passing of the order, send intimation to the Company Liquidator or provisional liquidator in Form WIN 9 by registered post or by speed post or by courier service or by electronic

means and a copy of the order for the appointment of provisional liquidator or Company Liquidator, as the case may be, shall also be sent to the Registrar of Companies together with a copy of the petition and the affidavit, if any, filed in support thereof.

(5) The provisional liquidator or the Company Liquidator, as the case may be appointed by the Tribunal shall file a declaration in Form WIN 10 disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the Tribunal within seven days from the date of appointment.

(6) The provisional liquidator or the Company Liquidator, as the case may be shall be appointed by the Tribunal from amongst the insolvency professionals registered under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) unless the official liquidator is appointed.

15. Rules applicable to provisional liquidator.– The rules relating to Company Liquidators shall apply to provisional liquidators, so far as applicable, subject to such directions as the Tribunal may give in each case.

16. Costs, etc., of provisional liquidator.- Subject to any order of the Tribunal, all the costs, charges and expenses incurred by the provisional liquidator shall be paid out of the assets of the company and if the company does not have sufficient assets or any assets to pay the costs, charges and expenses, the Tribunal may make appropriate orders in this regard.

WINDING UP ORDER

17. Order to be sent to liquidator and form of order.- (1) For the purposes of sub section (1) of section 277, the order for winding up shall be in Form WIN 11 with such variations as may be necessary and the order for winding-up shall be sent by the Registrar after it is signed and sealed within a period not exceeding seven days from the date of receipt of the order by the Registrar, to the Company Liquidator and the Registrar of Companies in Form WIN 12 and Form WIN 13, and the copy of the order sent to Company Liquidator shall be accompanied by a copy of the petition and the affidavit, if any, filed in support thereof if not already sent at the time of appointment of the provisional liquidator.

(2) The Company Liquidator shall cause a sealed copy of the order to be served upon the company in accordance with the provisions of section 20, at its registered office or if there is no registered office, at its principal or last known principal place of business, or upon such other person or persons or in such manner as the Tribunal may direct.

(3) A copy of the order made by the Tribunal shall also be filed by the liquidator within thirty days of the receipt with the Registrar of Companies in form INC-28 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

18. Contents of winding up order.– An order for winding up a company shall inter-alia contain that it will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of account of the company completed and audited upto the date of the order, to attend on the Company Liquidator at required time and place and give him all the information, and it will be the duty of every person who is in possession of any property, books or papers, cash or any other assets of the company, including the benefits derived therefrom, to surrender forthwith such property, books or papers, cash or other assets and the benefits so derived , as the case may be, to the Company Liquidator.

19. Directions on making winding up order.- At the time of making the winding up order, or at any time thereafter, the Tribunal shall give directions to the petitioner as to the advertisement of the order and the persons, if any, on whom the order shall be served and the persons, if any, to whom notice shall be given of the further proceedings, in the liquidation, and such further directions as may be necessary.

20. Advertisement of order.- Save as otherwise ordered by the Tribunal, the order for the winding up of a company by the Tribunal shall, within fourteen days of the date of the order, be advertised by the petitioner in a newspaper in the English language and a newspaper in vernacular language widely circulating in the State or the Union territory where the registered office of the company is situated and shall be served by the petitioner upon such person, if any, and in such manner as the Tribunal may direct, and the advertisement shall be in Form WIN 14.

21. Declaration by Company Liquidator.– The declaration by the Company Liquidator regarding disclosing conflict of interest or lack of independence, if any, in respect of his appointment as Company Liquidator as referred to in sub-section (6) of section 275 shall be filed in Form WIN 10 with the Tribunal.

22. Company Liquidator to take charge of assets and books and papers of company.– (1) On a winding up order being made, the Company Liquidator shall, forthwith take into his custody or under his control all the properties and effects, actionable claims and the books and papers of the company, and it shall be the duty of all persons having custody of any of the properties, books and papers, cash or any other assets of the company, to deliver possession thereof to the Company Liquidator.

(2) Where the company, its promoters, its key managerial personnel or any other person required to cooperate with the liquidator does not so cooperate, the liquidator may make an application to the Tribunal for an appropriate order.

(3) The Tribunal, on receiving an application under sub-rule (2), shall by an order, direct such promoters, key managerial personnel or other person (including contractual counter party, supplier, service provider or auditor) -

(a) to provide the information requested by the liquidator; and

(b) to comply with the instructions of the liquidator and to cooperate with him in collection of information and taking custody of the assets, properties and books of accounts.

23. Form of proceedings after winding up order is made.- After a winding up order is made or a provisional liquidator is appointed, every subsequent proceeding in the winding up shall bear the original number of the winding up petition besides its own distinctive number, but against the name of the company in the cause-title, the words 'in liquidation' or 'in provisional liquidation' as the case may be, shall appear in brackets.

APPLICATION FOR STAY OF SUITS ETC. ON WINDING UP ORDER

24. Application for leave to commence or continue suit or proceeding.- An application under sub-section (1) of section 279 for leave of the Tribunal to commence or continue any suit or other legal proceeding by or against the company shall be made in Form WIN 15 upon notice to the Company Liquidator and the parties to the suit or proceeding sought to be commenced or continued.

REPORTS BY COMPANY LIQUIDATOR UNDER SECTION 281

25. Report by Company Liquidator.– (1) The report to be submitted by the Company Liquidator under sub-section (1) of section 281 shall be in Form WIN 16 with such variations as may be necessary and the Company Liquidator may make further report or reports, if he thinks fit, according to the provisions of sub-section (4) of the said section.

(2) It shall be the duty of the promoters, directors, officers, employees and every person who has made or concurred in making of the statement of affairs, if and when required, to attend on the Company Liquidator and answer all such questions as may be put to him, give all such further information as may be required from him, and provide such assistance as may be required by the Company Liquidator.

(3) The Tribunal shall, within seven days from the receipt of such report, fix a date for the consideration thereof by the Tribunal and notify the date on the notice board of the Tribunal and to the Company Liquidator.

26. Inspection of statement of affairs and report.– Every creditor or contributory, by himself, or by his agent, shall be entitled to inspect the statement of affairs submitted under sub-section (4) of section 272 or sub-section (1) of section 274 and the report of the Company Liquidator submitted under sub-rule (1) of rule 25, on payment of a fee of one thousand rupees and to obtain copies thereof or extracts therefrom on payment of a fee of five rupees per page.

27. Consideration of report by Tribunal.- The consideration of the report made by the Company Liquidator pursuant to section 281, shall be placed before the Tribunal, and the Company Liquidator shall personally or by authorised representative attend the consideration of the said report and give the Tribunal any further information or explanation with reference to the matters contained therein which the Tribunal may require and on consideration of the aforesaid report, the Tribunal may pass such orders and give such directions as it may think fit.

SETTLEMENT OF LIST OF CONTRIBUTORIES

28. Provisional list of contributories.– (1) Unless the Tribunal dispenses with the settlement of a list of contributories, the Company Liquidator shall prepare and file in the Tribunal not later than twenty-one days after the date of the winding up order a provisional list of contributories of the company with their names and addresses, the number of shares or the extent of interest to be attributed to each contributory, the amount called up and the amount paid up in respect of such shares or interest, and distinguishing in such list the several classes of contributories.

(2) The list shall consist of every person who was a member of the company at the commencement of the winding up or his representative, and shall be divided into two parts, the first part consisting of those who are contributories in their own right, and the second part, of those who are contributories as being representatives of, or liable for the debts of others, as required under sub-section (1) of section 281, and the list shall be in Form WIN 17.

29. Notice to be given of date of settlement.- (1) Upon the filing of the provisional list of contributories mentioned in rule 28, the Company Liquidator shall obtain a date from the Tribunal for settlement of the list of contributories and shall give notice of the date appointed to every person included in such list, stating in such

notice in what character and for what number of shares or extent of interest such person is included in the list, the amount called up and the amount paid up in respect of such shares or interest, and informing such person by such notice that if he intends to object to his being settled as a contributory in such character and for such number of shares or interest as mentioned in the list, he should file in Tribunal his affidavit in support of his contention and serve a copy of the same on the Company Liquidator not less than two days before the date fixed for the settlement, and appear before Tribunal on the date appointed for the settlement in person or by authorised representative and such notice shall be in Form WIN 18 , and shall be sent in the mode set out in section 20 so that it reaches the contributories not less than fourteen days before the date fixed for the settlement.

(2) The person who posted the notice shall swear by an affidavit in Form WIN 19 relating to the dispatch thereof, and file the same in the Tribunal not later than two days before the date fixed for the settlement of the list.

30. Settlement of list.- On the date appointed for the settlement of the list referred to in rule 29, the Tribunal shall hear any person who objects to being settled as a contributory or as a contributory in such character or for such number of shares or extent of interest as is mentioned in the said list, and after such hearing, shall finally settle the list in accordance with sub-section (1) of section 285 and the aforesaid list when settled shall be certified by the Tribunal under its seal and shall be in Form WIN 20.

31. **Notice of settlement to contributories**.- (1) Upon the receipt of the settled list of contributories, as certified by the Tribunal interms of rule 30 , the Company Liquidator shall within a period of 7 days issue notice to every person placed on the said list of contributories, stating in what character and for what number of shares or interest he has been placed on the said list, what amount has been called up and what amount paid up in respect of such shares or interest and in the notice he shall inform such person that any application for the removal of his name from the aforesaid list or for a variation of the said list, must be made to the Tribunal within fifteen days from the date of service on the contributory of such notice, and such notice shall be in Form WIN 21 and shall be sent to each person settled on the said list by pre-paid registered post or speed post at the address mentioned in the said list.

(2) An affidavit of service relating to the dispatch of the notice to the contributories under this rule shall be sworn by the person who dispatched the said notice and shall be filed in Tribunal within seven days of the said dispatch of notice and such affidavit shall be in Form WIN 22.

32. Supplemental list of contributories.- The Tribunal may add to the list of contributories by a supplemental list or lists and any such addition shall be made in the same manner in all respects as the settlement of the original list.

33. Variation of list.- Save as provided in rule 31, the list of contributories shall not be varied, and no person settled on the list as a contributory shall be removed from the list, or his liability in any way varied, except by order of the Tribunal and in accordance with such order.

34. Application for rectification of list.- If after the settlement of the list of contributories, the Company Liquidator has reason to believe that a contributory who had been included in the provisional list has been improperly or by mistake excluded or omitted from the list of contributories as finally settled or that the character in which or the number of shares or extent of interest for which he has been included in the list as finally settled or any other particular contained therein, requires rectification in any respect, he may, upon notice to the contributory concerned, apply to the Tribunal for such rectification of the list as may be necessary, and the Tribunal may on such application, rectify or vary the list as it may think fit.

35. List of contributories consisting of past members.- It shall not be necessary to settle a list of contributories consisting of the past members of a company, unless so ordered by the Tribunal and where an order is made for settling a list of contributories consisting of the past members of a company, the provisions of these rules shall apply to the settlement of such list in the same manner as they apply to the settlement of the list of contributories consisting of the present members.

ADVISORY COMMITTEE

36. Meeting of creditors and contributories.- The meeting of the creditors and contributories in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 287 to determine the persons who may be the members of the advisory committee, shall be convened, held and conducted in the manner hereinafter provided in these rules for the holding and conducting of meeting of creditors and contributories.

37. Company Liquidator to report result of meeting.– (1) As soon as possible but not later than seven days after the holding of the meeting of the creditors and contributories, the Company Liquidator shall report the result thereof to the Tribunal and such report shall be in Form WIN 23.

(2) Where the creditors and contributories have agreed upon the constitution and composition of the advisory committee and the persons who are to be members thereof, an advisory committee shall, subject to the

provisions of sub-section (2) of section 287, be constituted in accordance with such decision, and the Company Liquidator shall set out in his report the names of the members of the committee so constituted.

(3) After being directed by the Tribunal to constitute an advisory committee where the creditors and contributories have not agreed upon the composition of the advisory committee and the persons who are to be members thereof, the Company Liquidator shall, at the time of making his report as aforesaid, apply to the Tribunal for directions as to what shall be its composition, and who shall be the members thereof, and the Tribunal shall thereupon fix a date for the consideration of the report of the Company Liquidator and the notice of the date so fixed shall be advertised by the Company Liquidator in such manner as the Tribunal shall direct not less than seven days before the date so fixed, and the advertisement shall be in Form WIN 24.

(4) On the date fixed for hearing of the said application for directions, the Tribunal may, after hearing the Company Liquidator and any creditor or contributory who may appear, decide as to who would be the members of the said advisory committee or pass such orders or give such directions in the matter, as the Tribunal may think fit.

38. Filling –up of vacancy in advisory committee.– (1) On a vacancy occurring in the advisory committee, the Company Liquidator shall forthwith summon a meeting of creditors or of contributories, as the case may require, to recommend for filling the vacancy and the meeting may, by resolution, recommend for re-appointing the same, or propose for appointing another creditor or contributory, as the case may to fill the vacancy:

Provided that if the Company Liquidator, having regard to the position in the winding up, is of the opinion that it is unnecessary for the vacancy to be filled, he may apply to the Tribunal and the Tribunal may make an order that the vacancy shall not be filled, or shall not be filled except in such circumstances as may be specified in the order.

(2) The continuing members of the advisory committee, if not less than two, may act notwithstanding any vacancy in the said committee.

(3) Where the creditors or contributories, as the case may be, fail to fill the vacancy for whatever reason, the Company Liquidator shall forthwith report such failure to the Tribunal and Tribunal may, by order, fill such vacancy.

39. Company Liquidator and members of advisory committee dealing with company's assets.- Neither the Company Liquidator nor any member of the advisory committee shall, while acting as such liquidator or member of such committee in any winding up, either directly or indirectly, by himself or through his employer, partner, clerk, agent, servant, or relative, become purchaser of any part of the company's assets, except by leave of the Tribunal and any such purchase made contrary to the provisions of this rule may be set aside by the Tribunal on the application of the said liquidator or of a creditor or contributory, as the case may be, and the Tribunal may make such order as to costs as it may think fit.

40. Advisory committee not to make profit.- No member of the advisory committee shall, except under the order of the Tribunal, directly or indirectly, by himself or through his employer, partner, clerk, agent, servant or relative, be entitled to derive any profit from any transaction arising out of the winding up or to receive out of the assets any payment for services rendered by him in connection with the administration of the assets, or for any goods supplied by him to the Company Liquidator for or on account of the company and where any profit or payment has been made contrary to the provisions of this rule, such payment shall be disallowed or the profit shall be recovered, as the case may be, on the audit of the such liquidator's accounts or otherwise.

41.Cost of obtaining order of Tribunal.- In any case in which an order of the Tribunal is obtained under rule 39 or rule 40, the costs of obtaining such order shall be borne by the person in whose interest such order is obtained and shall not be payable out of the companies' assets.

42. Order sanctioning payment to advisory committee.- Where the order of the Tribunal to a payment to a member of the advisory committee for services rendered by him in connection with the administration of the company's assets is obtained, the order of the Tribunal shall specify the nature of the services, and such order shall only be given where the service performed is of a special nature, and except by the express order of the Tribunal, no remuneration shall be paid to a member of the advisory committee for services rendered by him in the discharge of the duties attached to his office as a member of such committee.

43. Meetings of advisory committee.– (1)The advisory committee shall meet at such times as it may from time to time appoint and the Company Liquidator or one-third of the total number of members of the said committee may also call a meeting of that committee as and when they think necessary.

(2)The quorum for a meeting of the advisory committee shall be one-third of the total number of the members, or two, whichever is higher.

(3)The advisory committee may act by a majority of its members present at a meeting, but shall not act unless a quorum is present.

(4)A member of the advisory committee may resign by notice in writing signed by him and delivered to the Company Liquidator.

(5)If a member of the advisory committee is adjudged as an insolvent, or compounds or arranges with his creditors, or is absent from five consecutive meetings of the said committee without the leave of those members who, together with himself, represent the creditors or contributories, as the case may be, his office shall become vacant.

(6)A member of the advisory committee may be removed, subject to the directions of the Tribunal, at a meeting of creditors if he represents creditors, or at a meeting of contributories if he represents contributories, by an ordinary resolution of which seven days' notice has been given, stating the object of the meeting.

MEETINGS OF CREDITORS AND CONTRIBUTORIES

44. Application of rules to meetings.- Subject to any directions given by the Tribunal, rules as hereinafter set out shall apply to meetings of creditors and contributories as may be convened in pursuance of sub-section (3) of section 287 and sub-section (3) of section 292.

45. Notice of meeting.– (1) The Company Liquidator shall summon meetings of creditors and contributories by giving not less than fourteen days' notice by sending individually to every creditor of the company a notice of the meeting of creditors, and to every contributory of the company a notice of the meeting of contributories, by sending notice by registered post or speed post or by electronic means so as to reach such person in not less than fourteen days before the date fixed for the meeting:

Provided that where the number of creditors or contributories, as the case may be, exceeds five hundred, the Company Liquidator shall also give a fourteen days' notice of the time and place appointed for the meeting by advertisement in one daily newspaper in the English language and one daily newspaper in the principal regional language circulating in the State or Union territory concerned.

(2) The notice to each creditor shall be sent to the address given in his proof as referred to in rule 101 or, if he has not so proved, to the address given in the statement of affairs, or, to the address given in the books of the company, or to such other address as may be known to the person summoning the meeting, and the notice to each contributory shall be sent to the address mentioned in the books of the company as the address of such contributory or to such other address as may be known to the person summoning the meeting.

(3) The notices shall be in Forms WIN 25 to 29 as may be applicable.

46. Place and time of meeting.- Every meeting shall be held at such place and time as the Company Liquidator considers convenient for the majority of the creditors or contributories or both and different times or places or both may, if thought fit, be appointed for the meeting of the creditors or contributories or both.

47. Notice of first or other meeting to officers of company.- (1) The Company Liquidator shall also give, to each of the officers of the company, who in his opinion ought to attend the first or any other meeting of creditors or contributories, fourteen days' notice in Form WIN 30 of the time and place appointed for such meeting and the notice may either be delivered by hand or sent by registered post or speed post or by electronic means as may be convenient, and it shall be the duty of every officer who receives notice of such meeting to attend if so required by the Company Liquidator, and if any such officer fails to attend, the Liquidator may report such failure to the Tribunal and the Tribunal may issue such directions to such person as it thinks fit.

(2) The Company Liquidator, if he thinks fit, may instead of requiring any of the officers of the company to attend the meeting as aforesaid, require such officer to answer any interrogatories or to furnish in writing any information that he may require for purposes of such meeting, and if such officer fails to answer the interrogatories or furnish such information, the liquidator shall report such failure to the Tribunal and the Tribunal may issue such directions to such officer as it may think fit.

48. Proof of notice.- An affidavit by any person who sent the notice, that such notice has been duly sent, shall be sufficient evidence of the notice having been sent to the person to whom the same was addressed and the affidavit shall be filed in the Tribunal in Form WIN 31.

49. Costs of meeting.- The cost of convening and conducting the meeting of the creditors or contributories shall be met out of the assets of the company.

50. Chairman of meeting.– The Company Liquidator or some person nominated by him shall be the Chairman of the meeting and the nomination shall be in Form WIN 32.

51. Resolution at creditors' meeting.- At a meeting of creditors, a resolution shall be deemed to be passed, when a majority in value of the creditors present personally or by proxy and voting on the resolution have voted in favour of the resolution and in a winding up by the Tribunal, the value of a creditor, shall, for the purposes of

a first meeting of the creditors meeting held under section 287, be deemed to be the value as shown in the books of the company, or the amount mentioned in his proof as referred to rule 101, whichever is less and for the purposes of any other meeting, the value for which the creditor has proved his debt or claim.

52. Resolution of contributories' meeting.- At a meeting of the contributories, a resolution shall be deemed to be passed when a majority in value of the contributories present personally or by proxy and voting on the resolution have voted in favour of the resolution and the value of the contributories shall be determined according to the number of votes to which each contributory is entitled as a member of the company under the provisions of the Act, or the articles of the company, as the case may be.

53. Copies of resolution to be filed.- The Company Liquidator shall file in the Tribunal a copy certified by him of every resolution passed at a meeting of the creditors or contributories and the Registry shall keep in each case a file of such resolution.

54. Non-receipt of notice by creditor or contributory.- Where a meeting of creditors or contributories is summoned by notice, the proceedings and resolution at the meeting shall, unless the Tribunal otherwise orders, be valid notwithstanding that some creditors or contributories may not have received the notice sent to them.

55. Adjournments.- The chairman of the meeting may, with the consent of the creditors or contributories present in the meeting, as the case may be , adjourn it from time to time, but the adjourned meeting shall be held at the same place as the original meeting unless in the resolution for adjournment another place is specified or unless the Tribunal otherwise orders.

56. Quorum.- A meeting may not act for any purpose except for adjournment thereof unless there are present or represented thereat in the case of a creditors' meeting at least three creditors entitled to vote or in the case of a meeting of contributories at least three contributories or all the creditors entitled to vote or all the contributories if the number of creditors entitled to vote or the number of contributories, as the case may be does not exceed three.

57 Procedure in absence of quorum.- If, within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum of creditors or contributories, as the case may be, is not present or represented, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week at the same time and place and if at such adjourned meeting, the quorum is not present, at least two creditors or contributories present in person shall form the quorum and may transact the business for which the meeting was convened:

Provided that if at the adjourned meeting also two creditors or contributories, as the case may be, are not present, the chairman of the meeting shall submit his report to the Tribunal for such directions as the Tribunal may deem fit.

58. When creditor can vote.- In the case of a meeting of creditors held under section 287 or of any adjournment thereof, a person shall not be entitled to vote as a creditor unless he has duly lodged with the Company Liquidator not later than the time mentioned for that purpose in the notice convening the meeting, a proof of the debt which he claims to be due to him from the company and in the case of other meeting of creditors, a person shall not be entitled to vote as a creditor unless he has lodged with the Company Liquidator a proof of the debt which he claims to be due to him from the company and such proof has been admitted wholly or in part before the date on which the meeting is held:

Provided that this rule and rules 59 to 62 shall not apply to a meeting of creditors held prior to the meeting of creditors under section 287:

Provided further that this rules shall not apply to any creditors or class of creditors who by virtue of these rules or any directions given thereunder are not required to prove their debts.

59. Case in which creditors may not vote.- A creditor shall not vote in respect of any unliquidated or contingent debt or any debt, value of which is not ascertained, nor shall a creditor vote in respect of any debt secured by a current bill of exchange or promissory note held by him unless he is willing to treat liability to him thereon of every person who is liable thereon antecedently to the company, and against whom no order of adjudication has been made, as a security in his hands, and to estimate the value thereof, and for the purposes of voting, but not for purposes of dividend, to deduct it from his proof mentioned above.

60. When secured creditor can vote.- For the purposes of voting at a meeting, in a winding up by the Tribunal, a secured creditor shall, unless he surrenders his security, state in his aforesaid proof, the particulars of his security, the date when it was given and the value at which it is assessed by a registered valuer, and shall be entitled to vote only in respect of the balance due to him, if any, after deducting the value of his security.

61. Effect of voting by a secured creditor.- If a secured creditor votes in respect of his whole debt he shall be deemed to have surrendered his security, unless the Tribunal, on an application by such creditor, is satisfied that the omission to value the security was due to inadvertence.

62. Procedure when secured creditor votes without surrendering security.- The liquidator may within fifteen days from the date of the meeting at which a secured creditor voted on the basis of his valuation of the security, require him to give up the security for the benefit of the creditors generally on payment of the value so estimated by him, and may, if necessary, apply to the Tribunal for an order to compel such creditor to give up the security:

Provided that the Tribunal may, for good cause shown, permit the said creditor to correct his valuation before being required to give up the security, upon such terms as to costs as the Tribunal may consider just.

63. Admission or rejection of proof for purposes of voting.- The chairman of the meeting shall have power to admit or reject a proof for the purposes of voting, but his decision shall be subject to appeal to the Tribunal, and if he is in doubt whether a proof shall be admitted or rejected, he shall mark it as objected to and allow the creditor to vote subject to the vote being declared invalid in the event of the objection being sustained.

64. Minutes of proceedings.- (1) The chairman of the meeting shall cause minutes of the proceedings at the meeting to be drawn up and fairly entered in the Minute Book within 30 days and the minutes shall be signed by him or by the chairman of the next meeting.

(2) A list of creditors and contributories present at every meeting shall be made and kept in Form WIN 33.

65. Report to Tribunal.– The Company Liquidator shall, within seven days of the conclusion of the meeting, report the result thereof to the Tribunal in Form No. WIN 34.

PROXIES IN RELATION TO MEETINGS OF CREDITORS AND CONTRIBUTORIES

66. Voting by proxies.- A creditor or contributory may vote either in person or by proxy, and where a person is authorised in the manner provided by section 113 to represent a body corporate at any meeting of creditors or contributories, such person shall produce to the Company Liquidator or and chairman of the meeting, as the case may be, a copy of the resolution so authorising him and such copy must be certified to be a true copy by a director, manager, secretary or other officer of the company duly authorised in that behalf, who shall certify that he is so authorised.

67. Form of proxies.- A creditor or contributory may give a general proxy or a special proxy to any person, and a general proxy shall be in Form WIN 35 and a special proxy in Form WIN 36.

68. Proxies to Company Liquidator or chairman of meeting.- A creditor or contributory in a winding up by the Tribunal may appoint the Company Liquidator or if there is no such liquidator, the chairman of the meeting, to act as his general or special proxy.

69. Use of proxies by deputy.– Where a Company Liquidator who holds any proxies cannot attend the meeting for which they are given, he may in writing depute some person under his official control to use the proxies on his behalf and in such manner as he may direct.

70. Forms to be sent with notice.- Forms of proxies shall be sent to the creditors and contributories with the notice summoning the meeting and no name shall be inserted or printed in the form before it is sent.

71. **Proxies to be lodged**.- A proxy shall be lodged not later than 48 hours before the meeting at which it is to be used, with the Company Liquidator in a winding up by the Tribunal.

72. Holder of proxy not to vote on matter in which he is financially interested.- No person acting either under a general or special proxy, shall vote in favour of any resolution which would directly or indirectly place himself, his partner or employer in a position to receive any remuneration out of the assets of the company otherwise than as a creditor ratably with the other creditors of the company.

73. Minor not to be appointed proxy.- No person shall be appointed as a general or special proxy who is a minor.

74. Filling in proxy where creditor or contributory is blind or incapable .-The proxy of a creditor or a contributory who is blind or incapable of writing may be accepted if such creditor or contributory has attached his signature or mark thereto in the presence of a witness who shall add to his signature his description and address:

Provided that all insertions in the proxy shall be in the handwriting of the witness and such witness shall have certified at the foot of the proxy that all such insertions have been made by him at the request and in the presence of the creditor or contributory before he attached his signature or mark.

75. Proxy of person not acquainted with English.- The proxy of a creditor or contributory who does not know English may be accepted if it is executed in the manner provided in rule 74 and the witness certifies that it was explained to the creditor or contributory in the language known to him, and gives the creditor's or contributory's name in English below the signature.

76. Submission of periodical reports to the tribunal.- The Company Liquidator shall make quarterly reports, referred to in sub-section (1) of section 288, to the Tribunal in Form WIN 37 with respect to the progress of winding up of the company.

77. Employment of additional or special staff by Official Liquidator.- Where the Official Liquidator is of the opinion that the employment of any special or additional staff is necessary in any liquidation, he shall apply to the Tribunal for sanction, and the Tribunal may sanction such staff as it thinks fit on such salaries and allowances as the Tribunal may deem appropriate.

78. Declaration by professional.– The professional, referred to in section 291, appointed by the Company Liquidator with the sanction of the Tribunal shall file a declaration in Form WIN 38 disclosing any conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment with the Tribunal forthwith.

REGISTERS AND BOOKS OF ACCOUNT TO BE MAINTAINED BY COMPANY LIQUIDATOR

79. Record book to be maintained by Company Liquidator.- The Company Liquidator shall maintain a record book for each company in which shall be entered minutes of all the proceedings and resolutions passed at any meeting of the creditors or contributories or of the advisory committee, the substance of all orders passed by the Tribunal in the liquidation proceedings, and all such matters other than matters of account as may be necessary, to furnish a correct view of the administration of the company's affairs.

80. Registers and books to be maintained by Company Liquidator.- (1) The Company Liquidator shall maintain the following books of accounts, so far as may be applicable, in respect of the company under winding up:

(a). Register of Liquidations in Form WIN 38 A;

(b). Central Cash Book in Form WIN 38 B;

(c). Company’s Cash Book in Form WIN 38 C;

(d). General Ledger in Form WIN 38 D;

(e). Cashier's Cash Book in Form WIN 38 E;

(f). Bank Ledger in Form WIN 38 F;

(g). Register of Assets in Form WIN 38 G;

(h). Securities and Investment Register in Form WIN 38 H;

(i). Register of Book Debts and Outstanding’s in Form WIN 38 -I;

(j). Tenants Ledger in Form WIN 38 J;

(k). Suits Register in Form WIN 38 K;

(l). Decree Register in Form WIN 38 L;

(m). Sales Register in Form WIN 38 M;

(n). Register of Claims and Dividends in Form WIN 38 N;

(o). Contributories Ledger in Form WIN 38-O;

(p). Dividends Paid Register in Form WIN 38 P;

(q). Suspense Register in Form WIN 38 Q;

(r). Documents Register in Form WIN 38 R;

(s). Books Register in Form WIN 38 S;

(t). Register of unclaimed dividends and undistributed assets, deposited into the companies liquidation account in the Bank, in Form WIN 38 T,

and in maintaining the registers and books mentioned above, the Company Liquidator shall follow the instructions contained in the respective forms provided for the said books and registers.

(2) The Company Liquidator shall, in addition to the registers and books referred to in sub-rule (1), maintain such other books as may be necessary for the proper and efficient working of his office such as petty cash register, correspondence register, despatch register, daily register of money orders and cheques received for accounting of transactions entered into by him in relation to the company.

(3) Where the accounts of the company are incomplete, the Company Liquidator shall, with all convenient speed, as soon as the order for winding up is made, have them completed and brought up-to-date.

IndiaCode

(4) (a) Where the Company Liquidator is authorised to carry on the business of the company he shall keep separate books of account in respect of such business and such books shall, as far as possible, be in conformity with the books already kept by the company in the course of its business, and the Company Liquidator shall incorporate in the winding up cash book and in the company's cash book, the total weekly amounts of the receipts and payments on such trading account.

(b) The trading account shall, from time to time not less than once in every month, be verified by affidavit, and the Company Liquidator shall thereupon submit such account to the advisory committee (if any) or such member thereof as may be appointed by the said committee for that purpose, who shall examine and certify the same.

(5) The Company Liquidator shall keep proper vouchers for all payments made or expenses incurred by him, and the vouchers shall be serially numbered.

BANKING ACCOUNT OF COMPANY LIQUIDATOR

81. **All money to be paid into special bank account in a scheduled bank**.– (1) The Company Liquidator shall deposit into a special bank account in his official name opened in any scheduled bank or any other bank as may be permitted by the Tribunal (hereinafter referred to as the bank) , all moneys including cheques and demand drafts received by him as the Company Liquidator of the company, and the realisations of each day shall be deposited in the bank without deduction, not later than the next working day of the bank and the Company Liquidator may maintain a petty cash of five thousand rupees or such higher amount as may be permitted by the Tribunal to meet day to day expenses, and all payments out of the aforesaid account by the Company Liquidator above two thousand rupees shall be made by cheque drawn against the said account.

(2) The Company Liquidator shall make quarterly reports to the Tribunal regarding the funds, including filing the bank statements of the special bank account.

82. Bills, cheques, etc. to be deposited with bank.- All bills, cheques, hundies, notes and other securities payable to the company or to the Company Liquidator thereof shall, as soon as they come into the hands of the Company Liquidator, be deposited by him with the bank for the purpose of being presented for acceptance and payment or for payment only, as the case may be and the proceeds when realised shall be credited by the bank to the special bank account.

83. **Payments into Bank.-** Where the Tribunal makes an order directing any person to pay any money due to the company into the special bank account maintained by the Company Liquidator, the person so directed shall, at the time of making the payment, produce to the bank a certified copy of the order or a payment in challan endorsed by the Company Liquidator under his signature and the person making the payment shall give notice thereof to the Company Liquidator and produce before him the bank receipt relating thereto.

84. Company Liquidator's Dividend Account.- The Company Liquidator shall also open a separate dividend account for the company under liquidation with the sanction of the Tribunal, in any scheduled bank, under the name 'the Dividend Account of..... (name of the company) in liquidation' into which account he shall, upon a declaration of dividend being made in the winding up of the company, deposit by transfer from special bank account, the total amount of the dividend payable upon such declaration and there shall be a separate such account in respect of each declaration of dividend and all payments of dividend shall be made from the said Company Liquidator's dividend account and any unpaid balance in the said account shall be transferred to the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account referred to in sub-section (1) of section 352, and all payments of dividends shall be made by cheques or through Electronic Clearing System drawn against the said account.

85. Where the company has no available assets.– (1) Where a company against which a winding up order has been made has no available assets, the Company Liquidator may, with the leave of the Tribunal, incur any necessary expenses in connection with the winding up, out of any permanent advance or other fund provided by the Central Government, and the expenses so incurred shall be recouped out of the assets of the company in priority to the debts of the company:

Provided that where any money has been advanced to the Company Liquidator by the petitioner or other creditor or contributory for meeting any preliminary expenses in connection with the winding up, the Company Liquidator may incur any necessary expenses out of such amount, and the money so advanced shall be paid out of the assets of the company in priority to the debts of the company:

Provided further that if the Official Liquidator maintains any Common Pool Fund or Establishment Fund under order of the court prior to the date of the commencement of these rules, he shall continue to use such fund for the purpose for which the fund was originally created.

(2) The Official Liquidator shall reimburse the amount availed out of the said Common Pool Fund or Establishment Fund for the purpose of meeting the expenditure of the company in liquidation which does not

have sufficient funds to its credit from the amounts of the company in liquidation on priority basis as and when any amount comes to its credit.

INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS

86. Investment of surplus funds.– (1) All such money for the time being standing to the credit of the Company Liquidator at the bank as is not immediately required for the purposes of winding up, shall be invested in Government securities or in interest bearing deposits in any scheduled bank in the name of the company in liquidation or provisional liquidation represented by Company Liquidator of the company to which the funds belong and such funds so invested shall be monitored regularly by the Company Liquidator and the returns also containing the details of fixed deposit receipts shall be submitted to the Tribunal.

(2) Where the fixed deposit has matured, it shall not be automatically renewed but the Company Liquidator shall carry out the due diligence to assess whether a higher rate of interest is available in any other scheduled bank and the said Liquidator shall report the conclusion of such due diligence to the Tribunal, and in the event a higher rate of interest is available in any other scheduled bank, the said Liquidator shall apply for the leave of the Tribunal to invest the surplus funds in such other scheduled bank offering higher rate of interest.

87. Company Liquidator to examine accounts for purposes of investment.- The Company Liquidator shall, at the end of every month, examine account of liquidation to ascertain what moneys are available for investment, and shall make an entry at the end of every month in the record book relating to the company of his having examined the account for the purpose and of the decision taken by him regarding the investment, and in case he decides not to invest any surplus funds, the reasons for such decision.

88. Investments to be made by Bank.- All investments shall be made by the bank upon the written request of the Company Liquidator but the securities shall be retained in the bank in the name and on behalf of the Company Liquidator, and shall not be sold except by the bank and under the written instructions of the Company Liquidator, and when the securities are sold, the proceeds shall be credited by the bank to the account of the Company Liquidator.

89. Dividend and interest to be credited.- All dividends and interest accruing from any securities or investments shall from time to time be received by the bank and placed to the credit of the account of the Company Liquidator and intimation thereof shall be given to the Company Liquidator, who shall thereupon credit such dividend or interest in his account to the company to which the security or the investment relating thereto belongs.

90. Refunds of taxes.- The Company Liquidator shall claim such refunds of income-tax or other taxes as may be due.

FILING AND AUDIT OF COMPANY LIQUIDATOR'S ACCOUNT

91. Half-yearly accounts to be filed.- For the purposes of sub-section (2) of section 294, unless otherwise ordered by the Tribunal, the Company Liquidator shall file his accounts to Tribunal twice a year and such accounts shall be made up to the 31st of March and 30th of September every year, the account for the period ending 31st March being filed not later than the 30th of June following, and account for the period ending 30th September, not later than the 31st of December following:

Provided that the final accounts of the Company Liquidator shall be filed as soon as the affairs of the company have been fully wound up, irrespective of the period specified above:

Provided further that the Tribunal may permit the Company Liquidator to straight away forward completed accounts of the company in liquidation in respect of relevant period to the auditor for the purpose of audit in Form WIN 42 requesting that the accounts may be audited, and the certificate of audit shall be submitted to the Tribunal not later than one month from the date of receipt of the copy of the accounts as required under sub-section (3) of section 294:

Provided also that the accounts need not be got audited where the transaction during the period is for ten thousand rupees or less.

92. Form of account.- The account shall be a statement of receipts and payments in Form WIN 39 and shall be prepared in accordance with the instructions contained in the said form and three copies thereof shall be filed, and the account shall be verified by an affidavit of the Company Liquidator in Form WIN 40 and the final account shall be in Form WIN 41.

93. Nil account.- Where the Company Liquidator has not, during the period of account, received or paid any sum of money on account of the assets of the company, he shall file an affidavit of no receipts or payments on the date on which he shall have to file his accounts for the period.

94. Registry to send copy of account to auditor.- As soon as the accounts are filed, the Registry shall forward to the auditor one copy thereof for purposes of audit with a requisition in Form WIN 42 requesting that the

accounts may be audited and a certificate of audit be submitted to the Tribunal not later than one month from the date of receipt of the copy of the account as required under sub-section (3) of section 294:

Provided that the accounts need not be got audited where the total transaction during the period is for ten thousand rupees or less.

95. Audit of Company Liquidator's accounts.- The accounts shall be preferably audited by one or more Chartered Accountants appointed by the Tribunal from out of the panel to be maintained by the Tribunal, the audit shall be a complete check of the accounts of the Company Liquidator and the Company Liquidator shall produce before the auditor all his books and vouchers for the purposes of the audit, and shall give the auditor all such explanations, information and assistance as may be required of him in respect of the accounts.

96. Audit certificate to be filed.- After the audit of the accounts of the Company Liquidator filed in Tribunal, the auditor shall forward to the Registry a certificate of audit relating to the account with his observations and comments, if any, on the account, together with a copy thereof and shall forward another copy to the Company Liquidator, and the Company Liquidator shall file copy of the audit certificate together with a copy of audited accounts with the Registrar of Companies and the Registry shall file the original audit certificate with the records of the Tribunal.

97. Audit fees.- The audit fees shall be fixed by the Tribunal from time to time having regard to the nature and complexity of the case.

98. Inspection of account and certificate of audit.- Any creditor or contributory shall be entitled to inspect the accounts and the auditor's certificate in the office of the Tribunal on payment of fees of one hundred rupees and to obtain a copy thereof on payment of the charges at the rate of five rupees per page.

99. Account and auditor's report to be placed before Tribunal.- Upon the audit of the account, the Registry shall place the statement of account and the auditor's certificate before the Tribunal for its consideration and orders.

IndiaCode

Part III

WINDING UP BY TRIBUNAL (OTHER THAN SUMMARY WINDING UP)

DEBTS AND CLAIMS AGAINST COMPANY

100. Notice for proving debts.– (1) Subject to the provisions of the Act and directions of the Tribunal, the Company Liquidator in a winding up by the Tribunal shall, within a period of thirty days from the date of order of winding up, fix a certain day, and give a notice of fourteen days thereof -

(i) by advertisement in Form No. WIN 43 in one issue of a daily newspaper in the English language and one issue of a daily newspaper in the regional language widely circulating in the State or Union territory where the registered office is situated concerned to the creditors of the company to prove their debts or claims and to establish any title they may have to priority under section 326 or327, or to be excluded from the benefit of any distribution made before such debts or claims are proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution;

(ii) by such mode of communication as is permitted under section 20 to every person mentioned in the statement of affairs, as a creditor, who has not proved his debt and to every person mentioned in the statement of affairs as a preferential creditor, whose claim to be a preferential creditor has not been established or is not admitted, or where there is no statement of affairs, to the creditors as ascertained from the books of the company and, to each person who, to the knowledge of the Company Liquidator, claims to be a creditor or preferential creditor of the company and whose claim has not been admitted, to the last known address or place of residence of such person.

(2) All the rules hereinafter set out as to the admission or rejection of proofs shall apply with necessary variations to any claim to priority as a preferential creditor.

101. Proof of debt.– (1) In a winding up by the Tribunal, every creditor shall, subject as hereinafter provided, prove his debt, unless the Tribunal in any particular case directs that any creditors or class of creditors shall be admitted without proof.

(2) Formal proof of the debts mentioned in clause (d) of sub-section (1) of section 327 shall not be required, unless the Company Liquidator in any special case otherwise directs.

102. Mode of proof and verification thereof.- A debt may be proved by delivering or sending to the Company Liquidator by such mode as set out in section 20, an affidavit verifying the debt made by the creditor or by some person authorised by him and if the affidavit is made by a person authorised by the creditor, it shall state the authority and means of knowledge of the deponent and a creditor need not attend upon the examination unless required so to do by the Company Liquidator.

103. Contents of proof.- An affidavit proving a debt shall contain or refer to a statement of account showing the particulars of the debt, and shall specify the vouchers, if any, by which the same can be substantiated and the affidavit shall state whether the creditor is a secured creditor, or a preferential creditor, and if so, shall set out the particulars of the security or of the preferential claims, and the affidavit shall be in Form WIN 44.

104. Workmen's dues.– In any case where there are numerous claims for wages or any accrued remuneration by workmen and others employed by the company, it shall be sufficient if one proof in Form WIN 45 for all such claims is made either by a foreman or some other person on behalf of all such creditors and such proof shall be annexed thereto as forming part thereof, setting forth the names of the workmen and others and the amounts severally due to them in the schedule in the said form, and any proof made in compliance with this rule shall have the same effect as if separate proofs had been made by each of the said workmen and others.

105. Production of bills of exchange and promissory notes.- Where a creditor seeks to prove in respect of a bill of exchange, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature on which the company is liable, such bill of exchange, note, instrument or security shall be produced before the Company Liquidator and be marked by him before the proof is admitted.

106. Value of debts.- The value of all debts and claims against the company shall, as far as is possible, be estimated according to the value thereof at the date of the appointment of the Provisional Liquidator or the order of the winding up of the company, whichever is earlier:

Provided that where before the presentation of the petition for winding up, a resolution has been passed by the company for winding up, the date for estimation of debts and claims shall be the date of the passing of such resolution.

107. Discount.- A creditor proving his debt shall deduct therefrom all trade discounts, if any.

108. Interest.- On any debt or certain sum payable at a certain time or otherwise, whereon interest is not reserved or agreed for, and which is overdue at the date of the winding up order, or the resolution, as the case may be, the creditor may prove for interest at a rate not exceeding six per cent. per annum or as decided by the Tribunal up to that date from the time when the debt or sum was payable, if the debt or sum is payable by virtue of a written instrument at a certain time, and if payable otherwise, then from the time when a demand in writing has been made, giving notice that interest will be claimed from the date of demand until the time of payment.

109. Periodical payments.- When any rent or other payment falls due at the time referred to in rule 108, and the order or resolution to wind up is made at any time other than one of those times mentioned in rule 108, the persons shall be entitled to the rent or payments for a proportionate part thereof up to the date of winding up order or resolution accrued due from day to day:

Provided that where the Company Liquidator remains in occupation of the premises demised to a company which is being wound up, nothing in this rule shall prejudice or affect the right of the landlord of such premises to claim payment by the company, or the liquidator, of rent during the period of the company's or liquidator's occupation.

110. Proof of debt payable at future time.- A creditor may prove for a debt not payable at the date of the winding up order, as if it were payable presently, and may receive dividends equally with the other creditors, deducting only thereat a rebate of interest at the rate of six per cent. per annum computed from the date of declaration of the dividend to the time when the debt would have become payable according to the terms on which it was contracted.

111. Examination of proof.- The Company Liquidator shall, as soon as possible but not later than thirty days or within such time as may be allowed by the Tribunal on an application by the liquidator, examine every proof of debt lodged with him and the grounds of the debt and he may call for the production of the documentary proof if any referred to in the affidavit of proof or require further evidence in support of the debt, and if he requires further evidence, or requires that the creditor should attend the investigation in person, he shall fix a day and time at which the creditor is required to attend or to produce further evidence and send a notice to such creditor in Form WIN 46 by pre-paid registered post or speed post so as to reach him not later than seven days before the date fixed.

112. Company Liquidator's right to call any person in connection with investigation.- The Company Liquidator may call upon any person whom he may deem capable of giving information respecting the debts to be proved in liquidation and may require such person to produce any documents in his custody or power relating to such debts and shall tender with the call such sum as appears to the Company Liquidator sufficient to defray the traveling and other expenses of the person called for attendance and where the person so called fails without lawful excuse to attend or produce any documents in compliance with the call or avoids or evades service, the Company Liquidator may report the same to the Tribunal and apply for appropriate orders, and the Tribunal may pass any order as it may think fit.

113. Affidavit.- For the purpose of his duties, in relation to the admission of proof of debts, where applicable, the Company Liquidator may take affidavits and the Company Liquidator may at his discretion dispense with this requirement and he may also permit the taking of an affidavit or undertaking in lieu of an oath.

114. Costs of proof.- Unless otherwise ordered by the Tribunal, a creditor shall bear the costs of proving his debt.

115.Acceptance or rejection of proof to be communicated.- As soon as possible, but not later than fourteen days, from the date of conclusion of the examination referred to in rule 111, the Company Liquidator shall, in writing admit or reject the proof in whole or in part, every decision of the liquidator accepting or rejecting a proof, either wholly or in part, shall be communicated to the creditor concerned by means permitted under section 20 when the proof is accepted or rejected, provided that it shall not be necessary to give notice of the admission of a claim to a creditor who has appeared before the liquidator and the acceptance of whose claim has been communicated to him or his agent in writing at the time of acceptance and where the liquidator rejects a proof, wholly or in part, he shall state the grounds of the rejection to the creditor in Form WIN 47, and notice of admission of proof shall be in Form WIN 48.

116. Appeal by creditor.– (1) If a creditor is dissatisfied with the decision of the Company Liquidator in respect of his proof, the creditor may, not later than twenty-one days from the date of service of the notice upon him of the decision of the liquidator, appeal to the Tribunal against the decision.

(2) The appeal shall be made in Form WIN 49, supported by an affidavit which shall set out the grounds of such appeal, and notice of the appeal shall be given to the Company Liquidator and on such appeal, the Tribunal shall have all the powers of an appellate court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

117. Procedure where creditor appeals.- (1) The Company Liquidator shall, upon receiving notice of the appeal against a decision rejecting a proof wholly or in part, file with the Registry such proof with the order containing the grounds of rejection.

(2) It shall be open to any creditor or contributory to apply to the Tribunal for leave to intervene in the appeal, and the Tribunal may, if it thinks fit, grant the leave subject to such terms and conditions as may be just, and where such leave has been granted, notice of the hearing of the appeal shall be given to such creditor or contributory.

118. Company Liquidator not to be personally liable for costs.- The Company Liquidator shall in no case be personally liable for costs in relation to an appeal from his decision rejecting any proof wholly or in part.

119. Proofs and list of creditors to be filed in Tribunal.– The Company Liquidator shall, within thirty days from the date fixed for the submission of proofs under rule 100 or such further time as the Tribunal may allow, file in the Tribunal a list of the creditors, in Form WIN 50, who submitted to him proofs of their claims in pursuance of the advertisement and the notice referred to in rule 100, mentioning the amounts of debt for which they claimed to be creditors, distinguishing in such list the proofs admitted wholly, the proofs admitted or rejected in part, and the proofs wholly rejected, and the proofs, with the memorandum of admission or rejection of the same in whole or in part, as the case may be, endorsed thereon, shall be filed in Tribunal along with the certificate.

120. **List of creditors not to be varied.**– The list of creditors filed in Tribunal shall be the list of the creditors of the company, and shall not be added to or varied except under the order of the Tribunal and in accordance with such orders and where an order is made adding to or varying the list of creditors, the Company Liquidator shall amend the list in accordance with such order.

121. Notice of filing list and inspection of same.– Upon the filing of the list of creditors as settled by the Company Liquidator, the Registry shall notify the filing thereof on the Tribunal's notice board and on the website of the Tribunal, and the list of creditors as settled and the proofs relating thereto shall be open to the inspection of every creditor or contributory on payment of fee of one thousand rupees.

122. Expunging of proof.– (1) If after the admission of a proof, the Company Liquidator has reason to believe that the proof has been improperly admitted or admitted by a mistake, he may immediately apply to the Tribunal upon notice to the creditor who made the proof, to expunge the proof or reduce its amount, as the case may be.

(2) Any creditor or contributory may, within ten days of the admission of the proof, also apply to the Tribunal to expunge the proof or reduce the amount thereof, if the Company Liquidator declines to move in the matter, and on such application, the Tribunal may pass such order as it may think just.

123. Procedure on failure to prove debt within time fixed.- If any creditor fails to file proof of his debt with the Company Liquidator within the time specified in the advertisement referred to in rule 100, such creditor may apply to the Tribunal for relief within fifteen days from the time specified in such advertisement, and the Tribunal may, thereupon, adjudicate upon the debt or direct the liquidator to do so.

124. Right of creditor who has not proved debt before declaration of dividend.- Any creditor who has not proved his debt before the declaration of any dividend or dividends shall be entitled to be paid out of any money for the time being in the hands of the Company Liquidator available for distribution of dividend, any dividend or dividends which such creditor may have failed to receive before that money is applied to the payment of any future dividend or dividends, but he shall not be entitled to disturb the distribution of any dividend declared before his debt was proved by reason that he has not participated therein.

125. Payment of subsequent interest.- In the event of there being a surplus after payment in full of all the claims admitted to proof, creditors whose proofs have been admitted shall be paid interest from the date of the winding up order or of the resolution, as the case may be, up to the date of the declaration of the final dividend, at a rate not exceeding six per cent. per annum or such other rate as may be decided by the Tribunal, on the admitted amount of the claim, after adjusting against the said amount the dividends declared as on the date of the declaration of each dividend.

ATTENDANCE AND APPEARANCE OF CREDITORS AND CONTRIBUTORIES

126. Attendance at proceedings.– (1) Save as otherwise provided by these rules or by an order of the Tribunal, every person for the time being on the list of contributories of the company and every creditor whose debt has been admitted by the Company Liquidator wholly or in part shall be at liberty at his own expense to attend the proceedings before the Tribunal or before the Company Liquidator and shall be entitled upon payment of the costs occasioned thereby to have notice of all such proceedings as he shall, by request in writing addressed to the Company Liquidator, desire to have notice of; but if the Tribunal shall be of opinion that the attendance of any such person has occasioned any additional costs which ought not to be borne by the funds of the company, it may direct such costs or a gross sum in lieu thereof to be paid by such person and such person shall not be entitled to attend any further proceedings until he had paid the same.

(2) No contributory or creditor shall be entitled to attend any proceedings before the Tribunal, unless and until he or an authorised representative on his behalf has filed an appearance with the Registry and the Registry shall keep an "Appearance Book" in which all such appearances shall be entered.

127. Representation of creditors and contributories before Tribunal.-The Tribunal may, if it thinks fit, appoint from time to time any one or more of the creditors or contributories to represent before the Tribunal at the expense of the company, all or any class of creditors or contributories upon any question or in relation to any proceedings before the Tribunal, and may remove any person so appointed, if more than one person is appointed under this rule to represent one class, and the persons so appointed, shall employ the same authorised representative to represent them, and where they fail to agree as to the authorised representative to be employed, the Tribunal may nominate an authorised representative for them.

COLLECTION AND DISTRIBUTION OF ASSETS IN WINDING UP BY TRIBUNAL

128. Powers of Company Liquidator.- The duties imposed by sub-section (1) of section 290 with regard to the collection of the assets of the company and the application of the assets in discharge of the company's liabilities shall be discharged by the Company Liquidator subject to the control of the Tribunal.

129. Company Liquidator to be in position of receiver.- For the discharge by the Company Liquidator of the duties imposed by sub-section (1) of section 290, the Company Liquidator shall, for the purpose of acquiring and retaining possession of the property of the company, be in the same position as if he were a Receiver of the property appointed by the Tribunal, and the Tribunal may on his application enforce such acquisition or retention accordingly.

130. Company's property to be surrendered to Company Liquidator on requisition.- Any contributory for the time being on the list of contributories, trustee, receiver, banker, agent, officer or other employee of a company which is being wound up under order of the Tribunal, shall on notice from the Company Liquidator and within such time as he shall by notice require, pay, deliver, convey, surrender or transfer to or into the hands of the Company Liquidator any money, property or books and papers in his custody or under his control to which the company is or appears to be entitled and where the person so required fails to comply with the notice, the Company Liquidator may apply to the Tribunal for appropriate orders and the notice shall be in Form WIN 51.

CALLS IN WINDING UP BY TRIBUNAL

131. Calls by Company Liquidator.- Subject to the provisions of sub-sections (2) of section 465, the Tribunal may by order grant leave to the Company Liquidator to make calls referred to in section 296.

132. Company Liquidator to realise uncalled capital.- Notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the company, the Company Liquidator shall be entitled to call and realise the uncalled capital of the company and to collect the arrears, if any, due on calls made prior to the winding up, but shall hold all moneys so realised subject to the rights, if any, of the holder of any such charge or encumbrance.

133. Application for leave to make call.- (1) The Company Liquidator shall not make any call without obtaining the leave of the Tribunal for the purpose.

(2) Within seven days of the settlement of the list of contributories, the Company Liquidator may apply to the Tribunal for leave to make a call on the contributories and the application shall state the proposed amount of such call and shall be in Form WIN 52which shall be supported by the affidavit of the Company Liquidator which shall be in Form WIN 53.

134. Notice of application.- (1) Notice of an application for leave to make a call shall be served on every contributory proposed to be included in such call, by post under certificate of posting so as to reach such contributory, in the ordinary course of post not less than seven clear days before the date appointed for the hearing thereof, or if the Tribunal so directs, notice of the application may be given by advertisement in Form WIN 54 , in newspapers as the Tribunal may direct, not less than seven clear days before the date appointed for the hearing, without a separate notice to each contributory.

(2) The affidavit of service relating to the dispatch of notice to each contributory, or to the advertisement, as the case may be, shall be filed in the Tribunal three days before the date fixed for the hearing.

135. Order granting leave to make call and document making call.-The order granting leave to make a call shall be in Form WIN 55, and shall contain directions as to the time within which such calls shall be paid and when an order has been made granting leave to make a call, the Company Liquidator shall file in Tribunal, document making the call in Form WIN 56 with such variations as circumstances may require.

136. Service of notice of call.- Immediately after filing the document making the call as referred to in rule 135, the Company Liquidator shall serve by registered post or speed post or in electronic mode, a copy of the order granting leave to make the call upon each of the contributories included in such call together with a notice in Form WIN 57 specifying the amount or balance due from such contributory in respect of such call and the order granting leave to make a call need not be advertised unless the Tribunal otherwise orders for any special reason.

137. Order for payment of call.- The Company Liquidator may apply to the Tribunal for an order against any contributory or contributories for payment of moneys due on the calls made by him and the application shall be made in Form WIN 58 supported by an affidavit in Form WIN 59 and notice of the application together with a copy of the affidavit shall be served on the contributory by registered post or speed post not less than seven days before the date fixed for the hearing of the application, and the order for payment shall be in Form WIN 60.

138. Other moneys due by contributories.- When any money is due to the company from a contributory or from the estate of the person whom he represents, other than moneys due on calls made subsequent to the winding up but including moneys due on calls made prior to the winding up the Company Liquidator may make an application to the Tribunal supported by an affidavit for an order against such contributory for the payment of such moneys and the notice of the application shall be given to such contributory by registered post or speed post not less than seven days prior to the date fixed for the hearing of the application.

EXAMINATION UNDER SECTIONS 299 AND 300

139. Application for examination under section 299.– (1) An application for the examination of a person under section 299 may be made ex-parte, provided that where the application is made by any person other than the Company Liquidator, notice of the application shall be given to the Company Liquidator.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be in Form WIN 61 and where the application is by the Company Liquidator, it shall be accompanied by a statement signed by him setting forth the facts on which the application is based, and where the application is made by a person other than the Company Liquidator, the application shall be supported by an affidavit of the applicant setting forth the matters in respect of which the examination is sought and the grounds, relied on in support of the application.

140. Directions at hearing of application.- Upon the hearing of the application referred to in rule 139, the Tribunal may, if satisfied that there are grounds for making the order, make an order directing the issue of summons against the person named in the order for his examination or for the production of documents or both, and unless the Tribunal otherwise directs, the examination of such person shall be held in Chambers and the order shall be in Form WIN 62.

141. **Service of summons.**- The summons issued in pursuance of the order of the Tribunal shall be in Form WIN 63 and shall be served, in the mode as referred to in section 20, on the person to be examined not less than seven days before the date fixed for the examination, and when the summons are served in person, there shall be paid or tendered to the person summoned along with the summons a reasonable sum for his expenses to be fixed by the Tribunal or Registry with due regard to the scale of fees in force in the Tribunal and when the summons are served by registered post, such sum shall be sent to such person by postal money order.

142. Conduct of examination.– (1) The Company Liquidator shall have the conduct of an examination under section 299, provided that the Tribunal may, if for any reasons it thinks fit so to do, entrust the conduct of the

examination to any contributory or creditors and where the conduct of the examination is entrusted to any person other than the Company Liquidator, the Company Liquidator shall nevertheless be entitled to be present at the examination in person or by authorised representative, and may take notes of the examination for his own use and put such questions to the person examined as the Tribunal may allow.

(2) Save as provided in sub-rule (1), no person shall be entitled to take part in an examination under section 299 except the Company Liquidator and his authorised representative, but any person examined shall be entitled to have the assistance of his authorised representative, who may re-examine the witness :

Provided that the Tribunal may permit, if it thinks fit, any creditor or contributory to attend the examination subject to such conditions as it may impose.

(3) Notes of the examination may be permitted to be taken by the witness or any person on his behalf on his giving an undertaking to the Tribunal that such notes shall be used only for the purpose of the re-examination of the witness and on the conclusion of the examination, the notes shall, unless otherwise directed by the Tribunal, be handed over to the Tribunal for destruction.

143. Notes of deposition.- (1) The notes of the deposition of a person examined under section 299 shall be signed by such person and shall be lodged in the office of the Registry, but the notes shall not be open to the inspection of any creditor, contributory or other person, except the Company Liquidator, nor shall a copy thereof or extract therefrom be supplied to any person other than the Company Liquidator, save upon orders of the Tribunal.

(2) The Tribunal may from time to time give such general or special directions as it shall think expedient as to the custody and inspection of such notes and the furnishing of copies thereof or extracts therefrom.

144. Order for examination under section 300.- (1) Where an order is made for the examination of any person or persons under section 300, the examination shall be held before the Tribunal:

Provided the Tribunal may direct that the whole or any part of the examination of any such person or persons be held before any person or authority as may be mentioned in the order and where the date of the examination has not been fixed by the order, the Company Liquidator shall take an appointment from the Tribunal, or the person or authority before whom the examination is to be held as to the date of the examination, and the order directing examination shall be in Form WIN 64.

(2) The Tribunal may, if it thinks fit, either in the order for examination or by any subsequent order, give directions as to the specific matters on which such person is to be examined.

145. Notice of examination.- Not less than seven clear days before the date fixed for the examination, the Company Liquidator shall give notice thereof to the creditors and contributories of the company by advertisement in Form WIN 65 in such newspapers as the Tribunal shall direct, and shall within the same period, serve, either personally or by registered post or by speed post, on the person or persons to be examined, a notice in Form WIN 66 of the date and hour fixed for the examination and the officer before whom it is to be held, together with a copy of the order directing the examination and where the examination is adjourned, it shall not be necessary to advertise the adjournment or serve notice thereof unless otherwise ordered by the Tribunal.

146. Adjournment of examination for orders of Tribunal.- Where on an examination held before the person or authority appointed by the Tribunal, such person or authority is of the opinion that the examination is being unduly or unnecessarily protracted or, for any other sufficient cause, he is of the opinion that the examination should be held before the Tribunal, such person or authority may adjourn the examination of any person, or any part of the examination, to be held before the Tribunal and submit his report to the Tribunal, and the Tribunal may thereupon hold the examination itself or pass such orders as it may think fit.

147. Procedure for contumacy.- (1) If a person examined before the person or authority appointed by the Tribunal refuses to answer to the satisfaction of such the person or authority any question which he may put or allow to be put, such the person or authority shall forthwith report such refusal to the Tribunal and upon such report being made, the person in default shall be in the same position and be dealt with in the same manner as if he had made default in answering before the Tribunal.

(2) The report shall be in writing and shall set forth the question or questions put and the answer or answers given, if any, by the person examined, and the person or authority shall notify the person examined of the date when he should attend before the Tribunal, and the report shall be in Form WIN 67 and upon receiving the report, the Tribunal may take such action thereon as it may think fit.

148. Notes of examination. -The notes of every examination shall, after being signed as required by sub-section (7) of section 300, form part of the records of winding up and the Company Liquidator, the person examined or contributory of the company, shall be entitled to obtain a copy thereof from the Tribunal on payment of five rupees per page.

149. Application under sub-section (5) of section 300. - An application under sub-section (5) of section 300 by any person ordered to be examined to be exculpated from any charges made or suggested against him, shall be made upon notice to the Company Liquidator and to such other persons as the Tribunal may direct.

150. Warrant of arrest of contributory. - (1) If the Tribunal is satisfied as referred to in section 301 and that notice of the date and hour fixed for the examination was duly served on such contributory, the Tribunal may, issue without any further notice, a warrant in Form WIN 68 for the arrest of the said contributory.

(2) Every warrant of arrest of the contributory issued under this rule shall remain in force until it is cancelled by the Tribunal which issued it or by the Appellate Tribunal to which appeals ordinarily lie from the decisions of such Tribunal, or until it is executed.

151. Prison to which contributory arrested on warrant is to be taken.-Where the Tribunal issues a warrant for the arrest of the contributory as referred to in section 301, the prison in which such contributory shall be detained, shall, unless the Tribunal otherwise orders, be specified in the order of the Tribunal in the exercise of its powers under the Act, and the warrant for keeping the said contributory in prison shall be in Form WIN 69 and the order of releasing him on bail shall be in Form WIN 70.

152. Execution of warrant of arrest outside jurisdiction of Tribunal. - (1) Where a warrant has been issued by the Tribunal under these rules for the arrest of a contributory who is or is believed to be outside the jurisdiction of the Tribunal, the Tribunal issuing the warrant may send the warrant of arrest for execution to the District Court or, to the Court of Small Causes at Bombay, Calcutta or Madras (if the warrant has to be executed in any of these places) within the ordinary jurisdiction of which such contributory shall then be or be believed to be, with a requisition in Form WIN 71 annexed thereto under the seal of the Tribunal requesting execution of the warrant by the Court to which it is sent and the last mentioned Court shall seal the warrant with its seal and shall cause the arrest to be made by its own officers or by a Court subordinate to it and the concerned police officers shall aid and assist within their respective jurisdiction in the execution of such warrant.

(2) The Court making the arrest shall send the contributory arrested in proper custody to the Tribunal by which the warrant of arrest was originally issued, unless he furnishes the required security to the satisfaction of the Court for his appearance before the Tribunal, in which case the Court shall release him on such security and inform the Tribunal by which the warrant of arrest was originally issued.

APPLICATION AGAINST DELINQUENT DIRECTORS, PROMOTERS AND OFFICERS OF THE COMPANY

153. Application under section 339 or section 340.- An application under sub-section (1) of section 339 or under sub-section (1) of section 340, shall be made by a summons returnable in the first instance in chambers and the summons shall state the nature of the declaration or order for which the application is made, and the grounds of the application, and shall be served on every person against whom an order is sought not less than seven days before the day named in the summons for the hearing of the application, and it shall not be necessary to file any affidavit or report before the return of the summons and the summons shall be in Form WIN 72 or Form WIN 73 with such variations as may be necessary.

154. Directions at preliminary hearing of summons. -On the return of the summons, the Tribunal may give such directions as it shall think fit as to whether points of claim and defence are to be delivered, as to the taking of evidence wholly or in part by affidavit or orally, as to the cross-examination, on the hearing, before the Tribunal or of any deponents to affidavits in support of or in opposition to the application, as to any report, the Tribunal may require the liquidator to make, and generally as to the procedure on the summons and for the hearing thereof, and points of claim to be delivered shall be in Form WIN 74 or Form WIN 75 with such variations as may be necessary.

155. Liberty to apply for further directions. - Where the Tribunal has directed that points of claim and defense shall be delivered, it shall be open to either party who wishes to apply for any further direction as to any interlocutory matter, to apply, by restoration of the summons, before the summons has been set down for trial, for such direction, upon giving two clear days' notice in writing to the other party stating the grounds of the application and a copy of the notice shall be filed with the Registry, two clear day's before the day fixed for the hearing of the application.

DISCLAIMER

156. Application for disclaimer. - (1) An application for leave to disclaim any part of the property of a company pursuant to sub-section (1) of section 333 shall be made by an application supported by an affidavit setting out the full facts relating to the property, the parties interested, the nature of their interests, and stating whether the company is solvent and whether any notice has been served on the liquidator by any person referred to in sub-section (4) of the said section requiring him to elect whether or not he will disclaim.

(2) The notice and application referred to in sub-rule (1) shall be in Forms WIN 76 to 82 with such variations as may be necessary.

157. Preliminary hearing of application. - The application referred to in rule 156 shall be posted before the Tribunal ex-parte in the first instance for directions as to the persons on whom notice of the application should be served, and the Tribunal shall thereupon fix a date for the hearing of the application and give such directions as may be necessary as to the persons on whom notice of the application should be served.

158. Claimant to furnish statement of his interest. -Where a person claims to be interested in any part of the property of the company which the Company Liquidator wishes to disclaim, such person shall, if so required by the liquidator, furnish a statement of the interest claimed by him.

159. Service of notice. - Notice of the date fixed for the hearing of the application referred to in rule 156 shall be in Form WIN 83 and shall be served not less than seven days before the date fixed for the hearing, together with a copy of the application and of the affidavit filed in support thereof, and the notice shall require that any affidavit-in-opposition to the application shall be filed in Tribunal and a copy thereof served on the Company Liquidator not later than two days before the date fixed for the hearing.

160. Order granting leave to disclaim. -On the hearing of the application referred to in rule 156, the Tribunal may after hearing the Company Liquidator and such parties as may appear in response to the notices issued, and such other persons appearing and interested as the Tribunal may think fit to hear, grant leave to the liquidator and to disclaim on such terms and conditions if any, as to the Tribunal may deem just and the order granting leave to disclaim shall be in Form WIN 84.

161. Disclaimer to be filed in Tribunal. -Every disclaimer shall be filed in Tribunal by the Company Liquidator and shall not be operative until it is so filed and where the disclaimer is in respect of a leasehold interest, it shall be filed in Tribunal forthwith; the notice of the filing of the disclaimer shall be given to the persons interested in the property; the disclaimer shall contain particulars of the interest disclaimed and a statement of the persons to whom notice of the disclaimer has been given; a disclaimer shall be in Form WIN 85, and a notice of disclaimer in Form WIN 86, and where a disclaimer has been filed in Tribunal, the Company Liquidator shall file a copy thereof with the Registrar of Companies.

162. Vesting of disclaimed property. – (1) Where the disclaimed property is a leasehold interest and an application is made under sub-section (6) of section 333 for an order vesting the property in any person and it appears that there is an under- lessee or mortgagee or holder of a charge by way of demise in respect of such property, claiming under the company, the Tribunal may direct that notice shall be given to such under-lessee, mortgagee or holder of charge, that if he does not elect to accept and apply for a vesting order upon the terms required by the abovementioned sub-section and such other terms as the Tribunal may think just, within a time to be fixed by the Tribunal and stated in the notice, he will be excluded from all interest in and security upon the property and the Tribunal may adjourn the application for such notice to be given and for such under-lessee, mortgagee or holder of charge, to be added as a party to and served with a copy of the application, and to make, if he deem fit, such election and application as is mentioned in the notice, and if at the expiration of the time so fixed by the Tribunal, such under-lessee, mortgagee or holder of charge, fails to make such election and application, the Tribunal, may make an order vesting the property in the applicant or other person who, in the opinion of the Tribunal, may be entitled thereto, and excluding such under-lessee, mortgagee or holder of charge, from all interest in or security upon the property.

(2) An order requiring parties interested in a disclaimed lease to apply for a vesting order or to be excluded from all interest in the lease shall be in Form WIN 87, and an order vesting lease and excluding persons who have not elected to apply, shall be in Form WIN 88.

COMPROMISE OR ABANDONMENT OF CLAIMS

163. No claim to be compromised or abandoned without sanction of Tribunal. -In a winding up by the Tribunal, no claim by the company against any person shall be compromised or abandoned by the Company Liquidator without the sanction of the Tribunal upon notice to such person as the Tribunal may direct.

164. Application for sanction of compromise. -Every application for sanction of a compromise or arrangement referred to in clauses (ii) and (iii) of sub- section (1) of section 343 shall be accompanied by a copy of the proposed compromise or arrangement and shall be supported by an affidavit of the Company Liquidator, along with final report of the Advisory committee, stating that for the reasons set out in the affidavit he is satisfied that the proposed compromise or arrangement is beneficial to the company.

SALE BY COMPANY LIQUIDATOR

165. Sale to be subject to sanction and to confirmation by Tribunal. - Unless the Tribunal otherwise orders, no property or asset belonging to company which is being wound up by the Tribunal shall be sold by the Company Liquidator without the previous sanction of the Tribunal, and every sale shall be subject to confirmation by the Tribunal.

166. Procedure at sale. - Every sale shall be held by the Company Liquidator, or, if the Tribunal shall so direct, by an agent or an auctioneer approved by the Tribunal, and subject to such terms and conditions, if any, as may be approved by the Tribunal and all sales shall be made by public auction or by inviting sealed tenders or by electronic bidding or in such manners as the Tribunal may direct.

167. Expenses of sale. - Where property forming part of a company's assets is sold by the Company Liquidator through an auctioneer or other agent, the gross proceeds of the sale shall, unless, the Tribunal otherwise orders, be paid over to the liquidator by such auctioneer or agent and the charges and expenses connected with the sale shall afterwards be paid to such auctioneer or agent in accordance with the scales, if any, fixed by the Tribunal.

DIVIDENDS AND RETURNS OF CAPITAL IN WINDING UP BY TRIBUNAL

168. Declaration of dividend or return of capital. - No dividend to creditors or return of capital to contributories shall be declared by the Company Liquidator without the sanction of the Tribunal.

169. Notice of declaration. -The Company Liquidator shall give notice of the declaration of dividend not less than fifteen days prior to the date fixed for the payment thereof and unless otherwise directed by the Tribunal, such notice shall be given by advertisement in such newspapers as the Tribunalshall direct and by sending by registered or speed post and electronic mode if any, a notice to every person whose name appears in the list of creditors as on such date and the advertisement shall be in Form WIN 89 and the notice to creditor in Form WIN 90.

170. Form of authority to pay dividend. -A person to whom dividend is payable may lodge with the Company Liquidator an authority in writing to pay such dividend to another person named therein and such authority shall be in Form WIN 91.

171. Transmission of dividends, etc. by post. -Dividends and returns of capital may, at the request and risk and cost of the person to whom they are payable, be transmitted to him by money order, or to his bank account through electronic means as may be appropriate.

172. Form of order directing return of capital. -Every order by which the Company Liquidator is authorised to make a return to contributories of the company, shall, unless the Tribunal otherwise directs, contain or have appended thereto a schedule or list (which the Company Liquidator shall prepare) setting out in a tabular form the full names and addresses of the persons to whom the return is to be paid, and the amount of money payable to each person, and particulars of the transfers of shares (if any) which have been made or the variations in the list of contributories which have arisen since the date of the settlement of the list and such other information as may be necessary to enable the return to be made and the schedule or list shall be in Form WIN 92 with such variations as circumstances shall require and the Company Liquidator shall send a notice of return to each contributory by registered or speed post and electronic mode if any in Form WIN 93.

173. Payment of dividend or return of capital due to deceased creditor or contributory. - Where a claim made in respect of a dividend due to a deceased creditor or a return of capital due to a deceased contributory is one lakh rupees or less, the Company Liquidator may, upon satisfying himself as to the claimant's right and title to receive the dividend or the return, as the case may be, apply to the Tribunal for sanctioning the payment of such dividend or return to the claimant without the production of a succession certificate or like authority, however, in respect of the claim mentioned above, pertaining to a deceased creditor or contributory where the claim amount is one lakh rupees or less, in lieu of succession certificate, the claimant shall produce Family Member Certificate issued by competent authority in the State Government or Union territory, as the case may be, and where the Tribunal sanctions the payment, the Company Liquidator shall make the payment upon obtaining a personal indemnity as well as an affidavit duly stamped from the payee.

TERMINATION OF WINDING UP

174. Company Liquidator to apply for dissolution. - After the affairs of the company have been fully wound up and final accounts thereof are audited, the Company Liquidator shall apply to the Tribunal within ten days along with audited final accounts and auditors certificate thereon for orders as to the dissolution of the company.

175. Dissolution of company. - Upon the hearing of the application, the Tribunal may, after hearing the Company Liquidator and any other person to whom notice may have been ordered by the Tribunal, upon perusing the account as audited, make such orders as it may think fit as to the dissolution of the company, the application, subject to the provisions of the Act, of the balance in the hands of the Company Liquidator or the payment thereof into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account, and the disposal of the books and papers of the company and of the liquidator.

176. Liquidator to pay the balance into Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account. -Upon an order for dissolution being made, the Company Liquidator shall forthwith pay into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account any unclaimed dividends payable to creditors or undistributed assets refundable to contributories in his hands on the date of the order of dissolution, and such other balance in his hands as he has been directed by the Tribunal to deposit into the Company Liquidation

Dividend and Undistributed Assets Account and every order of dissolution shall direct that the Company Liquidator shall forward a certified copy of the order to the Registrar of Companies not later than seven days from the date of the order, and along with the copy of the order shall be filed with the Registrar of Companies, a statement signed by the Company Liquidator that the directions of the Tribunal regarding the application of the balance as per his final account have been duly complied with.

177. Conclusion of winding up. - The winding up of a company shall, for purposes of section 302, be deemed to be concluded at the date on which the order dissolving the company has been reported by the Company Liquidator to the Registrar of Companies unless any fund or assets of the company remaining unclaimed or undistributed in the hands or under the control of the Company Liquidator, have been distributed, or paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account as provided in section 352.

178. Application to declare dissolution void.-An application under section 356 shall be made upon notice to the Central Government and the Registrar of Companies and where the Tribunal declares the dissolution to have been void, the order shall direct that the applicant shall file a certified copy of the order with the Registrar of Companies not later than twenty-one days from the date of the order.

PAYMENT OF UNCLAIMED DIVIDENDS OR UNDISTRIBUTED ASSETS INTO THE COMPANY LIQUIDATION DIVIDEND AND UNDISTRIBUTED ASSETS ACCOUNT IN A WINDING UP

179. Statement to accompany payment. – (1) The statement to be furnished, under section sub-section (3) of 352 to the Registrar of Companies, by the liquidator when making any payment of unclaimed dividends or undistributed assets into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in a scheduled bank under sub-sections (1) and (2) of the said section, shall be in Form WIN 94.

(2) The liquidator shall, whenever called upon by the Registrar of Companies so to do , certify whether a person claiming payment from the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account under sub-section (7) of section 352 is or is not entitled to the whole or any part of the amount claimed.

180. Unclaimed dividends or undistributed assets under investment.-For purposes of payment of unclaimed dividends and undistributed assets into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account, money invested or deposited at interest by the liquidator shall be deemed to be money in his hand, and when such money forms part of the unclaimed dividends or undistributed assets of the company, the liquidator shall realise the investment or withdraw the deposit and shall pay the proceeds into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account.

181. Application by person for payment of money paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account.-An application under sub-section (6) of section 352 by any person claiming to be entitled to any money paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account for payment of such money shall state whether the applicant had made an application to the Central Government for the payment, and, if so, the result of the application.

182. Cost and expenses payable out of the assets in a winding up by Tribunal. - (1) The assets of a company in a winding up by the Tribunal remaining after payment of the fees and expenses properly incurred in preserving, realising or getting in the assets shall, subject to any order of the Tribunal and to the rights of secured creditors if any, be liable to the following payments which shall be made in the following order of priority, namely :-

First- the taxed costs of the petition including the taxed costs of any person appearing on the petition, whose costs are allowed by the Tribunal;

Next-the costs and expenses of any person who makes, or concurs in making, the company's statement of affairs;

Next-the necessary disbursements of the Company Liquidator other than expenses properly incurred in preserving, realising or getting in the properties of the company;

Next-the cost of any person properly employed by the Company Liquidators;

Next-the cost, charges and expenses incurred by the liquidator;

Next-the actual out of pocket expenses necessarily incurred by the members of the advisory committee, and sanctioned by the Tribunal.

(2) Save as otherwise ordered by the Tribunal, no payments in respect of bills of authorised representatives, shall be allowed out of the assets of the company without proof that the same have been considered and allowed by the taxing officer of the Tribunal and the taxing officer shall before passing the bills or charges of an authorised representative, satisfy himself that the appointment of an authorised representative to assist the liquidator in the performance of his duties has been duly sanctioned.

(3) Nothing contained in this rule shall apply to or affect costs which, in the course of legal proceedings by or against the company which is being wound up by the Tribunal, are ordered by the Tribunal in which such proceedings are pending, to be paid by the company or the liquidator, or the rights of the person to whom such costs are payable.

PART IV

COSTS, ETC.

183. Costs in the discretion of Tribunal. - Costs shall be in the discretion of the Tribunal and no costs of, or incidental to, a proceeding shall be allowed between party and party, unless the same are expressly awarded by an order of the Tribunal.

184. Bill of costs by authorised representative, etc. employed by Company Liquidator.- Every authorised representative, accountant, auctioneer or other person employed by the Company Liquidator in a winding up by the Tribunal, shall, on request by the Company Liquidator (to be made in sufficient time before the declaration of a dividend) deliver his bill of costs or charges to the Company Liquidator, and if he fails to do so within four weeks of the receipt of the request or such extended time as the Tribunal may allow, the Company Liquidator shall declare and distribute the dividend without regard to such person's claim and the claim shall be forfeited :

Provided that the Tribunal may, at any time before the declaration of the final dividend, for good cause shown, restore the claim and order the bill to be received without prejudice to the distribution of dividends declared prior to the making of the order, and the request by the Company Liquidator shall be in Form WIN 95 and shall be served personally or by registered post or speed post.

185. Fees in misfeasance proceeding.-In a proceeding against the persons referred to in sections 339 or 340, the fees to authorised representatives shall be allowed as decided by the Tribunal having regard to the nature and complexity of the case.

186. Fees when proceeding is compromised.-Where a proceeding is compromised prior to its being set down for hearing, the fees to be allowed to authorised representatives of the parties shall be as decided by the Tribunal having regard to the nature and complexity of the case.

187. Costs of parties having common interest.- (1) Where two or more petitions or applications raise a common issue and are heard together and decided by a common judgment, unless the Tribunal otherwise orders, only one set of costs shall be allowed to all the parties together in the said petitions or applications who have a common interest.

(2) Where different parties in the same proceeding have a common interest, only one set of fees shall be allowed to all of them together, though they may be represented by different authorised representatives, unless the Tribunal otherwise orders.

188. Tribunal's power to fix a fee. - (1) Nothing in these rules shall be deemed to prevent the Tribunal from fixing a fee for any matter if in any particular case the Tribunal considers it necessary to do so in the interest of justice.

(2) In any case where the contest has not been of a substantial nature, the Tribunal may direct that the costs shall be on the uncontested scale.

189. Allowance to witnesses.-The allowances to be made to witnesses shall be on the scales as determined by the Tribunal.

PART V

SUMMARY PROCEDURE FOR LIQUIDATION

190. Powers and functions of Official Liquidator. - (1) The Official Liquidator shall exercise the powers and perform the duties as specified in the Act and these rules.

(2) For the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 361 , the class of companies shall be as under, based on the latest audited Balance Sheet:-

(a) the company which has taken deposit and total outstanding deposits is not exceeding twentyfive lakh rupees; or

(b) the company of which the total outstanding loan including secured loan does not exceed fifty lakh rupees; or

(c) the company of which turnover is upto fifty crore rupees; or

(d) the company of which paid up capital does not exceed one crore rupees.

(3) The Official Liquidator shall maintain the Registers and books of accounts in the manner provided in rules 79 and 80.

(4) For the purpose of filing and audit of the Official Liquidator's accounts, the procedure laid down in the preceding rules 91 to 99 shall be followed with the modification that wherever the word Tribunal is mentioned,

it shall be read as Central Government and with further directions issued by the Central Government as may be necessary, from time to time.

(5) The Official Liquidator shall dispose of all the assets in the manner as described in preceding rules 165 to 167 with the modification that wherever the word Tribunal is mentioned, it shall be read as Central Government and with further directions issued by the Central Government as may be necessary, from time to time.

(6) The monies received by the Official Liquidator as referred to in section 349 shall be paid by him into the public account of India in the Reserve Bank of India as mentioned in that section not later than the next working day of the said Bank.

(7) For the purposes of section 363, the creditors of the company shall prove their claim in the manner as provided under rules 100 to 125, with the modification and directions by Central Government as mentioned in sub-rule (4).

(8) In the absence of any rules under this Part, on any subject for conduct of liquidation proceeding by the Official Liquidator, the relevant rules in the other Parts of these rules shall be followed with necessary modifications as directed by the Central Government.

PART VI.

MISCELLANEOUS

191. Inspection of file. - (1) Every duly authorised officer of the Central Government and, save as otherwise provided by these rules, every person who has been a director or officer of a company which is being woundup, shall be entitled, free of charge, at all reasonable times to inspect the file of proceedings of the liquidation, and to take copies or extracts from any document therein on payment at the rate of five rupees per page, to be furnished with such copies or extracts.

(2) Save as otherwise provided by these rules, every contributory and every creditor, whose claim or proof has been admitted, shall be entitled, at all reasonable times to inspect the file of proceedings on payment of one hundred rupees and to be furnished with copies and extracts from any document therein at the rate of five rupees per page.

IndiaCode

FORM WIN 1

[See rule 3(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,_____)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Petition for winding-up

The petition of (full name, description, occupation and address of petitioner) showeth:-

1. The address of the petitioner above named for the service of all notices, processes, etc., is that of his representative Shri.....at.....

2. The company above named, viz.,.....(hereinafter referred to as 'the company') was incorporated in the month of.....19…./20....., under the (Companies Act, _____) as a public (private) company limited by shares/limited by guarantee/as an unlimited company.

3. The registered office of the company is situated at.....

4. The nominal capital of the company is Rs.....divided into.....shares of Rs.....each. The amount of capital paid up or credited as paid-up is Rs.....(or as the case may be.)

5. The objects for which the company was incorporated are (herein set out the main objects) and any matter considered necessary for furtherance thereof set forth in the memorandum of association thereof.

6,7,8, etc. [Here set out in numbered paragraphs, as may be necessary, the facts on which the petitioner relies in support of the petition. Where the petitioner is a contributory, the petition should state whether the conditions of sub-section (2) of section 272 are satisfied. Where the petition is presented by the Registrar of Companies or by a person authorised by the Central Government, the order of sanction or authorisation of the Central Government should be annexed to the petition. After setting out the facts conclude as follows:-]

PRAYER

The petitioner, therefore, prays as follows:—

(1) That the.....Co., [Ltd.] be wound up by the Tribunal under the provisions of the Companies Act, _____, and

(2) Such other order may be made in the premises as shall be just.

Representative of Petitioner

Petitioner

Note**:** It is intended to serve this petition on.....**.**

ENCLOSURES-

1. Where the petition is presented by the Registrar of Companies or a person authorized by the Central Government, the order of sanction or authorisation of the Central Government.

2. Statement of affairs in FORM WIN4……in case winding up petition is being filed by the company.

FORM WIN 2

[*See* rule 3(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,_____)

Petition No.....of 20.....

.....Company Limited - Petitioner

Petition by company

The petition of.....Co. Ltd., the petitioner herein, showeth as follows:—

(Paragraphs 1 to 5 as in FORM WIN1).

6. Where the company is already being wound-up voluntarily or by the Tribunal, the facts showing that the voluntary winding-up or winding-up by the Tribunal, as the case may be, cannot be continued with due regard to the interests of the creditors or contributories or both, should be set out.

7. By a special resolution of the company duly passed in accordance with section 271 of the Companies Act, 2013, at a general meeting thereof, held on the.....day of 20...., after due notice as provided in the Act, it was resolved unanimously (*or*, by a majority of.....votes against.....votes) as follows:—

(Here set out the resolution)

[Here set out in paragraphs the facts relating to the financial position of the company and the circumstances that have led to the passing of the special resolution.]

8. The petitioner therefore prays as follows:—

(*1*) That the.....Co., [Ltd.], may be wound-up by the Tribunal under the provisions of the Companies Act, ____, and

(*2*) Such other order may be made in the premises as shall be just.

Representative for the Petitioner

Petitioner

ENCLOSURES-

1. Copy of notice calling the meeting in which resolution is passed.
2. Copy of resolution passed.
3. Copy of statement of affairs.

IndiaCode

FORM WIN 3

[*See* rule 3(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF--------LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Affidavit verifying petition

1. I, A.B., son of …… aged …….. residing at ……do hereby solemnly affirm and state as follows:-

(Note . To be filled in by the petitioner other than a company)

1 I am a director/secretary/……./ of ……..Ltd., the petitioner in the above matter and am duly authorised by the said petitioner to make this affidavit on its behalf.

[*Note- T*o be filled in cases where the petitioner is the company.)

2 The statements made in paragraphs …… of the petition herein now shown to me and marked with letter 'A', are true to my knowledge, and the statements made in paragraphs …… are based on information, and I believe them to be true.

Solemnly affirmed at …… on this ……day of ……20…...

Deponent

FORM WIN 4

[See rule 4]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,_____)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Statement of affairs under section 274(1)

Statement of affairs of the above named company as on theday of... 20,

I/We of do solemnly affirm and say that the statement made herein and the several lists hereunto annexed marked 'A' to 'I' are to the best of my/our knowledge and belief a full, true and complete statement as to the affairs of the above-named company, on the ……. day of 20, and that the said company carries/carried on the following business:-

[Here set out nature of company's business]

Signature(s)

Solemnly affirmed at …..... this……..... day of 20…...

Before me.

Commissioner for Oaths.

The Commissioner is particularly requested, before swearing the affidavit, to ascertain that the full name, address and description of the deponent are stated, and to initial any crossing out or other alterations in the printed form. A deficiency in the affidavit in any of the above respects will entail its refusal by the Tribunal, and will necessitate its being re-sworn.

Note - The several lists annexed are not exhibits to the affidavit.

STATEMENT OF AFFAIRS AND LISTS TO BE ANNEXED

Statement as to the affairs of Ltd ., on the ……..... day of …….. 20…… , showing assets at estimated realisable values and liabilities expected to rank :-

	Estimated Realisable Values Rs.
Assets not specifically pledged (as per List 'A ')	
Balance at bank …	
Cash in hand …	
Marketable Securities …	
Bills Receivable …	
Trade Debtors …	
Loans and Advances …	
Unpaid Calls …	
Stock in Trade …	
Work in progress …	
…….	
…….	
Freehold property, Land & Buildings …	
Leasehold property …	
Plant & Machinery …	
Furniture, Fittings, Utensils, etc. …	
Investments other than marketable securities …	
Livestock …	
Vehicle etc. …	
Other Property, *viz.*, …	
…….	
…….	

*__Asset specifically pledged (as per list 'B')__

(a) Estimated Realisable Values	(b) Due to secured creditors	(c) Deficiency ranking as unsecured	(d) Surplus carried to last column
Rs	Rs.	Rs	Rs.

Freehold property

Rs……

IndiaCode

Estimated surplus from assets specifically pledged _____

Estimated total assets available for preferential creditors, debenture-holders secured by a floating charge, and unsecured creditors (brought forward)

Summary of Gross Assets Rs.

Rs.

Gross realisable value of assets specifically pledged …

Other assets …

Gross Assets Rs. …

**Note* : All assets specifically mortgaged, pledged or otherwise, given as security should be included under this head. In the case of goods given as security, those in possession of the company and those not in possession should be separately set out.

IndiaCode

Rs.

Estimated total assets available for preferential creditors, debenture-holders secured by a floating charge, and unsecured creditors (brought forward).

(e)

Gross Liabilities Rs.

Liabilities

(to be deducted from surplus or added to deficiency as the case may be.)

Secured creditors (as per List 'B') to extent to which claims are estimated to be covered by assets specifically pledged [item *(a)* or *(b)* on preceding page, whichever is the less] _____

[Insert in 'Gross Liabilities' column only]

Preferential creditors (as per List 'C')… _____

Estimated balance of assets available for debenture-holders secured by a floating charge and unsecured creditors Rs. _____

Debenture-holders secured by a floating charge (as per list 'D')Estimated Surplus/Deficiency as regards debenture holders. Rs. _____

Unsecured Creditors (as per List 'E') …

Estimated balance of claims of creditors* partly secured on specific assets, brought from preceding page.

(c)……

Trade Accounts ……

Bills Payable …….. _____

Outstanding Expenses ……...

Contingent liabilities (state nature) ……..

Rs.

Rs.

Estimated Surplus/Deficiency as regards creditors being difference between Gross Assets brought from preceding page *(d)* and Gross Liabilities as per column *(e)* _____

Rs. _____

Issued and Called-up Capital:#

..... Preference shares of …..each

..... Called-up (as per List 'F') …

..... equity shares of ……each … _____

..... Called-up (as per List 'G') …

..... …

..... … _____

Estimated Surplus/Deficiency as regards Members (as per list 'H') Rs.

These figures must be read subject to the following notes:-

(1) (f) there is no unpaid capital liable to be called up, or

(g) the nominal amount of unpaid capital liable to be called up is Rs……..estimated to produce Rs……..which is/is not charged in favour of debenture holders [strike out (f) or (g)]

(2) The estimates are subject to costs of the winding up and to any surplus or deficiency on trading pending realisation of assets.

LIST 'A' - ASSETS NOT SPECIFICALLY PLEDGED

Statement of Affairs : *List* 'A'

Full particulars of every description of property not specifically pledged and not included in any other list are to be set forth in this list.

	Full statement and nature of property	Book Value Rs.	Estimated to produce Rs.
State name of bankers	Balance at Bank …		
	Cash in hand …		
	Marketable Securities. *Viz.*,…		
	…….. …		

IndiaCode

	Bills Receivable (as per Schedule I) …
	Trade Debtors (as per Schedule II) …
	Loans & Advances (as per Schedule III) …
	Unpaid calls (as per Schedule IV) …
State nature	…Stock in Trade (as per Schedule V) …
State nature	…Work in Progress …
	Freehold property, *viz*,
	……. …
	Leasehold property. *viz*
	……. …
	Plant and Machinery, *viz.*, …
	……. …
	Furniture, Fittings, Utensils, etc. …
	Patents, Trade Marks, etc ., *viz.*, …
	…….
	Investments other than Marketable Securities *viz.*, …
	Livestock, Vehicles, etc. …
	Other Property, *viz.*, …
	……..

Signature*:* Dated20

IndiaCode

SCHEDULE I

BILLS OF EXCHANGE, PROMISSORY NOTES, ETC., ON HAND AVAILABLE AS ASSETS

Statement of Affairs: Schedule I to List 'A'

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively.

No.	*Name of Acceptor Of bill or note*	*Address,etc.*	*Amount of bill* or *note*	*Date when due*	*Estimated to produce*	*Particulars of any property held as security for payment of bill or note*
			Rs.		Rs.	

Signature: Dated20

SCHEDULE II

TRADE DEBTORS

Statement of Affairs: Schedule II to List 'A'

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively.

Note: If the debtor to the company is also a creditor, but for a less amount than his indebtedness, the gross amount due to the company and the amount of the contra account should be shown in the third column, and the balance only be inserted under the heading 'Amount of debt' thus :

Rs.

Due to the Company

Less Contra Account

No such claim should be included in the List 'E'

No.	*Name*	*Residence & Occupation*	*Amount of Debt*			*Folio of ledger or other book where particulars to be found*	*When contracted*	*Estimated to produce*	*Particulars of an securities held for debt*
			Good	*Doubtful*	*Bad*		*Month Year*	Rs.	
			Rs.	*Rs.*	*Rs.*				

IndiaCode

Signature: Dated.....20....

SCHEDULE III

LOANS AND ADVANCES

Statement of Affairs: Schedule III to List 'A'

Serial No.	Date of advance	Name and Address of Person to whom advanced	Amount due	Estimated to realise	Particulars of security, if any	Folio of ledger or other book where particulars to be found
			Rs			

Signature: Dated.....20....

SCHEDULE IV

UNPAID CALLS

Statement of Affairs: Schedule IV to List 'A'

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively.

Consecutive No.	No. in shares register	Name of shareholder	Address	No. of shares held	Amount of call per share unpaid	Total amount due	Estimated to realise
					Rs.	Rs.	Rs.

Signature: Dated.....20....

SCHEDULE V

STOCK IN TRADE

Statement of Affairs: Schedule V to List 'A'

IndiaCode

Serial No.	Description	Quantity	Book Value	Estimated to realise
			Rs.	Rs.

Signature: Dated.....20....

SCHEDULE VI

DEBTS DUE FROM CONTRIBUTORIES

(Other than unpaid calls)

Statement of Affairs: Schedule VI to List 'A'

Consecutive No.	No. in shares register	Name of shareholder	Address	Nature and particulars of debt	Amount due	Securities held, if any, for the debt	Serial no. in Schedule I,II or III, as the case may be where the debt is included
					Rs.		

Signature: Dated.....20....

LIST B-ASSETS SPECIFICALLY PLEDGED AND CREDITORS FULLY OR PARTLY SECURED

(Not including debentures-holders secured by a floating charge)

The names of the secured creditors are to be shown against the assets on which their claims are secured, numbered consecutively, and arranged in alphabetical order as far as possible.

Statement of Affairs: List 'B'

Particulars of assets specifically pledged	Date when security given	Estimated value of security	No.	Name of creditors	Address and occupation	Amount of Debt	Date when contracted	Consideration	Balance of debt unsecured carried to list "E"	Esimated surplus from security.
		Rs				*Rs*			*Rs*	*Rs*

Signature: *Dated20 . .*

*All assets specifically mortgaged, pledged, or otherwise given as security should be set out: goods given as security but in possession of the company and goods not in possession should be separately set out.

LIST 'C' - PREFERENTIAL CREDITORS FOR RATES, TAXES, SALARIES, WAGES AND OTHERWISE THE NAMES

TO BE ARRANGED IN ALPHABETICAL ORDER AND NUMBERED CONSECUTIVELY

Statement of Affairs: List 'C'

No	Name of creditor	*Address and occupation*	Nature of claim	Period during which claim accrued due	Date when due	Amount of claim	Amount payable in full	Amount payable as overriding preferential payments	Balance not preferential carried to list 'E'
						Rs.	Rs.		Rs.

Signature: *Dated 20 ..*

LIST 'D' - LIST OF DEBENTURE HOLDERS SECURED BY A FLOATING CHARGE

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively

Separate Lists must be furnished of holders of each issue of Debentures, should more than one issue have been made.

Statement of Affairs: List 'D'

No.	*Name of holder*	*Address*	*Amount*	*Description of assets Over which security extends*
			Rs. .	

Signature: *Dated 20*

LIST 'E' - UNSECURED CREDITORS

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively

Statement of Affairs: List 'E'

Note:- (1) When there is a contra account against the creditor less than his claim against the company, the amount of the creditor's claim and the amount of the contra account should be shown in the third column and the balance only inserted under the heading 'Amount of Debt' thus :-

	Rs.
Total amount of claim	…
Less: Contra account	…

No such set-off should be included in Schedule I attached to List 'A'

(2) The particulars of any Bills of Exchange and Promissory Notes held by a creditor should be inserted immediately below the name and address of such creditor.

No.	*Name*	*Address & Occupation*	*Amount of debt*	*Date when contacted*	*Folio of ledger or other books where particulars to be found*	*Consideration*
			Rs.	Month Year		

Unsecured balance of creditors partly secured

- *Brought from List 'B'*

Balance not preferential of preferential creditor

- *Brought from List 'C'*

Signature: *Dated 20 ...*

IndiaCode

LIST 'F' - LIST OF PREFERENCE SHAREHOLDERS

The name to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively

Statement of Affairs: List 'F'

Consecutive no.	*Register No.*	*Name of Shareholder*	*Address*	*Nominal amount of share*	*No. of shares held*	*Amount per share called up*	*Total amount called up*
						Rs	*Rs*

Signature: *Dated. 20 ..*

LIST 'G' - LIST OF EQUITY SHAREHOLDERS

The names to be arranged in alphabetical order and numbered consecutively

Statement of Affairs: List 'G'

Consecutive no.	*Regi ter No.*	*Na e of Shareholder*	*Address*	*Nominal amount of share*	*No. of shares held*	*Amount per share called up*	*Total amount called up*
						Rs	*Rs*

Signature: *Dated……20…*

LIST 'H' -DEFICIENCY OR SURPLUS ACCOUNT

Statement of Affairs: List 'H'

The period covered by this Account must commence on a date not less than 3 years of the date of presentation of the winding up petition or, if the company has not been incorporated for the whole period, the date of formation of the company, unless the Tribunal otherwise agrees.

Items contributing to deficiency (or reducing surplus):-

Rs.

1. Excess (if any) of Capital and Liabilities over Assets on the……..
 20 …… as shown by balance-sheet (copy annexed) …..
2. Net dividends and bonuses declared during the period from ……...
 20……to the date of the statement. …..

IndiaCode

3. Net trading losses(after charging items shown in note below) for the same period. …..
4. Losses other than trading losses written off or for which provision has been made in the books during the same period (give particulars or annex schedule) …..
5. Estimated losses now written off or for which provisions have been made for the purpose of preparing the statement (give particulars or annex schedule). …..
6. Other items contributing to Deficiency or reducing Surplus…..
…….. …..

Rs_____

Items reducing Deficiency (or Contributing to Surplus):-

7. Excess (*if* any) of assets over capital and liabilities on the ……. 20…..as shown on the Balance Sheet (copy annexed) ….. Rs.
8. Net trading profits (after charging items shown in note below) for the period from the…….20….to the date of statement. Rs.
9. Profits and income other than trading profits during the same period (give particulars or annex schedule). …. Rs.
10. Other items reducing Deficiency or contributing to Surplus:- Rs.
Deficiency/Surplus as shown by statement.

Note as to Net Trading Profits and losses:-

Particulars are to be inserted here (so far as applicable) of the items mentioned below, which are to be taken into account in arriving at the amount of net trading profits or losses shown in this account:-

Provision for depreciation, renewals, or diminution in value of fixed assets.

Charges for Income-tax and other taxation on profits.

Interest on debentures and other fixed loans.

Payment to directors made by the company and required by law to be disclosed in the accounts.

Exceptional or non-recurring expenditure:

…… Rs.

Less Exceptional or non –recurring receipts:

……Rs.

Balance, being other trading profits or losses Rs._____

Net trading profits or losses as shown in Deficiency or Surplus Account above Rs._____

Signature: Dated……..20……

IndiaCode

LIST 'I'

Statement of Affairs: List 'I'

In substitution for such of the Lists 'A' to 'H' as will have to be returned blank

List	Particulars	Remarks
		Where no entries are made on anyone or more of list 'A' to 'H' the word 'Nil' should be inserted in this column opposite to the list or lists thus left blank.

A. Assets not specifically pledged. …….

B. Assets specifically pledged and creditors fully or partly secured (not including debenture-holders secured by a floating charge).

C. Preferential creditors for Rates, Taxes, Salaries, Wage and overriding preferential payments and otherwise. …..

D. Debenture-holders secured by Floating Charge. ……

E. Unsecured creditors. ……

F. Preferential shareholders. ……

G. Equity shareholders. ……

H. Deficiency or Surplus Account. ……

Signature: Dated……20…..

FORM WIN 5

[*See* rule 4]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Affidavit of concurrence in statement of affairs

I/We,.....[name(s), description(s) etc.] do solemnly affirm and say as follows :—

That I/we have perused the statement of affairs lodged herein by.....and that to the best of my/our information, knowledge and belief, such statement contains a full and accurate account of the company's affairs [except as stated below].

IndiaCode

[Here state, if necessary, in what respects, if any, the statement of affairs is not concurred in.]

Solemnly affirmed etc.

Signature of deponent

Commissioner for Oaths

.....

FORM WIN 6

[*See* rule 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Advertisement of petition

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above-named company by the Tribunal at…….. was on the day of... 20 presented to the said Tribunal by the said company *[or.* where the petition was not presented by the company, state the name and address of the petitioner and the capacity in which he presents the petition *e.g.,* contributory, etc.] and that the said petition is directed to be heard before the Tribunal on the day of 20…... Any contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his representative notice of his intention signed by him or his representative with his name and address so as to reach the petitioner or his representative not later than five days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his representative. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Tribunal and a copy served on the petitioner or his representative not less than five days before the date fixed for the hearing.

Representative for Petitioner

FORM WIN 7

[*See* rule 14(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Company Petition No.....of 20.....

.....—Petitioner

Company Application No.....of 20....

.....Applicant.

Before the Hon'ble Member of the Bench.....

Dated.....

Notice of the application for appointment of provisional liquidator

To

.....

Take notice that the application for appointment of provisional liquidator of the company pending final orders on the winding up petition in pursuance of section 273(1)(c) was presented by……..(here mention whether it is a contributory or contributories , the Registrar of Companies or person authorised by the Central Government or the Central Government or the State Government, and admitted on the …….day of 20…....., and that the said application is fixed for hearing before the Tribunal on the.....day of.....20…….

If you desire to support or oppose the application at the hearing, the notice thereof in writing should reach the Tribunal not later than…....days before the date fixed for the hearing of the application, and appear at the hearing in person or by your representative. If you wish to oppose the application, the grounds of opposition or a copy of affidavit should be furnished with the notice. A copy of the application is enclosed herewith*

Name

Dated..... (Sd).....

(Representative for applicant)

.....

[This notice should be served on or before the.....day of.....20...]

FORM WIN 8

[*See* rule 14(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Company Application No 20

..... *Applicant.*

Before the Hon'ble Mr. ----------

Dated

Order appointing provisional liquidator

Upon the application of.....and upon hearing Shri..... , representative for the applicant, and Shri(name , designation, postal address, email id , land line phone number or mobile phone number) , representative for the company and upon reading the petition and affidavit filed the day of... 20….. , and the affidavit of the applicant herein filed theday of... .20 ….

This Tribunal doth appoint the Shri _____, resident of _____to be provisional liquidator of the above-named company;

And the Tribunal doth hereby limit and restrict the powers of the said provisional liquidator to the following acts, that is to say:-

[Here describe the acts which the provisional liquidator is authorised to do.]

And the Tribunal doth order that the provisional liquidator do forthwith take charge of all the property and effects of the company';

And that the costs of this application shall be costs in the petition.

(By the Tribunal)

Registrar

Note: It will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of account of company completed and audited upto the date of order to liquidator under section 274(3) to attend on the provisional liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

*Where the Tribunal directs that the provisional liquidator is to take possession of any specific properties, the clause should be suitably modified, and the particulars of such properties should be set out in a schedule to the order.

FORM WIN 9

[*See* rule 14(4)]

IndiaCode

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Company Petition No 0/ 20 .

Application No 0/20 .

..... Petitioner (Applicant)

Notice of appointment of provisional liquidator

To

The provisional liquidator

…….(Address)

Order pronounced this day by the Hon'ble Mr. _____for appointment of the provisional liquidator of the under-mentioned company:

1. Name of company:

2. Registered office of the company:

3. Petitioner's representative:

4. Date of presentation of petition:

A copy each of the petition and the affidavit filed in support is herewith enclosed.

Dated.....

Tribunal……

Note.- It will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of account of company completed and audited upto the date of order to liquidator under section 274(3), to attend on the provisional liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

Copy to Registrar of Companies.

FORM WIN 10

[See rules 14(5) and 21]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,_____)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Disclosure of interest or lack of independence by provisional liquidator or by Company Liquidator

To

……

Registrar/Deputy Registrar

Disclosure is hereby given that I,……appointed as the provisional liquidator or company liquidator of the above mentioned company by an order dated the ……day of …….. 20……., have no interest in the above named company and, am in no way so concerned with the company to affect my independence in the discharge of my duties as provisional liquidator or Company Liquidator of the said company.

[I have the following interests in the above named company which may affect my independence in discharge of my duties as the provisional liquidator or Company Liquidator of the said company (set out the interest)]

Dated this…….day of ……20

(Sd.)Provisional Liquidator or Company Liquidator

FORM WIN 11

[*See* rule 17(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Company Petition No..... / 20

..... -Petitioner

Before the Hon'ble Mr. _____

Dated

Winding up Order

Upon the petition of.....presented on the day of….. 20…. , upon hearing Shri representative for the petitioner Shri……. representative for the creditors (or contributories) supporting the petition, Shri representative for the creditors (or contributories) opposing the petition, and Shri representative for the company, upon reading the said petition, the affidavit of A.B., filed the day of..... 20...., verifying the said petition, the affidavit of x.y., filed the …….day of ……20….., the (state or union territory) , paper publication of the advertisement of the said petition, this Tribunal doth order:

*(1) That the said company be wound up by this Tribunal under the provisions of the Companies Act, 2013; and

(2) That the provisional liquidator or Company Liquidator , as the case may be, as liquidator of the company aforesaid, forthwith take charge of all the property, effects, actionable claims and books and papers of the said company;

**(3) That the provisional liquidator or Company Liquidator shall cause a sealed copy of this order to be served on the company by pre-paid registered post;

(4) That the petitioner do advertise within fourteen days from this date a notice in the prescribed form of the making of this order in one issue (each) of... (here enter the newspaper or newspapers in which the order is to be advertised);

(5) That the said petitioner do serve a certified copy of this order on the Registrar of Companies not later than one month from this date; and

(6) That the cost of the said petition shall be paid out of the assets of the said company.

Dated thisday20 .

(By the Tribunal)

Registrar

*Where the company ordered to be wound up is a Banking Company, or an Insurance Company, add at the end of clause (1) "and the Banking Companies Act, 1949' or 'and the Insurance Act, 1938", as the case may be.

** To be inserted only where the company is not the petitioner.

Note:

1. It will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of account of company completed and audited up to the date of order under section 274(3) to attend on the Company Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

2. It will be the duty of every person who is in possession of any property, books or paper, cash or any other assets of the company including the benefits derived therefrom, such person shall forth with surrender such property, books, papers, etc.

FORM WIN 12

[*See* rule 17(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to Company Liquidator of winding up order

To

The Company Liquidator,

……..Name

……(Address)

Order pronounced this day by the Hon'ble Mr. …….. for winding up the under-mentioned company under the Companies Act,2013

1. Name of company:

2. Registered office of the company:

3. Petitioner's representative:

4. Date of presentation of petition:

* A copy each of the petition and the affidavit filed in support is herewith enclosed.

Dated..... Tribunal……..

*Strike out, where copies of the petition and the affidavit have been sent to the Company Liquidator along with notice of an order appointing provisional liquidation, if any.

Note: It will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of accounts of company completed and audited upto the date of order of liquidator under section 274(3) to attend on the Company Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

FORM WIN 13

[*See* rule 17(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to Registrar of Companies Winding up order

To

The Registrar of Companies,

……(Address)

Order pronounced this day by the Hon'ble Mr. …….. for winding up the under-mentioned company under the Companies Act, 2013

1. Name of company:

2. Registered office of the company:

3. Petitioner's representative:

4. Date of presentation of petition:

* A copy each of the petition and the affidavit filed in support is herewith enclosed.

Dated..... Tribunal…….

*Strike out, where copies of the petition and the affidavit have been sent to the Registrar of Companies along with notice of an order appointing provisional liquidator, if any.

Note:

1 It will be the duty of such of the persons as are liable to submit the books of accounts of company completed and audited upto the date of order of liquidation under section 274(3) to attend on the Company Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

2 In case of a listed company, the Registrar shall send intimation of such order to the Stock Exchange, where the Securities of the company are listed.

FORM WIN 14

[*See* rule 20]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Company Petition No 20

..... -Petitioner

Notice of winding up order

By an order made by the Tribunal in the above matter dated the day of20it was ordered that the above-named company be wound-up under the provisions of the Companies Act, 2013.

Dated..... *Representative for the Petitioner*

FORM WIN 15

[*See* rule 24]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,.…)

Company Petition No.....of 20.....

Application No.....of 20.....

…….—*Applicant*

Application for leave to commence or continue any suit or proceeding under section 279(1) of the Companies Act, 2013

The application of (full name, description, occupation and address of applicant) showeth:-

1. The address of the applicant/his representative for the service of all notices, processes etc., is Shri.....at.....

2. The company named, viz.,.....(hereinafter referred to as 'the company') was incorporated in the month of.....19…./20....., under the (Companies Act, _____) as a public (private) company limited by shares/limited by guarantee/as an unlimited company.

3. The registered office of the company is situated at.....

4. The nominal capital of the company is Rs.....divided into.....shares of Rs.....each. The amount of capital paid up or credited as paid-up is Rs.....(or as the case may be.)

5. The order for the winding up the company or for appointment of provisional liquidator dated ……has been passed by the Tribunal.

6. The applicant hereby applies for the leave to commence [or continue] the suit [or proceeding] under section 279(1) of the Companies Act 2013, the details of which are as mentioned below:

Dated this.....day of.....20....

Applicant

FORM WIN 16

[*See* rule 25(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Report of the Company Liquidator under section 281(1)

The Company Liquidator, in pursuance of section 281(1) of the Companies Act, 2013 hereby submits his Report to the Tribunal as follows :-

1. ***Capital:*** The nominal capital of the company is Rs…… divided intoshares of Rs each.

The number of shares issued is and comprises …….. shares allotted as fully paid and …….shares subscribed for cash and fully called up *(or on* which Rs per share has been called up.) The unpaid calls amount to Rs ……..

2. ***Assets:*** The assets of the company located at…….., are estimated by the registered valuer *(or* as the case may be) to be of the value of Rs …. and they comprise the following :-

Assets not specifically pledged:

(1) Cash on hand RS…

Cash at Bank RS…

Negotiable Securities RS…

(2) Debts due from contributories RS…

(3) Debts due to the company: (name, addresses and occupation of person from whom they are due and the amount likely to be realised on account thereof)

(a) Secured RS…

Securities available:

(give particulars of the properties given as security, whether security given by company or an officer ,their value and dates on which they were given)

(b) Unsecured RS…

(4) Guarantee, if any, extended by company RS…

(5) Movable & Immovable properties:

(a) Movable properties: RS…

(i) Stock in trade RS…

(ii) Other movables (give particulars) RS…

(b) Immovable properties: (give particulars) RS…

(6) Unpaid Calls RS…

(7) List of contributories and dues, if any, payable by them RS…

(8) Details of Trade Marks and intellectual property, if any, owned by the company

(9) Other assets

Assets specifically pledged: RS…

IndiaCode

(I) Assets held by fully secured creditors (give particulars) RS…

(2) Assets held by partly secured creditors (give particulars) RS…

3. Liabilities : The liabilities of the company are returned as amounting to Rs. _____ and include the following :-

(1) Fully secured creditors Rs

(2) Partly secured creditors Rs

(3) Preferential creditors Rs

(4) Debenture holders Rs

(5) Unsecured creditors Rs

4. Details of subsisting contracts, joint venture and collaboration, if any.

5. Details of holding and subsidiary companies, if any.

6. Details of legal cases filed by or against the company, if any.

7. Causes of failure: The company was formed to carry on the business of …….

The failure of the company is in the opinion of the company Liquidator due to ……

8. Any other information which Tribunal may direct or Company Liquidator may consider necessary to include.

9. The manner in which the company was promoted or formed and the Company Liquidator is of the opinion that fraud has been/has not been committed by any person in its promotion or formation.

Dated thisday of 20 ...

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 17

[*See* rule 28(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Provisional list of contributories

The following is a list of members of the above-named company liable to be placed on the list of contributories of the said company made out by me from the books and papers of the said company, together with their respective addresses and the number of shares *[or* extent of interest] to be attributed to each, and the amount called up and the amount paid up in respect of such shares *[or* interest] so far as I have been able to make out or ascertain the same.

In the first part of the list are set forth the persons who are contributories in their own right.

In the second part of the list are set forth persons who are contributories as being representatives of or liable for the debts of others.

First Part

Contributories in their own right

Sl. No.	Name & Description	Address	No. of shares or extent of interest	Amount called up at date of commencement of winding up	Amount paid up at date of commencement of winding up
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Second Part

Contributories as being representatives of or liable for the debt of others

Sl. No.	Name and Description	Address	In what character included	No. of shares or extent of interest	Amount called up at date of commencement of winding up	Amount paid up at date of commencement of winding up
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

IndiaCode

Sd/-

Company Liquidator

FORM WIN 18

[*See* rule 29(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to contributory of date fixed to settle list of contributories

To

…….

…….

Take notice that I..... the Company Liquidator of the above company, have fixedday the day of.. .. 20 ... at... ..o'clock in the noon at my office, to settle the list of contributories of the above named company which has been made out by me, pursuant to the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and that you are included in such list. The character and the number of shares *[or* extent of interest] in and for which you are included, and the amount called up and the amount paid up in respect of such shares *[or* interest] are stated below. If no sufficient cause is shown by you to the contrary at the time and place aforesaid, the list will be settled including you therein as set forth in the said list.

No.of	Name &	Address	In what	No. of	Amount called up at	Amount paid up

list	Description		character included	shares or extent of interest	date of commencement of winding up	at date of commencement of winding up
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Dated this…….day of ……..20……..

(Sd.)

Company Liquidator

Notes:

1. Contributories are under no obligation to attend before the Company Liquidator if they are satisfied that the particulars contained in the notice are correct.

2. A shareholder's name cannot be omitted from the list of contributories on account of his inability to pay calls; this question will be dealt with when application is made for payment of the calls.

3. A change of address may be notified by giving notice by post before the date fixed for the settlement of the list.

FORM WIN 19

[See rule 29(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Affidavit as to the posting of notices fixing a date for the

settlement of the list of contributories

I, (name and description) do solemnly affirm and say as follows:-

1. That I did on the day of... 20……, send to each contributory mentioned in the provisional list of contributories made out by the Company Liquidator on the day of... .. 20 , and now on the file of proceedings of the above-named company, at the address appearing in such list, a notice of the time and place fixed to settle the list of contributories, in the form hereunto annexed marked 'A', except that in the tabular form at the foot of such copies respectively I inserted the number, name and description, address, in what character included, the number of shares *(or* extent of interest), the amount called up and the amount paid up in respect of the shares *(or* interest), of the person to whom such copy of the said notice was issued.

2. That I sent the notices by putting the same pre-paid into the post office/by speed post at... before the hour of o'clock in the noon on the said day, and I obtained from the post office the certificate of posting relating thereto, which is herewith annexed*.

Solemnly affirmed, etc.

Deponent

*To be annexed

FORM WIN 20

[*See* rule 30]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Dated :

List of contributories as settled by Tribunal

The result of the settlement of the list of contributories of the above company, made out and filed in Tribunal by the Company Liquidator of the said company on the day of 20…. ,

so far as the said list has been settled up to the date of this certificate, is as follows :-

1. The several persons whose names are set forth in the second column of the First Schedule hereto have been included in the said list of contributories as contributories of the said company in respect of the number of shares [or extent of interest] set opposite the names of such contributories respectively in the said Schedule.

2. In the first part of the said Schedule are set forth such of the said several persons as are contributories in their own right.

3. In the second part of the said Schedule are set forth such of the said several persons as are contributories as being representatives of or liable for the debts of others.

4. The several persons whose names are set forth in the second column of Second Schedule hereto, were included in the provisional list of contributories, and have been excluded from the said list of contributories.

5. In the fifth column of the first part and the sixth column of the second part of the First Schedule, and in the sixth column of the Second Schedule, are set forth, opposite the name of each of the several persons respectively, the date when such person was included in or excluded from the said list of contributories.

6. In the sixth and seventh columns of the first part, and the seventh and eighth columns of the second part, of the First Schedule, are set forth opposite the names of each of the said persons respectively the amount called up at the date of the commencement of the winding-up and the amount paid up at such date in respect of their shares [*or* interest].

THE FIRST SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

First Part

Contributories in their own right

Sl. No.	Name and Description	Address	No. of shares or extent of interest	Date when included in the list	Amount called up the date of commencement of winding up	Amount paid up at date of commencement of winding up
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Second Part

Contributories as being representatives of or liable for the debts of others

Sl. No.	Name and Description	Address	In what character included	No. of shares or extent of interest	Date when included in the list	Amount called up the date of commencement of winding up	Amount paid up at date of commencement of winding up
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

THE SECOND SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Sl. No.	Names and Description	Address	In what character proposed to be included	No of shares or extent of interest	Date when excluded from the list
1	2	3	4	5	6

Dated the …… day of……. 20…….

Registrar National Company Law Tribunal

FORM WIN 21

[*See* rule 31(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to contributory of final settlement of list of contributories

and that his name is included

To

……..

……..

Take notice that I, the Company Liquidator of the above-named company have by certificate dated the day of...20 under my hand, finally settled the list of contributories of the said company, and that you are included in such list. The character and number of shares [*or* extent of interest] in and for which you are included and the amount called up and the amount paid up in respect of such share *[or* interest] are stated below.

Any application by you to vary the said list of contributories or that your name may be excluded therefrom, must be made by you to the Tribunal within fifteen days from the date of service on you of this notice. Any application made after the expiry of the said period will not be entertained.

IndiaCode

The said list may be inspected by you at the office of the Registrar of the National Company Law Tribunal, …… on any day during office hours.

Dated this ……. day of …….. 20…..

(Sd.)

Company Liquidator

No. List	Name and Description	Address	In what character included	No. of shares or extent of interest	Amount called up at date of commence ment of winding up	Amount paid up at date of commencement of winding up
1	2	3	4	5	6	7

Company Liquidator

FORM WIN 22

[*See* rule 31(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Affidavit of service of notice on contributory

I, (name and description of deponent). of.. solemnly affirm and say as follows :-

1. I did on the .. day of.. 20 , in the manner hereinafter mentioned serve a true copy of the notice now produced and shown to me and marked 'A' upon each of the respective persons whose names, descriptions and addresses appear in the second and third columns of the First Schedule to the list of contributories of the said company settled by the Company Liquidator of the said company on the……... day of…….20……..... and now on the file of the proceedings of the said company. In the tabular form at the foot of such copies respectively I inserted the number on list, name, description, address, in what character included. the number of shares *[or* extent of interest] and the amount called up and the amount paid up in respect of the shares *[or* interest], of the person on whom such copy of the said notice was served, in the same words and figures as the same particulars are set forth in the said Schedule.

2. I served that said respective copies of the said notice duly addressed to such persons respectively according to their respective names and addresses appearing in the said Schedule by registered post/speed post on ... at the post office at.. , and the postal receipts and acknowledgements received from the said post office in respect thereof are annexed hereto. In the following cases, either the notices were returned unserved or the notices have not been returned nor the acknowledgements received:-

Number on list	Name of Person	Whether notice was returned unserved. Whether notices not returned for acknowledgement received

Solemnly affirmed, etc.

Deponent

IndiaCode

FORM WIN 23

[*See* rule 37(1)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Report of result of meeting of creditors and contributories under section 287(3)

I (name), Company Liquidator of the Tribunal, and Chairman of the meetings of the creditors and contributories held under section 287(3), do hereby report the result of the said meetings :-

1. A meeting of the creditors of the above-named company was summoned by advertisement in

(here enter the newspaper or newspapers) of the date(s) 20……, and was held on the day

of..... 20,at..... I was the chairman of the said meeting.

2. The said meeting was attended either personally or by proxy by creditors whose proofs of debt against the said company were admitted for voting purposes, amounting in the whole to the value of Rs

3. The question submitted to the said meeting of creditors was, they wished that a advisory committee shall be appointed to act with the Company Liquidator and so, who are to be the members of the advisory committee.

4. At the said meeting it was resolved unanimously *(or* as a result of the voting set out below) that there should be advisory committee consisting of following members:-

(Here set out the names of members)

[*or* the result of the voting on the said proposition was as set out below]

5. A meeting of the contributories of the above-named company was summoned by advertisement in (here enter the newspaper or newspapers) of the date(s)20 and was held on the day of 20 , at... .for the purpose of considering the aforesaid decision of the creditors' meeting and to express the views of the contributories as to who are to be members of advisory committee . I was the Chairman of the said meeting.

6. The said meeting was attended either personally or by proxy by contributories holding in the

whole ……shares of the said company and entitled to……. votes.

7. At the said meeting it was resolved unanimously *(or* as a result of the voting as set out below) as follows:-

[Here set out the resolution or resolutions.]

RESULT OF VOTINGS

Resolutions	Voting on resolutions			
		For		Against
	No.	Amount	No.	Amount
State the substance of any resolutions and give names of members of Committee (if any) and amount of their proofs if creditors, or shares,(if contributories).				
Creditors:				
Contributories	No.	Shares vote	No.	Shares/votes

Sd/-……..

Company Liquidator and Chairman

FORM WIN 24

Form of advertisement

[See rule 37(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Company Petition No.....of 20....

Application No.20....

Notice to creditors and contributories

Whereas the meeting of the contributories of the above company held under section 287(3) has not accepted the decision of the meeting of the creditors held regarding the composition of a advisory committee, notice is hereby given that an application has been made to the Tribunal by the Company Liquidator for directions of the Tribunal under section 287(3) as to who shall be the members thereof, and that the said application will be heard by the Tribunal on.....day the.....day of.....20....., at.....o'clock in the..... noon, when any creditor or contributory of the above-named company who wishes to be heard may appear and make such representations to the Tribunal as he wished to make in the said matter.

Dated this.....day of.....20.....

.....

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 25

Form of advertisement

[See rule 45(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Company Petition No of 20 ...

Notice of meetings of creditors and contributories under section 287(3)

Notice is hereby given that -

(1) A meeting of the creditors of the above-named company will be held at.. ... (place) on day, the day of... . .20 ... , at.. ... o'clock in the noon, to determine as to who are to be the members of the advisory committee.

Note :To entitle a creditor to vote at the meeting of creditors aforesaid, his proof must be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock in the noon. on the day of... .. 20 ...

(2) A meeting of the contributories of the above-named company will be held at... .. (place) on day the day of... .. 20· ... , at.. ... o'clock in the noon, to consider the decision of the said meeting of creditors and to express the views of the contributories as to who are to be the members of the advisory committee.

Forms of proof and of general and special proxies can be had at the office of the Company Liquidator. Proxies should be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock on the day of... .. 20 ...

Dated this day of 20 ...

Company Liquidator

[The company's statement of affairs has not been lodged *(or* has been lodged and may be inspected at the office of the Company Liquidator during office hours on payment of the prescribed fee.)]

*The date fixed should be within fourteen days of the creditors' meeting.

FORM WIN 26

Form of individual notice to creditors

[See rule 45(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Company Petition No of……20 ...

Notice of creditors' meeting under section 287(5) of the Companies Act, 2013

To

Take notice that a meeting of the creditors of the above-named company will be held at. (place) on day the day of... .. 20 ..., at... .. o'clock in the noon, for the purpose mentioned below:

Agenda

To determine as to who are to be the members of the advisory committee.

To entitle you to vote thereat your proof must be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock in the noon on the day of.. .. .20 ...

The company's statement of affairs has not been lodged *[or* has been lodged and may be inspected at the office of the Company Liquidator during office hours on payment of the prescribed fee].

Forms of proof and of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock in the ….noon on the day of……. .. .20 .

Dated this day of 20 ...

Company Liquidator

FORM WIN 27

Individual notice to contributories

[See rule 45(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Company Petition No of… 20 ...

Notice of contributories' meeting under section 287(5) of the Companies Act, 2013

To

Take notice that a meeting of the contributories of the above-named company will be held at.. ... (place) on day the day of.. .. .20 ..., at... .. o'clock in the noon. for the purpose mentioned below:

Agenda

To consider the decision to be taken at a meeting of the creditors of the said company to be held on the day of 20 ...,for determining as to who are to be the members of the advisory committee, and to express the views of the contributories on the said matters.

The Company's statement of affairs has not been lodged [*or* has been lodged and may be inspected at the office of the Company Liquidator during the office hours on payment of the prescribed fee].

Forms of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Company Liquidator at his office not later than o'clock in the noon on the day of.. 20 ...

Dated this .. day of ... 20 .

Company Liquidator

FORM WIN 28

Form of individual notice

[See rule 45(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Company Petition No of 20 ...

Notice of Meeting (General Form)

To

..... creditor *(or* contributory)

..... of the said company

Take notice that a meeting of creditors *[or* contributories] in the above matter will be held at... .. (place) on the day of... . .20 ... , at... .. o'clock in the noon.

Agenda

[Here insert the purpose for which the meeting is called].

Forms of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock in the noon on the day of... .. 20 ...

Dated this .. day of ... 20 .

Company Liquidator

FORM WIN 29

Form of advertisement

[*See* rule 45(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ……)

Company Petition No of 20 ...

Notice of meeting (General Form)

Notice is hereby given that a meeting of creditors *[or* contributories] in the above matter will be held at... .. (place) on the day of... .. 19 ... at... .. o'clock in the noon.

Agenda [Here insert the purpose for which the meeting is called].

IndiaCode

Forms of general and special proxies can be had at the office of the Company Liquidator. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Company Liquidator not later than o'clock in the ... noon on the day of... . .20 ...

Dated this day of 20

Company Liquidator

FORM WIN 30

[*See* rule 47]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Company Petition No..... of 20.....

Notice to officers of company to attend meeting of creditors or contributories

To

.....

.....

Take notice that a [the first] meeting of creditors [*or* contributories] will be held on the.....day of.....20..., at.....o'clock in the.....noon at (here insert the place where the meeting is to be held) and that you are required to attend thereat and give such information as the meeting may require.

Dated this.....day of.....20...

Company Liquidator

FORM WIN 31

[See rule 48]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Company Petition No of 20…

Affidavit as to the posting of notices of meeting

I ,..... (name and description) of etc., solemnly affirm and say as follows:-

1. That I did on the day of20 ..., send to each creditor mentioned in the company's statement of affairs [and to each contributory mentioned in the Register of Members of the company) a notice of the time and place of the (respective) meeting(s) of, creditors (and contributories) in the form(s) annexed hereto and marked 'A' *(and 'B').

2. That the notices for creditors were addressed to the said creditors respectively according to their respective names and addresses appearing either in their proofs or in the statement of affairs or in the books of the company, or to the last known addresses of such creditors [and that the notices for contributories were addressed of the contributories respectively according to their respective names and addresses appearing in the Register of the company or to their last known addresses.]

3. That I further sent to each of the officers of the company mentioned below at their respective

addresses a notice of the time and place of the (respective) meeting(s) of creditors (and contributories) in the Form annexed hereto and marked 'C'**

IndiaCode

4. That I sent the notices by putting the same pre-paid into the post office at... .. before the hour of.. ... o'clock in the noon on the said day.

[5. That the notice was also advertised in (here set out the newspapers) dated and copies of the said newspapers containing the advertisement are herewith annexed.]

……

Deponent

Solemnly affirmed, etc.

*Form of the notice(s) sent to be annexed.

Omit what is not required.

**FORM WIN. 32.

To be inserted where the notice of meeting was advertised.

FORM WIN 32

[See rule 50]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Company Petition No of 20 ...

Nomination of Chairman by Company Liquidator

I, , the Company Liquidator of the above-named company, do hereby nominate (name and description) of... .. to be chairman of the meeting of creditors *(or* contributories) in the above matter appointed to be held at... .. on the day of... . .20 ... , and I depute him to attend such meeting and use, on my behalf, any proxy or proxies held by me in this matter.

Dated this day of 20 ...

Company Liquidator

FORM WIN 33

[*See* rule 64(2)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Company Petition No of 20 ...

List of creditors (or contributories) present at a meeting

Meeting held at... .. this day of20

Consecutive Number	Name of creditor (or contributory present or represented	Amount of proof (for number of shares and votes held by each contributory)	
1		In person	By proxies
2			
3			
4			

5			
6			
7			
	Total number of creditors (or contributories) present or represented.		

Company Liquidator

FORM WIN 34

[*See* rule 65]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Company Petition No of 20 ...

Report of result of meeting(s) of creditors/ contributories held

under order of Tribunal dated 20 ...

I name, Company Liquidator of the Tribunal and Chairman of the meeting(s) of the creditors/ contributories held in pursuance of the order of the Tribunal dated 20 ..., do hereby report the result of the said meeting(s):

1. In pursuance of the order of the Tribunal dated 20, a meeting of the creditors/ contributories of the above company was summoned by advertisement in (here enter the newspaper or newspapers) of the date(s) . .20,and was held on the day of.. ... 20 at.. o'clock in the noon at.. .. .I was the Chairman of the said meeting.

2. The said meeting was attended either personally or by proxy by creditors of the said company whose proofs of debts against the company were admitted *(or* admitted for voting purposes) amounting in the whole (as admitted) to the value of Rs ... *[or* by contributories of the said company holding in the whole shares of the said company] and entitled tovotes.

3. The question(s) submitted to the said meeting was (were):

[Here set out the question(s) submitted to the meeting].

4. At the said meeting it was resolved unanimously *[or* as a result of the voting as set out below] as follows:-

[Here set out the resolution(s) passed at the meeting].

Resolutions	Voting on resolutions					
		For			Against	
	No.	Amount		No.	Amount	
State the substance of any resolution passed…... Creditors,…….. Contributors ……..						
	No.	Shares	Votes	No.	shares	Votes

Dated this …..day of……20

Company Liquidator

FORM WIN 35

[*See* rule 67]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Company Petition No of 20……

Form of general proxy

I/We of... a creditor [or contributory] of the above-named company, hereby appoint.. of.. as my/our general proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of creditors [or contributories] of the said company summoned to be held in the above matter on the day of …….20, and at any adjournment thereof.

Dated this .. day of 20 .

Sd/-. A.B.

Notes:

1. It is open to a creditor or contributory to appoint the Company Liquidator or if there is no liquidator, the Chairman of the meeting to act as his proxy.

2. If the proxy is given by a firm, sign the firm's trading name and add by A.B.. a partner in the said firm. If the proxy is given by a corporation, then the form of the proxy must be under its common seal or under the hand of some officer duly authorised in that behalf, and the fact that the officer is so authorised must be stated.

3. The proxy form when signed must be lodged with the Company Liquidator within the time mentioned in the notice convening the meeting at which it is to be used.

IndiaCode

FORM WIN 36

[*See* rule 67]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Company Petition No.....of 20.....

Form of special proxy

I/Weof.....a creditor [*or* contributory] hereby appoint.....as my/our proxy at the meeting of creditors [*or* contributories] to be held on theday of20...., or at any adjournment thereof, to vote. [Here insert the word 'for' or the word 'against', as the case may require, and specify the particular resolution] the resolution numbered.....in the notice convening the meeting.

Dated this.....day of.....20...

Sd/- A.B.

Notes :

1. It is open to a creditor or contributory to appoint the Company Liquidator or if there is no liquidator, the chairman of the meeting to act as his special proxy.

2. If the proxy is given by a firm, sign the firm's trading name and add 'by A.B., a partner in the said firm. If the proxy is given by a corporation, then the form of proxy must be under its common seal or under the hand of some officer duly authorised in that behalf, and the fact that he is so authorised must be stated.

3. The proxy form when signed must be lodged with the Company Liquidator within the time mentioned in the notice convening the meeting at which it is to be used.

4. Where the person giving proxy wishes to give instructions regarding voting on any amendments that may be moved or as the case may be, such instructions may be noted in the proxy if so desired.

FORM WIN 37

[*See* rule 76]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Company Petition No.....of 20.....

Dated.....

Quarterly Report with respect to progress of winding up under section 288(1) of the Companies Act, 2013

I,(name), Company Liquidator of the above named company , in accordance with section 288(1) of the Companies Act, 2013, do hereby report the progress of winding up during this quarter:—

1. Details of meetings held during the quarter:-

(a) Number of meetings:

(b) Dates:

(c) Contributory/creditors/members meeting

(d) Agenda

2. Decision taken at the meetings

3. Steps taken by the company liquidator for proceeding to winding up

4. Pending actions for winding up

5. Any other important information needs to reported

IndiaCode

(Sd.)

Company Liquidator

FORM WIN 38

[*See* rule 78]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,..…)

Company Petition No.of 20…..

Name of Company:.....Limited

Presented by:..... (Professional appointed to assist company liquidator)

Declaration disclosing conflict of interest or lack of independence under section 291 of the Companies Act, 2013

I,....., s/o,……..r/o,……, have been appointed by the Company Liquidator vide letter dated …….. to assist him in the performance of his duties and functions under Companies Act, 2013.

I solemnly affirm and declare that I am not having any conflict of interest / lack of independence in respect of my appointment as assistant to Company Liquidator of the above named company.

Or

I solemnly affirm and declare that I have the following interest in the above named company which may affect my independence in respect of my duties.

And I make this solemn declaration believing the same to be true.

Solemnly affirmed and declared at.....the.....day of.....20...., before me.

Professional appointed

FORM WIN 38 A

[*See* rule 80]

Register of Liquidations

Company Petition No.....of 20.....

Name of the Company.....(in liquidation)

Name of Petitioner.....

By representative Shri.....

Date of presentation of petition for winding-up	Date of order if any, appointing Provisional Liquidator	Date of Winding-up order	Date of communication to Company Liquidator of orders in columns 2 & 3	Dates of taking possession of the books and papers and assets of the company	Date when notice, if any was issued to officers of the company for submission of statement of affairs	Date of submission of statement of affairs	Date of filing report by Company Liquidator under section 281 (1)	Date of applications for directions under Rule 38(3) and date of order on Application
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

If Advisory Committee is appointed,date of appointment	Date of filing of further report(s)by Company Liquidator under section 281(4), if any	Date of examination, if any	Date of misfeasance Summons against promoters and officers of company, if any	Date fixed for filing proofs of claims against the company	Date of settlement of list of creditors	Date of filing provisional list of contributories	Date of settlement of final list of contributories	Dates and rates of calls made, if any Date Rate
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Dates of filing Company Liquidator accounts into Tribunal	Dates and Rates of dividends (mention whether preferential or ordinary)	Dates and Rates of return of share capital	Dates of deposit of unclaimed dividends or undistributed assets under section 352(1)	Date of order for dissolution of the company	Date of filing the order of dissolution with the Registrar of companies	Date of deposit into the Scheduled Bank of unclaimed dividends or undistributed assets of the company under section 352(2)	Date and manner of disposal of the books and papers of the company	Remarks
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

IndiaCode

Assets

A. 1. Cash on hand.....

2. Balance with banks.....

3. Investments :

(*a*) Government Securities.....

(*b*) Other investments.....

B. *Immovable Properties*

**Serial number*	*Description of property*	*Estimated value*
1	*2*	*3*

C. *Other property*

**Serial number*	*Description of property*	*Estimated value*
1	*2*	*3*

IndiaCode

D. Approximate amount of debts and outstandings to be realised—Rs.....

Approximate amount of debts and liabilities to be paid—Rs.....

E. *Amount of debts and outstandings realised (give progressive total)*

After 6 months	*After 12 months*	*After 18 months*	*After 24 months*
1	*2*	*3*	*4*

F. *Costs and expenses in liquidation*

After 6 months	*After 12 months*	*After 18 months*	*After 24 months*
1	*2*	*3*	*4*

G. *Remarks* :

***Note :** Where the properties are too many to be entered here, give reference to the Register of Assets and mention the number of items, and the total estimated value of the properties.

FORM WIN 38 B

[*See* rule 80]

Central Cash Book

(Cash Book of the Company Liquidator)

Receipts						Payments						
				Amount						Amount		
Date	Name of Company	Particulars	Number of receipt	Cash	Bank	Date	Name of company	Particulars	Number of voucher or challan	Cash	Bank	Number of cheques
				Rs.P	Rs.P					Rs.P	Rs.P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Instructions:

1. This register is common to all the liquidations administered by the Company Liquidator, and the day to day transactions of the Company Liquidator should be entered in this Register chronologically. Sufficient details should be entered under the column 'particulars' to show clearly the nature of the transaction, the person by whom or to whom the payment was made, and on what account it was made.

2. All cash and cheques received by the Company Liquidator should, upon their receipt, be entered on the Receipts Side Under 'Cash' and 'Bank' respectively. When the cash collections are paid into the Bank by the Company Liquidator, an entry against cash on the Payments Side should be made, and a corresponding entry made under Bank on the Receipts Side. Where money is withdrawn from the Bank by cheque, the amount should be entered as a Payment under 'Bank', on the Payments Side and entered as a receipt under 'Cash' on the Receipts Side.

3. Where a cheque paid into the Bank is returned dishonoured, the entries previously made in the account in regard to it should be reversed by appropriate reverse entries.

4. Cash and cheques should be remitted into Bank under separate challans, and remittances in respect of each company should be made under a separate challan.

5. Vouchers for payments made by the Company Liquidator should be obtained at the time of making payment, and they should be numbered consecutively in a separate series for each half year. Receipts for payments made to the Company Liquidator should be issued out of a counterfoil receipt book, the leaves of which are machine numbered consecutively.

6. Where the Liquidator carries on a business, only the weekly totals of the Receipts and Payments on the trading account should be brought into the Central Cash Book and the Company's Cash Book from the books of the trading account.

7. Where dividends are paid to creditors, only the total amounts of the dividends paid each day must be entered in the Central Cash Book and the Company's Cash Book and the details of individual payments made should be entered in the Dividends Paid Register.

8. Cash Books should have their pages machine numbered. As far as possible no lines should be left blank, but if any space on a page of the Cash Book has to be left blank a diagonal line should be drawn to cancel the blank space, so that it may not be possible to make any subsequent entries therein. Interpolation of entries should be avoided, but when it becomes necessary to make any entries between two ruled lines or to make any additions to, or interpolation between, entries already made, such addition or interpolation should invariably be attested and dated by the Liquidator under his initials.

9. The Cash Book should be balanced at the end of each day and the Cash and Bank Balances carried over to the following day. The Cash on hand should be verified daily by some responsible officer, and at least once a month by the Company Liquidator personally. A certificate of verification of Cash by actual count should be recorded in the Cash Book by the Officer verifying the Cash. The Cash Book should be closed monthly under the personal attestation of the Company Liquidator. The Bank balances should be reconciled with the Bank

Statement at the end of each month, after taking into account factors arising out of cheques drawn but not cashed, or remittances made but adjusted in the Bank's Books in the accounts of a different month.

10. The total of the Cash and Bank Balances of all the companies should be tallied with the balances in the Central Cash Book once every month and a certificate should be recorded in the Register that the total of the balances in the individual companies' accounts agrees with the consolidated balance in the Central Cash Book.

FORM WIN 38 C

[*See* rule 80]

Company's Cash Book

Company Petition No……of 20…….

Name of Company.....(In liquidation)

			Receipts				Payments				Balance		
Date	Parti-culars	Ledger Folio	Receipt number	Cash	Bank	Total	Voucher number	Cash	Bank	Total	Cash	Bank	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Instructions:

1. There should be a separate Cash Book for each Company.

2. The entries in the Cash Book should be posted from the receipts and vouchers relating to the company and checked with the corresponding entries in the Central Cash Book.

3. Under 'particulars', the head of account to which the entry relates should be indicated so that the entry may be posted under the proper head in the General Ledger.

4. The instructions regarding the filling up of Bank and Cash columns in the Central Cash Book apply in the case of this Cash Book also.

5. The total of the Cash and Bank balances of all the companies should be tallied with the balances in the Central Cash Book once every month.

FORM WIN 38 D

[*See* rule 80]

General Ledger

Company Petition No.....of 20...

Name of Company(in liquidation)

.....(Head of account)

Date	Particulars	Dr.	Cr.	Balance
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1	2	3	4	5

Instructions :

1. A General Ledger should be maintained for each company with such heads of account as the Company Liquidator may think necessary and appropriate. The following heads of account may be found suitable:—

(1) Property account

(2) Investments account

(3) Book Debts & Outstandings account

(4) Calls

(5) Rents Collected

(6) Interest on Securities and Deposits

(7) Advances received

(8) Miscellaneous receipts payments

(9) Establishment

(10) Legal charges

(11) Rents, Rates and Taxes

(12) Fees and Commission account

(13) Other expenses

(14) Suspense account

(15) Secured creditors and Preferential

(16) Dividend account.

2. The entries in the General Ledger should be posted from the Company's Cash Book.

3. The total of the debit balances and the total of the credit balances of the several heads of account in the General Ledger should agree, after taking into consideration the cash and bank balances as shown in the Company's Cash Book. The totals should be tallied once a month.

IndiaCode

FORM WIN 38 E

[*See* rule 80]

Cashier's Cash Book

Date	Particulars	Amount received		Amount paid		Balance	
		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
1	2	3		4		5	
Opening Balance							
Closing Balance							

Instructions:

1. The opening and closing balances should be struck for each day.

2. Under 'particulars' it should be shown by whom or to whom and on what account the payment is made.

3. The number of the challan or receipt should also be given.

FORM WIN 38 F

[*See* rule 80]

Bank Ledger

Company Liquidator's account with the Scheduled Bank

Date	Particulars	Deposits		Withdrawals		Balance
		Challan Number	Rs.P	Cheque Number	Rs.P	Rs. P
1	2	3	4	5	6	7

FORM WIN 38 G

[*See* rule 80]

Register of assets

Company Petition No.....of 20...

Name of Company.....(in liquidation)

Serial number	*Description of assets*	*Date of taking possession*	*Serial number of Sales Register*	*Date of sale*	*Date of realisation*	*Amount*	*Remarks*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

Instructions:

All the property of the company except the Liquidator's investments in securities and outstandings to be realised should be entered in this Register.

FORM WIN 38 H

[*See* rule 80]

Securities and Investment Register

Serial number	*Company petition number and name of the company*	*Date of investment*	*Nature and particulars of security in which investment is made*	*Amount invested*	*Dividend or interest received with date of receipt*	*Date of disposal*	*Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM WIN 38 I

[*See* rule 80]

Register of book-debts and outstandings

(Debtors' Ledger)

Company Petition No.....of 20....

Name of Company.....(in liquidation)

Serial number	*Name and address of debtor*	*Particulars of debt*	*Amount due*	*Date of bar by limitation*	*Action taken*	*Amount realised*	*Date of realisation*	*Reference to Suits Register*	*Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Instructions :

All debts due to the company, both secured and unsecured, including amounts due for arrears of calls made prior to the winding-up, should be entered in this Register.

IndiaCode

FORM WIN 38 J

[*See* rule 80]

Tenants Ledger

Company Petition No.....of 20.....

Name of Company..... (in liquidation)

1. Description of property :

2. Name and address of tenant :

3. Date of tenancy :

4. Period of tenancy :

5. Rent (monthly or annual) :

6. Special terms, if any :

7. Arrears on date of taking charge of property :

8. Advance received, if any :

19/20..... *Month*	*Demand* *Amount* *Rs. P.*	*Realisation* *Date*	*Amount* *Rs. P.*	*Balance* *Amount* *Rs. P.*	*Remarks*
1	2	3	4	5	6
January					
February, etc.					

FORM WIN 38 K

[*See* rule 80]

Suits Register

Company Petition No.....of 20……

Name of Company..... (in liquidation)

Serial number	*Number of suit or appeal and court*	*Name and address of plaintiff/ appellant and his advocate*	*Name and address of defendant/ respondent and his advocate*	*Amount of claim*	*Date of filing*	*Dates of hearing*	*Date of decree or final order*	*Nature of relief granted*	*Amount decreed*	*Costs decreed*	*Reference to Decree Register*	*Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Instructions :

1. A single register may be maintained for all the companies in liquidation, but the register should be maintained company-wise, sufficient number of pages being allotted to each company.

2. Applications made by or against the company which are in the nature of suits should also be entered in this Register.

IndiaCode

FORM WIN 38 L

[*See* rule 80]

Decree Register

Company petition number and name of company	*Number of suit or appeal and court*	*Name and address of judg-ment debtor*	*Amount decreed*	*Date of decree*	*Action taken*	*Amount realised*	*Date of realisa-tion*	*Reference to Suits Register*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Instructions :

1. This Register is common to all the liquidations, the purpose of the Register being to enable the Official Liquidator to keep watch on the progress of the realisation of decrees in favour of the companies in his charge.

2. Every decree or order for payment of money or delivery of property in favour of the company including an order for payment of costs whether made in a suit, appeal or application, should be entered in this Register.

FORM WIN 38 M

[*See* rule 80]

Sales Register

Serial No.	*Company Petition number and name of company*	*Serial number of Assets Register*	*Description of property*	*Estimated value*	*Date of sale*	*Method of sale public or private)*	*Name and address of purchaser*	*Highest bid*	*Sale price & date of confirmation*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Advance received with date	*Interest realised, if any*	*Balance realised* ---------- *Date Rs. P.*	*Cost of sale* ---------- *Nature of expenditure Rs.P*	*Amount paid or adjusted against mortgage, if any*	*Date of payment or adjustment*	*Remarks*
11	12	13	14	15	16	17

Instruction : This Register is common to all the liquidations administered by the Company Liquidator, and entries in this Register should be made as and when sales of property are held.

IndiaCode

FORM WIN 38 N

[*See* rule 80]

Register of Claims and Dividends

Petition No.....of 20....

Name of Company..... (in liquidation)

Claims						Dividends declared and paid									Remarks
Serial Number	Name and Address of creditor	Amount claimed	Nature of claim	Amount admitted	Whether ordinary or preferential	Date	Amount	Date and Mode of Payment	Rate	Amount	Date and mode of payment	Rate	Amount	Date and mode of payment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Instructions :

1. Only claims admitted either wholly or in part should be entered in this Register.

2. The page on the left side should be reserved for claims and the page on the right side for Dividends.

FORM WIN 38 O

[*See* rule 80]

Contributories' Ledger

Petition No.of 20....

Name of Company..... (in liquidation)

Serial Number	Name and address of contributory	Number of shares or extent of interest held, and amount paid thereon	Calls			Remarks	Returns of share capital			Remarks
			First call		2nd call/ 3rd call		Rate of return	Date of Payment	Amount paid	
			Date of call and amount called	Amount paid and date of payment	(Repeat columns as under first call)					
1	2	3	4	5	6 to 9	10	11	12	13	14

Instruction :

Only contributories settled on the list should be entered in this Register and they should be entered in the same order as in the list.

FORM WIN 38 P

[*See* rule 80]

Dividends paid register

Petition No..... of 20.....

Name of company..... (in liquidation)

Date on which dividend is payable :

Total dividend payable in respect of the declaration

Date	Number on list of creditor	Particulars	Receipts	Payments
1	2	3	4	5

Instructions :

1. Separate pages should be set apart for preferential and ordinary dividends.

2. The payments should be entered as and when they are made. Any amount which is returned unpaid should be re-entered in the account under 'Receipts'.

3. The number in column 2 should be the number of the creditor in the list of creditors as finally settled.

4. The total amount of unclaimed dividends payable into the Reserve Bank of India, and the amount paid into the Bank with the date of payment, should be shown at the end of the account.

5. An account on similar lines should, if necessary, be maintained in respect of share capital returned to contributories.

IndiaCode

FORM WIN 38 Q

[*See* rule 80]

Suspense Register

Company Petition No.of 20....

Name of company.....(in liquidation)

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	2	3	4	5

Instructions :

1. This Register should be kept company-wise.

2. Advances made by the Official Liquidator to any person or made to the Company Liquidator by any person should be entered in this Register.

3. There should be a separate opening for each person.

FORM WIN 38 R

[*See* rule 80]

Documents Register

Company Petition No.of 20...

Name of company.....(in liquidation)

Sl. No	Description of document	Date of receipt	From whom received	Reference number of shelf in which document is kept	How disposed of	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Instruction : All documents of title like title-deeds, shares, promissory notes, etc., should be entered in this Register.

FORM WIN 38 S

[*See* rule 80]

Books Register

Petition No.of 20....

Name of company.....(in liquidation)

Date	From whom received	Serial Number	Description of books including files	Shelf number	How disposed of	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Instruction : In this Register should be entered all books and files of the company which come into the hands of the liquidator.

FORM WIN 38 T

[*See* rule 80]

Register of Unclaimed Dividends & Undistributed Assets Deposited into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank by the Company Liquidator

Name of company.....

Date of winding up order.....

IndiaCode

Sl. No.	Name of person entitled to the dividend or return	Whether Creditor or Contributory	Number on list of creditors or contributories	Date of declaration of dividend or return	Rate of dividend or return	Total amount payable Rs. P.	Last date when payable
1	2	3	4	5	6	7	8

Date of payment into the Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank	Amount paid into Bank Rs. P.	Person by whom claim, if any, for the amount is made under section 352(6)	Date and nature of order made on the claim ,if any	If refunded person to whom money is refunded	Amount refunded Rs. P.	Security taken ,if any	Remarks
9	10	11	12	13	14	15	16

FORM WIN 39

[*See* rule 92]

Instructions regarding the preparation of the Statement of Account

The following general instructions shall be observed in preparing the statements of account to be filed in Tribunal :—

1. The statement should be a detailed account of all the Liquidator's realisations and disbursements in respect of the company. Under realisations should be entered all receipts derived from assets existing at the commencement of the winding-up and subsequently realised, including balance in Bank, Book Debts and Calls collected, Property sold etc., and under disbursements should be entered all payments for costs and charges, or to creditors and contributories. Where property has been realised, the gross proceeds of sale must be entered under realisations, and the necessary payments incidental to sales must be entered as disbursements. The statement should not contain payments into or out of the Bank (which should be shown by the Bank pass book), nor the temporary investments by the Liquidator or the proceeds of such investments when realised, which should be shown separately by a separate detailed statement of moneys invested by the Liquidator and the investments realised.

Interest allowed or charged by the Bank, Bank Commission etc., and profit or loss upon the realisation of temporary investments should, however, be inserted in the accounts of realisations or disbursements, as the case may be. Each receipt and payment must be entered in the account in such a manner as sufficiently to explain its nature. The receipts and payments must severally be added up at the foot of each sheet, and the totals carried forward, from one account to another without any intermediate balance, so that the gross totals shall represent the total amounts received and paid by the Liquidator respectively.

2. Where the Liquidator carries on a business, a Trading Account must be furnished as a distinct account, and only the totals of receipts and payments on the Trading Account must be brought into the statement.

3. When dividends or instalments of composition are paid to creditors, or a return of surplus assets is made to contributories, the total amount of each dividend, or instalment of composition, or return to contributories, actually paid, must be entered in the statement of disbursements as one sum; and the Liquidator must furnish separate accounts showing in lists the amount of the claim of each creditor, and the amount of dividend or composition payable to each creditor, and of surplus assets payable to each contributory, distinguishing in each list the dividends and instalments of composition and shares of surplus assets actually paid and those remaining unpaid.

4. When unclaimed dividends, instalments of composition or return of surplus assets are paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account, the total amount so paid should be entered in the statement of disbursements as one sum.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Exhibit 'A' referred to in the affidavit of

Solemnly affirmed this.....day of 20

Before me

Commissioner

Company Liquidator's Statement of Account

(To be filed under section 294(2) of the Companies Act, 2013)

1. Name of company :

2. Date of winding up order:

3. Date of commencement of winding up:

4. Period of account :

Realisations					Disbursements				
Date	Of whom received	Nature of assets realised	Receipt No.	Amount Rs. nP.	Date	To whom paid	Nature of dis-burse-ment	Vouc her No.	Amount Rs. nP.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Brought forward Carried forward					Brought forward Carried forward				

Notes: *1.* The statement should be made out in accordance with Instructions 1 to 4 herein.

2. No balance should be shown on this account, but only the total realisations and disbursements which should be carried forward to the next statement of account.

3. Only the total amount of dividends paid to creditors or capital returned to contributories should be included under disbursements, and the details should be given in the Annexure below.

Analysis of Balance

Total realisations *Rs* *P.*

Total disbursements

Balance

The balance is made up as follows :— *Rs.* *P.*

1. Cash in hands of the Company Liquidator

2. Total payments into Bank including balance at date of commencement of winding-up as per Bank Book

Total withdrawals from Bank

Balance at Bank *Rs.* *P.*

*3. Amounts invested by Company Liquidator

Less

Amounts received by realisation of investment

Deduct profit or *add* loss on realisation of investment (carried into account)

Balance under investment

Total balance as shown above

***Note:** Full details of investments made and realisations thereof should be given in a separate statement.

Annexure to the Account

I. Calls made by the Company Liquidator :

Date of call:

Rate of call:

Total amount of call:

Total amount realised on the call:

II. Dividends declared:

1. Date of declaration :

2. Rate of dividend:

3. If not declared, state reasons, and when declaration may probably be made:

IndiaCode

(Where dividends have been declared and paid the following account should be furnished)

Number on list	Name of creditor	Amount of proof	Amount of dividend (or composition)	
			Paid Rs. nP	Unclaimed Rs. nP.
1	2	3	4	5
		Total		

III. List of amounts paid and payable to contributories during the period of account

Number on list	Name of contributory	Number of shares	Amount returnable on shares					
			Rs.	Paid	nP.	Rs.	Unclaimed	nP.
1	2	3	4				5	
		Total						

If any actions or other proceedings are delaying the close of the liquidation, state shortly the nature and probable duration thereof. State also any other circumstances tending to delay the winding up of the company, or affecting the realised value of the property or the costs of realisation.

IV. Legal proceedings authorised

Date of order authorising employment of representative	Name of representative	Nature of work authorised to be done	Limit of costs, if any
1	2	3	4

V. Liquidator's Trading Account*

The Company Liquidator in account with the estate								
Dr.	Receipts				Payments		Cr.	
Date	Particulars Total	Rs.	nP.	Date	Particulars Total	Rs.		nP.

Date

(Sd.)

Company Liquidator

*To be furnished where the Company Liquidator carries on business.

IndiaCode

FORM WIN 40

[*See* rule 92]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Affidavit verifying account

I,, the Company Liquidator of the above-named company solemnly affirm and say :—

That the account hereunto annexed and marked 'A' contains a full and true account of my receipts and payments in the winding-up of the above-named company from the day of 20, to the day of 20, inclusive and that I have not nor has any other person by my order or for my use during such period, received or paid any moneys on account of the said company other than and except the items mentioned and specified in the said account.

I further say that the particulars in the annexed account marked 'A' with respect to the proceedings in and position of the liquidation, are true to the best of my knowledge and belief.

Solemnly affirmed by the Company Liquidator at this day of 20

Before me.

Commissioner. *Company Liquidator*

IndiaCode

FORM WIN 41

[*See* rule 92]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Company Liquidator's Final Account

1. Name of company:

2. Date of winding-up order:

3. Date of commencement of winding-up:

4. Period of account:

Realisations					Disbursements				
Date	Of whom received	Nature of assets	Receipt number	Amount Rs. P.	Date	To whom paid	Nature of dis-burse-ment	Vou-cher num-ber	Amount Rs. P.
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Brought forward Total					Brought forward Total			

Note: The statement should be made out in accordance with the directions contained in the Form relating to the half-yearly statements.

Analysis of Balance

Rs. *P.*

Total realisations

Total disbursements

Balance

The balance is made up as follows:—

1. Cash in hands of the Company Liquidator *Rs.* *P.*

2. Total payments into Bank (including balance at date of commencement of winding-up)

Total withdrawals from Bank

Balance at Bank

Total balance as shown above

(Trading account for the period, if any, to be attached)

Subject to the directions of the Tribunal, it is proposed to pay the balance shown as above into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank under section 352(2) of the Companies Act, 2013.

Company Liquidator's report to accompany account

1. (*i*) Assets realised :

*As per statement of affairs, or where their is no statement of affairs, according to the Liquidator's estimate	Assets at commencement of winding-up		*Estimated value Rs. P.	Total realised from the assets Rs. P.	Remarks
	1.	Property (as per register of Assets)			
	2.	Book Debts & Outstandings			
	3.	Surplus from securities			
	4.	Unpaid calls (prior to winding-up)			
	5.	Capital called up			
		Total			

(*ii*) Assets which are unrealisable and should be written off: (Give particulars and state reasons why they could not be realised)

Assets at the commencement of winding-up	Estimated value	Reasons why they could not be realised and should be written off

IndiaCode

1.	Property (as per Register of Assets)		
2.	Book Debts & Outstandings		
3.	Unpaid calls prior to wind-ing-up		
4.	Capital not realised		

2. Liabilities :

	Amount due Rs. P.	Total amount paid by way of dividend or otherwise Rs. P.
1. Secured creditors 2. Preferential creditors 3. Debenture holders (secured by a floating charge) 4. Unsecured creditors 5. Return of capital to contributories		

3. Expenses of winding-up *Rs.*

4. Statement of unclaimed dividends and undistributed assets paid and payable into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled bank.

Rs.

nP.

(*a*) Total amount of unclaimed dividends and undistributed assets paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account as per previous account. Amount of unclaimed dividends and undistributed assets paid

into the said account during the period of this account

Total

(*b*) Unclaimed dividends and undistributed assets pending payment into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank.

5. Particulars of unclaimed dividends and undistributed assets paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in Scheduled Bank during the period of account:

Number on list of creditors or contributories	Name and address of creditor or contributory	Amount of divi-dend or asset payable	Date of payment into Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account	Remarks
1	2	3	4	5

6. Particulars of unclaimed dividends or undistributed assets pending payment into the said account

Number on list of creditors or contributories	Name and address of creditor or contributory	Amount of divi-dend or asset payable	Date when pay-able to creditor or contributory	Remarks
1	2	3	4	5

Dated..... *Company Liquidator*

IndiCode

FORM WIN 42

[*See* rule 94]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, …..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Requisition for audit of account

To

.....

.....

Sir,

I am to enclose herewith a copy of the statement of account filed by the Company Liquidator relating to the above company in liquidation for the period from.....to....., and to request that the said account may be audited with reference to the books and vouchers, kept by the Company Liquidator, under the Companies (Winding Up) Rules, 2020, and the orders of this Tribunal, and that upon such audit, a certificate of audit may be issued in regard to the said account and forwarded to this Tribunal with your observations thereon, if any, in duplicate, within one month from this date. A copy of the certificates of audit may also be forwarded to the Company Liquidator of this Tribunal for his reference.

Yours faithfully,

Registrar

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 43

[*See* rule 100]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

Advertisement of notice to creditors to prove their claim

Notice is hereby given to the creditors of the above-named company that they are required to submit to the Company Liquidator proofs of their respective debts or claims against the above-named company by delivering at the office of the Company Liquidator on or before the.....day of.....20....., or sending by post to the Company Liquidator so as to reach him not later than the said date, an affidavit proving the debt or claim in FORM WIN44 with their respective names, addresses and particulars of debt or claim, and any title to priority under section 326/327. Any creditor who fails to submit his affidavit of proof within the time limited as aforesaid will be excluded from the benefit of any distribution of dividend before his debt is proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution.

Any creditor who has sent in his proof, if so required by notice in writing from the Company Liquidator, shall either in person or by his representative, attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of his debt or claim as may be required.

Dated this.....day of.....20.....

Company Liquidator

FORM WIN 44

[*See* rule 103]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT…….

IN THE MATTER OF----------LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, …)

Petition No.....of 20.....

Affidavit of proof of debt

I, of, etc. (full name, address and occupation of deponent to be given) do solemnly affirm and state as follows :—

1. The above-named company was, at the date of the order winding-up the same*, *viz.*, the.....day of.....20...., and still is, justly and truly indebted to me [or to me and C.D., and E.F., my copartners in trade, or, as the case may be,] in the sum of Rs.....for [here state consideration, *e.g.*, goods sold and delivered by me/my firm to the said company between the dates of.....*or* monies advanced by me/my firm in respect of the under-mentioned bill of exchange, *or* as the case may be], as shown by the account in the schedule below.

2. In respect of the said sum or any part thereof, I say I have not, nor have my partners or any of them, nor has any person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, for my/our use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following :—

[Here state the particulars of all securities held, and where the securities are on the property of the company, assess the value of the same, and if any bills or other negotiable securities be held specify them in the schedule.]

[If the claim is made as a preferential claim, say so and set out the grounds on which the preference is claimed.]

SCHEDULE

Bills of Exchange

Date	*Drawer*	*Acceptor*	*Amount* Rs. P.	*Due Date*

Particulars of account referred to

(Credit should be given for *contra* accounts)

Date	*Consideration*	*Amount* Rs. P.	Remarks *The vouchers (if any) by which the account can be substantiated should be set out here*

Solemnly affirmed at.....on.....day, the.....day of.....20.....

Before me. Commissioner.

Deponent's signature

Notes :

1. Bills of exchange or negotiable securities must be produced before the proof can be admitted.

2. The proof cannot be admitted for voting at the first meeting unless it is properly completed and lodged with the Company Liquidator before the time named in the notice convening the meeting.

3. Where the affidavit is not by the creditor, but by some person authorised by him, the deponent should state in a separate paragraph his authority for making the affidavit and the means of his knowledge, and suitable alterations should be made in paragraphs 1 and 2 above and the name, address and description of the creditor should be set out in paragraph 1.

*Where before the presentation of the petition for winding-up, a resolution has been passed by the company for winding-up, the date of the said resolution must be substituted for the date of the winding-up order.

FORM WIN 45

[*See* rule 104]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Proof of debt of workmen

I,.....of etc., (fill in full name, address and occupation of deponent), on behalf of the workmen and others employed by the above-named company, solemnly affirm and say:—

That the above-named company was, on the.....day of.....20..., and still is justly and truly indebted to the several persons whose names, addresses and descriptions appear in the Schedule below in sums severally set against their names in column 7 of the said Schedule for wages due to them respectively as employees or others in the employees of the company, in respect of services rendered by them respectively to the company during such periods as are set out against their respective names in column 5 of the said Schedule, and for the accrued holiday remuneration so due to them in respect of such periods as are so set out in column 6 of the aforesaid Schedule, for which said sums or any part thereof, I say that they have not, nor has any of them, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever.

.....

Deponent

SCHEDULE

Sl. No.	Full name of workmen	Address	Descrip- tion	Period over which wages due	Period over which accrued holiday remunera- tion due	Amount due
						Rs. P.
1	2	3	4	5	6	7

Solemnly affirmed, etc.

.....

Deponent's signature

FORM WIN 46

[*See* rule 111]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to a creditor to attend the investigation or produce further evidence

To

.....

.....

Take notice that pursuant to rule 111 of the Companies (Winding Up) Rules, 2020 you are hereby required to attend before the Company Liquidator at his office in person or by representative on.....day, the.....day of.....20…., at.....o'clock in the.....noon for the investigation of your debt or claim against the above-named company and furnish further evidence in support of your proof against the above-named company.

The further evidence required is as follows:—

** ** **

And take further notice that unless the above evidence is produced to the Company Liquidator on or before the said date, your said proof is liable to be rejected.

Dated this.....day of.....20.....

.....

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 47

[*See* rule 115]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,1956/2013 having CIN----)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of rejection of proof of debt

To

.....

.....

Take notice that as the Company Liquidator of the above-named company, I have this day rejected your claim against the company [or to the extent of Rs.]. on the following grounds:—

** ** **

And take further notice that, subject to the power of the Tribunal to extend the time, no application to reverse or vary my decision in rejecting your proof will be entertained after the expiration of twenty-one days from the date of the service of this notice.

Dated this.....day of.....20.....

.....

Company Liquidator

FORM WIN 48

[*See* rule 115]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of admission of proof

To

.....

.....

You are hereby informed that your claim against the above-named company has been allowed at the sum of Rs.....

Sd/-

.....

Company liquidator

IndiaCode

FORM WIN 49

[*See* rule 116]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…)

Company Petition No.of 20...

Appeal No.of 20...

Creditor—*Applicant*

Appeal by creditor

The appeal of (full name, description, occupation and address of applicant) showeth :-

1. The address of the appellant for the service of all notices, processes, etc., is Shri.....at.....
2. The company named, viz.,.....(hereinafter referred to as 'the company') was incorporated in the month of.....19…../20....., under the (Companies Act, ……) as a public (private) company limited by shares/limited by guarantee/as an unlimited company.
3. The registered office of the company is situated at.....
4. The nominal capital of the company is Rs.....divided into.....shares of Rs.....each. The amount of capital paid up or credited as paid-up is Rs.....(or as the case may be.)
5. The order for the winding up the company has been passed on ……. The order for appointment of Company Liquidator has been passed by the Tribunal on ……..
6. The Company Liquidator has settled the list of creditors and the amount of debts or claims after following the due procedure of calling all the creditors to prove their claims.
7. The decision of the liquidator accepting or rejecting the proof in whole or in part has been communicated to the concerned creditors.
8. The appellant has also received the decision in which the whole/ part of the claim has been rejected by the Liquidator.

9. The appellant therefore prays that for the reasons ……(state the reasons), the records be called for, this appeal be allowed, the decision about the appellant's debt's under the list settled by the liquidator be set aside and quashed, and orders deemed just and proper be kindly passed.

Dated this.....day of.....20....

Appellant

FORM WIN 50

[*See* rule 119]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Certified list of proofs tendered to, and admitted or rejected by, the Company Liquidator

I,....., Company Liquidator of the above-named company, hereby certify that the following is a correct list of all creditors who submitted their proofs of debts or claims against the said company pursuant to advertisement, dated the.....day of.....20..., and the notices issued individually to the creditors. I further certify that in the first part of the said list are set out debts and claims admitted by me in full or in part, and the amounts admitted altogether amount to Rs..... In the second part are set out the claims which have been wholly rejected by me.

First Part

DEBTS AND CLAIMS ADMITTED WHOLLY OR IN PART

Serial No.	*Name, address and description of creditor*	*Particulars of debt or claim*	*Amount claimed*	*Amount admitted*	*Whether admitted as preferential*

Second Part

CLAIMS WHICH HAVE BEEN WHOLLY REJECTED

Serial No.	*Name, address & description of creditor*	*Particulars of debt of claim*	*Amount of claim*

Sd/

.....

Company Liquidator

FORM WIN 51

[*See* rule 130]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice by Company Liquidator requiring payment of money or delivery

of property, books, etc., to the Company Liquidator

I, the undersigned, the Company Liquidator of the above-named company, hereby require you, the under-mentioned.....(name of person to whom notice is addressed) to pay to me (*or* deliver, convey, surrender, transfer to or into my hands) at my office the sum of Rs.being the amount appearing to be due from you on your account with the said company [*or* any money, property*, books or papers] now in your hands and to which the said company is entitled [*or* otherwise, as the case may be].

Dated this.....day of.....20...

Sd./

Company Liquidator

To

.....

(Name and address of the person to whom

the notice is addressed)

*Property to be specifically described.

IndiaCode

FORM WIN 52

[*See* rule 133]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No.of 20....

Company Liquidator—*Applicant*

leave to make a call

Let the several persons whose names and addresses are set forth in the second column of the Schedule hereto, being contributories of the above-named company, as shown in the third column of the said Schedule, attend the Tribunal on theday of.....20..., at.....o'clock in the.....noon, on the hearing of an application by the Company Liquidator of the above-named company for leave of the Tribunal to make a call to the amount of Rs.per share on all the contributories [*or* as the case may be] of the said company [and that notice of this may be given by advertisement without separate notice to each contributory].

Dated this.....day of.....20...

Company Liquidator

Registrar

SCHEDULE

No. on list	*Name and address*	*In what character included*

[**Note** : Where a copy of this has to be served on any contributory, only the particulars relating to such contributory need be set out in the Schedule to the copy to be served on him.]

FORM WIN 53

[*See* rule 133]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Application No.of 20...

Affidavit in support of application for leave to make a call

I, A. B., the Company Liquidator of the above-named company, solemnly affirm and say as follows :—

1. The above-named company was, by the order of the Tribunal dated.day of20...., ordered to be wound up by the Tribunal.

2. The list of contributories of the said company was settled on.....day of …..20...., and.....persons have been settled on the list in respect of the total number of.....shares.

3. I have in the Schedule hereunder set forth a statement showing the amount due in respect of the debts proved and admitted against the said company and the estimated amount of the costs, charges and expenses of and incidental to the winding up of the affairs thereof which several amounts form in the aggregate the sum of Rs.or thereabouts.

4. I have also in the said Schedule set forth a statement of assets in hand belonging to the said company amounting to the sum of Rs.and no more, out of which I have realised the sum of Rs.I estimate that the assets still remaining to be collected will realise approximately Rs.

There are no other assets belonging to the said company except the amounts due from certain of the contributories of the said company, and to the best of my information and belief, it will be impossible to realise in respect of the said amounts more than the sum of Rs. or thereabouts.

5. For the purpose of satisfying the several debts and liabilities of the said company and of paying the costs, charges and expenses of and incidental to the winding up of the affairs thereof. I believe the sum of Rs.will be required in addition to the amount I have now on hand and the amount still to be collected by realisation of the outstanding assets.

6. In order to provide the said sum of Rs., it is necessary to make a call upon the several persons who have been settled on the list of contributories as before mentioned, and having regard to the probability that some of such contributories will partly or wholly fail to pay the amount of such call, I believe that for the purpose of realising the amount required as before mentioned, it is necessary that a call of Rs.per share should be made.

SCHEDULE

Solemnly affirmed etc. *Company Liquidator*

IndiaCode

FORM WIN 54

[*See* rule 134]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Application No.of 20...

Advertisement of application for leave to make a call

Notice is hereby given that the Tribunal has appointed.....day the.....day of.....20...., at.....o'clock in thenoon, for the hearing of an application by the Company Liquidator of the said company for leave to make a call to the amount of Rs.per share on the contributories of the said company [*or* as the case may be]. All persons interested may attend the Tribunal at the said day and hour and offer objections to the making of the said call.

Dated this.....day of.....20...

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 55

[*See* rule 135]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ……..)

Application No.of 20...

Company Liquidator—*Applicant*

Before the Hon'ble Member of the Bench…

Dated :.....

Order giving leave to make a call

Upon the application of the Company Liquidator of the above-named company, and upon reading the order to wind up the above-named company, the list of contributories of the said company and the Company Liquidator's (*or*, the Tribunals) certificate of the final settlement of the same filed on the dayof ..20...., the affidavit of the said Company Liquidator filed on the.....day of.....20...., and upon hearing, etc.

IT IS ORDERED that leave be given to the Company Liquidator to make a call of Rs.per share on all the contributories of the said company (*or* as the case may be);

And it is ordered that each contributory do, on or before theday of.....20...., pay to the Company Liquidator at his office or into the scheduled bank to the credit of the special bank account of the said company, the amount due from such contributory in respect of such call.

Dated thisday of.....20.....

(By the Tribunal)

Registrar

FORM WIN 56

[*See* rule 135]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No.of 20...

Document making a call

I, A.B., the Company Liquidator of the above-named company, in pursuance of the order of Tribunal made herein dated the.....day of.....20..., hereby make a call of Rs.per share on all the contributories of the company, which sum is to be paid at the office of the Company Liquidator [*or* in the scheduled bank to the credit of the special bank account of the said company], on or before theday of.....20....

Dated this.....day of.....20...

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 57

[*See* rule 136]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Application No. …. of 20..

Notice to be served with order sanctioning call

To

.....X.....Y.....

.....

Take notice that the amount due from you, X, Y, in respect of the call made pursuant to the leave given by the order of the Tribunal dated.....20..., a copy of which is attached hereto, is the sum of Rs., and that you should, on or before theday of.....20..., pay the said sum to the Company Liquidator at his office or into the Scheduled bank to the credit of the special bank account of the said company. If you wish to make the payment into the scheduled bank, you must produce this notice and the copy of the order hereto attached at the Bank to enable the Bank to receive payment, and after making the payment you should give forthwith notice thereof to the Company Liquidator enclosing with such notice the voucher obtained from the said bank in respect of the payment, in default whereof proceedings will be taken against you to enforce the order.

Dated this.....day of.....20...

Company Liquidator

FORM WIN 58

[*See* rule 137]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, …..)

Application No.of 20...

Company Liquidator—*Applicant*

Application to enforce call

Let all parties concerned attend the Tribunal on the.....day of.....20...., at.....o'clock in thenoon, on the hearing of an application made by the Company Liquidator of the above named company for an order that the several persons named in the column 2 of the Schedule to this application, being respectively contributories of the above company be ordered to pay to the said Company Liquidator at his office or into the scheduled bank to the credit of the special bank account of the said company, the several sums set opposite their respective names in the column 6 of the said Schedule hereto, such sums being the amounts due from the said several persons respectively in respect of the call of Rs.....per share, made by the applicant, with interest thereon at six per cent per annum from the date of the order, and that the said several persons may be ordered to pay to the applicant the costs of and incidental to this application.

SCHEDULE

No.	*Name and description*	*Address*	*In what character included*	*Amount of call*	*Amount due*
1	2	3	4	5	6

Dated this.....day of.....20

Company Liquidator

Registrar

FORM WIN 59

[See rule 137]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Application No.of 20...

Company Liquidator—*Applicant*

Affidavit in support of application for payment of call

I, A.B., Company Liquidator of the above-named company, solemnly affirm and say as follows :—

1. The contributories of the said company whose names are set forth in the Schedule to FORM WIN58 herein marked 'A', have not paid the sums set opposite their respective names in the said Schedule, which sums are the amounts now due from them respectively under the call of Rs..... per share duly made under the Companies Act, 2013, pursuant to the order of this Tribunal dated.....20...., granting leave to make a call.

IndiaCode

2. A copy of the said order dated.....20...., and a notice in FORM WIN57 specifying the amount due from each of the said contributories were duly served by registered post(or speed post, as the case may be) on such contributories respectively.

3. The respective amounts set opposite the names of such contributories respectively in the column 6 of the aforesaid Schedule are the true amounts now due and owing by them respectively in respect of the said call.

Solemnly affirmed etc.

Company Liquidator

FORM WIN 60

[*See* rule 137]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Application No.of 20.....

Company Liquidator—*Applicant*

Before the Hon'ble Member of the Bench.....

Dated:.....

Order for payment of call amount due from contributory

Upon the application of the Company Liquidator of the above-named company, and upon reading the order dated.....20..., granting leave to make a call, the affidavit of.....filed theday of....20..., and the affidavit of the Company Liquidator filed theday of.....20..., it is ordered :

That C.D., of etc., (*or* E.F., the legal representative of L.M., late of.....etc., deceased), one of the contributories of the said company [*or*, if against several contributories. That the several persons named in column 2 of the Schedule to this order, being respectively contributories of the said company] do on or before theday of.....20..., pay to the Company Liquidator of the said company at his office or into the Scheduled Bank to the credit of the special bank account of the said company, the sum of Rs.(If against the legal representative add, out of the assets of the said L.M. deceased in his hands as such legal representative as aforesaid) [or if against several contributories, the several sums of money set opposite to their respective names in column 5 of the said Schedule], being the amount(s) due from the said C.D., [*or* L.M., or the said several persons respectively] in respect of the call of Rs.per share duly made pursuant to the said order of this Tribunal .

And it is further ordered that said C.D., [*or* L.M. or the said several persons] do also pay interest at the rate of six per cent. per annum on the said amount(s) specified in column 5 of the aforesaid Schedule from this date to the date of payment.

SCHEDULE

(To be included where there are two or more contributories)

No. on list	*Name and Description*	*Address*	*In what character included*	*Amount due*
1	2	3	4	5

Dated this.....day of.....20.....

(By the Tribunal)

Registrar.

Note : The copy for service of the above order must bear the following endorsement :—

"If you, A, B, neglect to obey this order by the time mentioned therein you will be liable to process of execution for the purpose of compelling you to obey the same."

FORM WIN 61

[*See* rule 139]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No.of 20.....

Company Liquidator (or as the case may be)—*Applicant*

Application for leave to examine person(s) under section 299

Let all parties concerned attend the Tribunal on....day theday of.....20...., on the hearing of an application of the Company Liquidator of the above company for an order[Here insert the name(s) of the person(s) to be examined] be examined by the Tribunal respecting [the property (or books and papers) of the company in his (their) possession *or* his (their) indebtedness to the company *or* the promotion, formation, trade, dealings, property, books or papers, or affairs of the company] [and/or for the production of all books, papers, writings and documents in his (their) custody or power relating to the said company] and that a date be fixed for such examination and summons(es) be issued to the said person(s) for his (their) appearance on the date fixed and that all necessary directions may be given in the said matter.

(Omit what is not required).

Dated this.....day of.....20.....

Company Liquidator

Registrar.

Annexure:- In case application filed by Company Liquidator, a statement signed by him setting forth the facts on which the application is based.

-In case application is made by a person other than Company Liquidator, affidavit of applicant setting forth the matters in respect of which the examination is sought and grounds, relied on in support of application.

FORM WIN 62

[*See* rule 140]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No.....of 20....

Company Liquidator —*Applicant*

Before the Hon'ble Member of the Bench.....

Dated.....

Order for examination under section 299

Upon the application dated.....20...., of the Company Liquidator (*or* of X, Y, a contributory) of the above-named company and upon hearing, etc., and upon reading the order to wind up the said company (*or*, the order appointing a Provisional Liquidator), dated.....20....., and the statement of the Company Liquidator (*or*, the affidavit of the said X. Y.) filed.....20.....,

It is ordered :

1. That.....(name and description)* be summoned to attend the Tribunal on the.....day of20....., at.....o'clock in the.....noon, for the purpose of being examined under section 299 concerning [the property (*or* books or papers) of the company in his possession *or* his indebtedness to the company *or* the promotion, formation, trade, dealings, property, books or papers, or affairs of the company] [and the said.....be required to bring with him and produce at the said time and place the documents mentioned in the Schedule hereto, and all other books, papers, deeds, writings and other documents in his custody or power in any way relating to the above-named company];

2. That the Company Liquidator do have the conduct of the examination of the said person(s);

3. That the examination shall be in Tribunal (or as directed by the Tribunal);

**[*4.* That.....(name) being a creditor (or contributory) of the said company be at liberty to attend (and take part in) the said examination.]

SCHEDULE

(Of persons to be examined and/or of documents to be produced, as the case may be)

Dated this.....day of.....20.....

(By the Tribunal)

Registrar.

*Where more than one person is to be examined, say, 'That the persons mentioned in the afore Schedule be summoned, and give the names and addresses in the said Schedule to the order'.

**Omit what is not required. To be included where necessary.

FORM WIN 63

[*See* rule 141]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No.....of 20....

Company Liquidator —*Applicant*

Summons to witness for examination under section 299

To

.....

.....

Whereas by an order of the Tribunal dated the.....day of.....20...., made herein, it was ordered that you.....(name and description) be examined under the provisions of section 299 touching the affairs of the above-named company (*or* as the case may be), you are hereby required to attend the Tribunal on the.....day of.....20....at.....o'clock in the.....noon to be examined as aforesaid; And you, the said....., are hereby required to bring with you and produce at the time and place aforesaid the (here give the description of the property or document, etc.) and other documents in your custody or power in any way relating (*or* belonging) to the company.

If you fail to attend at the said place and time, having no lawful impediment to be then made known to the Tribunal and allowed by it, theTribunal may impose appropriate cost.

A sum of Rs.....is herewith tendered (or, sent separately by postal money order) for your expenses in connection with the aforesaid examination.

Dated this.....day of.....20....

Company Liquidator.

Registrar

IndiaCode

FORM WIN 64

[*See* rule 144]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Before the Hon'ble Member of the Bench.....

Order directing examination

Upon reading the further report of the Company Liquidator in the above matter dated the.....day of.....20...., made under section 281(4), etc. of the Companies Act, 2013, IT IS ORDERED :

1. That the several persons whose names and addresses are set forth in the Schedule hereto do attend before the Tribunal on the day and hour to be appointed for the purpose, and be examined as to the promotion or formation or the conduct of the business of the company, or as to their conduct and dealings as officers of the company.

2. That notice of the date fixed for the examination be advertised in one issue (each) of (here set out the newspaper or newspapers in which the advertisement is to be inserted) and such notice be served on the persons to be examined not less than seven days before the date of the examination.

3. That the examination shall be held before (here name the officer* and follow up with any further directions that may be given relating to the conduct of the examination or the matter on which the persons are to be examined).

SCHEDULE

Sl. No.	*Name*	*Address*	*Connection with the company*

Dated this.....day of.....20.....

(By the Tribunal)

Registrar.

FORM WIN 65

[*See* rule 145]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of examination

Notice is hereby given that a examination under section 300 will be held in Tribunal on the.....day of.....20...., at.....o'clock in the.....noon before....., of....., a director (*or* other officer) of the above-named company.

Company Liquidator

IndiaCode

FORM WIN 66

[*See* rule 145]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to attend examination

Whereas by an order of this Tribunal made on the.....day of.....20...., it was ordered that you, the undermentioned X.Y., should attend before the Tribunal and be examined as to the promotion or formation of the company and/or as to the conduct of the business of the company, and/or as to your conduct, and dealings as (here insert, director or officer, as the case may be);

And whereas it has been directed that the said examination be held before the Tribunal [*or* the Tribunal has directed that the said examination be held before (here mention the officer) before whom the examination has been directed to be held], and whereas the.....day of.....20...., at.....o'clock in the.....noon has been fixed as the time for holding the said examination;

Notice is hereby given that you are required to attend at the said time and place and at any adjournments of the examination which may be ordered, and to bring with you and produce all books, papers, and writings and other documents in your custody or power in any way relating to the above-named company.

And take further notice that if you fail, without reasonable excuse, to attend at the said time and place and at any adjournments of the said public examination, a warrant for your arrest will issue, and you will be liable to be committed to prison without further notice.

Note : A copy of the report of the Company Liquidator on which the order for examination was made will be furnished to you on payment of the prescribed charges for the same.

Dated this.....day of.....20....

Company Liquidator.

To

X.Y.,

.....

(Name)

.....

(Description and address)

.....

FORM WIN 67

[*See* rule 147]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Report to the Tribunal where person examined refuses to

answer to satisfaction of the person or authority referred to in rule 147

At the examination of.....(name and description of the person examined) held before me this.....day of.....20....., the following question(s) was (were) put by me (*or* allowed to be put by me) to the said person (hereinafter referred to as 'the witness').

Q. [Here state the question(s).]

The witness refused to answer the said question(s) (*or*) the witness answered the said question(s) as follows:—

[Here insert the answer(s), if any.]

I thereupon intimated the witness that I was reporting his refusal to answer [*or* his answer(s)] to the Tribunal and that he should attend the Tribunal on the.....day of.....20...., at.....o'clock in the.....noon when the report will be considered by the Tribunal.

Person/ Authority holding the examination

FORM WIN 68

[*See* rule 150]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Warrant against contributory who fails to attend examination

IndiaCode

To

X.Y., the Officer of this Tribunal.

(or as the case may be).

Whereas by order of this Tribunal dated.....20....., A.B., (name of the contributory required to attend) was ordered to attend before the Tribunal (or the person or authority authorised by the Tribunal as the case may be), for the purpose of being examined under section 301 on a day and at a time to be appointed; and

Whereas the.....day of.....20...., at.....o'clock in the.....noon was fixed for the said examination before the Tribunal (*or* officer etc.); and

Whereas by evidence taken upon oath (*or* by affidavit of.....solemnly affirmed) it has been made to appear to the satisfaction of the Tribunal that notice of the said order and of the said time and place so appointed was duly served upon the said A. B.; and

Whereas the said A.B., did without good cause fail to attend on the said.....day of.....20....., for the purpose of being examined, according to the requirements of the said order of the Tribunal made on the.....day of.....20....., directing him to attend [*or* and that the said A.B., has absconded (*or* that there is reason to believe that the said A.B. is about to abscond) with a view to avoiding the said examination];

This is to command you to arrest and take the said A.B., into your custody and bring him before the Tribunal with all convenient speed.

You are further ordered to return this warrant on or before.....20...., with an endorsement certifying the day on which and the manner in which it has been executed, or the reason why it has not been executed.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this.....day of.....20.....

Tribunal

FORM WIN 69

[*See* rule 151]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Warrant for keeping in prison

To

The Officer in charge of the Jail,

.....Jail.....

.....

Whereas A.B., whose attendance is required before this Tribunal for being examined under section 301, has been arrested and brought before the Tribunal in custody, and whereas the Tribunal called upon the said.....to give security for his appearance before the Tribunal for his being examined under the said section , and the said A.B., has failed to do so.

This is to require you to receive the said A.B., into your custody in the civil prison and produce him before the Tribunal at.....o'clock in the.....noon on the.....day of.....20...., and on such other day or days as may hereinafter be ordered.

Dated this.....day of.....20.....

Tribunal

FORM WIN 70

[*See* rule 151]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Order to release prisoner on bail

Upon the application dated.....20...., of A.B., now a prisoner in civil prison in the Government Jail at....., who was arrested by warrant of this Tribunal dated.....20....., pursuant to the order of this Tribunal dated.....20....., and upon hearing Shri....., representative for the applicant, and the Company Liquidator of the above-named company, and upon reading the order to wind up, etc., and the said A.B., by his counsel undertaking to attend before the Tribunal (or officer etc.,) on the.....day of.....20....., at.....o'clock in the.....noon for being examined pursuant to the said order dated.....20.....,and at any adjournments of the said examination.

IT IS ORDERED that upon payment into this Tribunal by the said A.B., of Rs..... [*or* upon the said A.B., furnishing two sureties for Rs.....each to the satisfaction (of the Registrar) of this Tribunal for his due appearance before this Tribunal], the Officer in charge of the Government Jail at....., do discharge the said A.B., out of his custody under the said warrant dated.....20.....

Dated this.....day of.....20.....

(By the Tribunal)

Tribunal or Registrar.

IndiaCode

FORM WIN 71

[*See* rule 152]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Requisition to … Court in whose jurisdiction the contributory against whom a warrant of arrest has been issued is believed to be

Whereas the warrant of arrest hereto annexed has been issued by this Tribunal against the contributory named therein, namely.....of....., under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Winding Up) Rules 2020, and

Whereas he is outside the jurisdiction of this Tribunal and is believed to be within the jurisdiction of the Court of..... (or, the Court of Small Causes at Mumbai, Kolkata or Chennai, as the case may be),

These are to request you to cause the said warrant to be executed .

You are further requested to return this warrant on or before.....20...., with an endorsement certifying the day on which and the manner in which it has been executed or the reason why it has not been executed.

Should the said contributory on being produced before you, furnish security to your satisfaction in a sum of Rs.....for his due appearance before this Tribunal for examination under section 301 on such dates and such times as may be intimated to him by this Tribunal, the said person may be released on such security.

Dated this.....day of.....20....

Seal of the Tribunal from which

the warrant was originally

issued.

Tribunal

Enclosure : Warrant.

To

The Court of.....

[or Chief Judge, Court of Small Causes, Mumbai, Kolkata or Chennai, as the case may be]

FORM WIN 72

[*See* rule 153]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Application No.....of 20.....

[Company] Liquidator of the company

[or A.B., a creditor or contributory

as the case may be] —*Applicant*

versus

……. —*Respondents*

Summons under section 339(1) of the Companies Act, 2013

Let all parties attend the Chambers on the.....day of.....20...., at.....o'clock in the.....noon on the hearing of an application under section 339(1) of the Companies Act, 2013 on the part of the [Company] Liquidator of the company aforesaid [or, A.B., of.....a creditor/contributory of the said company] for the following declarations and orders:—

IndiaCode

1. A declaration that the business of the said company was carried on from the.....20....., to the.....20..., (the date of the commencement of the winding up of the company), with intent to defraud creditors and for other fraudulent purposes by reason of the fact that [Here set out the facts showing the fraudulent purposes, *e.g.*, that the company continued to trade and to obtain goods on credit and to incur other liabilities without any means or prospect of being able to pay or provide for payment thereof, and further for the purpose of increasing the amount of assets available for distribution among the debenture holders, including the respondent C.D., etc., or, as the case may be] and that the respondents as the.....of the company were knowingly parties to the carrying on of the business of the said company in the manner aforesaid.

2. A declaration that the respondents..... (Names)..... shall be personally responsible, without any limitation of liability, for all the debts or other liabilities of the company.

3. A declaration that the said respondents are jointly and severally liable to pay to the [Company] Liquidator sums amounting to Rs.....being the amount of debts owing by the company in respect of goods supplied to or services rendered to or other liabilities incurred by the said company during the period aforesaid or such part of the said sums as to the Tribunal shall seem fit after due inquiry.

4. An order for payment to the [Company] Liquidator by the said respondents of the said sum of Rs.....or such other sum as to the Tribunal shall seem fit.

5. An order that for the purpose of giving effect to the foregoing declarations, the liability of the respondent.....(name) shall constitute a first charge on [Here set out the debt, mortgage or interest of the respondent on which the charge is created under section 339(2)(*b*)], [and that the liability of the respondent C.D., thereunder shall be and constitute a first charge on the debenture issued by the said company to him, and the money secured thereby].

6. An order that the respondents do pay to the applicant costs of and incidental to this application.

7. Such other order in the premises as the Tribunal shall think fit to make.

Dated this day of 20.....

Registrar.

This summons was taken out by Shri representative for the applicant.

To

..... (respondents)

.....

Note : If you do not attend, either in person or by your representative, at the time and place above-mentioned, such order will be made and proceedings taken as the Tribunal may think just and expedient.

FORM WIN 73

[*See* rule 153]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ……)

Application No. of 20...

[*in Company Petition No. of 20 ...*]

[Company] Liquidator of the company

[or A.B., a creditor or contributory

of the said Company] —*Applicant*

versus

……. —*Respondents*

Summons under section 340(1) of the Companies Act, 2013

Let all parties attend the sitting Judge in Chambers on day the day of 20..., at o'clock in the noon, on the hearing of an application under section 340(1) of the Companies Act, 2013 on the part of the [Company] Liquidator of the company aforesaid [*or* A.B., a creditor/contributory of the above company] for—

IndiaCode

1. A declaration that the respondents, the (promoters, directors, etc., as the case may be) of the above company had misapplied, retained or become liable or accountable for the money or property of the company, *or* were guilty of misfeasance and breach of trust in relation to the said company in [here set out briefly the ground on which the declaration is sought, *e.g.*, paying to the shareholders dividend out of capital in respect of the financial year, or lending without consideration and, without taking any security Rs. of the said company to on 20...., whereby the same became wholly lost to the said company on the adjudication of

the said as insolvent on 20..., or as the case may be].

2. An order that all necessary inquiries be made and accounts taken for ascertaining what sums the respondents are liable to contribute to the assets of the said company by way of compensation for such misfeasance and breach of trust as aforesaid.

3. An order that the respondents do jointly and severally contribute to the assets of the said company and do pay to the [Company] Liquidator of the said company all such sums as they may be found liable to contribute to such assets together with interest on such sums at the rate of per cent per annum as from the several dates when the said sums were respectively wrongfully paid away until the date of repayment.

4. An order that the said respondents do pay the costs of and incidental to this application.

5. Such other order as in the premises, the Tribunal shall think fit to make.

Dated this day of 20...,

Representative for applicant

Registrar.

[This summons was taken out by Shri representative for the applicant.]

To

..... (respondents)

.....

Note : If you do not attend, either in person or by your representative, at the time and place above-mentioned, such order will be made and proceedings taken as the Tribunal may think just and expedient.

FORM WIN 74

[*See* rule 154]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, …..)

Application No. of 20...

[*Company Petition No. of 20 ...*]

.....—Applicant

versus

.....—Respondents

Points of claim under section 339(1) of the Companies Act, 2013

1. The above-named company [hereinafter called 'the company'] was incorporated on the20...., with a capital of Rs. divided into shares of Rs. each, of which shares were at all material times issued and fully paid.

2. By an order made on the 20....., the company was ordered to be wound up by the Tribunal.

3. The company is insolvent and the estimated deficiency according to [the statement of affairs] is Rs.

4. The respondent was a director/managing agent, etc., of the said company (state the position occupied by the respondent in the company and the period during which he occupied such position, and the salary paid to him).

5. Etc. [Set out in separate paragraphs, as may be necessary, the nature of the business of the company, the way in which it was carried on and the facts showing that the business was conducted fraudulently and that the respondent was knowingly a party to the same.]

The Company Liquidator/Liquidator/A.B., the applicant claims :—

(*1*) A declaration that the respondent is liable without any limitation of liability for all the debts of the company amounting to the sum of Rs.

(*2*) If necessary, an amount of the debts of the company.

(*3*) Payment by the respondent of the said sum of Rs. or other sum for which he may be found responsible on the taking of accounts.

(*4*) Costs.

(*5*) Further or other relief.

Applicant

Delivered the day of 20..., by Representative for the Applicant.

FORM WIN 75

[*See* rule 154]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Application No. of 20...

[*in Company Petition No. of 20 ...*]

.....—Applicant

versus

.....—Respondents

Points of claim under section 340(1) of the Companies Act, 2013

1. The above-named company (hereinafter called 'the company') was incorporated on the20..., with a capital of Rs. divided into shares of Rs. each, of which shares were at all material times issued and stood credited in the books of the company as fully paid.

2. By an order dated the 20..., the company was ordered to be wound-up by the Tribunal.

3. The respondents were at all material times [state the position occupied by each of them, *e.g.*, promoter, past or present director, managing agent, secretaries and treasurers, manager, liquidator or officer of the company].

4. Etc. [Set out in separate paragraphs as may be necessary the main facts showing the misfeasance or breach of trust committed by each of the respondents and the amounts which they are jointly and severally liable to make good to the company in consequence of such misfeasance or breach of trust].

And the Company Liquidator/Liquidator/A.B., the applicant claims :—

(*1*) A declaration that the respondents and each of them as past (or present) directors [*or*, as the case may be] as aforesaid, have been guilty of misfeasance and breach of trust in relation to the company as aforesaid.

(*2*) An order that the respondents and each of them do repay to the (Company) Liquidator of the said company the said sums, together with interest at the rate of per cent per annum from 20..., down to the date of payment.

(*3*) Costs.

(*4*) Further or other relief.

Applicant.

Delivered the day of 20.., by

IndiaCode

FORM WIN 76

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Company Petition No. of 20...,

Notice to Liquidator to elect whether he will disclaim

I, the undersigned, give you notice that the above-named company was, at the time of the making of the winding up order herein [*or* at the time of the passing of the resolution for winding up], the lessee of the property described in the Schedule hereto [*or* as the case may be], and I, as lessor of the said property [*or* as the case may be], hereby require you pursuant to the provisions of section 333(4) of the Companies Act, 2013, within twenty-eight days after the receipt of this notice to decide whether you will disclaim the said lease [*or* as the case may be], and if you decide to disclaim as aforesaid, to give me notice within the said twenty-eight days of your intention to apply to the Tribunal for leave to disclaim accordingly**.

Dated this day of.....20 ... *(Signature)*

Address :

(*Lessor or representative for the lessor, or as the case may be*)

To

The (Company) Liquidator of

,..... Co., Ltd. (in liquidation)

SCHEDULE

Here set out particulars of the property, lease, contract, etc.

**In the case of a contract, add at the end "and also disclaim the contract within the said period".

FORM WIN 77

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice by Liquidator of intention to apply to

Tribunal for leave to disclaim

Take notice that I intend to apply to the Tribunal for leave to disclaim [here specify the property, lease, contract etc., with short particulars and the interest of the company therein sought to be disclaimed] referred to in the notice given by you to me as the Liquidator of the above-named company.

(Signature)

(Company) Liquidator of the said company

To

.....

.....

IndiaCode

FORM WIN 78

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No. of 20 ...,

(Company) Liquidator of the said company — *Applicant*

Summons for extension of time for giving notice of intention to

apply for leave to disclaim

Let all parties concerned attend the Tribunal on the day of 20..., on the hearing of an application by the applicant herein for an order that the applicant as the (Company) Liquidator of the above-named company may be at liberty within days of the order to be made herein to given notice to of of his intention to apply to the Tribunal for leave to disclaim [here specify the property, lease or contract etc., and the interest of the company therein to be disclaimed, with short particulars thereof].

Dated this day of 20 ...,

(Company) Liquidator

Registrar

This summons as taken out by the (Company) Liquidator of the above-named company.

To

(Insert names of persons to be served, if any)

IndiaCode

FORM WIN 79

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Order extending time for disclaimer

Upon the application of etc.

IT IS ORDERED that the applicant, as such Liquidator, be and is hereby allowed a further period of days from the 20..., within which he may give notice to of his intention to apply to the Tribunal for leave to disclaim the [here specify the property, lease, contract etc., with short particulars and the interest of the company therein which is to be disclaimed].

Dated this day of 20,

(By the Tribunal)

Registrar

FORM WIN 80

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of interest in property sought to be disclaimed

To

The (Company) Liquidator etc,

Take notice that I, the undersigned, claim to be interested in [specify the property, lease, contract etc., with short particulars] which is sought to be disclaimed by you, and that the nature of my interest therein is as follows:-

** ** **

(*Signature*)

Address

IndiaCode

FORM WIN 81

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Application No. of 20...,

(Company) Liquidator of the said company – *Applicant*

Application for leave to disclaim

Let all parties concerned attend the Tribunal on the day of 20 ..., at o'clock in the, noon, on the hearing of an application of the (Company) Liquidator of the above-named company for an order pursuant to section 333 of the Companies Act, 2013, that the said Liquidator [notwithstanding that the time limited thereof by the said section has expired*] may be at liberty to disclaim [here specify property, lease, contract etc., with short particulars and the interest of the company therein sought to be disclaimed] and that the costs of the application may be provided for.

Dated this day of 20 ...,

Liquidator of the said company.

Registrar

Note : On the hearing, the summons will be adjourned for notice to interested parties.

*To be included where the time has expired.

FORM WIN 82

[*See* rule 156]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Application No. of 20...,

(Company) Liquidator of the said company — *Applicant*

Affidavit in support of summons for leave to disclaim a lease

I, the (Company) Liquidator of the said company, do solemnly affirm and say as follows:—

1. The above-named company [hereinafter referred to as the company) was ordered to be wound up by this Tribunal by order dated the , 20..., and I was appointed Liquidator for the purpose of the winding up).

2. By a lease dated the day of 20 ..., made between of the one part and the company of the other part, the said demised unto the company all that (specify shortly the premises leased and the rent, mentioning any special covenants). The said lease* is now produced and shown to me marked 'A'.

3. The premises so demised to the company were used by them for the purposes of (specify what) but have not been occupied or used by the company since the month of 20 ..., (etc., as the case may be) nor are there any goods and chattels of the company thereon.

4. I have/have not endeavoured to sell the said lease. Having regard to the rent payable and the terms thereof, the lease is not a profitable one. I have/have not entered into possession of the premises thereby demised or exercised any act of ownership in relation thereto (or as the case may be).

5. The said lease is of no benefit to the company, its creditors or shareholders, and to the best of my knowledge, information and belief there are no persons interested in the said lease except the company and the lessors as aforesaid (*or*, as the case may be, and state any advantages sought to be attained by the disclaimer, how it would affect other people, etc.).

6. (If the 'disclaimer' is out of time, facts in explanation on which the Tribunal may be properly asked to extend the time should be stated).

7. On the 20 ..., I received a notice from of, requiring me to say whether or not it was my intention to disclaim the said contract. The notice is hereto annexed, marked on the day of 20 ..., within twenty-eightdays of the receipt of the said notice (*or* if the Tribunal has extended the time, add, by leave of the Tribunal notwithstanding that twenty-eightdays had elapsed since the receipt by me of the said notice) I gave notice to the said of my intention to make this application to the Tribunal. A copy of the said notice is hereto annexed and marked

8. The assets of the company are insufficient to meet the claims of the creditors (*or* as the case may be).

9. In these circumstances, I ask for leave to disclaim the said lease, and the said should be allowed to prove for the loss suffered by reason of the said disclaimer along with the other creditors.

Solemnly affirmed etc. *Liquidator.*

***Note :** The original or a certified copy of the lease to be produced.

FORM WIN 83

[*See* rule 159]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice to parties interested in the property in respect of which the application to disclaim is made

Notice is hereby given that on an application to the Tribunal by me as (Company) Liquidator of the above-named company for leave to disclaim a lease to the above-named company dated the , 20..., etc., (*or* as

the case may be), the Tribunal adjourned the matter until the day of 20 ..., for notice to be given to you.

If you desire to be heard on the said application, you should attend the adjourned hearing before the Tribunal on day, the day of 20 ..., at o'clock in the noon, either in person or by representative.

Any affidavit that you intend to use in opposition should be filed in Tribunal and a copy thereof served on me not later than two days before the date of the adjourned hearing.

A copy of the summons and a copy of my affidavit filed in support thereof are sent herewith.

(Signature)

.....

Liquidator.

To

.....

.....

FORM WIN 84

[*See* rule 160]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Application No. of 20 ...,

(Company) Liquidator of the said company – *Applicant*

Order giving leave to disclaim

Upon the application by summons dated 20..., of the (Company) Liquidator of the above named company and upon hearing the applicant in person (or Shri representative for the applicant [and the representative for (party interested) *or* no one appearing for or on behalf of a party interested although he has been duly served with notice of the said application pursuant to the directions of the Tribunal as appears by the affidavit of filed on 20.....,], and upon reading the order to wind up the said company dated the 20 ..., the affidavit of filed the 20 ..., and the affidavit of filed the 20 ..., and the exhibits in the said affidavits respectively referred to [Exhibit to the first mentioned affidavit being the contract or lease or as the case may be].*

IT IS ORDERED that the (Company) Liquidator of the said company, the applicant, be at liberty, on or before 20 ..., to disclaim the contract (*or* the lease, *or* the shares or other property as the case may be) dated the..... , 20 ..., made between of the one part, and the said company of the other part, whereby (set out in brief the nature of the contract or the lease or the shares or other property as the case may be) particulars of which are set out in the Schedule hereto, upon the following terms, namely:-

[Here set out the terms and conditions if any subject to which leave to disclaim has been granted.]

SCHEDULE

[Here set out the particulars of the property disclaimed *e.g.*, contract or lease dated 20 ….. made between etc. *or* shares of the face value of Rs. in of which Rs. are paid up etc. (or as the case may be)].

Dated this day of 20 ...

(By the Tribunal)

Registrar.

***Note :** Where the Tribunal has made an order extending the time, that order should also be mentioned in the preamble to this order.

FORM WIN 85

[*See* rule 161]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Disclaimer of lease*

Pursuant to an order of the Tribunal dated the day of..... , 20 ... I, the undersigned, the Company Liquidator of the above-named company, hereby disclaim all interest in the lease dated the..... , 20....., whereby the premises (here insert description of the property disclaimed) were demised to at a rent of Rs. per annum (*or* per mensem) for a term of years.

Notice of this disclaimer has been given to

Dated this day of 20 ...

Company Liquidator.

*The form to be suitably altered in the case of property other than lease.

FORM WIN 86

[*See* rule 161]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of disclaimer of lease*

Take notice that pursuant to an order of the Tribunal, dated the.....day of....., 20....., I, the undersigned, the Company Liquidator of the above-named company, by writing under my hand bearing date the.....day of.....20....., disclaimed all interest in the lease dated the.....day of20....., whereby the premises (here insert description of property disclaimed) were demised to.....at a rent of Rs.....per annum (*or* per mensem) for a term of.....years.

The above-mentioned disclaimer was filed in Tribunal on the.....day of.....20.....

Dated this.....day of.....20.....

Company Liquidator.

*Form to be suitably altered in the case of property other than lease.

FORM WIN 87

[*See* rule162]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act, ……)

Application No.....of 20.....

A.B.—*Applicant*

C.D.—*Respondent*

Order requiring parties interested in disclaimed lease to apply for vesting order or to be excluded from all interest in the leasehold premises

1. Whereas it appears by the affidavit of.....and the affidavit of.....filed respectively in the above matter on the..... , 20....., and the..... , 20....., that :—

(*a*) By a lease dated the..... , 20....., and made between A.B., the applicant herein of the one part and the above-named company (hereinafter called 'the company') of the other part, the premises comprising.....(give particulars) were demised unto the company for a term of.....years from the....., 20....., at a rental of Rs.....per annum (*or* per mensem);

(*b*) By a sub-lease dated the..... , 20....., made between the company of the one part and C.D., the respondent of the other part, in consideration of the payment therein made and the covenants and conditions therein named, the company demised (part* of) the said premises to the said C.D. [*or* By a mortgage or charge dated the....., 20....., and duly registered with the Registrar of Companies, the company charged the said premises to secure the repayment of a sum of Rs.....together with interest at.....per cent. per annum in favour of the said C.D.].

2. And whereas on the....., 20....., an order was made for the winding-up of the company by Tribunal and Shri.....was appointed liquidator for purposes of winding up;

3. And whereas the Company Liquidator of the said company was by order dated the....., 20.....,. given leave to disclaim the said lease;

4. And whereas the said Company Liquidator of the above-named company on the....., 20....., gave notice of his intention to disclaim the said lease, and by writing under his hand dated the, 20....., disclaimed the said lease, and filed such disclaimer in these proceedings on the....., 20....., and served notice thereof on or about the, 20....., on the said A.B., the applicant;

Now upon the application by summons dated the....., 20....., of the said A.B., of.....for an order that the respondent C.D., do elect whether he will or will not take a vesting order of the disclaimed property comprised in the said lease, being.....(give particulars of the property);

This Tribunal doth order that unless the said respondent C.D., within fourteen days after the service of this order on him applies for a vesting order of the said lease subject to the same liabilities and obligations as those to which the company was subject under the lease in respect of the property on the, 20....., the date of the commencement of the winding up (*or* subject to the same liabilities and obligations as if the said lease had been assigned to him on the....., 20....., the date of the commencement of the winding up of the said company), the said C.D., be excluded from all interest in and security upon the said premises.

That this summons do stand adjourned for further orders to the....., 20....., for service of this order on the said C.D.

Dated this.....day of....., 20.....

(By the Tribunal)

Registrar.

*If different parts have been sub-leased to different persons, repeat the provision to cover all such sub-leases.

FORM WIN 88

[*See* rule 162]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.of 20.....

.....Petitioner

A.B.—*Applicant*

C.D.—*Respondent*

Dated.....

Order vesting lease and excluding persons who have not elected

Paragraphs 1 to 4 as in FORM WIN 87

5. And whereas upon the hearing of this application by summons of the said A.B., for an order that the respondent C.D., do elect whether or not he will take a vesting order of the disclaimed property comprised in the said lease, the Tribunal on the....., 20....., ordered that unless the said respondent C.D., within fourteen days after the service of the said order on him applied for a vesting order of the said lease subject to the conditions mentioned in the said order, the said C.D., be excluded from all interest in and security upon the said premises.

6. And whereas the said order was duly served on the said C.D., as appears from the affidavit of..... filed.....20.....

7. And whereas the said C.D., has not applied or intimated his intention to apply for a vesting order within the time limited by the said order [*or the said C.D., has applied for a vesting order of the said lease.]

Upon hearing, etc., and upon reading, etc., this Tribunal doth order :

That the said C.D., be and is hereby excluded from all interest in and security upon the premises aforesaid [and that the property do vest in.....].

[or That the company's interest in the premises.....more particularly described in the lease deed dated the....., 20....., do vest in C.D., the respondent herein, for the residue of the term of.....years demised by the said lease, subject to the same liabilities and obligations as those to which the company was subject under the lease in respect of the property at the commencement of the winding up (or subject only to the same liabilities and obligations as if the lease had been assigned to that person on the....., 20....., the date of the commencement of the winding up]

Dated this.....day of....., 20.....

(By the Tribunal)

Registrar.

*Where such an application for a vesting order is made, the application should be included in the cause-title.

FORM WIN 89

[*See* rule 169]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Advertisement as to declaration of dividend

Notice is hereby given that a*.....dividend of..... (in the rupee) has been declared and that the same will be payable on the.....day of....., 20....., and on the subsequent working days upto the.....day of.....,20.....at the office of the Company Liquidator.

Every person entitled to participate in this dividend will receive a notice to that effect and no payment will be made except upon production of such notice.

Company Liquidator.

*Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.

FORM WIN 90

[*See* rule 169]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of dividend

(Please bring this dividend notice with you)

Dividend of..... (in the rupee)

To

.....(Name)

.....(Address)

Take notice that a*.....dividend of.....(in the rupee) has been declared. The amount payable to you is Rs....., and the same will be payable at my office on the.....day of....., 20....., and on the subsequent working days up to the.....day of....., 20....., between the hours of.....

Upon applying for payment this notice must be produced entire with any bills of exchange, promissory notes or any other negotiable securities held by you. If you desire the dividend to be paid to some other person, you may sign and lodge with the Company Liquidator an authority in FORM WIN 91. If you do not attend personally you must fill up and sign the enclosed forms of Receipt and Authority.

Dated at.....this.....day of....., 20.....

Company Liquidator

Notes : *1.* The receipt and authority should, in the case of a firm, be signed in the firm's name, and in the case of a limited company, by an officer of the company so described.

2. If you do not claim the dividend, declared and payable as above, within six months after the date when it became payable, the Company Liquidator shall pay the said amount into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank, under section 352(2) of the Companies Act, 2013.

*Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.

Enclosures:

Receipt

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Address :

Date :

RECEIVED from the Company Liquidator of the above company the sum of Rs..... being the amount payable to me/us in respect of the.....dividend of in the rupee. Rs...../

Payee's signature

***Authority for delivery**

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Address :

Date :

Sir,

Please deliver to the bearer.....(name of bearer) [or send to me by cheque by post or by postal money order, at my expense and risk] thedividend of Rs.....payable to me. Rs...../
Payee's signature

To

The Company Liquidator of.....(company),

:.....

***Note** : This is an authority only to deliver the dividend (the cheque or the amount as the case may be), and *not* to make it payable to another person, for which FORM WIN 91 should be used.

Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.

IndiaCode

FORM WIN 91

[*See* rule 170]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Authority to Company Liquidator to pay dividend to another person

Address :

Date :

Sir,

I hereby authorise and request you to pay the dividend referred to in the enclosed notice

to.....of.....(a specimen of whose signature is given below) whose receipt shall be a sufficient discharge.

Signature

Witnesses to the signature of.....

1.(signature)

.....(occupation)

.....(address

2.(signature)

.....(occupation)

.....(address)

Specimen signature of person appointed as above .

.....

(specimen)

Witness to specimen signature :

.....(signature)

.....(occupation)

.....(address)

Dated the.....day of....., 20.....

IndiaCode

FORM WIN 92

[*See* rule 172]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Schedule of contributories to whom return is to be paid

Number as in settled list	Name of contributory as in settled list	Address	Number of shares held as per settled list	Total amount called up Rs. .	Total amount paid up Rs. .	Arrears of calls at date of return Rs. .	Previous return of capital appropriated by Liquidator for arrears of calls Rs. .	Amount of return payable at.....per share Rs. .	Net return payable Rs. .	Date and particulars of transfer of interest or other variation in list	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

IndiaCode

Note : Where the articles of the association of the company provide that the amount divisible among the members or any class of members shall be divisible in proportion to the amount paid up or which ought to have been paid up at the date of winding up, or contain any other provision which will necessitate further information before a return can be made, columns should be added showing the amount called up and the amount paid up at such date in respect of shares then held by such members or class or members or such other facts as may be requisite.

FORM WIN 93

[*See* rule 172]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……..)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Notice of return to contributories

To

.....

.....

Notice is hereby given that a first/second/final return of.....per share has been declared. The amount payable to you is Rs.....and the same will be payable at my office on the.....day of....., 20....., and the subsequent working days up to the.....day of …….,20....., between the hours of.....

Upon applying for payment, this notice must be produced entire together with the share certificate. If you do not attend personally you must forward the share certificate and fill up and sign the enclosed forms of receipt and authority for delivery.

Dated..... *Company Liquidator*

Note : The receipt should be signed by the contributory personally, or in the case of joint contributories, by each of them, and in the case of a limited company, by an officer of the company so described.

Enclosures :

(1)

RECEIPT

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,……)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

RECEIVED from the Company Liquidator of the above company the sum of Rs.being the amount payable to me/us in respect of the first/second/final return of.....per share held by me/us in the above company.

Rs.....

Dated.....

(Signature/Signatures)

.....

Address

IndiaCode

AUTHORITY FOR DELIVERY

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Address.....

Date.....

Sir,

Please deliver to the bearer.....(name of bearer) [*or* send to me/us by cheque by post or by postal money order, at my/our expense and risk] the first/second/final return of Rs.....payable to me/us.

Rs..... *Payee's signature*

To

The Company Liquidator of.....(company)

Note: This is an authority only to deliver, and not to make the return payable to another person.

FORM WIN 94

[*See* rule 179]

State the number of the petition and the date of the order.

Statement of unclaimed dividends or undistributed assets, paid under section 352 (1) and (2), into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account.

Name of the company

Nature of the proceeding*

Date of commencement of winding up

Date of payment into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account

I. Particulars of the unclaimed dividends paid into the Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account in the Scheduled Bank.

Number on list of creditors	*Name of the creditor to whom the dividend is due*	*Last known address of creditor*	*Date of declaration and rate of dividend*		Total amount of dividend payable	Last date when payable	Amount paid into Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account	Remarks
			Date	*rate*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Total	

II. Particulars of undistributed assets paid into the Company Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account.

Number on list of contribu Tories	*Name of contributory*	*Last known address of contributory*	*Date of declaration and rate of return*		Total amount of return payable	Last date when payable	Amount paid into Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account	Remarks
			Date	*rate*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Total Rs P

Total amount of unclaimed dividends paid into the Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account Rs

Total amount of undistributed assets paid into the Companies Liquidation Dividend and Undistributed Assets Account

Total amount paid under both heads

Dated the.....day of.....

(Sd/-)

Company Liquidator(s)

IndiaCode

FORM WIN 95

[See rule 184]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT…….

IN THE MATTER OF-----LTD (give the name of the company)

(Company incorporated under Companies Act,…….)

Petition No.....of 20.....

.....Petitioner

Request to deliver bill

I hereby request that you will, within four weeks of the receipt hereof or such further time as the Tribunal may allow, deliver to me your bill of cost (or charges) as …….failing which, I shall, in pursuance of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, proceed to declare and distribute a dividend without regard to any claim which you may have against the assets of the company, and your claim against the assets of the company will be liable to be forfeited.

Dated this …….. day of ……20……..

Company Liquidator

I here state the nature of the employment e.g. advocate, auctioneer, etc.

[F. No. 01/30/2013-CL-V Pt-III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.03 17:00:48 +05'30'